वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2016 - 17

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
The Marine Products Export Development Authority
(Ministry of Commerce & Industry, Government of India)

SPICES BOARD
Coffee Board of India

वार्षिक रिपोर्ट

ANNUAL REPORT

2016 - 2017

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय)

भारत सरकार

THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY

(Ministry of Commerce and Industry)

Govt. of India

विषय सूची

		पृष्ठ सं.
1.0	**प्राधिकरण**	**4**
2.0	**कार्यालय संरचना**	**4**
3.0	**निर्यात निष्पादन 2016-17**	**6**
3.1	प्रमुख मदवार निर्यात विवरण	8
3.2	बाज़ार-वार निर्यात विवरण	14
3.3	प्रमुख पत्तनवार निर्यात	20
4.0	**बजट एवं व्यय सहित वार्षिक योजना**	**22**
5.0	**पंजीकरण**	**24**
6.0	**बाज़ार संवर्धन**	**24**
6.1	विपणन सेवाएं	24
6.2	प्रचार एवं बाज़ार संवर्धन	26
7.0	**कैप्चर मात्स्यिकी**	**48**
8.0	**कल्चर मात्स्यिकी**	**50**
8.1	जलकृषि के द्वारा निर्यात उत्पादन	50
8.2	संवर्धनात्मक कार्यकलाप	68
8.3	वित्तीय सहायता योजनाओं का कार्यान्वयन	76
8.4	अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भागीदारी	78
8.5	एमकृषि एक्वा मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके ऑनलाइन ट्रेसिबिलिटी प्रणाली पर पूर्वपायलट अध्ययन	80
8.6	हिमाचल प्रदेश में ट्राउट कृषि के लिए संयुक्त उद्यम परियोजना को बढ़ावा देने के प्रयास	88
8.7	जीवित श्रिम्प की हैंडलिंग और परिवहन की प्रौद्योगिकी पर एमपीईडीए-सिनटेफ कार्यशाला	88
8.8	हैचरी ऑपरेटरों का सम्मेलन	88
8.9	जलकृषि फार्म के लिए "उच्चतम जलकृषि प्रथा (एक्वाकल्चर प्रैक्टिस), जैव सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा निवारक नियंत्रण" पर एमपीएडीए-यूएसएफडीए प्रशिक्षण कार्यशाला	90
8.10	एल वन्नामी के लिए 7 उत्तम जलकृषि प्रथा पर मार्गदर्शक पुस्तिका लाने के लिए एमपीईडीए-सीआईटीडी कार्यक्रम	90
8.11	निर्यात के लिए आलंकारिक मत्स्य प्रजनन का संवर्धन	96
9.0	**प्रसंस्करण अवसंरचना तथा मूल्यवर्धन**	**102**
9.1	वर्ष 2016-17 के दौरान वित्तीय सहायता योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति	102
9.2	बुनियादी ढांचे के सृजन हेतु निर्यातकों को सहायता	104
9.3	शीत श्रृंखला अनुरक्षण हेतु सहायता	104
9.4	अन्य	104
10.0	**गुणवत्ता नियंत्रण**	**106**
11.0	**गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं**	**112**
12.0	**एमपीईडीए के अंतर्गत सोसाइटियां**	**116**
12.1	राजीवगांधी जलकृषि केंद्र (आरजीसीए)	116
12.2	मत्स्य गुणवत्ता प्रबंधन और चिरस्थायी मत्स्यन हेतु नेटवर्क (नेटफ़िश)	132
12.3	राष्ट्रीय चिरस्थाई जलकृषि केंद्र (नाक्सा)	138
13.0	**विशेष पहल**	**142**
14.0	**राजभाषा कार्यकलाप**	**148**
15.0	**अन्य गतिविधियां**	**152**
16.0	**आभारोक्ति**	**154**
अनुबंध- 1		156
अनुबंध- 2		162
वार्षिक लेखे - 2016-17		**170**

CONTENT

		Page No.
1.0	**The Authority**	**5**
2.0	**Office Structure**	**5**
3.0	**Export performance**	**7**
3.1	Major Item-wise exports details	9
3.2	Market-wise Export Details	15
3.3	Major Port-wise Exports:	21
4.0	**Annual Plan with budget and expenditure**	**23**
5.0	**Registration**	**25**
6.0	**Market Promotion**	**25**
6.1	Market Services	25
6.2	Publicity & Market Promotion	27
7.0	**Capture fisheries**	**49**
8.0	**Culture fisheries**	**51**
8.1	Export production through aquaculture	51
8.2	Promotional activities	69
8.3	Implementation of financial assistance schemes	77
8.4	Participation in the national and international programs by officials	79
8.5	Pre-pilot study on online traceability system using mKRISHI Aqua mobile application	81
8.6	Efforts to promote joint venture project for Trout farming in Himachal Pradesh	89
8.7	MPEDA-SINTEF workshop on technology for handling and transportation of live shrimp	89
8.8	Hatchery operators meet	89
8.9	MPEDA-USFDA Training workshop on "Good Aquaculture Practices, Biosecurity and Food Safety Preventative Controls for aquaculture farms"	91
8.10	MPEDA-CITD program for bringing out Guide book on "Good Aquaculture Practices for L vannamei"	91
8.11	Promotion of ornamental fish breeding for export	97
9.0	**Processing infrastructure and value addition**	**103**
9.1	Progress of implementation of financial assistance schemes	103
9.2	Assistance to exporters for creating basic infrastructure	105
9.3	Assistance for the maintenance of Cold Chain	105
9.4	Others	105
10.0	**Quality Control**	**107**
11.0	**Quality Control Laboratories**	**113**
12.0	**Societies under MPEDA**	**117**
12.1	Rajiv Gandhi Centre for Aquaculture (RGCA)	117
12.2	Network for Fish Quality Management and Sustainable Fishing (NETFISH)	133
12.3	National Centre for Sustainable Aquaculture (NaCSA)	139
13.0	**Special Initiatives**	**143**
14.0	**Official language implimentation**	**149**
15.0	**Other Activities**	**153**
16.0	**Acknowledgement**	**155**
Appendix - 1		157
Appendix - 2		163
Annual Accounts 2016-17		**171**

1.0. प्राधिकरण

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) एक सांविधिक निकाय है जिसे समुद्री उत्पादों के निर्यात संवर्धन का प्राथमिक कार्य सौंपा गया है ।

प्राधिकरण में (केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त) एक अध्यक्ष, निदेशक, 3 संसद सदस्य, जिनमें दो लोक सभा तथा एक राज्य सभा द्वारा निर्वाचित किया जाएगा, केन्द्र के कृषि, वित्त, विदेश व्यापार, उद्योग, पोतपरिवहन व परिवहन मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 सदस्य और समुद्र तटीय राज्यों तथा एमपीईडीए नियमावली, 1972 में यथानिर्दिष्ट संगत क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करनेवाले 20 अन्य सदस्यों सहित कुल 30 सदस्य होते हैं ।

प्राधिकरण का पुनर्गठन 3 दिसंबर 2015 को तीन वर्ष की अवधि के लिए किया गया । दिनांक 31.03.2017 के अनुसार प्राधिकरण के सदस्यों की सूची परिशिष्ट 1 में दी गई है । सुश्री लीना नायर, भा.प्र.से. दिनांक 5 मई 2016 तक अध्यक्ष बनी रही और उसी दिन डॉ ए जयतिलक, भा.प्र.से. ने अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला और रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान एमपीईडीए के अध्यक्ष बने रहे ।

2.0 कार्यालय संरचना

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, अध्यक्ष के संपूर्ण पर्यवेक्षण में कार्य करता है जिसकी सहायता मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों के एक दल द्वारा की जाती है । अधिकारियों की सूची परिशिष्ट 2 में दी गई है ।

2.1. मुख्यालय

प्राधिकरण का मुख्यालय कोच्ची में स्थित है तथा सभी तटवर्ती राज्यों में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं । अधिनियम और नियमों के तहत प्राधिकरण के समुचित कार्य निष्पादन तथा इसके कार्यों के निर्वहन की जिम्मेदारी अध्यक्ष की है ।

2.2. क्षेत्रीय कार्यालय

प्राधिकरण को सौंपे गए निर्यात संवर्धन एवं जलकृषि विकास के विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए सभी तटवर्ती राज्यों में क्षेत्रीय कार्यालय हैं । पणधारियों को समय पर सलाह सुनिश्चित करने हेतु समुद्री उत्पाद निर्यातकों, प्रसंस्करणकर्ताओं और जलकृषकों को सहायता प्रदान करने केलिए 13 क्षेत्रीय प्रभाग और 13 उप क्षेत्रीय प्रभाग हैं । निर्यातकों और कृषकों की सुलभता के लिए निर्यात संवर्धन और निर्यात उन्मुख जलकृषि दोनों के कार्यकलापों का समन्वय करने के लिए 02 सैटेलाइट केंद्र हैं ।

2.3. व्यापार संवर्धन कार्यालय

एमपीईडीए के तीन व्यापार संवर्धन कार्यालय हैं जिनमें से एक नई दिल्ली में है जो मुख्य रूप से भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के साथ संबंध स्थापित करने का काम करता है । अन्य दो कार्यालय न्यूयार्क और टोक्यो में हैं जो भारतीय समुद्री खाद्य के दो महत्वपूर्ण बाज़ार हैं । ये व्यापार संवर्धन कार्यालय , आयातकों, सरकारी एजेन्सियों, संगरोध प्राधिकरणों, व्यापारी संघों आदि से संपर्क रखते हैं और देश के भीतर तथा पड़ोसी देशों के ऐसे विभिन्न घटनाक्रमों पर कड़ी नज़र रखते हैं जिनसे भारत से होनेवाले समुद्री खाद्य व्यापार पर प्रभाव पड़ सकता है ।

2.4. गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं

एमपीईडीए ने कोच्ची (केरल), नेल्लोर व भीमावरम (आंध्र प्रदेश) एवं भुवनेश्वार (ओडिशा) में चार संपूर्ण सुसज्जित गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना की है । ये प्रयोगशालाएं परिष्कृत विश्लेषात्मक उपकरणों जैसे एचपीएलसी, एलसीएमएसएमएस, जीसी, जीसीएमएस/जीसीएमएसएमएस, आईसीपीओईएस/एएएस आदि के साथ सुसज्जित हैं और एनएबीएल (राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड) द्वारा आईएसओ 9001:2008 द्वारा प्रमाणीकृत हैं ।

इसके अलावा, एमपीईडीए द्वारा बारह एलिसा स्क्रीनिंग प्रयोगशालाएं देश के 8 समुद्र तटीय राज्यों में स्थापित की गई हैं जो उत्पादों की परिपक्वता से पूर्व नाइट्रोफ्यूरांस और क्लोरम्फेनिकॉल जैसी प्रतिबंधित जीवाणुरोधियों के बारे में जलकृषि उत्पादों की जांच कर रही हैं ।

1.0. THE AUTHORITY

The Marine Products Export Development Authority (MPEDA) under the Ministry of Commerce and Industry is a statutory body entrusted with the primary task of promotion of export of marine products.

The Authority consists of 30 members including a Chairman (Appointed by the Central Government), Director, 3 Members of Parliament of whom two shall be elected by the House of the People and one by the Council of States, 5 members representing Central Ministries of Agriculture, Finance, Foreign Trade, Industry, Shipping and Transport and 20 other members to represent the Maritime States and other relevant fields as specified in MPEDA Rules, 1972.

The Authority was re-constituted on 3rd Dec' 2015 for a period of three years. The list of Authority Members as on 31.03.2017 is given in **Appendix 1**. Ms Leena Nair IAS continued as the Chairman till 5th May 2016 and on the same day Dr. A Jayathilak, IAS took charge as the Chairman of MPEDA and continued during the period under report.

2.0. OFFICE STRUCTURE

The Marine Products Export Development Authority functions under the overall supervision of the Chairman, supported by a team of officials both at the Head Office and the Field Offices. The List of officials are given in **Appendix - 2**

2.1 Head Office

Head office of the authority is located at Kochi and it has field offices across all maritime states. The Chairman is responsible for the proper functioning of the Authority and the discharge of its functions under the Act and Rules.

2.2 Field Offices

The Authority has field offices in all the maritime states to carry out various export promotion and aquaculture development functions assigned to it. There are 13 Regional Divisions and 13 Sub Regional Divisions to assist the marine product exporters, processors and aqua culturists for ensuring timely advice to the stakeholders. There are 02 Satellite Centers to coordinate the activities of both export promotion and export oriented aquaculture for easy accessibility of the farmers and exporters.

2.3 Trade Promotion Offices

MPEDA has three Trade Promotion Offices of which one is in New Delhi, mainly to liaise with various Ministries of Government of India. The other two offices are at New York and Tokyo, the two important markets for Indian sea food. These Trade Promotion offices liaise with Importers, Government Agencies, Quarantine authorities, Trade Associations, etc and keep a close watch on various developments within the country as well as their neighboring countries that may have an impact on the seafood trade from India.

2.4 Quality Control Laboratories

MPEDA has set up four full-fledged Quality Control Laboratories, at Kochi (Kerala), Nellore & Bhimavaram (Andhra Pradesh) and Bhubaneshwar (Odisha). These laboratories are equipped with sophisticated analytical instruments like HPLC, LC-MSMS, GC, GCMS/GC-MSMS, ICP-OES/AAS etc and are accredited under ISO/IEC 17025 Standards by the NABL (National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories). These Laboratories are approved by the EIC of India and are also ISO 9001:2008 certified.

In addition, twelve ELISA Screening Laboratories set up by MPEDA in the 8 maritime states are performing the screening of aquaculture products for banned antibiotics like Nitrofurans and Chloramphenicol prior to harvest of the products.

2.5. सोसाइटियाँ

एमपीईडीए ने निर्यातोन्मुख जलकृषि क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप करने हेतु राजीव गाँधी जलकृषि केन्द्र (*आरजीसीए*), मात्स्यिकी से संबंधित विषयों पर, विशेष रूप से मत्स्य गुणवत्ता प्रबंधन संरक्षण एवं चिरस्थाई मत्स्यन पर मछुआरा समुदाय को सशक्त करने हेतु तृण मूल स्तर पर विस्तारण कार्यकलापों के लिए मत्स्य गुणवत्ता प्रबंधन तथा चिरस्थाई मत्स्य के लिए नेटवर्क (नेटफिश), जलकृषि में गुणवत्तापूर्ण एवं सुरक्षित जलीय उत्पादों के लिए जलकृषि कृषकों द्वारा चिरस्थाई और पर्यावरण उन्मुख कृषि प्रक्रियाओं को अपनाने हेतु राष्ट्रीय चिरस्थाई जलकृषि केंद्र (नाक्सा) जैसी तीन सोसाइटियों का गठन किया है ।

3.0 निर्यात निष्पादन 2016-17

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक सांविधिक निकाय है । एमपीईडीए, भारत से समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु नोडल एजेंसी है । एमपीईडीए की उपस्थिति सभी समुद्री तटीय राज्यों में है और यह अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से निर्यात संवर्धन और जलकृषि उत्पादन के लिए विकासात्मक योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है ।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, भारत ने 5.78 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के 11,34,948 मी.टन समुद्री खाद्यों का निर्यात किया । पिछले वर्ष की भाँति यूएसए तथा दक्षिण पूर्व एशिया समुद्री खाद्य के प्रमुख आयातक बने रहे । प्रशीतित श्रिम्प प्रमुख निर्यात मद बना रहा, जिसके बाद का स्थान प्रशीतित मत्स्य का था ।

निर्यात सारांश रिपोर्ट तालिका 1 में दिए गए हैं ।

तालिका 1 : :वर्ष 2015-16 की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान निर्यात निष्पादन

निर्यात विवरण	2016-17	2015-16	वृद्धि %
मात्रा टन में	11,34,948	9,45,892	19.99
मूल्य करोड़ मे	37, 870.90	30, 420.83	24.49
अमेरिकी डॉलर दालक्ष में	5,777.61	4,687.94	23.24
इकाई मूल्य (अमेरिकी डॉलर/किलो)	5.09	4.96	2.71

तालिका 1 प्रशीतित श्रिम्प की औसत इकाई मुल्य प्राप्ति में वर्ष 2015-16 के 8.28 यू एस डॉलर के स्थान पर वर्ष 2016-17 में प्रति किलो 7.58 यू एस डॉलर की वृद्धि हुई ।

समुद्री उत्पाद निर्यात निष्पादन (मूल्य यू.एस.डॉ में)

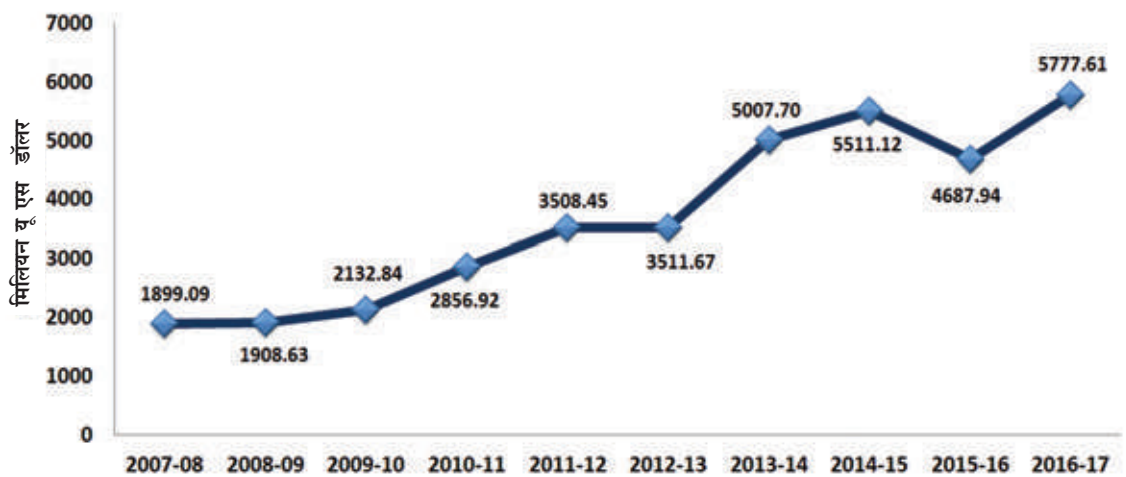

2.5 Societies

MPEDA has set up three societies viz., *Rajiv Gandhi Centre for Aquaculture (RGCA)* for carrying out Research & Development activities in the areas of export oriented aquaculture, *Network for Fish Quality Management and Sustainable Fishing (NETFISH)* for extension activities at grass root level to empower fishermen community on fishery related subjects particularly on fish quality management, conservation and sustainable Fishing and *National Centre for Sustainable Aquaculture (NaCSA)* to enable aquaculture farmers to adopt sustainable and environment friendly farming practices to produce quality and safe aquatic products in the Aquaculture .

3.0. EXPORT PERFORMANCE 2016-17

The Marine Products Export Development Authority (MPEDA) is a statutory body under the Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India. MPEDA is the nodal agency for promotion of export of marine products from India. MPEDA has presence in all the maritime states and is implementing its developmental schemes for export promotion and aquaculture production through its field offices.

During the financial year 2016-17, India has exported 11,34,948 MT of Seafood worth US$ 5.78 Billion. USA and South East Asia continued to be the major importers of Indian seafood as in the previous year. Frozen Shrimp continued to be the major export item followed by frozen fish.

Export summary reports are given in the Table 1.

Table 1 : Export Performance during 2016-17 compared to 2015-16

Export Details	2016-17	2015-16	% Growth
Quantity in Tons	11,34,948	9,45,892	19.99
Value in Crores	37, 870.90	30, 420.83	24.49
USD in Million	5,777.61	4,687.94	23.24
Unit Value (USD/Kg)	5.09	4.96	2.71

Frozen shrimp average unit value realization rose to US$ 8.58 per kg in 2016-17 as against US$ 8.28 in 2015-16. (Shrimp constitute 64.5% value of total exports).

Marine Products Export Performance(Value US $)

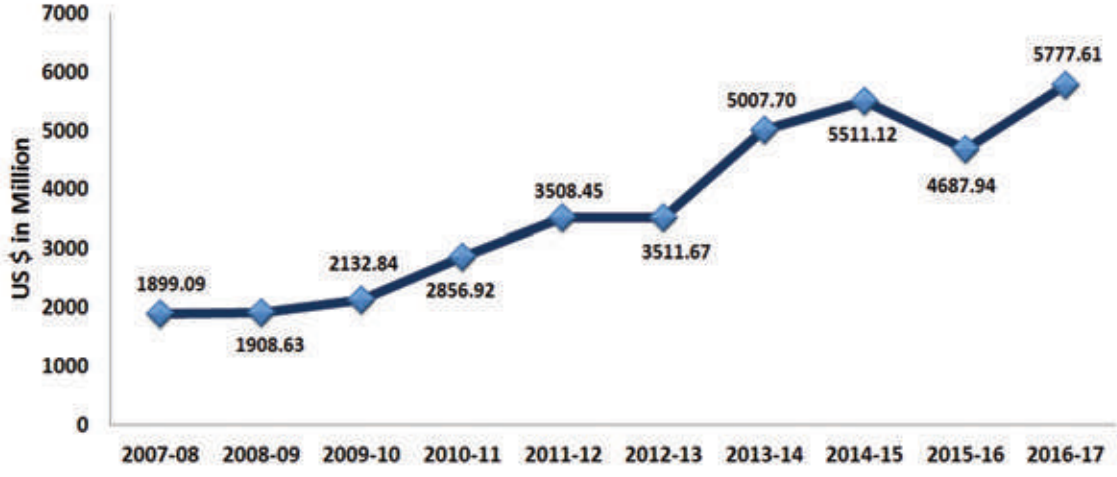

3.1. प्रमुख मदवार निर्यात विवरण

मात्रा में 38.28% तथा कुल अमेरिकी डॉलर के अर्जन के 64.50% हिस्से के साथ मात्रा एवं मूल्य के हिसाब से प्रशीतित श्रिम्प निर्यात की प्रमुख मद बनी रही । इस अवधि के दौरान श्रिम्प निर्यात में मात्रा के हिसाब से 16.21% और अमेरिकी डॉलर में 20.33% की वृद्धि हुई और तथा इकाई मूल्य प्राप्ति में वर्ष 2015-16 के 8.28 अमेरिकी डॉलर/किलो की अपेक्षा 3.55% के अभिमूल्यन के साथ 8.58 अमेरिकी डॉलर/किलो की वृद्धि हुई ।

वर्ष 2016-17 के दौरान 3,726,36 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर मूल्य के 4,34,484 मी.टन श्रिम्प का समग्र निर्यात हुआ । यूएसए प्रशीतित श्रिम्प के आयात का सबसे बड़ा बाज़ार है (1,65,827 मी.टन), इसके बाद यूरोपीय संघ (77,178 मी.टन), दक्षिण पूर्व एशिया (1,05,763 मी.टन), जापान (31,284 मी.टन), मध्य पूर्व देश (19,554 मी.टन), चीन (7818 मी.टन) और अन्य देश (27,063 मी.टन) आते हैं ।

वर्ष 2016-17 के दौरान मात्रा के हिसाब से 28.46% वृद्धि के साथ वन्नामी श्रिम्प के निर्यात में 2,56,699 मी.टन से 3, 29,766 मी.टन में सुधार हुआ । अमेरिकी डॉलर मूल्य के हिसाब से कुल वन्नामी श्रिम्प के 49.55% का निर्यात यूएसए को तथा इसके बाद 23.28% दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को, 13.17% यूरोपीय संघ को, 4.53% जापान को, 3.02% मध्य पूर्व को, 1.35% चीन को और 5.10% अन्य देशों को किया गया । ब्लैक टाइगर श्रिम्प के लिए अमेरिकी डॉलर मूल्य के हिसाब से 3.84% शेयर के साथ जापान प्रमुख बाज़ार है, इसके बाद यूएसए (23.44) और दक्षिण पूर्व एशिया (11.33) आते हैं ।

प्रशीतित मत्स्य दूसरा सबसे बड़ा निर्यात मद है, जिसका हिस्सा मात्रा में 26.15% एवं अमेरिकी डॉलर अर्जन में 11.64% है । प्रशीतित मत्स्य के निर्यात ने अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में 26.92% की सकारात्मक वृद्धि दर्शाई; तथापि, इकाई मूल्य प्राप्ति में वर्ष 2015-16 के 2.32 अमेरिकी डॉलर/किलो से वर्ष 2016-17 में 2.27 अमेरिकी डॉलर/किलो की कमी हुई ।

प्रशीतित स्क्विड ने मात्रा, रुपए मूल्य एवं अमेरिकी डॉलर के अर्जन में क्रमश: 21.50%, 59.44% एवं 57% की वृद्धि के साथ बढ़ोत्तरी की।

ठंडी मदों के निर्यात ने मात्रा, रुपए मूल्य एवं अमेरिकी डॉलर के अर्जन में क्रमश: 4.03%, 4.90% एवं 6.82% की अवनति दर्शाई । इकाई मूल्य प्राप्ति भी 2.91% तक घट गई ।

प्रशीतित कट्टलफिश के निर्यात ने मात्रा के हिसाब से -3.47% की अवनति दिखाई तथापि रुपए मूल्य एवं अमेरिकी डॉलर में क्रमश: 18.85% एवं 16.95% की वृद्धि हुई । इकाई मूल्य प्राप्ति में 21.15% का सुधार हुआ ।

सूखी मदों ने मात्रा, रुपए मूल्य एवं अमेरिकी डॉलर के अर्जन में क्रमश: 40.98%, 20.14% एवं 79.05% की सकारात्मक वृद्धि दर्शाई, इस वर्ष के दौरान इकाई मूल्य प्राप्ति में भी 27.01% की सकारात्मक वृद्धि के साथ 2.58 अमेरिकी डॉलर/किलो से 3.27 अमेरिकी डॉलर/किलो तक की बढोत्तरी हुई ।

जीवित मदों ने भी मात्रा, रुपए मूल्य एवं अमेरिकी डॉलर के अर्जन में क्रमश: 22.05%, 30.74% एवं 27.81% की सकारात्मक वृद्धि दर्शाई, इस वर्ष इकाई मूल्य प्राप्ति में भी 4.72% की सकारात्मक वृद्धि के साथ 8.70 अमेरिकी डॉलर/किलो से 9.11 तक की बढोत्तरी हुई ।

अन्य मदों ने भी मात्रा, रुपए मूल्य एवं अमेरिकी डॉलर के अर्जन में क्रमश: 24.13%, 17.37% एवं 14.60% की सकारात्मक वृद्धि दर्शाई।

निर्यात की प्रमुख मदों के विवरण निम्नलिखित तालिका 2 में दिए गए हैं :

3.1 Major Item wise exports details

Frozen shrimp continued to be the major item of export in terms of quantity and value, accounting for a share of 38.28 % in quantity and 64.50% of the total USD earnings. Shrimp exports during the period increased by 16.21% in terms of quantity and 20.33% in USD and the unit value realization increased to 8.58 USD/Kg from 8.28 USD/Kg in 2015-16 with an appreciation of 3.55%.

The overall export of shrimp during 2016-17 was to the tune of 4, 34,484 MT worth USD 3,726.36 Million. USA is the largest market imported (1,65,827 MT) for frozen shrimp followed by European Union (77,178 MT), South East Asia (1, 05,763 MT), Japan (31,284 MT), Middle East countries (19,554 MT), China (7818 MT) and Other Countries (27,063 MT).

The export of Vannamei shrimp has improved from 2,56,699 MT to 3, 29,766 MT in 2016-17 with a growth of 28.46% in quantity. In USD value terms about 49.55 % of total Vannamei shrimp was exported to USA followed by 23.28% to South East Asian countries, 13.17% to EU, 4.53% to Japan, 3.02% to Middle East, 1.35% to China and 5.10% to Other Countries. Japan is the major market for Black Tiger shrimp with a share of 43.84% in terms of value followed by USA (23.44) and South East Asia (11.33) in USD.

Frozen Fish is the second largest export item, accounting for a share of 26.15% in quantity and 11.64% in USD earnings. Export of Frozen fish has shown a positive growth of 26.92% in terms of USD; however unit value realization decreased to 2.27 USD/Kg in 2016-17 from 2.32 USD/Kg in 2015-16, with a decline of 2.17%.

Frozen squid recorded a growth of 21.50%, 59.44% and 57% in terms of quantity, Rupee value and USD earnings respectively.

Export of Chilled items has shown a decline of 4.03%, 4.90% and 6.82% in terms of quantity, Rs value and USD earnings respectively. Unit value realization also dropped by 2.91%.

Export of Frozen Cuttlefish have shown a decline of 3.47% in quantity terms however increased in Rs value and USD which is 18.85% and 16.95% respectively. The Unit value realization improved by 21.15%.

Dried items have shown a positive growth of 40.98%, 20.14% & 79.05% in terms of quantity, Rupee value and USD earnings respectively, also unit value realization picked up from 2.58 USD/Kg to 3.27 USD/Kg this year with a positive growth of 27.01%.

Live Items have also shown a positive growth of 22.05%, 30.74% & 27.81% in terms of quantity, Rupee value and USD earnings respectively, also unit value realization picked up from 8.70 USD/Kg to 9.11 USD/Kg this year with a positive growth of 4.72%.

Other Items have also shown a positive growth of 24.13%, 17.37% & 14.60% in terms of quantity, Rupee value and USD earnings respectively.

The details of major items of exports are given in the Table. 2

तालिका 2 : वर्ष 2016-17 के दौरान मदवार निर्यात

मा: मात्रा टन में, मू: मूल्य करोड़ रु में, डॉ: मिलियनअमेरिकी डॉलर में

मद		हिस्सा %	2016-17	2015-16	वृद्धि (%)
प्रशीतित श्रिम्प	मा:	38.28	434484	373866	16.21
	मू:	65.25	24711.15	20045.50	23.28
	डॉ:	64.50	3726.36	3096.68	20.33
	यूवीडॉ:		8.58	8.28	3.55
प्रशीतित मत्स्य	मा:	26.15	296762	228749	29.73
	मू:	11.78	4460.90	3462.25	28.84
	डॉ:	11.64	672.47	529.85	26.92
	यूवीडॉ:		2.27	2.32	2.17
प्रशीतित कट्टल फिश	मा:	5.58	63320	65596	3.47
	मू:	5.14	1944.50	1636.11	18.85
	डॉ:	5.07	292.73	250.31	16.95
	यूवीडॉ:		4.62	3.82	21.15
प्रशीतित स्क्विड	मा:	8.75	99348	81769	21.50
	मू:	6.80	2575.29	1615.21	59.44
	डॉ:	6.73	388.64	247.53	57.00
	यूवीडॉ:		3.91	3.03	29.22
सूखी मदें	मा:	5.38	61071	43320	40.98
	मू:	2.30	871.74	725.58	20.14
	डॉ:	3.46	199.77	111.57	79.05
	यूवीडॉ:		3.27	2.58	27.01
जीवित मदें	मा:	0.59	6703	5493	22.05
	मू:	1.07	403.75	308.81	30.74
	डॉ:	1.06	61.05	47.77	27.81
	यूवीडॉ:		9.11	8.70	4.72
ठंडी मदें	मा:	2.80	31815	33150	4.03
	मू:	2.03	769.81	809.50	4.90
	डॉ:	2.01	116.02	124.51	6.82
	यूवीडॉ:		3.65	3.76	2.91
अन्य	मा:	12.46	141442	113949	24.13
	मू:	5.63	2133.59	1817.87	17.37
	डॉ:	5.55	320.54	279.71	14.60
	यूवीडॉ:		2.27	2.45	7.68
कुल	मा:	100	1134948	945892	19.99
	मू:	100	37870.90	30420.83	24.49
	डॉ:	100	5777.61	4687.94	23.24
	यूवीडॉ:		5.09	4.96	2.71

Table 2 : Item wise Export Compilation during 2016-17

Q: Quantity in Tons; V: Value in Rs. Crore; $: USD Million; UV$: Unit Value ($/Kg)

ITEM		Share %	2016-17	2015-16	Growth (%)
Fr. Shrimp	Q:	38.28	434484	373866	16.21
	V:	65.25	24711.15	20045.50	23.28
	$:	64.50	3726.36	3096.68	20.33
	UV$:		8.58	8.28	3.55
Fr. Fish	Q:	26.15	296762	228749	29.73
	V:	11.78	4460.90	3462.25	28.84
	$:	11.64	672.47	529.85	26.92
	UV$:		2.27	2.32	-2.17
Fr. Cuttle Fish	Q:	5.58	63320	65596	-3.47
	V:	5.14	1944.50	1636.11	18.85
	$:	5.07	292.73	250.31	16.95
	UV$:		4.62	3.82	21.15
Fr. Squid	Q:	8.75	99348	81769	21.50
	V:	6.80	2575.29	1615.21	59.44
	$:	6.73	388.64	247.53	57.00
	UV$:		3.91	3.03	29.22
Dried Item	Q:	5.38	61071	43320	40.98
	V:	2.30	871.74	725.58	20.14
	$:	3.46	199.77	111.57	79.05
	UV$:		3.27	2.58	27.01
Live Items	Q:	0.59	6703	5493	22.05
	V:	1.07	403.75	308.81	30.74
	$:	1.06	61.05	47.77	27.81
	UV$:		9.11	8.70	4.72
Chilled Items	Q:	2.80	31815	33150	-4.03
	V:	2.03	769.81	809.50	-4.90
	$:	2.01	116.02	124.51	-6.82
	UV$:		3.65	3.76	-2.91
Others	Q:	12.46	141442	113949	24.13
	V:	5.63	2133.59	1817.87	17.37
	$:	5.55	320.54	279.71	14.60
	UV$:		2.27	2.45	-7.68
Total	Q:	100	1134948	945892	19.99
	V:	100	37870.90	30420.83	24.49
	$:	100	5777.61	4687.94	23.24
	UV$:		5.09	4.96	2.71

चित्र 1. मदवार निर्यात 2016-2017 (मूल्य यू एस डॉ में)

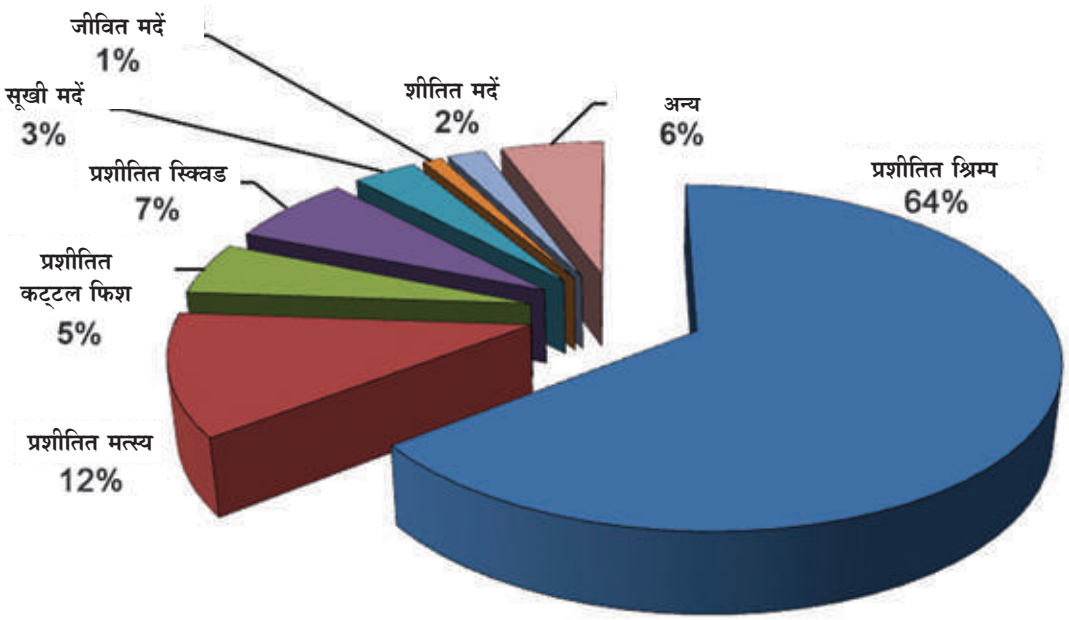

चित्र 2. मद-वार निर्यात 2016-17 (मात्रा मी. टन में)

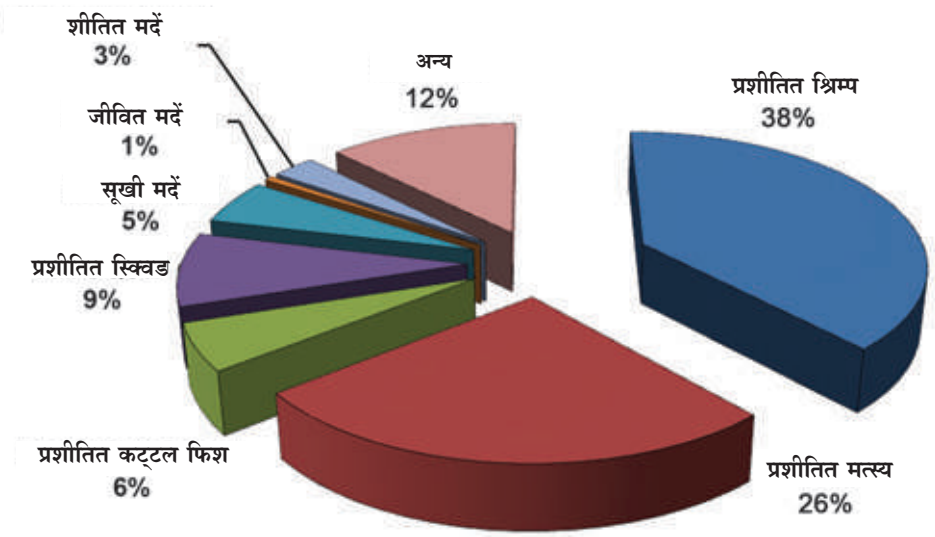

Fig. 1. Item-wise exports 2016-2017 (Value in USD)

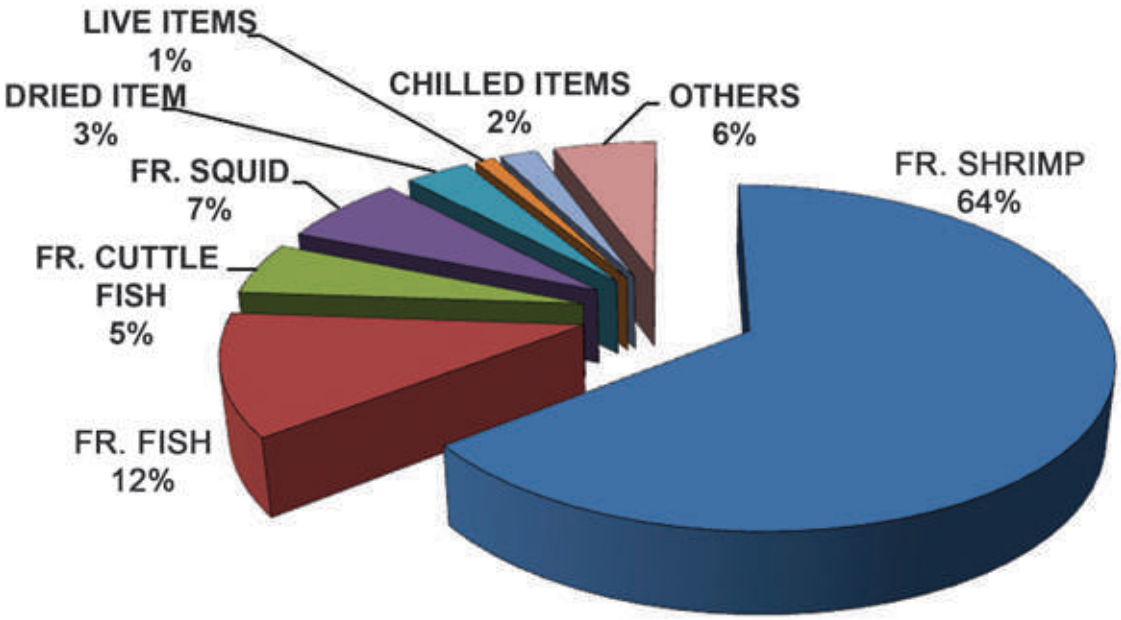

Fig. 2. Item-wise exports 2016-17 (Quantity in MT)

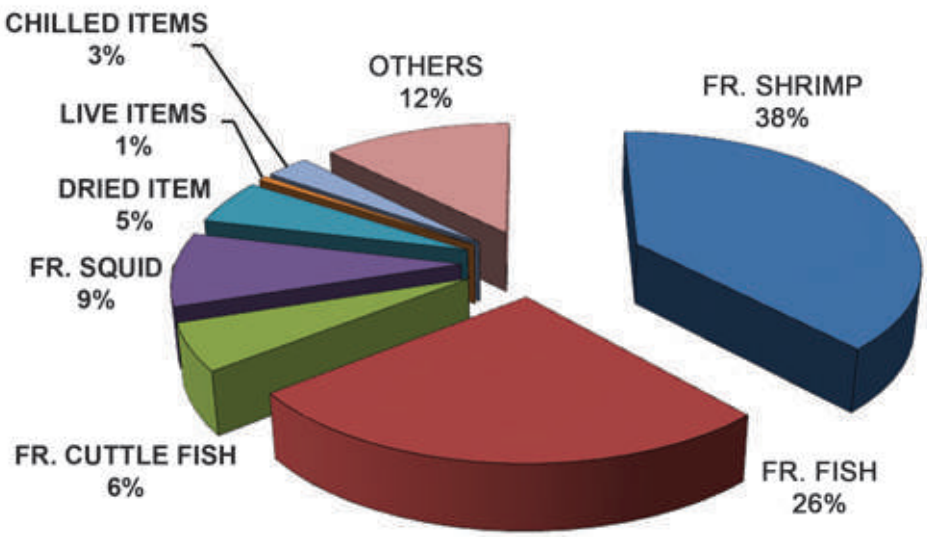

3.2 बाज़ार-वार निर्यात विवरण

अमेरिकी डॉलर के हिसाब से 29.98% हिस्से के साथ यूएसए भारतीय समुद्री खाद्य का प्रमुख आयातक बना रहा । चालू वित्त वर्ष में यूएसए ने 188617 मी.टन समुद्री खाद्य का आयात किया । यूएसए को किए गए निर्यात ने मात्रा, रुपए मूल्य एवं अमेरिकी डॉलर के हिसाब से क्रमशः 22.72%, 33% एवं 29.82% की वृद्धि दर्ज की । प्रशीतित श्रिम्प अमेरिकी डॉलर के हिसाब से 94.77% हिस्से के साथ यूएसए को किए गए निर्यात का प्रमुख मद बना रहा । यूएसए को किए गए वन्नामी श्रिम्प के निर्यात ने मात्रा में 25.60% और अमेरिकी डॉलर के हिसाब से 31.75% की वृद्धि दर्शाई । यूएसए को किए गए ब्लैक टाइगर श्रिम्प के निर्यात में मात्रा में 45.08% एवं अमेरिकी डॉलर में 30.59% की कमी हुई ।

दक्षिण पूर्व एशिया, अमेरिकी डॉलर के हिसाब से 29.91% हिस्से के साथ भारतीय समुद्री उत्पादों का दूसरा बड़ा बाज़ार बना रहा जिसके बाद क्रमशः यूरोपीय संघ (17.98%), जापान (6.83%), मध्य पूर्व देश (4.78%), चीन (3.50%) और अन्य देश (7.03%) आदि थे । दक्षिण पूर्व एशिया को किए गए समग्र निर्यात में मात्रा में 47.41%, रुपए मूल्य में 52.84% एवं अमेरिकी डॉलर अर्जन में 49.90% की वृद्धि हुई।

भारतीय समुद्री उत्पादों के प्रमुख दक्षिण पूर्व एशियाई बाज़ार, अमेरिकी डॉलर के हिसाब से 76.57% हिस्से के साथ वियतनाम एवं इसके बाद क्रमशः थाईलैंड (12.93%), ताईवान (3.88%), मलेशिया (2.60%), सिंगापुर (2.21%), दक्षिण कोरिया (1.50%) तथा अन्य देश (0.30%) आदि हैं । इनमें से अकेले वियतनाम ने 3,18,171 मी. टन भारतीय समुद्री खाद्य का आयात किया, यह मात्रा यूएस, जापान या चीन जैसे किसी भी बाज़ार से कहीं अधिक है ।

यूरोपीय संघ मात्रा में 16.73% के हिस्से के साथ भारतीय समुद्री खाद्य के लिए तीसरा सबसे बड़ा गंतव्य स्थान बना रहा । प्रशीतित श्रिम्प, यूरोपीय संघ को किए गए कुल निर्यात में से मात्रा में 40.66% और अमेरिकी डॉलर अर्जन में 55.15% के साथ प्रमुख मद बना रहा । यूरोपीय संघ को किए गए वन्नामी श्रिम्प के निर्यात में मात्रा में 9.76% का सुधार हुआ और अमेरिकी डॉलर के हिसाब से 11.40% की बढ़ोत्तरी हुई ।

जापान मात्रा के हिसाब से 6.08% एवं अमेरिकी डॉलर अर्जन में 6.83% हिस्से के साथ भारतीय समुद्री खाद्य का चौथा सबसे बड़ा गंतव्य स्थान है । जापान को किए गए निर्यात में मात्रा के हिसाब से 8.43% तथा अमेरिकी डॉलर में 2.22% की कमी हुई है तथायि रुपए मूल्य में 0.41% की वृद्धि हुई । प्रशीतित श्रिम्प जापान को किए जाने वाले कुल निर्यात में मात्रा में 45.31% तथा अमेरिकी डॉलर के अर्जन में 77.30% हिस्से के साथ प्रमुख मद बना रहा । जापान को किए गए प्रशीतित श्रिम्प के निर्यात में मात्रा में 8.54% तथा अमेरिकी डॉलर मूल्य में 3.60% कमी हुई । इस वर्ष जापान को निर्यात किए गए ब्लैक टाइगर श्रिम्प की मात्रा में 44.17% अवनति के साथ 10,367 मी.टन से 5,842 मी.टन तक की गिरावट हुई । हालांकि, इकाई मूल्य में वर्ष 2015-16 के 9.6 अमेरिकी डॉलर से वर्ष 2016-17 में 12.4 अमेरिकी डॉलर तक 29.17 की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई । वन्नामी श्रिम्प निर्यात में मात्रा में 21.28% तथा अमेरिकी डॉलर मूल्य में 32.93% की वृद्धि हुई है ।

चीनी बाज़ार ने मात्रा, रुपए मूल्य एवं अमेरिकी डॉलर में क्रमशः 9.19%, 6.31% तथा 8.38% की अवनति दर्शाई । प्रशीतित श्रिम्प, वन्नामी एवं ब्लैक टाइगर के निर्यात में मात्रा, रुपए मूल्य एवं अमेरिकी डॉलर के हिसाब से कमी हुई ।

पिछले वर्ष की तुलना में मध्य पूर्व ने मात्रा तथा अमेरिकी डॉलर मूल्य के हिसाब से निर्यात में नकारात्मक वृद्धि दर्शाई तथा अन्य देशों ने मात्रा तथा अमेरिकी डॉलर मूल्य के हिसाब से निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में सकारात्मक वृद्धि दर्शाई ।

भारतीय समुद्री उत्पादों के प्रमुख बाज़ारों के विवरण तालिका 3 में दिए गए हैं :

3.2 Market-wise Export Details

USA continued to be the major importer of Indian seafood with a share of 29.98% in terms of USD. USA imported 188617 MT of seafood in the current financial year. Export to USA had registered a growth of 22.72%, 33%, 29.82% in terms of quantity, Rs. Value & USD respectively. Frozen Shrimp continued to be the principle item exported to USA with a share of 94.77% in USD value. Exports of Vannamei shrimp to USA showed an increase of 25.60% in quantity & 31.75% in USD terms. The Black Tiger Shrimp exports to USA has decreased by 45.08% in quantity & 30.59% in USD value.

South East Asia remains as the second largest market destination of Indian Marine products accounting for a share of 29.91% in USD terms followed by European Union (17.98%), Japan (6.83%), Middle East countries (4.78%), China (3.50%) and Other countries (7.03%) respectively. Overall exports to South East Asia increased by 47.41% in quantity, 52.84% in rupee value and 49.90% in US $ earnings.

The major South East Asian markets for Indian marine products are Vietnam with a percentage share of 76.57% in US $ terms followed by Thailand (12.93%), Taiwan (3.88%), Malaysia (2.60%), Singapore (2.21%), South Korea (1.50%) and Other Countries (0.30%) respectively. Among these, Vietnam alone imported 3,18,171 MT of Indian seafood; the quantity is much more than that of any other individual markets like US, Japan or China.

European Union continued to be the third largest destination for Indian Seafood with a share of 16.73% in Quantity. Frozen Shrimp continued to be the major item of exports to EU accounting 40.66% in quantity and 55.15% in USD earnings out of the total exports to EU. Exports of Vannamei shrimp to EU improved by 9.76% in quantity and showed increase of 11.40% in USD terms.

Japan is in fourth largest destination for Indian Seafood with a share of 6.83% in USD earnings and 6.08% in quantity terms. Exports to Japan decreased by 8.43% in quantity and 2.22% in USD terms. However, the rupees value increased by 0.14% Frozen Shrimp continued to be the major item of exports to Japan accounting a share of 45.31% in quantity and 77.30% in USD earnings out of the total exports to Japan. Exports of Frozen shrimp to Japan decreased by 8.54% in quantity & 3.60% in USD value. This year BT Shrimp export to Japan have declined in quantity from 10,367 MT to 5,842 MT with a decrease of 44.17%. However, the Unit Value increased from 9.6 USD in 2015-16 to 12.4 USD in 2016-17; a steep increase of 29.17%. Exports of Vannamei shrimp improved by 21.28 % in quantity and 32.93% in value USD.

Chinese market shows a decline of 9.19%, 6.31% and 8.38% in terms of Quantity, Rs. value & USD respectively. Exports of frozen shrimp, Vannamie & BT are decreased in terms of Quantity, Rs. value & USD.

Exports to Middle East showed a negative growth in quantity as well as in USD value terms and Other Countries showed a positive growth in quantity as well as in value terms when compared to previous year.

The details on major markets for Indian marine products are given in the Table. 3

तालिका 3 : वर्ष 2016 - 2017 के दौरान बाज़रवार निर्यात संकलन

म: मात्रा टन में, मू: मूल्य करोड़ रु में, डॉ: मिलियन में अमेरिकी डॉलर

देश		हिस्सा %	2016-17	2015-16	वृद्धि (%)
जापान	6.08	मा:	69039	75393	8.43
	6.92	मू:	2621.37	2610.74	0.41
	6.83	डॉ:	394.50	403.48	2.22
यूएसए	16.62	मा:	188617	153695	22.72
	30.32	मू:	11482.16	8633.40	33.00
	29.98	डॉ:	1731.81	1334.05	29.82
यूरोपीय संघ	16.73	मा:	189833	186349	1.87
	18.20	मू:	6892.19	6311.45	9.20
	17.98	डॉ:	1038.59	970.77	6.99
चीन	4.00	मा:	45443	50042	9.19
	3.54	मू:	1341.94	1432.25	6.31
	3.50	डॉ:	202.19	220.69	8.38
दक्षिण पूर्व एशिया	42.72	मा:	484819	328900	47.41
	30.27	मू:	11461.83	7499.16	52.84
	29.91	डॉ:	1728.19	1152.86	49.90
मध्य पूर्व	4.67	मा:	52973	53905	1.73
	4.83	मू:	1830.58	1793.67	2.06
	4.78	डॉ:	275.93	276.46	0.19
अन्य	9.18	मा:	104224	97609	6.78
	5.92	मू:	2240.83	2140.16	4.70
	7.03	डॉ:	406.40	329.62	23.29
कुल	100	मा:	1134948	945892	19.99
	100	मू:	37870.90	30420.83	24.49
	100	डॉ:	5777.61	4687.94	23.24

Table 3 : Market-wise Export Compilation during 2016-17

Q: Quantity in Tons; V: Value in Rs. Crore; $: USD Million

Market	Share %		2016-17	2015-16	Growth (%)
Japan	6.08	Q:	69039	75393	-8.43
	6.92	V:	2621.37	2610.74	0.41
	6.83	$:	394.50	403.48	-2.22
USA	16.62	Q:	188617	153695	22.72
	30.32	V:	11482.16	8633.40	33.00
	29.98	$:	1731.81	1334.05	29.82
European Union	16.73	Q:	189833	186349	1.87
	18.20	V:	6892.19	6311.45	9.20
	17.98	$:	1038.59	970.77	6.99
China	4.00	Q:	45443	50042	-9.19
	3.54	V:	1341.94	1432.25	-6.31
	3.50	$:	202.19	220.69	-8.38
South East Asia	42.72	Q:	484819	328900	47.41
	30.27	V:	11461.83	7499.16	52.84
	29.91	$:	1728.19	1152.86	49.90
Middle East	4.67	Q:	52973	53905	-1.73
	4.83	V:	1830.58	1793.67	2.06
	4.78	$:	275.93	276.46	-0.19
Others	9.18	Q:	104224	97609	6.78
	5.92	V:	2240.83	2140.16	4.70
	7.03	$:	406.40	329.62	23.29
Total	100	Q:	1134948	945892	19.99
	100	V:	37870.90	30420.83	24.49
	100	$:	5777.61	4687.94	23.24

चित्र 3. बाजार-वार निर्यात 2016 - 2017 (मूल्य अमेरिकी डॉलर में)

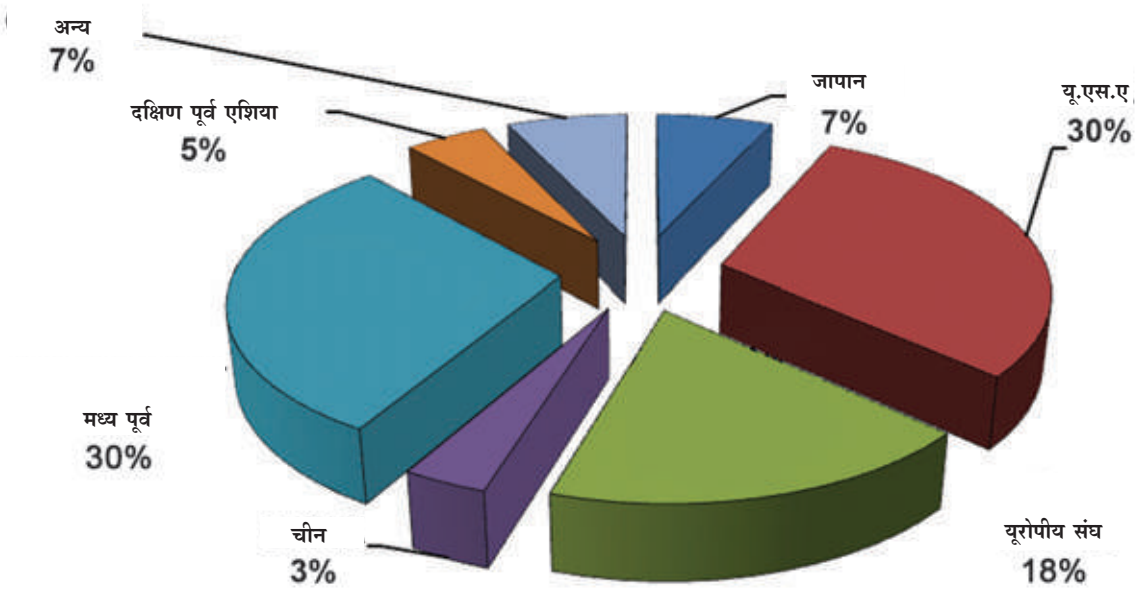

चित्र 4. बाजार-वार निर्यात 2016 - 2017 (मात्र मी. ट. में)

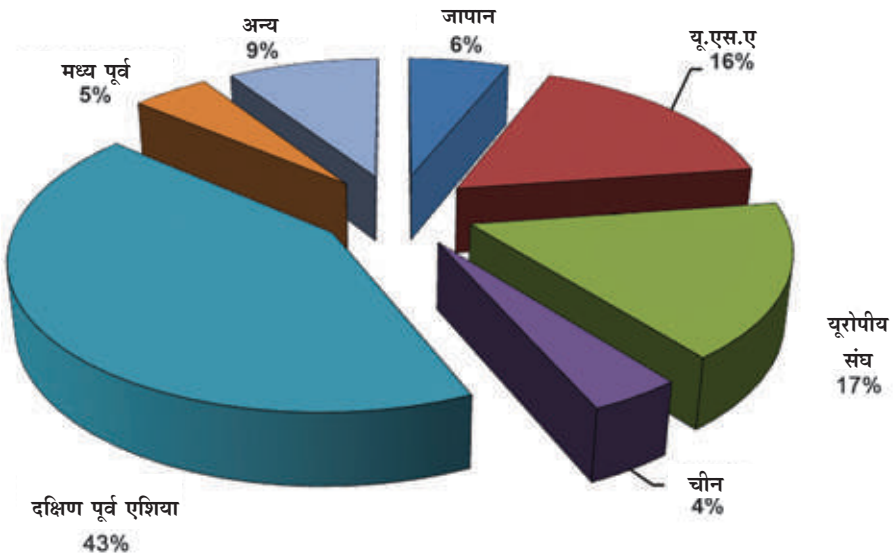

Fig. 3. Market-wise exports 2016-17 (Value in USD)

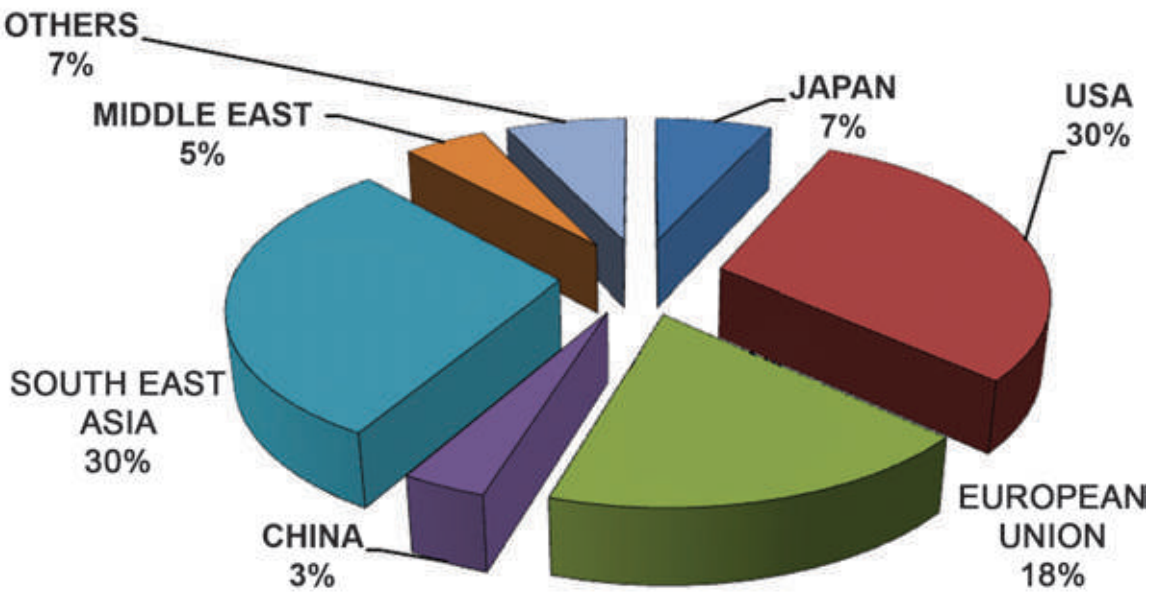

Fig. 4. Market-wise exports 2016-17 (Quantity in MT)

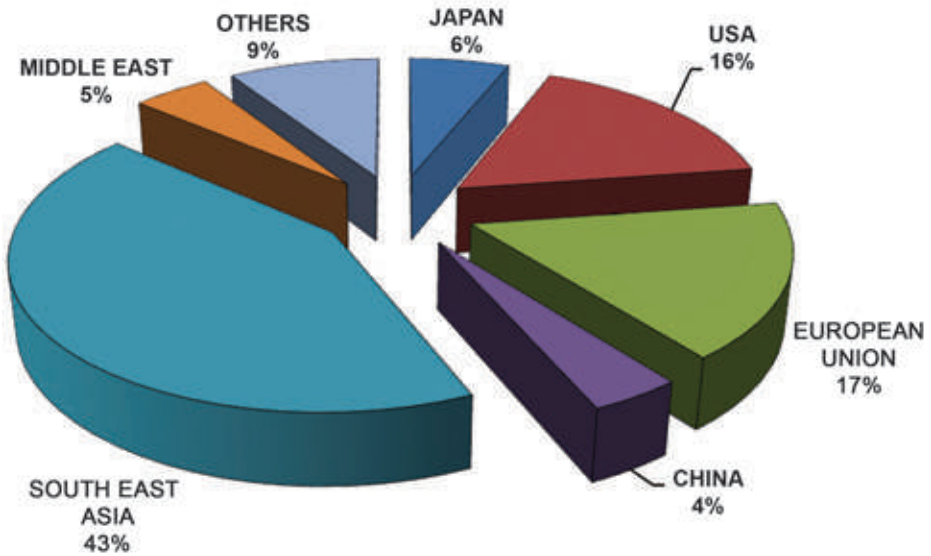

3.3 प्रमुख पत्तनवार निर्यात

समुद्री उत्पादों के निर्यात 30 विभिन्न तरीकों समुद्री/वायु/भूमि बंदरगाहों के द्वारा किए गए । समुद्री कार्गो को हैंडिल करने वाले प्रमुख पत्तन हैं विज़ाग, कोच्ची, कोलकाता, पीपावाव तथा जेएनपी हैं। वर्ष 2015-16 की तुलना में विज़ाग, कोच्ची, कोलकाता, पीपावाव, जेएनपी, कृष्णशपट्टिणम तथा तूत्तिकोरिन से निर्यात में सुधार हुआ । प्रमुख पत्तनवार निर्यात विवरण तालिका 4 में दिया जाता हैं ।

तालिका 4 : वर्ष 2016 - 2017 के दौरान पत्तनवार निर्यात संकलन

म: मात्रा टन में, मू: मूल्य करोड़ रु में, डॉ: मिलियन यू एस डॉलर में

पत्तन		हिस्सा %	2016-17	2015-16	वृद्धि (%)
विज़ाग	मा:	14.10	159973	128718	24.28
	मू:	24.54	9,294.31	7,161.00	29.79
	डॉ:	24.27	1,401.94	1,105.76	26.78
कोच्ची	मा:	13.74	155989	145193	7.44
	मू:	12.84	4,860.98	4,447.05	9.31
	डॉ:	12.69	733.24	684.35	7.14
कोलकाता	मा:	9.22	104668	91054	14.95
	मू:	11.75	4,451.67	3,430.99	29.75
	डॉ:	11.61	671.04	530.91	26.39
पीपावाव	मा:	20.48	232391	204799	13.47
	मू:	11.14	4,217.45	3,429.91	22.96
	डॉ:	10.90	629.56	525.31	19.84
जे एन पी	मा:	13.21	149914	125751	19.22
	मू:	10.79	4,084.96	3,437.53	18.83
	डॉ:	10.66	615.93	529.03	16.43
कृष्णापट्टिणम	मा:	5.47	62049	38412	61.53
	मू:	9.77	3,701.63	2,167.01	70.82
	डॉ:	9.66	557.87	334.45	66.80
तूतिकोरिन	मा:	3.70	42026	40591	3.54
	मू:	5.86	2,220.52	1,999.16	11.07
	डॉ:	5.79	334.77	308.25	8.60
चेन्नै	मा:	3.29	37305	39021	4.40
	मू:	4.47	1,693.87	1,918.02	11.69
	डॉ:	4.42	255.50	296.86	13.93
मेंगलूर/आई सी डी	मा:	11.14	126390	83954	50.55
	मा:	4.18	1,584.03	1,048.08	51.14
	मू:	4.22	243.72	160.63	51.72
गोवा	डॉ:	3.81	43199	31681	36.36
	मा:	1.69	641.41	490.48	30.77
	मू:	1.68	96.79	75.09	28.90
कुल	डॉ:	100	1134948	945892	19.99
(अन्य पत्तनो सहित)	मा:	100	37,870.90	30,420.83	24.49
	मू:	100	5,777.61	4,687.94	23.24

2017-18 के लिए दृष्टिकोण

एमपीईडीए ने 2017-18 के दौरान 6 बिलियन डालर के समुद्री उत्पादों के निर्यात की परिकल्पना की है । इस लक्ष्य को एल.वन्नामी के उत्पादन में वृद्धि, जवकृषि प्रजातियों के विविधीकरण, गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निरंतर उपायों, और मूल्य वर्धित उत्पादों के उत्पादन हेतु ढांचागत सुविधाओं में बढ़ोत्तरी करके प्राप्त करने की उम्मीद है

3.3 Major Port-wise Exports:

Marine products were exported through 30 different sea/air/land ports. Vizag, Kochi, Calcutta, Pipavav and JNP are major ports handled the marine cargo. Exports improved from Vizag, Kochi, Calcutta, Pipavav, JNP, Krishnapatanam, and Tuticorin when compared to 2015-16. Major Port-wise export details are given in the Table 4.

Table 4 : Port-wise Export Compilation during 2016-17

Q: Quantity in Tons; V: Value in Rs. Crore; $: USD Million

Ports		Share %	2016-17	2015-16	Growth (%)
VIZAG	Q:	14.10	159973	128718	24.28
	V:	24.54	9,294.31	7,161.00	29.79
	$:	24.27	1,401.94	1,105.76	26.78
KOCHI	Q:	13.74	155989	145193	7.44
	V:	12.84	4,860.98	4,447.05	9.31
	$:	12.69	733.24	684.35	7.14
CALCUTTA	Q:	9.22	104668	91054	14.95
	V:	11.75	4,451.67	3,430.99	29.75
	$:	11.61	671.04	530.91	26.39
PIPAVAV	Q:	20.48	232391	204799	13.47
	V:	11.14	4,217.45	3,429.91	22.96
	$:	10.90	629.56	525.31	19.84
J N P	Q:	13.21	149914	125751	19.22
	V:	10.79	4,084.96	3,437.53	18.83
	$:	10.66	615.93	529.03	16.43
KRISHNAPATNAM	Q:	5.47	62049	38412	61.53
	V:	9.77	3,701.63	2,167.01	70.82
	$:	9.66	557.87	334.45	66.80
TUTICORIN	Q:	3.70	42026	40591	3.54
	V:	5.86	2,220.52	1,999.16	11.07
	$:	5.79	334.77	308.25	8.60
CHENNAI	Q:	3.29	37305	39021	-4.40
	V:	4.47	1,693.87	1,918.02	-11.69
	$:	4.42	255.50	296.86	-13.93
MANGALORE/ICD	Q:	11.14	126390	83954	50.55
	V:	4.18	1,584.03	1,048.08	51.14
	$:	4.22	243.72	160.63	51.72
GOA	Q:	3.81	43199	31681	36.36
	V:	1.69	641.41	490.48	30.77
	$:	1.68	96.79	75.09	28.90
TOTAL (including other ports)	Q:	100	1134948	945892	19.99
	V:	100	37,870.90	30,420.83	24.49
	$:	100	5,777.61	4,687.94	23.24

Outlook for 2017-18

MPEDA envisages export of marine products worth ***USD 6.00 Billion*** during the year 2017-18. Increased production of L. Vannamei, diversification of Aquaculture species, sustained measures to ensure quality, and increase in infrastructure facilities for production of value added products are expected to achieve this target.

4.0. बजट एवं व्यय सहित वार्षिक योजना

4.1 सुनियोजित योजना के कार्यान्वयन में प्रगति

विकासात्मक/संवर्धनात्मक कार्यकलाप (1) बाज़ार संवर्धन (2) कैप्चर मात्स्यिकी (3) कल्चर मात्स्यिकी (4) प्रसंस्करण अवसंरचना एवं मूल्य वर्धन (5) गुणवत्ता नियंत्रण (6) अनुसंधान एवं विकास आदि छः मुख्य शीर्षों में किए गए ।

वर्ष 2016-17 का योजना बजट (आरई) 92 करोड़ था तथा वाणिज्य विभाग ने योजना स्कीम के अधीन 92 करोड़ जारी किए ।

(₹ लाख में)

क्रम सं	शीर्ष का नाम	राशि
1	बाज़ार संवर्धन	1300.00
2	कैप्चर मात्स्यिकी	400.00
3	कल्चर मात्स्यिकी	1700.00
4	प्रसंस्करण अवसरंचना एवं मूल्य वर्धन	1800.00
5	गुणवत्ता नियंत्रण	1100.00
6	अनुसंधान एवं विकास	2900.00
	कुल	**9200.00**

पिछले वर्षों के योजना व्यय को दर्शाने वाला विवरण निम्नलिखित तालिका में देखा जा सकता है :

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	एमओसीआई द्वारा जारी योजना निधि	एमपीईडीए द्वारा योजना व्यय	वर्ष के अंत में अप्रयुक्त (संचयी) निधि
2002-03	4000.00	4090.00	4061.84	(*) (-)8.11
2003-04	4100.00	4100.00	4005.00	(**) 643.70
2004-05	4400.00	4400.00	4382.19	661.51
2005-06	5400.00	4738.00	5209.00	214.80
2006-07	5835.00	4785.00	4952.25	(*) (-) 47.72
2007-08	8000.00	7666.60	7807.82	(-)31.85
2008-09	9000.00	8763.00	8706.52	(#) 58.14
2009-10	9050.00	8991.86	9018.37	(##) 66.93
2010-11	9000.00	8933.07	9001.23	(###) 71.92
2011-12	11000.00	10928.08	11319.27	(####)(-)213.89
2012-13	9500.00	9500.00	9612.42	(-) 112.42
2013-14	11500.00	11500.00	11174.69	(#*) (-)1.00
2014-15	11500.00	10500.00	10501.84	(@) (-) 2.84
2015-16	13000.00	13000.00	13029.56	(-)32.40
2016-17	9200.00	9200.00	9206.26	(-) 38.66

(*) नकारात्मक आंकड़ा एमओसीआई से प्राप्त योजना निधि से अधिक योजना व्यय को इंगित करते हैं । अंत शेष की गणना, अतिरिक्त बजटीय संसाधन, यदि कोई है, के समायोजन के पश्चात् की गई है ।

(**) दिनांक 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार, अंत शेष में एचपीएलसी एमएसएमएस उपकरणों की खरीद हेतु एसाइड निधि से प्रतिपूर्ति की गई ₹ 600 लाख की राशि शामिल हैं मूल रूप से जिनकी पूर्ति वर्ष 2002-03 के दौरान योजना निधि से की गई थी ।

(#) दिनांक 31.03.2009 की स्थिति के अनुसार, ₹ 58.14 लाख के अंत शेष में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुदेश के अनुसार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से प्राप्त योजना निधि की सामान्य जमा पर ₹ 25.00 लाख का ब्याज शामिल है ।

(##) दिनांक 31.03.2010 की स्थिति के अनुसार, ₹ 66.93 लाख के अंत शेष में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुदेश के अनुसार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से प्राप्त योजना निधि की सामान्य जमा पर ₹ 35.30 लाख का ब्याज शामिल है ।

(###) दिनांक 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार, ₹ 71.92 लाख में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से प्राप्त योजना निधि की सामान्य जमा पर ₹ 73.15 लाख का ब्याज शामिल है।

(####) दिनांक 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार, ₹ 213.89 लाख के अंत शेष में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से प्राप्त योजना निधि की सामान्य जमा पर अर्जित (ग्रेव एक्सेंट) ₹105.38 लाख (अनंतिम) का ब्याज शामिल है।

(#*) 31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए, ₹ 326.31 लाख का अधिक व्यय है तथा उपर्युक्त के समायोजन के पश्चात् जारी करने हेतु उपलब्ध निधि मात्र (ग्रेव एक्सेंट) ₹ 11173.69 लाख है । वर्ष 2013-14 के लिए योजना व्यय ₹ 11174.69 लाख है ।

(@) वर्ष 2013-14 के लिए एक लाख तथा वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 1.84 लाख का अधिक व्यय है एवं 31.03.2015 के अनुसार कुल अधिक उपयोगित निधि 2.84 लाख है ।

4.0. ANNUAL PLAN WITH BUDGET AND EXPENDITURE

4.1 Progress of plan scheme Implementation

The developmental/promotional activities were carried out under six major heads viz. (i) Market Promotion (ii) Capture Fisheries (iii) Culture Fisheries (iv) Processing infrastructure & value addition (v) Quality Control (vi) Research & Development.

Plan Budget (RE) approved for 2016-17 was ₹ 92 crores and Department of Commerce released 92 crores under Plan Scheme

(₹ in lakh)

Sl. No.	Name of Heads	Amount
1	Market Promotion	1300.00
2	Capture Fisheries	400.00
3	Culture Fisheries	1700.00
4	Processing infrastructure & value addition	1800.00
5	Quality Control	1100.00
6	Research & Development	2900.00
	Total	**9200.00**

A statement showing Plan expenditure during the previous years can be seen in the following table:-

(₹ in lakh)

Year	Budget Provision	Plan funds released by the MoCI	Plan expenditure by the MPEDA	Unutilized funds (Cumulative) at the end of the year
2002-03	4000.00	4090.00	4061.84	(*) (-)8.11
2003-04	4100.00	4100.00	4005.00	(**) 643.70
2004-05	4400.00	4400.00	4382.19	661.51
2005-06	5400.00	4738.00	5209.00	214.80
2006-07	5835.00	4785.00	4952.25	(*) (-)47.72
2007-08	8000.00	7666.60	7807.82	(-)31.85
2008-09	9000.00	8763.00	8706.52	(#) 58.14
2009-10	9050.00	8991.86	9018.37	(##) 66.93
2010-11	9000.00	8933.07	9001.23	(###) 71.92
2011-12	11000.00	10928.08	11319.27	(####) (-)213.89
2012-13	9500.00	9500.00	9612.42	(-)112.42
2013-14	11500.00	11500.00	11174.69	(#*)(-)1.00
2014-15	11500.00	10500.00	10501.84	(@)(-) 2.84
2015-16	13000.00	13000.00	13029.56	(-)32.40
2016-17	9200.00	9200.00	9206.26	(-)38.66

(*) Negative figure indicates excess of Plan expenditure over Plan funds received from the MoCI. Closing balance is arrived after adjusting Extra Budgetary Resources, if any.

(**) Closing Balance as on 31.03.2004 includes ₹ 600 lakh reimbursed from ASIDE Fund towards purchase of HPLC MS-MS equipments, which was originally met from Plan Funds during 2002-03.

(#) The closing balance of ₹ 58.14 lakh as on 31.03.2009 includes ₹ 25.00 lakh interests on General Deposit of Plan Funds received from MoCI as per instruction of MoCI.

(##) The closing balance of ₹ 66.93 lakh as on 31.03.2010 includes ₹ 35.30 lakh interests on General Deposit of Plan Fund received from MoCI as per instruction of MoCI.

(###) The closing balance of ₹ 71.92 lakh as on 31.03.2011 including ₹ 73.15 lakh interest earned on General deposit of Plan Fund received from MoCI.

(####) The closing balance of ₹ 213.89 lakh as on 31.03.2012 including ₹ 105.38 lakh (provisional) interest earned on General deposit of Plan Fund received from MoCI

(#*) For the year ended 31/03/2014, there is excess expenditure of ₹ 326.31 lakh and after adjusting the same available fund for releasing is only ₹ 11173.69 lakhs. Plan expenditure for 2013-14 ₹ 11174.69 lakhs

(@) There is excess expenditure of Rupees One Lakh for 2013-14 and Rs. 1.84 lakhs for 2014-15 and total unutilisedd fund as on 31.03.2015 is -2.84

5.0. पंजीकरण

एमपीईडीए अधिनियम और नियमों के सांविधिक प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकरण ने वर्ष 2016-17 के दौरान निर्यातकों, मत्स्यन यानों, प्रसंस्करण संयंत्रों, हिम संयंत्रों और शीत भंडारों, हैंडलिंग केन्द्रों आदि का पंजीकरण/विपंजीकरण एवं रद्दकरण जारी रखा । दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत किए गए पंजीकरण/विपंजीकरण एवं रद्दकरण के ब्यौरे निम्नलिखित तालिका 5 में दर्शाए गए हैं:

तालिका 5. दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2017 तक की अवधि के दौरान संस्थाओं का पंजीकरण/विपंजीकरण एवं रद्दकरण

श्रेणी	01.04.2016 के अनुसार पंजीकृत	वर्ष के दौरान किए गए पंजीकरण	वर्ष के दौरान किए गए विपंजीकरण	अनुरोध के अनुसार किए गए रद्दकरण	31.03.2017 के अनुसार पंजीकृत	क्षमता मी.ट में
निर्माता निर्यातक	539	40	6	11	562	ला. न
व्यापारी निर्यातक	488	97	17	30	538	ला. न
मार्गस्थ व्यापारी निर्यातक	63	6	1	5	63	ला. न
आलंकारिक मत्स्य निर्यातक	47	6	4	2	47	ला. न
मत्स्यन यान	10663	510	61	93	11019	ला. न
प्रसंस्करण संयंत्र	505	21	2	4	520	24528.88
हिम संयंत्र	79	3	0	1	81	2280.35
पीलिंग शेड	643	18	8	3	650	6827.29
वाहन	197	5	4	5	193	47313.37
भंडार	636	33	2	4	663	314444.31
ताज़ा/शीतित मत्स्य प्रहस्तन केंद्र	46	7	2	0	51	1205.9
जीवित मत्स्य प्रहस्तन केंद्र	41	4	0	0	45	2139.58
लवणीय/सूखी मत्स्य प्रहस्तन केंद्र	106	17	1	0	122	1094.19

ला. न. - लागू नहीं

6.0. बाज़ार संवर्धन

6.1 विपणन सेवाएं

बाज़ार संवर्धन के तहत, एसपीएस/टीबीटी अधिसूचना, पाटनरोधी शुल्क से संबंधित मुद्दों पर इन्पुट्स उपलब्ध कराए गए जो प्रमुख बाज़ारों में भारतीय समुद्री उत्पादों की पहुँच को प्रभावित कर रहे हैं । विभिन्न व्यापार करारों के अधीन, समुद्री सेक्टर से जुड़े मुद्दों का विश्लेषण किया जाता है और समान मुद्दों को उचित स्तर पर उठाने के लिए वाणिज्य विभाग को इन्पुट्स प्रस्तुत किए जाते हैं ।

6.1.1. यूएसए को किए जाने वाले भारतीय श्रिम्प निर्यात पर एंटी-डंपिंग शुल्क

संयुक्त राज्य अमेरिका वाणिज्य विभाग (यूएसडीओसी) ने यूएसए में स्थानीय श्रिम्प उत्पादकों के संघ, दक्षिणी श्रिम्प उत्पादक गठबंधन, के अभ्यावेदनों के आधार पर वर्ष 2004 से भारत से आयात किए जाने वाले श्रिम्पों पर एंटी-डंपिग शुल्क लगाया है । प्रारंभिक एंटीडंपिग शुल्क

5.0. REGISTRATION

The Authority under the statutory provisions of the MPEDA Act and Rules continued to register/deregister and cancel the Exporters, Fishing Vessels, Processing Plants, Ice Plants, Cold Storages, Handling Centres etc during 2016-17. The details of registration de-registration and cancellation effected as on 31.03.2017 under various categories are shown below in Table 5.

Registration, deregistration and cancellation of entities during the period from 01.04.2016 to 31.03.2017

Category	Registered as on 01.04.2016	Registration done during the year	De-registration done during the year	Cancellation done as per request	Registered as 31.03.2017	Capacity in MT
Manufacturer Exporter	539	40	6	11	562	NA
Merchant Exporter	488	97	17	30	538	NA
Route Through Exporter	63	6	1	5	63	NA
Ornamental Fish Exporter	47	6	4	2	47	NA
Fishing vessels	10663	510	61	93	11019	NA
Processing Plants	505	21	2	4	520	24528.88
Ice Plants	79	3	0	1	81	2280.35
Peeling shed	643	18	8	3	650	6827.29
Conveyance	197	5	4	5	193	47313.37
Storages	636	33	2	4	663	314444.31
Fresh/Chilled FHC	46	7	2	0	51	1205.9
Live Fish HC	41	4	0	0	45	2139.58
Salted/Dried FHC	106	17	1	0	122	1094.19

NA – Not Applicable

6.0. MARKET PROMOTION

6.1 Market Services

Under Market Promotion, Inputs were provided on the issues related to SPS/TBT Notification, Antidumping duty, which is affecting market access for Indian Marine Products in major markets. Under the various trade agreements, the issues related to marine sector are analyzed and inputs furnished to the Department of Commerce for taking up the same at the appropriate level.

6.1.1 Anti-dumping duty on exports of Indian Shrimp to USA.

Based on the representations of Southern Shrimp Producers Alliance, the association of local shrimp producers in USA, the US DOC was imposing anti-dumping duty on shrimp imports from India since 2004.

10.17% था । इसके बाद प्रशासनिक समीक्षाओं में इसकी समीक्षा की गई । अब तक 10 प्रशासनिक समीक्षाएँ आयोजित की गईं और संप्रति लगाया गया शुल्क 2.20% है । यूएसडीओसी ने 11 वीं प्रारंभिक प्रशासनिक समीक्षा के परिणामों की घोषणा की और, 11 वीं समीक्षा के दौरान बाद में भारत से प्रशीतित श्रिम्प के लिए एंटी डंपिंग शुल्क 1.07% तक कम किया गया ।

6.1.2. मुक्त व्यापार समझौतों पर दिए गए इन्पुट

भारत-जापान तथा भारत-कोरिया सीईपीए, भारत-ईएफटीए टीईपीए, आरसीईपी, भारत-मॉरीशस, भारत -रूस डब्ल्यूजीटीईसी तथा भारत-यूके जेईटीसीओ जैसे व्यापार समझौतों के तहत उत्पाद विशिष्ट नियमों, टैरिफ दरों में छूट और मूल नियमों पर इन्पुट/टिप्पणियाँ प्रदान की गई ।

6.1.3. निर्यात संवर्धन से संबंधित सुलझाए गए मुद्दे

एमईआईएस लाभ योजना सूची में शामिल न हुए समुद्री एचएस लाइनों को शामिल करने के लिए डीजीएफटी और एमओसीआई के साथ पत्राचार किया गया । सार्वजनिक अधिसूचना सं.32/20152020 के तहत कुल अनुरोधित 11 एचएस लाइनों में से, 6 को एमईआईएस सूची में शामिल किया गया ।

एमपीईडीए ने भारतीय समुद्री खाद्य निर्यातक संघ के साथ परामर्श करके 623 मत्स्य और शेलफिश मदों की एक सूची तैयार की है, जिसे जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत सामान्यतः व्यापार की जानेवाली वस्तुओं के रूप में अधिसूचित किए जाने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को अग्रेषित किया जाएगा । आम तौर पर पण्य वस्तु के रूप में व्यापार करने वाले समुद्री और मीठा पानी आलंकारिक मत्स्यों और मछलीघर पौधों की एक सूची तैयार की जा रही है तथा पूरा होने के बाद उसे एनबीए को अग्रेषित किया जाएगा ।

एमपीईडीए ने कुवैत और सऊदीअरब में श्रिम्प आयात पर अस्थाई प्रतिबंध का मुद्दा उठाया था और उपयुक्त कार्रवाई लेने हेतु अधिसूचना के ब्यौरे पर जानकारी देने का अनुरोध किया गया है ।

6.1.4. दौरे

एमपीईडीए ने मसाला बोर्ड के सहयोग से दिनांक 12 दिसंबर 2016 को कोच्ची में महामहिम जर्मन कॉन्सल जनरल के साथ एक संवादात्मक सत्र का आयोजन किया ।

8 दिसंबर 2016 को सूचना अधिकारी के साथ मिनिस्टर कॉन्सलर, कृषि मामले, दक्षिण अफ्रीका के उच्चायोग, नई दिल्ली ने एमपीईडीए का दौरा किया । बैठक के दौरान, दक्षिण अफ्रीका में विब्रियो कॉलेरा के कारण भारतीय समुद्री खाद्यों की अस्वीकृति का मुद्दा उठाया गया और इसके शीघ्र समाधान के लिए अनुरोध किया गया ।

6.1.5. विविध देशों के एसपीएस/टीबीटी मुद्दे

वर्ष के दौरान, 43 एसपीएस/टीबीटी मुद्दों पर टिप्पणियाँ एपीजेएसएलजी विधि कार्यालय, नई दिल्ली, एमओसी एवं आई के परामर्शदाताओं को प्रदान की गईं ।

6.1.6. एफओबी और ब्रैंड नामों की अनुमति

क) वर्ष के दौरान निर्यात के पिछले वित्तीय वर्ष के एफओबी मूल्य के 1 की सीमा तक विशेष इन्पुटों/रासायनों और विशिष्ट तेल आदि के शुल्क मुक्त आयात हेतु 110 मामलों को अनुमति दी गई ।

ख) वर्ष के दौरान समुद्री उत्पादों के निर्यात हेतु 15 निर्यातकों के लिए 27 ब्रैंड नामों की अनुमति दी गई ।

ग) एमपीईडीए ने 1 मार्च 2017 से लेकर शुल्क मुक्त आयात प्रमाण पत्र और पंजीकरण एवं सदस्यता प्रमाण पत्र के लिए शुल्क लेना शुरू कर दिया है ।

6.2. प्रचार एवं बाज़ार संवर्धन

6.2.1. समुद्रपारीय अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी

6.2.1.1. सीफूड एक्स्पो ग्लोबल, ब्रसल्स 26 से 28, अप्रैल 2016 तक

दिनांक 26 से 28 अप्रैल 2016 तक ब्रसल्स में आयोजित सीफूड एक्स्पो ग्लोबल, 2016 में एमपीईडीए की भागीदारी का आयोजन सुश्री लीना नायर, अध्यक्ष, एमपीईडीए, डॉ टी आर जिबिन कुमार, उप निदेशक (ए व आई, प्रभारी पी व एमपी), श्रीमती अंजू, सहायक निदेशक (वि.से.) और श्री श्रीजित पी टी, सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई द्वारा किया गया । भारत का पविलियन हॉल 7 में स्टैंड 1633 एवं 1733 था ।

The initial anti dumping duty was 10.17%. This was reviewed subsequently in Administrative Reviews. So far 10 administrative reviews have been conducted and the present duty imposed is 2.20%. USDOC has announced the results of 11th Preliminary Administrative review and, during the 11th review antidumping duty of frozen shrimp from India is lowered to 1.07%.

6.1.2. Inputs offered on Free Trade agreements

Inputs/comments were provided on Product Specific Rules, tariff rates relaxation and Rules of Origin under various trade agreements like India-Japan and India-Korea CEPA, India -EFTA TEPA, RCEP, India-Mauritius, India -Russia WGTEC and India -UK JETCO.

6.1.3. Issues addressed related to export promotion

Correspondence was made to DGFT and MoCI for inclusion of marine HS lines missing from the MEIS benefits scheme list. Out of the requested 11 HS marine lines, 6 nos. were included in the MEIS list, vide public notification no. 32/2015-2020.

MPEDA in consultation with Seafood Exporter Association of India has prepared a list of 623 items of fish and shell fish to be notified as "Normally Traded commodities "under Biodiversity Act 2002 and forwarded to National Biodiversity Authority. A list of marine and fresh water ornamental fishes and aquarium plants normally traded as commodity is under preparation and will be forwarded to NBA after completion.

MPEDA had taken up the issue of temporary ban on import of shrimp to Kuwait and Saudi Arabia and requested information on the details of the notification in order to take suitable action.

6.1.4. Visits

MPEDA in association with Spices Board organized an interactive session with Her Excellency German Consul General at Kochi on 12th December 2016.

Minister Counsellor along with Information officer, Agricultural Affairs, from South African High Commission, New Delhi, visited MPEDA on 8th December 2016. During the meeting, the issue of Indian seafood rejections due to *Vibrio cholera* in South Africa was raised and requested for a Speedy solution.

6.1.5. SPS/TBT Issues Of Various Countries

a) Comments on 43 nos. of SPS and TBT issues were provided to APJ-SLG Law offices, New Delhi, consultants to MOC&I, during the year.

6.1.6. Clearance of FOB & Brand Names

a) 110 cases were cleared for duty free import of specialized inputs/chemicals and flavoring oil etc. to the extent of 1% of FOB value of preceding financial year of export during the year.

b) 27 Brand names were cleared to 15 exporters for the export of Marine products during the year.

c) MPEDA has started collecting fees for duty free import certificate and Registration Cum Membership certificate from 1st March 2017 onwards.

6.2 PUBLICITY & MARKET PROMOTION

6.2.1 Participation of International fairs abroad

6.2.1.1 Seafood Expo Global, Brussels from 26-28 April 2016

MPEDA's participation in Seafood Expo Global, Brussels from 26-28 April 2016 was organized by Ms. Leena Nair, Chairman, MPEDA, Dr. T. R. Gibinkumar, Deputy Director (A&I & P&MP i/c), Mrs. Anju, Assistant Director (MS) and Mr. Sreejith P. T., Assistant Director, RO Mumbai. India pavilion was in Hall 7 stand 1633 &

एमपीईडीए ने 480 वर्ग मीटर स्थान लिया और इस इवेंट में एमपीईडीए के साथ 12 सह-प्रदर्शकों ने भाग लिया । सीफूड एक्स्पो ग्लोबल का संगठनात्मक कार्य भारत के दूतावास, ब्रसल्स द्वारा समन्वित किया गया था ।

सीफूड एक्सपो ग्लोबल में एमपीईडीए-इंडिया पेविलयॅन का दृश्य

एमपीईडीए स्टाल पर शीतित मत्स्य का प्रर्दान

1733. MPEDA had taken 480 sq.m. space and 12 Co-exhibitors participated along with MPEDA in the event. Organizational work of the Seafood Expo Global was co-ordinated through Embassy of India, Brussels.

A view of MPEDA - India pavilion in Seafood Expo Global

Chilled fish display at MPEDA stall

एमपीईडीए ने प्रशीतित, ठंडा और खाने के लिए तैयार उत्पादों की एक विस्तृत श्रेणी का प्रदर्शन किया, जिसने कई खरीददारों, आगंतुकों को एमपीईडीए पविलियन में आकर्षित किया । एमपीईडीए ने भारतीय पविलियन लेआउट के साथ एक विशेष सहप्रदर्शक मार्गदर्शिका निकाली जिसकी सहप्रदर्शकों और संदर्शकों/खरीददारों द्वारा अत्यधिक सराहना की गई । एमपीईडीए स्टॉल में आए व्यापारी प्रतिनिधियों को एमपीईडीए प्रकाशन वितरित किए गए । इवेंट के दूसरे दिन एमपीईडीए ने एक इंडिया ईवेंट का आयोजन किया जिसमें सभी सहप्रदर्शक, भारतीय समुद्री खाद्य के खरीददार एवं एजेंट और भारतीय राजदूतावास अधिकारियों ने भाग लिया । इवेंट के दौरान, अध्यक्ष, एमपीईडीए ने यूरोपीय संघ को किए जानेवाले समुद्री उत्पादों के निर्यात की स्थिति एवं समुद्री उत्पादों के उत्पादन और निर्यात में भारत की क्षमता पर एक प्रस्तुति दी ।

सीफूड एक्सपो ग्लोबल में आगन्तुकों से वार्ता करते हुए एमपीईडीए अधिकारी

मेसर्स फारस्टार फ्रोजन फूडस प्राइवेट लिमिटेड-सीफूड एक्सपो ग्लोबल में एमपीईडीए के साथ सह-प्रदर्शक की स्टॉल

MPEDA had displayed wide array of frozen, chilled and ready to eat products, which attracted many buyers and visitors to MPEDA pavilion. MPEDA has brought out a special co-exhibitor guide with India Pavilion layout which was highly appreciated by co-exhibitors and visitors/buyers. MPEDA publications were distributed to the trade delegates visited MPEDA stall. On the second day of the event MPEDA also hosted an India Event which had the participation of all co-exhibitors, buyers of Indian seafood and agents and Embassy of India officials. During the event, Chairman MPEDA gave a presentation on status of marine products exports to EU and on the potential of India in Marine products production and exports.

MPEDA officials interacting with visitor at Seafood Expo Global

Stall of Co-exhibitor participated with MPEDA in Seafood Expo Global - M/s. Forstar Frozen Foods Pvt Ltd

मेसर्स अबद फिशरीज प्राइवेट लिमिटेड-सीफूड एक्सपो ग्लोबल में एमपीईडीए के साथ सह-प्रदर्शक की स्टॉल

मेसर्स गदरे मरीन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड-सीफूड एक्सपो ग्लोबल में एमपीईडीए के साथ सह-प्रदर्शक की स्टॉल

Stall of Co-exhibitor participated with MPEDA in Seafood Expo Global - M/s. Abad Fisheries Pvt Ltd

Stall of Co-exhibitor participated with MPEDA in Seafood Expo Global - M/s. Gadre Marine Export Pvt Ltd

6.2.1.2. चीन मात्स्यिकी एवं समुद्री खाद्य प्रदर्शनी, क्विंग्दाओ - 02 से 04 नवंबर 2016 तक

एमपीईडीए ने दिनांक 24 नवंबर, 2016 तक अंतार्राष्ट्रीय कंवेशन सेंटर, क्विंग्दाओ, चीन में आयोजित चीन मात्स्यिकी एवं समुद्री खाद्य प्रदर्शनी में 72 वर्ग मीटर क्षेत्र लेकर भाग लिया । इस प्रदर्शनी में एमपीईडीए के साथ सहप्रदर्शकों के रूप में 6 निर्यातकों ने भाग लिया । एमपीईडीए पविलियन में प्रशीतित, ठंडा, सूखा एवं खाने के लिए तैयार समुद्री खाद्य नमूने, फ्रीज़र, चिलर और खुले कंटेनर में प्रदर्शित किए गए। स्टॉल में एमपीईडीए प्रकाशनों को प्रदर्शित किया गया । मेले में भागीदारी का आयोजन श्री सुनील कुमार यू, सहायक निदेशक, व्यापार संवर्धन कार्यालय, नई दिल्ली और श्री ए शक्तिवेल, सहायक निदेशक, उप क्षेत्रीय कार्यालय, पोरबंदर द्वारा किया गया ।

चाइना फिशरीज एण्ड सीफूड एक्सपो में एमपीईडीए स्टॉल में आगन्तुकों से वार्ता करते हुए एमपीईडीए अधिकारी

6.2.1.2 China Fisheries & Seafood Expo, Qingdao 02-04 November 2016

MPEDA participated in the China Fisheries & Seafood Expo, Qingdao held during 2-4, November 2016 at International Convention Centre, Qingdao, China by taking 72 sq. m. area. 6 exporters participated in this fair along with MPEDA as co-exhibitors. MPEDA Pavilion displayed Frozen, Chilled, Dried & Ready to eat seafood samples in Freezer, Chiller and open containers. MPEDA publications were displayed in the stall. Shri Sunil Kumar U, Assistant Director, TPO New Delhi and Shri A Shakthivel, Assistant Director, SRO, Porbandar had organized the participation in the fair.

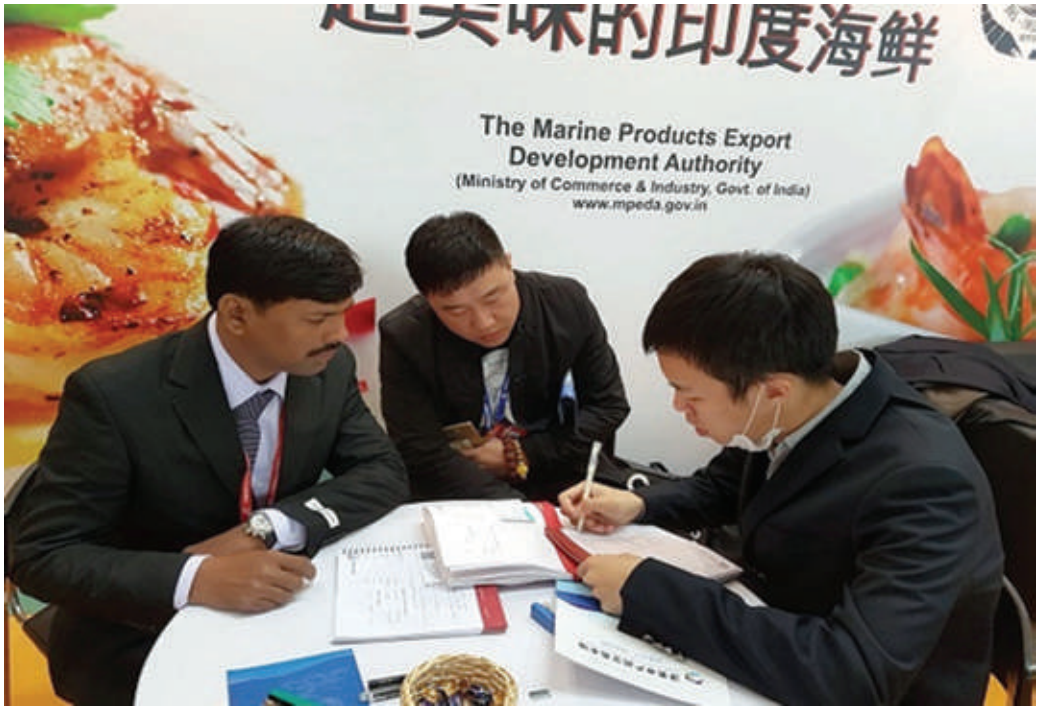

MPEDA officials interact with visitors in MPEDA stall at China Fisheries & Seafood Expo

6.2.1.3.समुद्री खाद्य प्रदर्शनी, उत्तरी अमेरिका, बोस्टन - 19 से 21मार्च 2017तक

एमपीईडीए ने 19-21, मार्च 2017 को उत्तर अमेरिका, बोस्टन में आयोजित समुद्री खाद्य प्रदर्शनी में भाग लिया । प्रदर्शनी में भागीदारी का आयोजन डॉ ए जयतिलक, भा.प्र.से., अध्यक्ष, डॉ टी जी मनोज कुमार, सहायक निदेशक (पी व एमपी) और श्री हक्किम वी आई, सहायक निदेशक (विकास) द्वारा किया गया । प्रदर्शनी के आयोजनात्मक कार्यों को न्यूयार्क में स्थित एमपीईडीए के व्यापार संवर्धन कार्यालय के माध्यम से समन्वित किया गया । स्टॉल 1200 वर्ग फुट क्षेत्र में स्टैंड सं.1453 में था । पविलियन में 8 निर्यातक सहप्रदर्शक के रूप में थे ।

डॉ. ए. जयतिलक, भा.प्र.से., अध्यक्ष, एमपीईडीए, सीफूड एक्सपो नार्थ अमेरिका में एक क्रेता के साथ वार्ता करते हुए

मि. कार्लोस सांचेज, निदेशक (एल. वन्नामी प्रचालन) पेस्कानोवा के साथ बैठक

6.2.1.3 Seafood Expo North America, Boston from 19-21, March 2017

MPEDA had organized participation in the Seafood Expo North America, Boston during 19-21, March 2017. The participation in the show was organized by Dr. A. Jayathilak IAS, Chairman; Dr. T. G. Manoj Kumar, Assistant Director (P&MP) and Mr. Hakkim V I, Assistant Director (Dev). Organizational work of the Show was co-ordinated through MPEDA Trade Promotion Office in New York. The stall was in Stand No. 1453 that covered an area of 1200 sq. ft. The pavilion had 8 exporters as Co-exhibitors.

Dr. A. Jayathilak, IAS, Chairman, MPEDA interacts with a buyer at Seafood Expo North America

Meeting with Mr. Carlos Sanchez, Director, (L. vannamei operations), Pescanova

एमपीईडीए स्टॉल में एक क्रेता के साथ वार्ता करते हुए एमपीईडीए अधिकारी

सभी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खाद्य प्रदर्शनियों के लिए अलग-अलग सहप्रदर्शक मार्गदर्शिका प्रकाशित की गई । इन मेलों से कुल 395 व्यापारिक पूछताछ प्राप्त हुई, जिनको एमपीईडीए कार्यालयों और न्यूज़लेटर के माध्यम से उद्योग को परिचालित किया गया ।

उपरोक्त अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी के माध्यम से, हम भारत की मात्स्यिकी संसाधन क्षमता, विश्व स्तर की प्रसंस्करण सुविधाओं और इन सब के अलावा भारत से प्रसंस्कृत और निर्यातित समुद्री उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला को भी प्रदर्शित कर सके । एमपीईडीए स्टॉल में प्रदर्शित मूल्य वर्धित उत्पादों ने न केवल उनके उत्पादन में भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया बल्कि इस तरह के उत्पादों की माँग बढ़ाने में भी मदद की । इस तरह की पहल आने वाले वर्षों में भारत के समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने में सहायक है ।

6.2.2. इन्फोफिश के साथ सहयोग

इन्फोफिश, खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के तहत एक अंतर सरकारी संगठन है जो कुआलालम्पुर, मलेशिया में अपने मुख्यालय से एशिया-पैसिफिक क्षेत्र तथा इसके बाहर के मात्स्यिकी उद्योग को तकनीकी सलाह सेवा एवं विपणन सूचना प्रदान करता है । संप्रति, 13 देश इन्फोफिश के सदस्य हैं जो हैं : बंगलादेश, कम्बोडिया, फिजी, भारत, ईरान, मलेशिया, मालदीव, पाकिस्तान, पापुआ न्यूगिनी, फिलीपीन्स, सोलोमन द्वीप समूह, श्रीलंका एवं थाइलैंड । भारत इस संगठन का संस्थापक सदस्य है एवं एमपीईडीए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यथा प्राधिकृत भारत में इन्फोफिश का राष्ट्रीय केंद्र बिंदु है । अध्यक्ष, एमपीईडीए को वर्ष 2017 के लिए अध्यक्ष इन्फोफिश के रूप में नामांकित किया गया ।

इन्फोफिश की शासी परिषद बैठक के 31 वें सत्र का आयोजन कुआलालम्पुर, मलेशिया में दिनांक 20 से 23 दिसंबर 2016 तक हुआ । बैठक में ग्यारह सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया । भारत का प्रतिनिधित्व श्री शशिकुमार, वाणिज्यिक अटैच, भारतीय उच्चायोग मलेशिया ने किया और वर्ष 2017 के लिए इन्फोफिश के काम का कार्यक्रम तैयार करने के लिए इन्पुट्स दिए ।

6.2.3. घरेलू प्रदर्शनियाँ

एमपीईडीए की गतिविधियों का प्रचार करने और मात्स्यिकी, जलकृषि तथा आलंकारिक मत्स्य सेक्टरों की बृहद् संभाव्यता को प्रचारित करने एवं इसके साथ साथ इस क्षेत्र में निवेश के अवसरों को उजागर करने हेतु एमपीईडीए ने वर्ष 2016-17 के दौरान पश्चिम बंगाल, केरल एवं आन्ध्र प्रदेश में आयोजित घरेलू प्रदर्शनियों में भाग लिया । इसके अलावा, एमपीईडीए द्वारा केरल मात्स्यिकी एवं महासागर अध्ययन विश्वाविद्यालय के प्रबंधन उत्सव के लिए प्रायोजन दिया गया ।

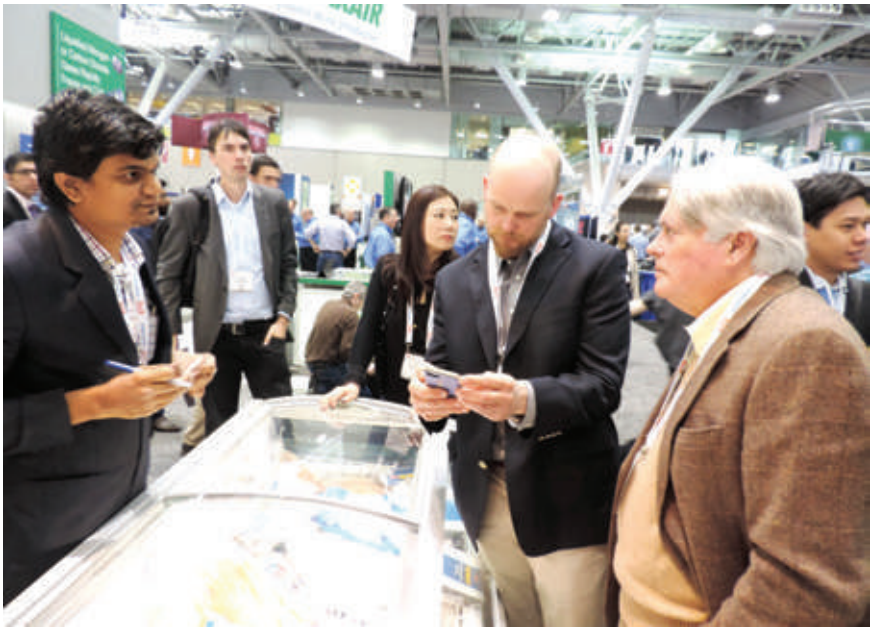

MPEDA official interacts with a buyer at MPEDA stall

For all the international seafood shows separate co-exhibitor guide were published. A total of 395 trade enquiries were received from these fairs, which were circulated to the industry through the MPEDA offices and Newsletter.

Through participation in the above international fairs, we could display India's immense fishery resource potential, world class processing facilities and above all the wide range of marine products processed and exported from India. Value added products displayed in MPEDA stall not only showcased India's ability in their production but also helped in raising the demand for such products. Such initiatives are helpful in enhancing India's marine products exports substantially in the coming years.

6.2.2 Association with INFOFISH

INFOFISH is an Intergovernmental Organization under the Food and Agriculture Organization (FAO) providing marketing information and technical advisory services to the fishery industry of the Asia-Pacific region and beyond from its headquarters in Kuala Lumpur, Malaysia. Thirteen countries are currently members of INFOFISH which are Bangladesh, Cambodia, Fiji, India, Iran, Malaysia, Maldives, Pakistan, Papua New Guinea, Philippines, Solomon Islands, Sri Lanka and Thailand. India is a founder member of this organization and MPEDA is the National Focal Point of INFOFISH in India as authorized by Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India. The Chairman, MPEDA is nominated as the Chairman, INFOFISH for the year 2017.

The 31st session of Governing Council meeting of INFOFISH was held on 20-23, December 2016 at Kuala Lumpur, Malaysia. The meeting was attended by the delegates from eleven member countries. India was represented by Mr. Sasikumar, Commercial Attache, Indian High Commission Malaysia and extended our inputs for framing the work programme of INFOFISH for 2017.

6.2.3 Domestic Fairs

In order to give publicity on the activities of MPEDA and to disseminate the vast potential of the fisheries, aquaculture and ornamental fish sectors along with highlighting investment opportunities in this field, MPEDA has participated in the domestic exhibitions organized in West Bengal, Kerala, & Andhra Pradesh during 2016-17. In addition, MPEDA has extended sponsorship for the Management Fest of Kerala University of Fisheries & Ocean Studies.

6.2.4. प्रकाशनों का मुद्रण

मासिक आधार पर एमपीईडीए न्यूज़ लेटर के 12 अंक निकाले गए, जिसने भारत में समुद्री खाद्य उद्योग को एमपीईडीए के विभिन्न कार्यकलापों, जलकृषि, प्रसंस्करण उद्योग में हाल में हुए विकास, विभिन्न देशों के गुणवत्ता मानक, से अवगत कराने में सहायता दी ।

दिनांक 23 से 25 सितंबर, 2016 तक पोर्ट ट्रस्ट स्टेडियम, विशाखपट्टणम में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खाद्य प्रदर्शनी 2016 (आईआईएसएस) के लिए ब्रॉशर, पोस्टर, पत्र शीर्ष, स्टॉल/प्रतिनिधि (विदेशी तथा भारतीय) आवेदन पत्र और विदेशी फ्लायर का मुद्रण किया गया ।

- चीन मात्स्यिकी एवं समुद्री खाद्य प्रदर्शनी 2016 के लिए चीनी भाषा में एमपीईडीए स्नैपशॉट की 300 यूनिट मुद्रित की गई ।
- दिनांक 14 से 16 मई 2017 तक नेहरू मैदान, मेंगलूर में आयोजित अक्वा अक्वेरिया भारत 2017 (एएआई) के लिए ब्रॉशर, पोस्टर, पत्र शीर्ष, स्टॉल/प्रतिनिधि (विदेशी तथा भारतीय) आवेदन पत्र मुद्रित किए गए ।
- चियान समुद्री खाद्य प्रदर्शनी, 2016, वैश्विक समुद्री खाद्य प्रदर्शनी 2016, ब्रसल्स एवं एसईएनए, बोस्टन 2017 के लिए सहप्रदर्शक गाइड मुद्रित किया गया ।
- निर्यातक निदेशिका पर डिजिटल इंटरैक्टिव सीडी के अद्यतन संस्करण की 2000 यूनिटों को मुद्रित किया गया।

6.2.5. छात्रों का संदर्शन

वर्ष 2016-17 के दौरान 17 शैक्षिक/मात्स्यिकी संस्थानों के छात्रों ने एमपीईडीए का दौरा किया । उन्हें एमपीईडीए की निर्यात प्रोत्साहन गतिविधियों पर जानकारी दी गई ।

6.2.6. विज्ञापन जारी करना

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, प्रमुख मात्स्यिकी पत्रिकाओं एवं जर्नलों में 24 विदेशी विज्ञापन और 66 घरेलू विज्ञापन जारी किए ।

6.2.7. प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 29.07.2016 को सेंटर होटल, कोचीन में वर्ष 2015-16 की अवधि के लिए समुद्री उत्पादों के आधिकारिक निर्यात आंकड़े की घोषणा करने हेतु अध्यक्ष के प्रेस सम्मेलन की व्यवस्था का समन्यवन किया गया । प्रेस सम्मेलन के दौरान अध्यक्ष, एमपीईडीए ने भारत अंतार्राष्ट्रीय समुद्री खाद्य प्रदर्शनी 2016 के तारीख एवं स्थान की घोषणा की ।

6.2.8. भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खाद्य प्रदर्शनी 2016

एमपीईडीए ने भारतीय समुद्री खाद्य निर्यातक संघ के सहयोग से पोर्ट ट्रस्ट डायमंड जुबिली स्टेडियम, विशाखपट्टणम में दिनांक 23 से 25 सितंबर 2016 तक भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खाद्य प्रदर्शनी 2016 के 20वें संस्करण का सफलतापूर्वक आयोजन किया । प्रदर्शनी का उद्घाटन श्रीमती निर्मला सीतारामन, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया । श्री एम वेंकैया नायडू, माननीय केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री, सूचना एवं प्रसारण और आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन और श्री चंद्रबाबू नायडू, माननीय मुख्य मंत्री, आंध्र प्रदेश, डॉ. कम्भंपति हरि बाबू, माननीय संसद सदस्य एवं एमपीईडीए के सदस्य, श्री कामिनेनी श्रीनिवास, माननीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री, आंध्र प्रदेश सरकार और श्री गंता श्रीनिवास राव, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री, आंध्र प्रदेश सरकार आदि ने उद्घाटन समारोह में भाग लिया । प्रदर्शनी क्षेत्र पोर्ट ट्रस्ट स्टेडियम में ए एवं बी हैंगरों में 7000 वर्ग मीटर तक फैला हुआ था । प्रदर्शनी का विषय था "सुरक्षित और चिरस्थाई जलकृषि", जहाँ घरेलू और निर्यात बाज़ारों में समुद्री खाद्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मात्स्यिकी कैप्चर और कल्चर में अपनाए जा रहे प्रौद्योगिकी विकास और चिरस्थाई प्रथाओं का प्रदर्शन किया गया ।

प्रदर्शनी में 301 स्टॉलों में 147 प्रदर्शक थे और इसमें 1524 प्रतिनिधियों तथा 6500 से अधिक अतिथियों ने भाग लिया । आईआईएसएस 2016 में खरीददारों और प्रदर्शकों सहित 15 देशों की वर्धित अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी दृष्टिगोचर थी । समुद्री खाद्य व्यवसाय और उद्योग के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा विशिष्ट विषयों पर तकनीकी सत्र का आयोजन किया गया । इसके अलावा, प्रदर्शनी के एक भाग के रूप में इंडो-नार्वेनियन संयुक्त कार्य समूह के तहत एक कार्यशाला का आयोजन भी किया गया । आईआईएसएस 2016 में विशेष आकर्षण वाणिज्य पविलियन था, जहाँ कॉफी बोर्ड, चाय बोर्ड, मसाला बोर्ड,रबड़ बोर्ड और एपीईडीए के अलावा एमपीईडीए और उसकी सोसाइटियों के कार्यकलापों को प्रदर्शित किया गया था ।

6.2.4 Printing of publications

Brought out 12 issues of MPEDA Newsletter on a monthly basis, which helped to disseminate the information on various activities of MPEDA, recent developments in aquaculture, processing industry, quality norms of various countries to the seafood industry in India.

- Printed Brochure, Posters, Letter Heads, Stall/Delegate (Overseas and Indian) application forms and overseas flyer for India International Seafood Show 2016 (IISS) held at Port Trust Stadium, Visakhapatnam from 23 -25 September 2016.
- Printed 300 units of MPEDA snapshot in Chinese for use in China Fisheries and Seafood Expo 2016.
- Printed Brochure, Posters, Letter Heads, Stall/Delegate (Overseas and Indian) for Aqua Aquaria India 2017 (AAI) scheduled from 14-16 May 2017 at Nehru Maidan Mangalore.
- Printed co-exhibitor guides for China Seafood & Fishereies Expo, 2016, Seafood Expo Global 2016, Brussels, & SENA, Boston 2017.
- Printed 2000 units of updated version of Digital interactive CD on Exporters Directory.

6.2.5. Visit of Students

Students from 17 Educational/fisheries institutions visited MPEDA during 2016-17. They were briefed on the export promotion activities of MPEDA.

6.2.6. Release of Advertisements

During the period under review, 24 overseas advertisement and 66 domestic advertisements were released in leading fisheries magazines and journals.

6.2.7. Press Release

Co-ordinated the arrangements for Chairman's Press Meet to declare official Export Statistics of Marine Products for the period of 2015-16 at Center Hotel, Cochin on 29.07.2016. During the press meet Chairman, MPEDA announced the dates and venue for India International Seafood Show 2016.

6.2.8. India International Seafood Show 2016

The 20th edition of India International Seafood Show 2016 was successfully organized by MPEDA in association with Seafood Exporters Association of India from 23rd to 25th September 2016 at Port Trust Diamond Jubilee Stadium, Visakhapatnam. The Show was inaugurated by Mrs. Nirmala Sitharaman, Hon'ble Minister of State (Independent Charge) for Commerce and Industry. Mr. M Venkaiah Naidu, Hon'ble Union Minister of Urban Development, Information & Broadcasting and Housing & Urban Poverty Alleviation, and Mr. N. Chandrababu Naidu, Hon'ble Chief Minister of Andhra Pradesh, Dr. Kambhampati Hari Babu, Hon'ble MP and member of the MPEDA, Mr. Kamineni Srinivas, Hon'ble Minister of Health & Medical Education, Govt. of Andhra Pradesh and Mr. Ganta Srinivasa Rao, Hon'ble Minister of Human Resources Development, Govt. of Andhra Pradesh attended the inaugural function. The exhibition area was spread over to 7000 sq. m. area in Hangars A & B in Port Trust Stadium. Safe and Sustainable Indian Aquaculture' was the theme of the show, where technological advances and sustainable practices followed in fisheries capture and culture to ensure quality of seafood for both domestic and export markets were showcased.

There were 147 exhibitors in 301 stalls and was attended by 1524 delegates and more than 6500 visitors. Enhanced international participation from 15 countries was visible in IISS 2016 including buyers and exhibitors. Technical Session on specific topics by reputed national and international experts from seafood business and industry were arranged. In addition a workshop under Indo-Norwegian joint working group was also arranged as a part of the show. The special attraction in IISS 2016 was the Commerce Pavilion which showcased the activities of MPEDA and its societies apart from Coffee Board, Tea Board, Spices Board, Rubber Board and APEDA.

श्रीमती निर्मला सीतारमण, माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदया माननीय केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री श्री एम वैंकया नायडू, एमपीडीए अध्यक्ष डॉ.ए.जयतिलक, एमपीईडीए सचिव श्री बी. श्रीकुमार एवं एसईएआई राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री एस पदमनाभम की उपस्थिति में आईआईएसएस 2016 का उदघाटन करते हुए

आईआईएसएस 2016 फेयर कैटलॉग का विमोचन

Mrs. Nirmala Sitaraman, Hon'ble Union Minister of State for Commerce & Industry inaugurates IISS 2016 in the presence of Mr. M Venkaiah Naidu, Hon'ble Union Minister of Urban Development, Dr. A Jayathilak IAS, Chairman, MPEDA, Mr. B Sreekumar, Secretary, MPEDA and Mr. V Padmanabham, National President, SEAI

Release of IISS 2016 Fair Catalogue

माननीय मुख्यमंत्री श्री एन. चन्द्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश ने आईआईएसएस 2016 की प्रदर्शनी मंडल का उदघाटन करते हुए

माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, माननीय मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश श्री चंद्रबाबू नायडू एवं माननीय केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री श्री एम वैंकया नायडू के साथ एमपीईडीए स्टॉल का भ्रमण करते हुए

Mr. N. Chandrababu Naidu, Hon'ble Chief Minister, Andhra Pradesh inaugurates the exhibition pavilion of IISS 2016

Mrs. Nirmala Sitaraman, Hon'ble Union Minister of State for Commerce & Industry along with Mr. N. Chandrababu Naidu, Hon'ble Chief Minister, Andhra Pradesh and Mr. M. Venkaiah Naidu, Hon'ble Union Minister of Urban Development visiting MPEDA Stall

निर्यात में उत्कृष्टता पुरस्कार

Award for excellence in exports

7.0 कैप्चर मात्स्यिकी

4.41 दशलक्ष टन के भारतीय ईईज़ेड के अनुमानित समुद्री मात्स्यिकी संभाव्यता की तुलना में भारत के समुद्री मत्स्य उत्पादन ने वर्ष 1950 के 0.58 दशलक्ष टन से वर्ष 2016 में 3.63 दशलक्ष टन तक लगातार वृद्धि जारी है । कैप्चर मात्स्यिकी अत्यंत विविधीकृत है, जिसमें बड़ी संख्या में उन मात्स्यिकियों को शामिल किया गया है जो विभिन्न स्तर के वर्गीकरण द्वारा श्रेणीबद्ध हैं । कैप्चर मात्स्यिकी, मूल्यवार भारत के समुद्री खाद्य निर्यात का 45.18% (अनंतिम) है एवं मात्रावार 68.51% (अनंतिम) का योगदान देता है । देश से समुद्री उत्पादों के चिरस्थाई निर्यात, उत्पादन हेतु कैप्चर मात्स्यिकी को संवर्धित करने के लिए एमपीईडीए निम्नलिखित योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है:

7.1. पकड़ के बेहतर परिरक्षण के लिए मछुआरों को सहायता (ऑनबोर्ड मत्स्यन यान पर फिश होल्ड, रेफ्रिजरीकृत समुद्री जल प्रणाली और बर्फ बनाने वाली मशीन का संस्थापन के लिए वित्तीय सहायता)

- यह स्कीम ऑनबोर्ड यानों में पकड़ के बेहतर परिरक्षण में मछुआरों की सहायता करता है और इसके द्वारा निर्यात उत्पादन को बढ़ाता है । इस योजना ने दूरवर्ती जल में बहुदिवसीय मत्स्यन को प्रोत्साहित कर तथा मछुआरों को पकड़ की गुणवत्ता सुधार कर, पैदावार उपरांत होने वाली हानि को कम करके पकड़ के लिए ज्यादा राजस्व प्राप्त करने में सहायता दी ।
- वर्ष 2016-17 के दौरान ऑनबोर्ड मत्स्यन यानों पर रोधीकृत मत्स्य होल्ड के संस्थापन हेतु 175 मत्स्यन यान मालिकों को सहायता के रूप में 123.53 लाख रु की राशि प्रदान की गई ।
- यंत्रीकृत ऑनबोर्ड यानों में घोल बर्फ बनाने की मशीन की स्थापना के लिए पायलट परियोजना के तहत चेन्नै के एक मत्स्यन यान मालिक को सहायता के रूप में 5 लाख रु की राशि वितरित की गई ।

7.2. ट्यूना और अन्य कम दोहन किए गए संसाधनों का संवर्धन (मत्स्यन यानों का ट्यूना लॉग लाइनरों में परिवर्तन)

कम दोहन किए गए गहरे समुद्री ट्यूना संसाधनों के दोहन को प्रोत्साहित करने के लिए एमपीईडीए द्वारा मत्स्यन यानों के मालिकों को वित्तीय सहायता प्रदान कर मौजूदा मत्स्यन यानों के ट्यूना लॉग लाइनरों में परिवर्तन के स्कीम को कार्यान्वयन किया जा रहा है । हालांकि, भारतीय ईईज़ेड के महासागरीय जल में ट्यूना के लिए अच्छी संभावना है । तथापि, पकड़ की अनिश्चितता, प्रजातियों की प्रवासी प्रकृति, उच्च निवेश तथा अप्रत्याशित विपणन मूल्य जैसे प्रतिबंधों के कारण यंत्रीकृत मत्स्यन यान मालिक मत्स्यन यानों को ट्यूना लॉग लाइनरों में परिवर्तित करने को तत्पर नहीं है । रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान इस योजना के अधीन किसी भी यान को ट्यूना मत्स्यन केलिए परिवर्तित नहीं किया गया ।

7.3. राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को पूरा करने के लिए मत्स्यन बंदरगाहों का उन्नयन

- यह योजना कार्यान्वयन के अधीन है । बंदरगाह अभियंता विभाग, शक्तिकुलंगरा बंदरगाह, केरल द्वारा प्रस्तुत अग्रिम अनुमोदन आवेदन की जांच की गई और त्रुटियों को सुधारने हेतु वापस किया गया ।
- विशाखपट्टनम में मत्स्यन बंदरगाह के उन्नयन पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की जांच की गई और एसाइड योजना के बहुत सहायता हेतु वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को अग्रेषित किया गया ।

7.4. समुद्री संपदाओं का परिरक्षण - पकड़ प्रमाणपत्र योजना

- यूरोपीय संघ विनिमय 1005/2008 का कार्यान्वयन, 1 जनवरी, 2010 से यूरोपीय संघ के समुद्री खाद्यों के निर्यात के लिए पकड़ प्रमाण पत्र के वैधीकरण की माँग करता है । पकड़ प्रमाण पत्र के वैधीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा एमपीईडीए को प्राधिकृत किया गया है। एमपीईडीए ने पकड़ प्रमाण पत्र कार्य को सुगम बनाने हेतु आंकड़ा लेने के लिए प्रमुख पत्तनों तथा मत्स्यन अवतारण केन्द्रों में 21 डाटा एंट्री ऑपरेटर्स तथा 47 हार्बर आंकड़ा एकत्रक (प्रशिक्षणार्थी) तैनात किए हैं । नियमित मॉनिटरिंग के तहत एमपीईडीए के फील्ड कार्यालयों द्वारा पकड़ प्रमाण पत्र का ऑनलाइन वैधीकरण किया जाता है ।
- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान यूरोपीय संघ को निर्यात हेतु एमपीईडीए ने फील्ड कार्यालयों के माध्यम से 11,133 पकड़ प्रमाण पत्र वैधीकृत किए । इस उद्देश्य के लिए 130.45 लाख रु (अनंतिम) खर्च किए गए ।
- डेटा संग्रह और संकलन नेटवर्क की स्थापना पर किए गए खर्च की आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति करने के लिए, एमपीईडीए ने 1 नवंबर, 2016 से पकड़ प्रमाण पत्र के लिए एक वैधीकरण शुल्क प्रारंभ किया है ।

7.0 .Capture Fisheries

Marine Fish production in India has been continuously increased from 0.58 million tonnes in 1950 to 3.86 million tonnes in 2016 against the estimated marine fishery potential of Indian EEZ at 4.41 million tonnes. Capture fisheries is extremely diversified, comprising of a large number of fishery that are categorized by different levels of classification. Capture fisheries contribute about 45.18% of seafood export of India value and about 68.51% in quantity. MPEDA has been implementing the following schemes to promote quality upgradation in capture fisheries and also to improve the exploitation of resources like tuna and bill fishes.

7.1 Assistance to fishermen for better preservation of catch (financial assistance for installation of fish hold, Refrigerated Sea Water System and Ice making machine onboard fishing vessel):

- The scheme envisages assisting fishermen in better preservation of catch onboard vessels and thereby augmenting export production. The scheme also helped fishermen to get more revenue for the catch by improving quality of catch, reducing post harvest loss and encouraging multiday fishing in distant waters.
- ₹ 123.53 lakh was disbursed as assistance to 175 fishing vessel owners for the installation of insulated fish hold on board fishing vessels during 2016-17.
- Under the pilot project for installation of slurry ice making machine on board mechanized vessels, an amount of ₹ 5 lakh was disbursed as assistance was given to one fishing vessel in Chennai.

7.2 Promotion of fishing of tuna and other under exploited resources (Conversion of fishing vessels to tuna long liners):

For encouraging the exploitation of under exploited deep-sea tuna resources, MEPDA has been implementing the scheme "Conversion of existing fishing vessels to tuna long liners" by providing financial assistance to the fishing vessel owners. Although there is good potential for tuna in the oceanic waters of Indian EEZ, the mechanized fishing vessel owners are not venturing for conversion of fishing vessels to tuna long liners due to several constraints like uncertainty of catch, migratory nature of the species, high investment and unpredictable market price. During the year under report, no vessel has been converted for tuna fishing under the scheme.

7.3 Upgradation of fishing harbours to meet the national/international quality standards

- The scheme is under implementation. Advance approval application submitted by Harbour Engineering Department, Sakthikulangara harbor, Kerala was scrutinized and returned for rectifying defects.
- Detailed Project Report on upgradation of fishing harbor in Visakhapatnam was examined and recommended to MoC&I for assistance under ASIDE scheme.

7.4 Conservation of Marine resources: Catch Certification Scheme

- Implementation of European Union Regulation 1005/2008 demands validation of catch certificate for export of sea caught varieties to European Union since 1st January 2010. MPEDA has been authorized by the Govt. of India for validation of catch certificate. MPEDA has deployed 21 Data Entry Operators and 47 Harbour Data Collectors (Trainees) on contract basis in major fish landing centers and fishing harbours for capturing the data for facilitating the catch certification work. Validation of catch certificate is being done by the field offices of MPEDA through our online system.
- During the year under report, MPEDA has validated 11,133 catch certificates for export to EU through its field offices. An amount of ₹ 130.45 lakh has been spent for this purpose.
- To partly compensate the expenditure incurred on establishment of data collection and compilation network, MPEDA has introduced a validation fee for Catch Certificate w.e.f 1st November 2016. Revenue generated under this is ₹ 55.17 lakh.

7.5. डी एस 2031 प्रमाण पत्र

- यूएसए को किए जाने वाले श्रिम्प परेषण के साथ डी एस 2031 प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है जो यह सूचित करता है कि समुद्री कछुओं को नुकसान न पहुँचने वाले तरीके से या जलकृषि द्वारा श्रिम्प का संग्रह किया गया है ।
- वर्ष 2016-17 के दौरान कुल 11,030 डी एस 2031 प्रमाण पत्र विधिमान्य किए गए । डी एस 2031 प्रमाण पत्र के विवरणों की जाँच की गई एवं मंत्रालय को मासिक आधार पर समेकित रिपोर्ट भेजी गई ।
- एमपीईडीए द्वारा 1 मार्च 2017 से डी एस 2031 प्रमाण पत्र के लिए एक वैधीकरण शुल्क प्रारंभ किया है ।

7.6. आईसीसीएटी प्रमाण पत्र

- भारत सरकार द्वारा दिनांक 27 जून 2016 के पत्र सं. 5/1/2015 ईपी (एमपी) के अधीन प्रशांत महासागर एवं आसपास के महासागरों में ट्यूना एवं ट्यूना जैसी प्रजातियों के संरक्षण हेतु यूरोपीय संघ के कुछ बाज़ारों में स्वोर्ड फिश एवं बिग आई ट्यूना के निर्यात के लिए अटलैंटिक ट्यूना के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय आयोग (आई सी सी ए) स्वोर्ड फिश सांख्यिकी दस्तावेज़ के वैधीकरण के लिए एमपीईडीए को प्राधिकृत किया गया है ।
- वर्ष 2016-17 के दौरान कुल 150 आईसीसीएटी स्वोर्ड फिश सांख्यिकी दस्तावेज़ वैधीकृत किए गए ।
- एमपीईडीए द्वारा 1 मार्च 2017 से आईसीसीएटी प्रमाण पत्र के लिए एक वैधीकरण शुल्क प्रारंभ किया है ।

8.0. कल्चर मात्स्यिकी

8.1 जलकृषि के द्वारा निर्यात उत्पादन

वर्ष 2016-17 के दौरान निर्यात के लिए जलकृषि उत्पादन में वृद्धि होती रही और यह नई ऊँचाइयों तक पहुँच गया, इस प्रकार पिछले आठ वर्षों में लगातार हर साल नई ऊँचाइयों तक पहुँचने की प्रवृत्ति को बनाए रखा । (चित्र 5)। श्रिम्प के अलावा 16950 मी.टन मत्स्य तथा शेलफिश सहित निर्यात उन्मुख जलकृषि उत्पादन, लगभग 5,87,600 मी.टन तक पहुँच गया । इसमें श्रिम्प का योगदान 5,70,637 मी.टन है जो निर्यात उन्मुख उत्पादन का 97% है ।

चित्र 5. निर्यात उन्मुख प्रजातियों के जलकृषि उत्पादन की प्रवृत्ति

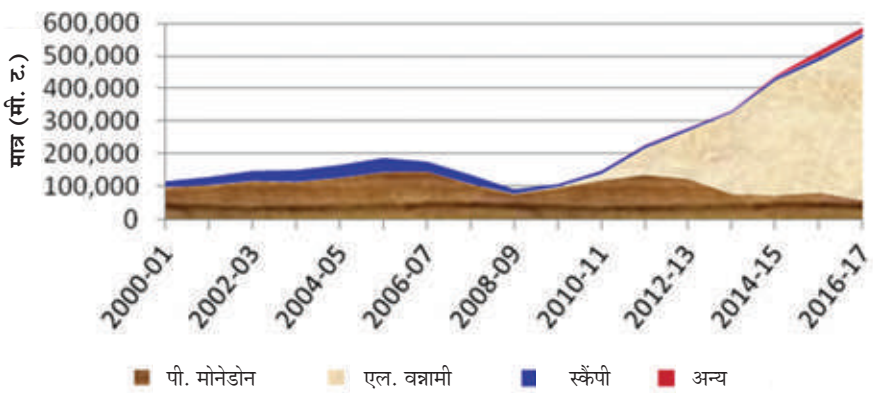

7.5 DS 2031 certificates

- It is mandatory for the shrimp consignment to USA to be accompanied by DS 2031 certificate, which states that the shrimp was harvested in a manner not harmful to sea turtles or harvested by aqua culture.
- A total number of 11,030 DS 2031 certificates were validated during the year 2016-17. Statements of DS 2031 certificate were scrutinized and the consolidated reports were forwarded to Ministry on a monthly basis.
- MPEDA has introduced a validation fee for DS 2031 certificate w.e.f. 1st March 2017 and the revenue generated during the year of report is ₹ 23.23 lakh.

7.6 ICCAT Certificates

- MPEDA has been authorized by the Govt. of India vide letter no.5/1/2015-EP (MP) dated 27th June 2016 to validate International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna (ICCAT) Swordfish Statistical Document for the export of Big Eye tuna and swordfish to certain markets for conservation of tunas and tuna like species in the Atlantic Ocean and its adjacent seas.
- A total of 150 ICCAT Swordfish Statistical Documents were validated during the year 2016-17.
- MPEDA has introduced a validation fee for ICCAT certificate w.e.f. 1st March 2017. Revenue generated for validation of ICCAT during the year is ₹ 0.51 Lakh.

8.0. CULTURE FISHERIES

8.1. Export production through aquaculture:

Aquaculture production for export continued to increase during 2016-17 and reached a new high, thus maintaining the trend exhibited over the last eight years of reaching a new peak every successive year (**Fig. 5**). The export oriented aquaculture production, including about 16950 MT of fish and shellfish other than shrimp, reached about 5,87,600 MT. In this contribution of shrimp was 5,70,637 MT amounting to about 97% of the export oriented production.

Fig. 5. Trends in progress of aquaculture production of export oriented species

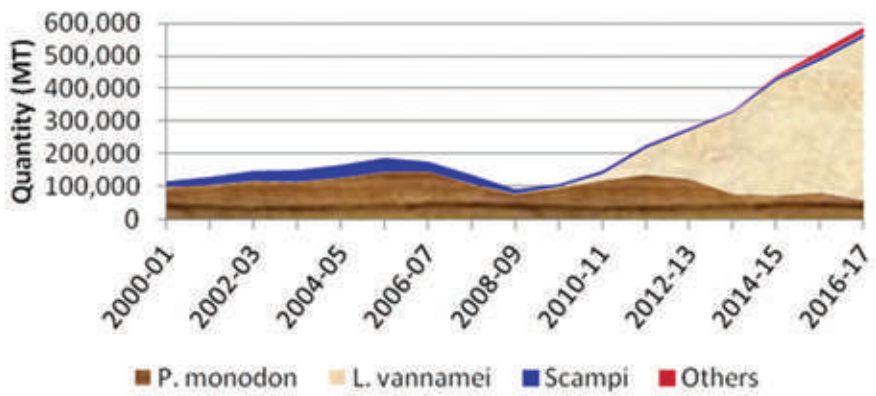

उत्पादन की प्रवृत्ति में बदलाव निर्यात में भी प्रतिबिंबित हुआ है । पिछले कुछ वर्षो के दौरान, मात्रा (चित्र 6) और मूल्य (चित्र 8) दोनों के हिसाब से वन्नामी उत्पादन में आई तेज़ी के परिणामस्वरूप भारत से श्रिम्प निर्यात में भारी वृद्धि हुई है । मात्रा के हिसाब से वृद्धि की तुलना में वर्ष 2013-14 और 2014-15 के दौरान निर्यात अर्जन में अधिक महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाई है । इसका कारण पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष के दौरान इकाई मूल्य प्राप्ति में हुई सामान्य वृद्धि है ।

चित्र 6. पिछले 10 वर्षों के दौरान श्रिम्प निर्यात की मात्रा की प्रवृत्ति

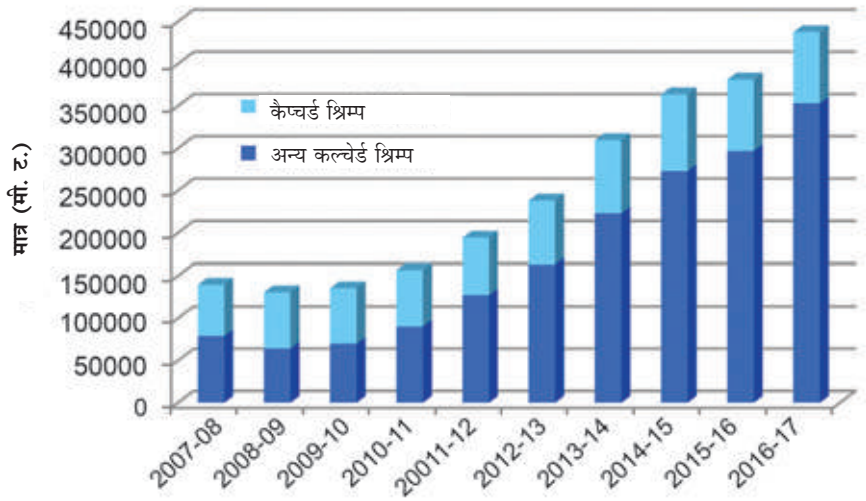

चित्र. 7. पिछले 10 वर्षों के दौरान श्रिम्प के निर्यात आय की प्रवृत्ति

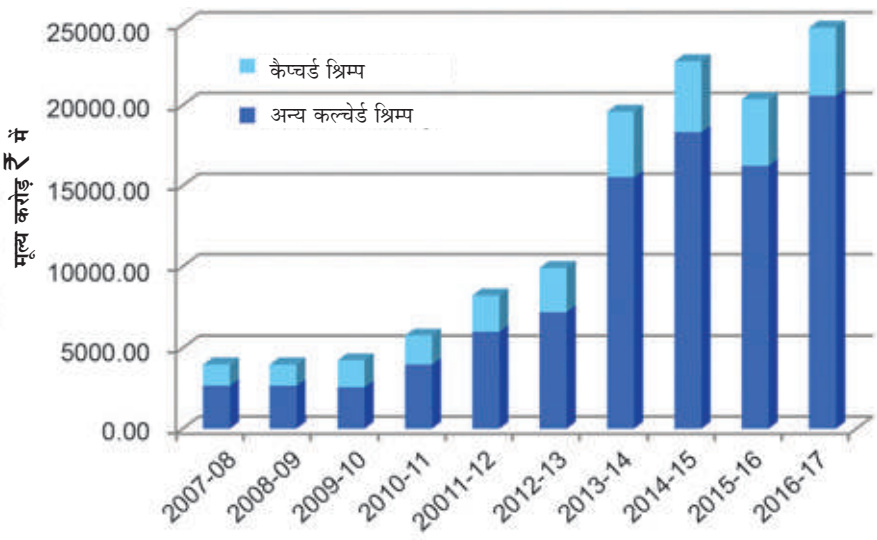

8.1.1. श्रिम्प जलकृषि उत्पादन

फील्ड से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर भारत के जलकृषि उत्पादन का अनुमान वर्ष 2016-17 के लिए 5,70,637 मी.टन लगाया गया, जिसने वर्ष 2015-16 के दौरान 5,00,581 मी.टन के उत्पादन से 13.99% की रिकार्ड वृद्धि दर्ज की है । यह वृद्धि सिर्फ पसफिक व्हाइट श्रिम्प (लिटोपीनस वन्नामी) के उत्पादन में वृद्धि के कारण हुई । वर्ष के दौरान एल. वन्नामी का उत्पादन 5,01,297 मी.टन था जो कि पिछले वर्ष के 4,06,018 मी.टन उत्पादन से 95,279 मी.टन अधिक था, इस प्रकार 23.47% की वृद्धि दर्ज की गई । देश के कुल श्रिम्प जलकृषि उत्पादन में एल. वन्नामी उत्पादन का योगदान 87.85% है । (चित्र 8)

The changes in production trends have also reflected in the exports also. The spurt in vannamei production has resulted in steep rise in shrimp exports from India, both in terms of quantity (Fig. 6) and value (Fig. 7), during the last few years. Export earnings during the year 2013-14 and 2014-15 have shown more prominent increase compared to the increase in terms of quantity. This was due to a general increase in unit value realization during the years in comparison to the previous years.

Fig. 6. Trends in export volumes of shrimp during the last 10 years

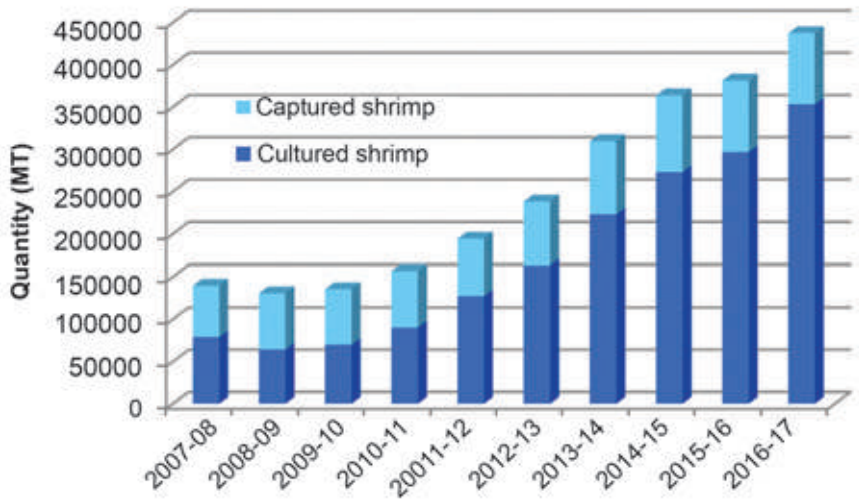

Fig. 7. Trends in export earnings of shrimp during the last 10 years

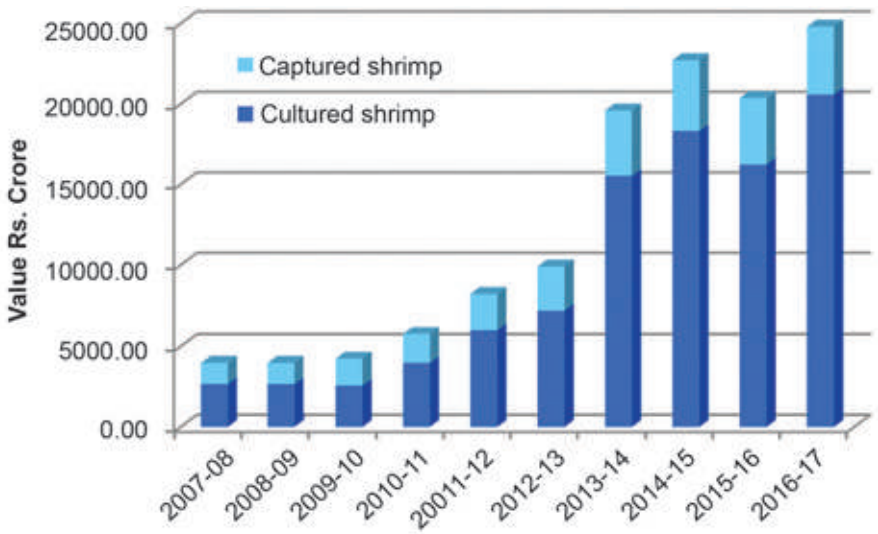

8.1.1. Shrimp aquaculture production:

India's Aquaculture production of shrimp estimated based on the reports received from the field added up to 5,70,637 MT during 2016-17, registering an increase of 13.99 % over the production of 5,00,581 MT recorded during the year 2015-16. The increase was propelled solely by the increase in production of the Pacific White shrimp (*Litopenaeus vannamei*). The *L vannamei* production during the year was 5,01,297 MT, which was 95,279 MT more than the previous year production of 4,06,018 MT, thus registering an increase of 23.47 %. *L.vannamei* production contributed to around 87.85% of the total shrimp aquaculture production in the country (Fig. 8).

देशी टाइगर श्रिम्प (पीनस मोनोडोन) का जलकृषि उत्पादन पिछले वर्ष के 23,289 मी.टन (28.59%)घटकर 58,163 मी.टन तक हो गया। टाइगर श्रिम्प कुल कल्चर्ड पैदावार श्रिम्प उत्पादन के 10.19% का प्रतिनिधित्व करता है । निर्यात उन्मुख जलकृषि उत्पादन क्षेत्र की अगली महत्वूपर्ण प्रजाति, स्कैंपी ने भी वर्ष 2015-16 के 10,152 से वर्ष 2016-17 में 9,499 मी.ट. तक 6.43% की कमी दर्ज की । कल्चर्ड श्रिम्प उत्पादन में स्कैंपी का हिस्सा 1.66% था ।

उपर्युक्त श्रिम्प प्रजातियों के अलावा, पीनस इंडिकस और अन्य पीनिड श्रिम्पों का लगभग 1,678 मी.टन उत्पादन हुआ ।

चित्र 8 वर्ष 2016-17 में जलकृषि उत्पादन में श्रिम्प प्रजातियों की संरचना

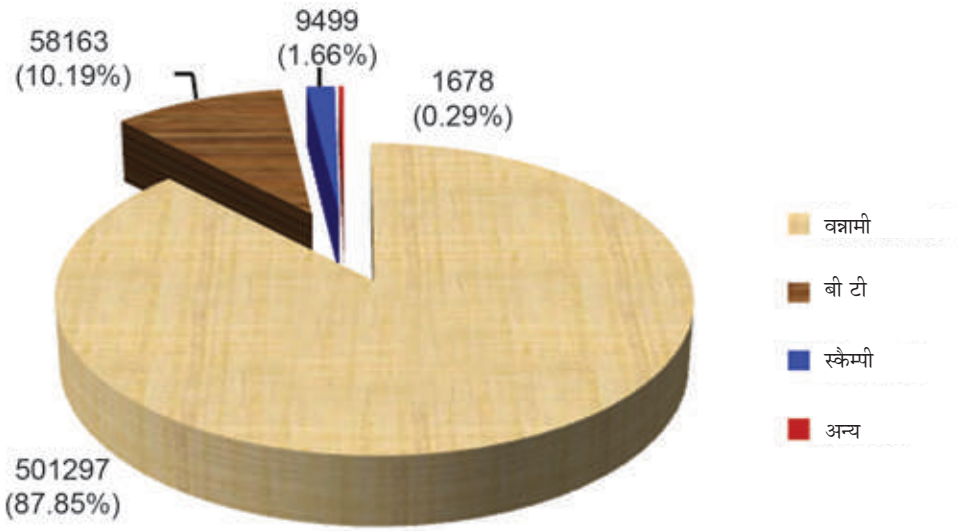

8.1.2. पसिफिक व्हाइट श्रिम्प:

वर्ष 2016-17 के लिए उत्पादन अधीन क्षेत्र तथा प्रजातियों के उत्पादन का राज्यवार विवरण तालिका 6 में दिया गया है । आन्ध्र प्रदेश एक बार फिर कुल 3,51,137 मी.टन उत्पादन के साथ तालिका में सबसे प्रथम रहा, इसके बाद 48,670 मी.टन उत्पादन के साथ तमिलनाडु, 41,409 मी.टन के साथ गुजरात, 26,085 मी.टन के साथ पश्चिम बंगाल और 25,594 मी.टन उत्पादन के साथ ओडिशा आया ।

तालिका - 6 : वर्ष 2016-17 में एल. वन्नामी का राज्यवार उत्पादन

क्र सं .	राज्य	उपयोग किया गया क्षेत्र (हे)	उत्पादन (मी.ट)	उत्पादकता (मी ट/हे/वर्ष)
1	पचिम बंगाल	3657	26085	7.13
2	ओडिशा	6300	25594	4.06
3	आन्ध्र प्रदेश	61391	351137	5.71
4	तमिलनाडु	8601	48670	5.66
5	केरल	31	110	3.54
6	कर्नाटक एवं गोवा	407	1461	3.59
7	महाराष्ट्र	1646	6831	4.15
8	गुजरात	5219	41409	7.93
	कुल	**87252**	**501297**	**5.75**

The aquaculture production of the native Tiger shrimp (*Penaeus monodon*) declined from the previous years' production by 23,289 MT (28.59 %) to 58,163 MT. Tiger shrimp represented 10.19 % of the total cultured shrimp production. The next important species in the export oriented aquaculture production sector, Scampi also registered a 6.43 % decrease in production, from 10,152 in 2015-16 to 9,499 MT during 2016-17. The share of scampi in cultured shrimp production was a meager 1.66 %.

Apart from the above varieties of shrimps, there was production of about 1,678 MT of *Penaeus indicus* and other penaeid shrimps.

Fig. 8. Composition of shrimp species in Aquaculture production 2016-17

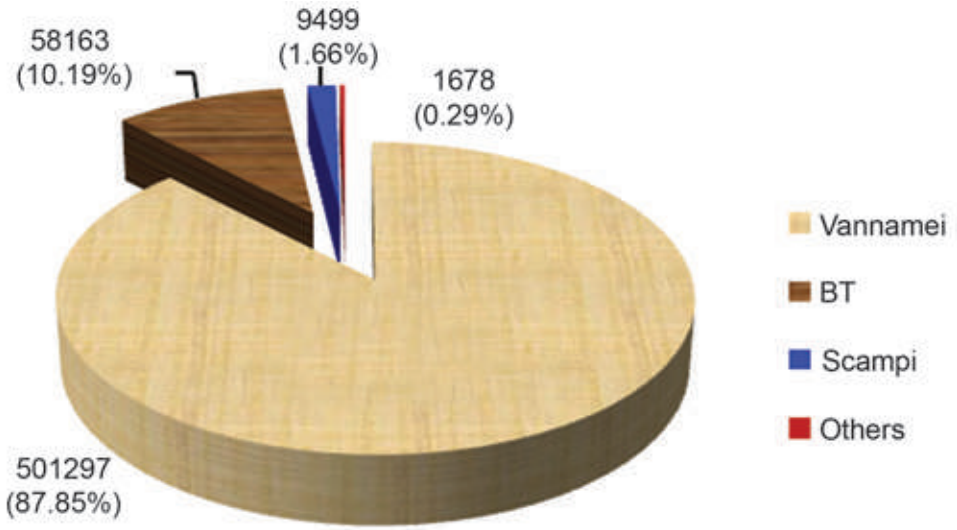

8.1.2. Pacific White Shrimp

The state-wise details of area under culture and production of the species for the year 2016-17 are given in **Table 6**. Andhra Pradesh once again led the table with a total production of 3,51,137 MT, followed by Tamil Nadu with a production of 48,670 MT, Gujarat with 41,409 MT, West Bengal with 26,085 MT and Odisha with a production of 25,594 MT.

Table 6. State wise production of L.vannamei in 2016-17

Sl.No.	State	Area Utilised (ha)	Production (Mt)	Productivity (Mt/ha/year)
1	West Bengal	3657	26085	7.13
2	Odisha	6300	25594	4.06
3	Andhra Pradesh	61391	351137	5.71
4	Tamil Nadu	8601	48670	5.66
5	Kerala	31	110	3.54
6	Karnataka &Goa	407	1461	3.59
7	Maharashtra	1646	6831	4.15
8	Gujarat	5219	41409	7.93
	Total	**87252**	**501297**	**5.75**

विभिन्न समुद्र तटीय राज्यों में एल.वन्नामी के कल्चर क्षेत्र और उत्पादन में वृद्धि यह दर्शाती है कि सभी राज्यों में इसका लगातार विस्तार हो रहा है। देश के विभिन्न समुद्र तटीय राज्यों में एल.वन्नामी के लिए उपयोगित क्षेत्र तथा उत्पादन की प्रवृत्ति तालिका 7 में दी गई है । वृद्धि केवल टाइगर श्रिम्प कृषि को बदलने से ही नहीं बल्कि देश में एल.वन्नामी के लिए नए फार्मों के विकास के कारण भी हुई है। वर्ष 2016-17 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में कल्चर क्षेत्र की सीमा 28,136 हे. (47.59%) तक बढ़ गयी है। हालांकि, औसत उत्पादकता ने पिछले वर्ष की 6.86 मी.टन/हे./वर्ष की तुलना में 5.75 मी.टन/हे./वर्ष तक कमी दर्शाई है। उत्पादकता में हुई इस कमी का कारण कई छोटे किसानों द्वारा वन्नामी कल्चर शुरू करना है।

तालिका - 7 : राज्यवार उपयोगित क्षेत्र तथा एल.वन्नामी फार्मों से उत्पादन का विवरण

क्रम सं	राज्य		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1	पश्चिम बंगाल	क.अ.क्षे	0	0	0	130	326	1387	3657
		नि.उ.	0	0	0	479	395	6776	26085
2	ओडिशा	क.अ.क्षे	0	25	46	485	2340	4439	6300
		नि.उ.	0	100	436	2907	11866	19241	25594
3	आन्ध्र प्रदेश	क.अ.क्षे	2739	7128	20198	49764	37560	39800	61391
		नि.उ.	16913	75385	133135	210639	276077	295332	351137
4	तमिलनाडु पांडिचेरी	क.अ.क्षे	34	397	1511	5087	5037.1	7615	8601
		नि.उ.	109	2863	8595	26281	32687.9	44453	48670
5	केरल	क.अ.क्षे	0	0	0	0	5.8	22	31
		नि.उ.	0	0	0	0	11.75	74	110
6	कर्नाटक	क.अ.क्षे	0	72	154	157	124.76	333	405
		नि.उ.	0	232	484	517	623.2	1045	1457
7	गोवा	क.अ.क्षे	0	0	1	29	27.2	10	2
		नि.उ.	0	0	15	67	88.2	33	4
8	महाराष्ट्र	क.अ.क्षे	94	127	439	908	1274.51	1356	1646
		नि.उ.	508	941	1503	3291	4901.04	6118	6831
9	गुजरात	क.अ.क्षे	64	88	366.71	707	3545.4	4154	5219
		नि.उ.	717	1195	3348.19	6326	26763	32946	41409
	कुल	क.अ.क्षे	2931	7837	22715.7	57267	50240.8	59116	87252
		नि.उ.	18247	80717	147516	250507	353413	406018	501297
	उत्पादकता (मी.टन/हे./वर्ष)		6.2255	10.2994	6.494	4.3743	7.0343	6.8681	5.7453

एयूसी: कल्चर अधीन क्षेत्र (हे.)

ईपी : निर्यात उत्पादन (मी. टन)

The growth trend in area under culture and production of L vannamei in the various maritime states indicate that there is continuous expansion taking place in all the states. The trend in the area utilization and production of L vannamei shrimp in various maritime states of the country is given in **Table 7**. The growth is propelled not only by the switch over from tiger shrimp culture but also with the development of new farms for L vannamei culture in the country. During the year 2016-17 the area under culture increased to an extent of 28,136 ha (47.59%) from that of the previous year. Average productivity, however, showed a decrease to 5.75 MT/Ha/Yr. from the previous year's productivity of 6.86 MT/Ha/Yr. This reduction in productivity can be attributed to many small farmers entering into vannamei culture.

Table 7. State-wise area utilized and production from L vannamei farms

Sl.No	State		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1	W. Bengal	AUC	0	0	0	130	326	1387	3657
		EP	0	0	0	479	395	6776	26085
2	Orissa	AUC	0	25	46	485	2340	4439	6300
		EP	0	100	436	2907	11866	19241	25594
3	Andhra Pradesh	AUC	2739	7128	20198	49764	37560	39800	61391
		EP	16913	75385	133135	210639	276077	295332	351137
4	Tamil Nadu Pondicherry	AUC	34	397	1511	5087	5037.1	7615	8601
		EP	109	2863	8595	26281	32687.9	44453	48670
5	Kerala	AUC	0	0	0	0	5.8	22	31
		EP	0	0	0	0	11.75	74	110
6	Karnataka	AUC	0	72	154	157	124.76	333	405
		EP	0	232	484	517	623.2	1045	1457
7	Goa	AUC	0	0	1	29	27.2	10	2
		EP	0	0	15	67	88.2	33	4
8	Maharashtra	AUC	94	127	439	908	1274.51	1356	1646
		EP	508	941	1503	3291	4901.04	6118	6831
9	Gujarat	AUC	64	88	366.71	707	3545.4	4154	5219
		EP	717	1195	3348.19	6326	26763	32946	41409
	Total	AUC	2931	7837	22715.7	57267	50240.8	59116	87252
		EP	18247	80717	147516	250507	353413	406018	501297
	Productivity (MT/ha/yr)		6.2255	10.2994	6.494	4.3743	7.0343	6.8681	5.7453

AUC: Area Under Culture (ha)
EP: Export Production (MT)

नीचे की तालिका 8, वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के कल्चर उत्पादन से उत्पन्न उत्पाद वज़न और उत्पादन की अनुमानित लागत की तुलना प्रदान करती है। जीवित भार और उत्पाद भार में 23.46 तथा मूल्य प्राप्ति में 43.67 वृद्धि हुई है।

तालिका - 8 : वर्ष 2015-16 और 2016-17 में जलकृषि द्वारा एल.वन्नामी उत्पादन

वर्ष	जीवित भार (मी.टन)	उत्पाद भार (मी.टन)	अनुमानित मूल्य (रु करोड़ में)
2015-2016	406018	263911	13,154.00
2016-2017	501297	325843	18,899.00
वृद्धि/ कमी	(+) 95279	(+) 61932	(+) 5745
अंतर %	(+) 23.46	(+) 23.46	(+) 43.67

8.1.3. टाइगर श्रिम्प

वर्ष 2016-17 के दौरान कुल टाइगर श्रिम्प उत्पादन 58,163 मी.टन रिपोर्ट किया गया, जिसमें से पश्चिम बंगाल से लगभग 77.31% (44,966 मीट्रिक टन) रहा, इसके बाद आंध्र प्रदेश से (8.28%), ओडिशा से (6.35%), केरल से (3. 9 5%), गुजरात से (2.31%) तथा कर्नाटक और गोवा से (1.10%) रिपोर्ट किया गया । वर्ष 2016-17 के दौरान कल्चर के लिए उपयोगित क्षेत्र और उत्पादन का राज्यवार विवरण तालिका 9 में दिया गया है।

तालिका - 9 : वर्ष 2016-17 में टाइगर श्रिम्प उत्पादन का राज्यवार विवरण

क्रम सं .	राज्य	उपयोगित क्षेत्र (हे)	उत्पादन (मी ट)	उत्पादकता (मी.ट/हे/वर्ष)
1	पश्चिम बंगाल	48474	44966	0.93
2	ओडिशा	2273	3699	1.63
3	आन्ध्र प्रदेश	2835	4819	1.69
4	तमिलनाडु	150	384	2.56
5	केरल	3929	2297	0.58
6	कर्नाटक एवं गोवा	747	641	0.86
7	महाराष्ट्र	6	11	1.83
8	गुजरात	437	1346	3.08
	कुल	**58851**	**58163**	**0.99**

वर्ष 2015-16 के टाइगर श्रिम्प उत्पादन की तुलना में, चालू वर्ष के दौरान उत्पादन में लगभग 28.59 की कमी आई है । क्षेत्र की उपयोगिता तथा उत्पादन की राज्यवार प्रवृत्ति, पिछले वर्षों में हुई भारी गिरावट की ओर संकेत करती है (तालिका-10)। हालांकि, उत्पादकता 1 मी.टन/हे./वर्ष पर स्थिर रही है ।

Table 8 below provides a comparison of the estimates of the product weight generated from the culture production and the estimated value of the produce for 2015-16 and 2016-17. There is a 23.46% increase in live weight and product weight and about 43.67% increase in value realization.

Table 8. L vannamei Production through Aquaculture in 2015-16 and 2016-17

Year	Live weight (MT)	Product weight (MT)	Estimated Value (₹ Crore)
2015-2016	406018	263911	13,154.00
2016-2017	501297	325843	18,899.00
Increase/ Decrease	(+) 95279	(+) 61932	(+) 5745
Difference %	(+) 23.46%	(+) 23.46%	(+) 43.67%

8.1.3. Tiger Shrimp

During the year 2016-17 the total tiger shrimp production reported was 58,163 MT, about 77.31 % (44,966 MT) of which was reported from the West Bengal, followed by Andhra Pradesh (8.28 %), Odisha (6.35 %), Kerala (3.95%) ,Gujarat (2.31%) and Karnataka & Goa (1.10%). The state wise details of area utilized for culture and production during the year 2016-17 is given in Table 9.

Table 9. State wise production of Tiger shrimp in 2016- 17

Sl.No.	State	Area Utilised (ha)	Production (Mt)	Productivity (Mt/ha/year)
1	West Bengal	48474	44966	0.93
2	Odisha	2273	3699	1.63
3	Andhra Pradesh	2835	4819	1.69
4	Tamil Nadu	150	384	2.56
5	Kerala	3929	2297	0.58
6	Karnataka & Goa	747	641	0.86
7	Maharashtra	6	11	1.83
8	Gujarat	437	1346	3.08
	Total	58851	58163	0.99

In comparison with the production of Tiger shrimp in the year 2015-16, the production decreased by about 28.59% during the current year. The state-wise trends in area utilization and production points towards a progressive decline over the years (Table 10). However, the productivity has been steady at about 1 MT/Ha/Yr.

तालिका - 10 : राज्य वार उपयोगित क्षेत्र और टाइगर श्रिम्प फार्मों से उत्पादन

क्रम सं	राज्य		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1	पश्चिम बंगाल	क.अ.क्षे. नि.उ.	47588 40725	48558 45999	48410 52581	48730 53049	48848 53526.3	50593 61998	48474 44966
2	ओडिशा	क.अ.क्षे. नि.उ.	5324 7520	8597 10901	6256 14096	5523 11075	5392 10075	4552 9191	2273 3699
3	आन्ध्र प्रदेश	क.अ.क्षे. नि.उ.	42055 49030	35274 51081	15020 25948	2522 2883	2190 2962	2637 3739	2835 4819
4	तमिलनाडु पांडिच्चेरी	क.अ.क्षे. नि.उ.	2281 4020	5360 12097	6293.46 17220	343 916	37.84 73.3	409 1103	150 384
5	केरल	क.अ.क्षे. नि.उ.	11788 8075	12809 8138	12917 5175.22	12719 3360	13230.2 3643.18	8306 3490	3929 2297
6	कर्नाटक	क.अ.क्षे. नि.उ.	1715 2090	650 609	240.43 180.35	94 56	688.65 498.73	1948 682	735 635
7	गोवा	क.अ.क्षे. नि.उ.	306 320	53 51	29.5 47.5	53 14	6.8 16.1	0 0	12 6
8	महाराष्ट्र	क.अ.क्षे. नि.उ.	830 1120	1098 1721	1046.71 2009.65	817 1083	126.2 177.5	3 6	6 11
9	गुजरात	क.अ.क्षे. नि.उ.	1966 5675	1971 4869	1992.38 6044.96	1375 4362	880.78 2183.82	398 1243	437 1346
	कुल	क.अ.क्षे. नि.उ.	113853 118575	114370 135466	93110.4 123303	72177 76798	71400.4 73155.9	68846 81452	58851 58163
	उत्पादकता (मी.टन/हे./वर्ष)		1.0414	1.1844	1.3242	1.064	1.0245	1.1831	0.9883

एयूसी : कल्चर अधीन क्षेत्र ई पी : निर्यात उत्पादन

तालिका 11 वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 में टाइगर श्रिम्प उत्पादन, उत्पादन से उत्पन्न अनुमानित उत्पाद भार तथा उत्पादन के अनुमानित मूल्य की तुलना प्रदर्शित करती है। जीवित भार और उत्पाद भार में लगभग 28.60% और मूल्य प्राप्ति में 9.69% की गिरावट थी । टाइगर श्रिम्प की इकाई मूल्य प्राप्ति पिछले वर्ष की तुलना में वर्धित दिखाई दी ।

तालिका - 11 : वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 में कल्चर्ड टाइगर श्रिम्प उत्पादन की तुलना

वर्ष	जीवित भार (मी.टन)	उत्पाद भार (मी.टन)	अनुमानित मूल्य (रु करोड़ में)
2015-16	81,452	48,871	2,898.00
2016-17	58,163	34,892	2,617.00
वृद्धि /कमी	(-) 23,289	(-)13,979	(-) 281.00
अंतर %	(-) 28.59	(-)28.60	(-) 9.69

8.1.4. स्कैंपी

वर्ष के दौरान स्कैंपी का कुल मिलाकर 9,499 मी.टन उत्पादन हुआ, जिसने पिछले वर्ष के 10,152 मी.टन उत्पादन की तुलना में 6.43% की गिरावट दर्ज की । तालिका 12 सभी समुद्र तटीय राज्यों के स्कैंपी उत्पादन का विवरण प्रदान करता है। मोनोकल्चर फार्मों में लगभग 3377 मी.टन स्कैम्पी का उत्पादन हुआ था, जबकि जलाशयों और गांव के तालाबों से 6,122 मी.ट. उत्पादन रिपोर्ट किया गया । पश्चिम बंगाल,मोनोकल्चर फार्मों से स्कैम्पी का प्रमुख उत्पादक बना रहा ।

Table 10. State-wise area utilized and production from Tiger shrimp farms

Sl.No	State		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1	W. Bengal	AUC	47588	48558	48410	48730	48848	50593	48474
		EP	40725	45999	52581	53049	53526.3	61998	44966
2	Orissa	AUC	5324	8597	6256	5523	5392	4552	2273
		EP	7520	10901	14096	11075	10075	9191	3699
3	Andhra Pradesh	AUC	42055	35274	15020	2522	2190	2637	2835
		EP	49030	51081	25948	2883	2962	3739	4819
4	Tamil Nadu Pondicherry	AUC	2281	5360	6293.46	343	37.84	409	150
		EP	4020	12097	17220	916	73.3	1103	384
5	Kerala	AUC	11788	12809	12917	12719	13230.2	8306	3929
		EP	8075	8138	5175.22	3360	3643.18	3490	2297
6	Karnataka	AUC	1715	650	240.43	94	688.65	1948	735
		EP	2090	609	180.35	56	498.73	682	635
7	Goa	AUC	306	53	29.5	53	6.8	0	12
		EP	320	51	47.5	14	16.1	0	6
8	Maharashtra	AUC	830	1098	1046.71	817	126.2	3	6
		EP	1120	1721	2009.65	1083	177.5	6	11
9	Gujarat	AUC	1966	1971	1992.38	1375	880.78	398	437
		EP	5675	4869	6044.96	4362	2183.82	1243	1346
	Total	AUC	113853	114370	93110.4	72177	71400.4	68846	58851
		EP	118575	135466	123303	76798	73155.9	81452	58163
	Productivity (MT/ha/yr)		1.0414	1.1844	1.3242	1.064	1.0245	1.1831	0.9883

AUC: Area Under Culture EP: Export Production

Table 11 gives a comparison of the tiger shrimp production, estimated product weight generated from the production and the estimated value of the production for the years 2015-16 and 2016-17. The percentage decline in live weight and product weight was about 28.60% and the decline in value realization was about 9.69%. The unit value realization for Tiger shrimp appears to have increased compared to the previous year.

Table 11. Comparison of cultured Tiger shrimp production in 2015-16 and 2016-17

Year	Live weight(MT)	Product weight(MT)	Estimated Value (` in Crore)
2015-16	81,452	48,871	2,898.00
2016-17	58,163	34,892	2,617.00
Increase/ Decrease	(-) 23,289	(-)13,979	(-) 281.00
Difference %	(-) 28.59%	(-)28.60 %	(-) 9.69%

8.1.4. Scampi

The total Scampi production reported during the year was 9,499 MT, registering a decline of about 6.43% compared to the previous year's production of 10,152 MT. **Table 12** provides the details of production of scampi in all maritime states. Monoculture farms produced about 3,377 MT of scampi, while the production reported from reservoirs and village ponds etc. was 6,122 MT. West Bengal remains to be the major producer of Scampi from monoculture farms.

तालिका - 12 : वर्ष 2016-17 के दौरान स्कैंपी का राज्यवार उत्पादन

7.1 कल्चर फार्मों से स्कैपी उत्पादन

क्रम सं .	राज्य	उपयोगित क्षेत्र (हे)	उत्पादन (मी ट)	उत्पादकता (मी ट/हे/वर्ष)
1	पश्चिम बंगाल	4628	2421	0.52
2	ओडिशा	921	769	0.83
3	आंन्ध्र प्रदेश	17	14	0.82
4	तमिलनाडु	540	144	0.26
5	केरल	45	29	0.64
6	कर्नाटक एवं गोवा	0	0	0
7	महाराष्ट्र	0	0	0
8	गुजरात	0	0	0
	कुल	**6151**	**3377**	**0.55**

7.2 जलाशयों / नदियों से स्कैंपी उत्पादन

क्रम सं .	राज्य	उपयोगित क्षेत्र (हे)	उत्पादन (मी ट)
1	पश्चिम बंगाल		800
2	ओडिशा	*जलाशय, नदी झील आदि*	591
3	आंध्र प्रदेश		888
4	तमिलनाडु		303
5	केरल		45
6	कर्नाटक एवं गोवा		0
7	महाराष्ट्र		1834
8	गुजरात		1661
	कुल		6122

7.3 कुल स्कैंपी उत्पादन (2.1+2.2)

क्रम सं .	राज्य	उपयोगित क्षेत्र (हे)	उत्पादन (मी ट)
1	पश्चिम बंगाल		3221
2	ओडिशा	*कल्चर्ड तालाब + जलाशय, नदी झील आदि*	1360
3	आंध्र प्रदेश		902
4	तमिलनाडु		446
5	केरल		75
6	कर्नाटक एवं गोवा		0
7	महाराष्ट्र		1834
8	गुजरात		1661
	कुल		9499

Table 12. State wise production of Scampi in 2016-17

7.1 Production of Scampi from culture farms

Sl.No.	State	Area Utilised (ha)	Production (Mt)	Productivity (Mt/ha/year)
1	West Bengal	4628	2421	0.52
2	Odisha	921	769	0.83
3	Andhra Pradesh	17	14	0.82
4	Tamil Nadu	540	144	0.26
5	Kerala	45	29	0.64
6	Karnataka &Goa	0	0	0
7	Maharashtra	0	0	0
8	Gujarat	0	0	0
	Total	6151	3377	0.55

7.2 Production of Scampi from Reservoir/Rivers

Sl.No.	State	Area Utilised (ha)	Production (Mt)
1	West Bengal		800
2	Odisha	*Reservoirs, Rivers, lakes etc.*	591
3	Andhra Pradesh		888
4	Tamil Nadu		303
5	Kerala		45
6	Karnataka &Goa		0
7	Maharashtra		1834
8	Gujarat		1661
	Total	"	6122

7.3 Production of total Scampi (2.1 + 2.2)

Sl.No.	State	Area Utilised (ha)	Production (Mt)
1	**West Bengal**		3221
2	**Odisha**	***Culture Ponds + Reservoirs, Rivers, lakes etc.***	1360
3	**Andhra Pradesh**		902
4	**Tamil Nadu**		446
5	**Kerala**		75
6	**Karnataka & Goa**		0
7	**Maharashtra**		1834
8	**Gujarat**		1661
	Total	"	9499

तालिका 13 जीवित भार तथा उत्पादन से अनुमानित उत्पाद भार और अनुमानित मूल्य की तुलना प्रदान करती है। जहाँ जीवित भार एवं उत्पाद भार में एक नगण्य गिरावट आई है, वहीं मूल्य प्राप्ति में वृद्धि हुई है ।

तालिका - 13 : वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 में कल्चर्ड स्कैंपी उत्पादन की तुलना

वर्ष	जीवित भार(मी ट)	उत्पाद भार(मी ट)	अनुमानित मूल्य (करोड़ ₹ में)
2015-16	10152	5076	357.00
2016-17	9499	4750	375.00
वृद्धि/कमी	(-) 653	(-)326	(+) 18.00
अंतर	(-) 6.43%	(-) 6.42%	(+) 5.11%

8.1.5 निर्यात के लिए कल्चर्ड श्रिम्प और स्कैंपी का योगदान

वर्ष 2015-16 के दौरान कुल निर्यात उन्मुख श्रिम्प जलकृषि उत्पादन ₹18,381 करोड़ मूल्य का 5,00,581 मी.टन था। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान यह बढ़कर ₹ 4,309 करोड़ मूल्य का 5,70,637 मी. टन पहुँच गया । तालिका 14 वर्ष 2015-16 की तरह 2016-17 के दौरान देश के श्रिम्प निर्यात के लिए योगदान देने वाले श्रिम्प के अनुमानित उत्पादन भार और मूल्य की तुलना देती है। कुल श्रिम्प और स्कैंपी उत्पादन से हुए उत्पादन तथा उत्पाद भार में क्रमशः 13.99% और 14.98% वृद्धि दर्ज की गई, जबकि उत्पाद का अनुमानित मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में 33.41 अधिक दर्ज किया गया ।

तालिका - 14 : वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 में जलकृषि से हुए कुल श्रिम्प और स्कैंपी उत्पादन की तुलना

वर्ष	जीवित भार (मी.टन)	उत्पाद भार (मी.टन)	अनुमानित मूल्य (करोड़ ₹ में)
2015-16	500581	317858	16,409.00
201617	570637	365486	21,891.00
वृद्धि / कमी	(+) 70056	(+) 47627	(+) 5,482.00
अंतर	(+) 13.99%	(+) 14.98%	(+) 33.41%

चित्र 9 एवं 10 पिछले 10 वर्षों के दौरान देश से किए गए श्रिम्प निर्यात में मात्रा और मूल्य के हिसाब से, कल्चर्ड श्रिम्पों के योगदान की प्रवृत्ति दर्शाता है । यह स्पष्ट करता है कि एल.वन्नामी कल्चर की शुरूआत से मात्रा एवं मूल्य के हिसाब से देश की श्रिम्प निर्यात वृद्धि पर कैसे सकारात्मक प्रभाव पड़ा है ।

Table 13 provides a comparison of live weight and estimated product weight from the production and estimated value during 2015-16 and 2016-17. While there is a marginal decline in the live weight and product weight there was a marginal increase in the value realization.

Table 13. Comparison of cultured Scampi Production in 2015-16 and 2016-17

Year	Live Weight (MT)	Product Weight (MT)	Estimated Value (₹ Crore)
2015-16	10152	5076	357.00
2016-17	9499	4750	375.00
Increase/Decrease	(-) 653	(-)326	(+) 18.00
Difference in %	(-) 6.43%	(-) 6.42%	(+) 5.11%

8.1.5. Contribution of Cultured Shrimp and Scampi for export

The total export oriented shrimps aquaculture production during 2015-16 was 5,00,581 MT worth of ₹ 18,381 Crore. During the year under report this has increased to 5,70,637 MT worth ₹ 24,309 Crore. Table 14. gives a comparison of the estimated product weight and value of shrimp that contributed to the shrimp exports of the country during 2016-17 vis-à-vis 2015-16. The production and product weight generated from the total shrimp and scampi production registered an increase of about 13.99 % and 14.98 % respectively while the estimated value of the produce registered an increase of 33.41 % in comparison to that of the previous year.

Table. 14. Comparison of total Shrimp & Scampi Production from aquaculture in 2015-16 and 2016-17

Year	Live Weight (MT)	Product Weight (MT)	Estimated Value (₹ Crore)
2015-16	500581	317858	16,409.00
2016-17	570637	365486	21,891.00
Increase/Decrease	(+) 70056	(+) 47627	(+) 5,482.00
Difference in %	(+)13.99%	(+) 14.98 %	(+) 33.41%

Figures 9 & 10 provides the trends in the contribution of cultured shrimps, in terms of quantity and value, to shrimp exports of the country during the last 10 years. It clearly illustrates how the arrival of L vannamei culture has positively impacted the growth in shrimp exports of the country both in terms of quantity and value.

चित्र 9. पिछले 10 वर्षों के दौरान श्रिम्प के निर्यात में प्रगति

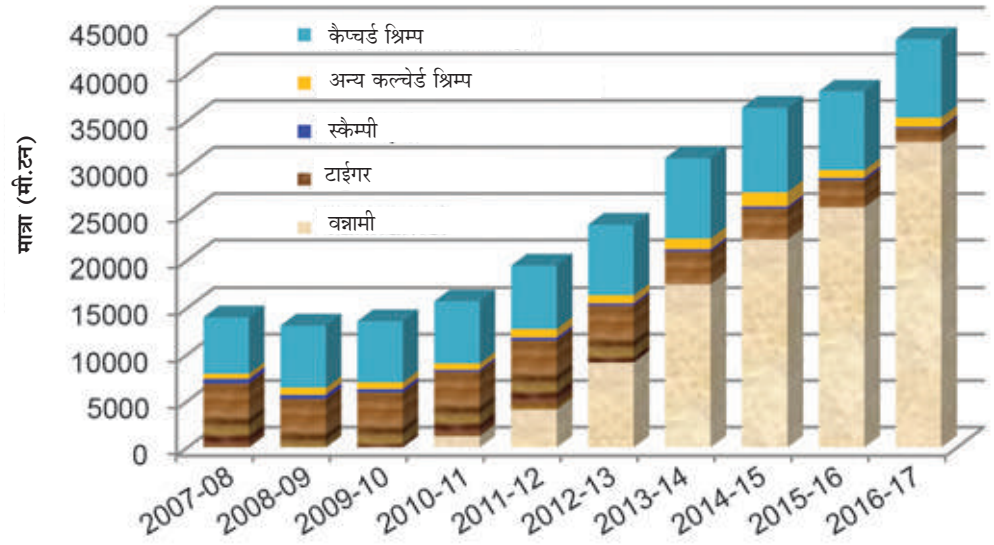

चित्र 10. पिछले 10 वर्षों के दौरान श्रिम्प के निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जन में एल.वन्नामी का प्रभाव

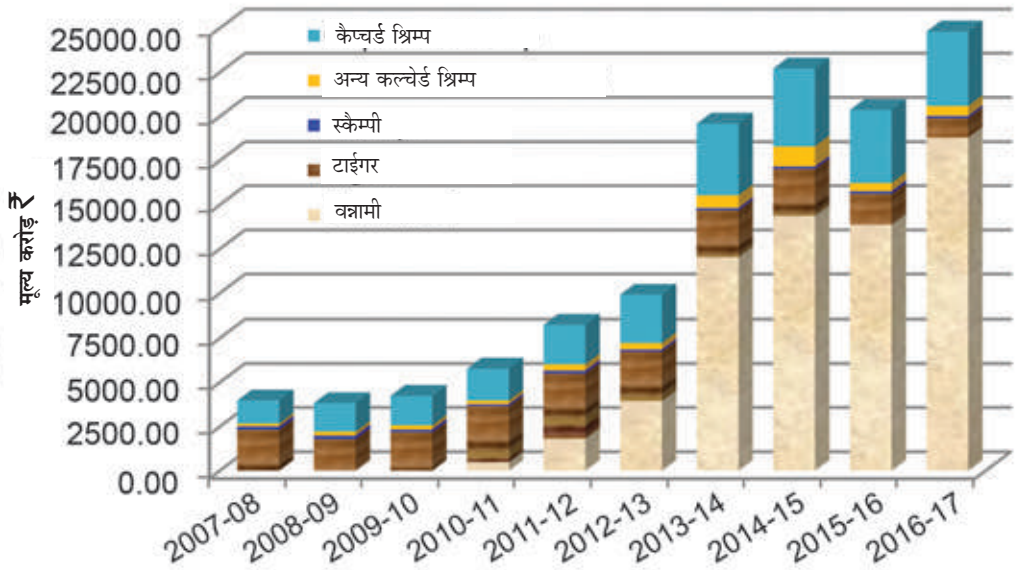

8.1.6. मत्स्य और शेलफिश की अन्य निर्यात योग्य प्रजातियों का उत्पादन

चालू वर्ष के दौरान श्रिम्प और स्कैंपी के अलावा,16,951 मी.टन केकड़ा, सीबास, तिलापिया (गिफ्ट) तथा कोबिया जैसी अन्य विविध प्रजातियों और 43,580 मी.टन पंगेशियस के उत्पादन भी रिपोर्ट किए गए। विविध निर्यात उन्मुख प्रजातियों के उत्पादन का विवरण तालिका 15 में दिया गया है।

Fig. 9. Progress in export of shrimp during the last 10 years

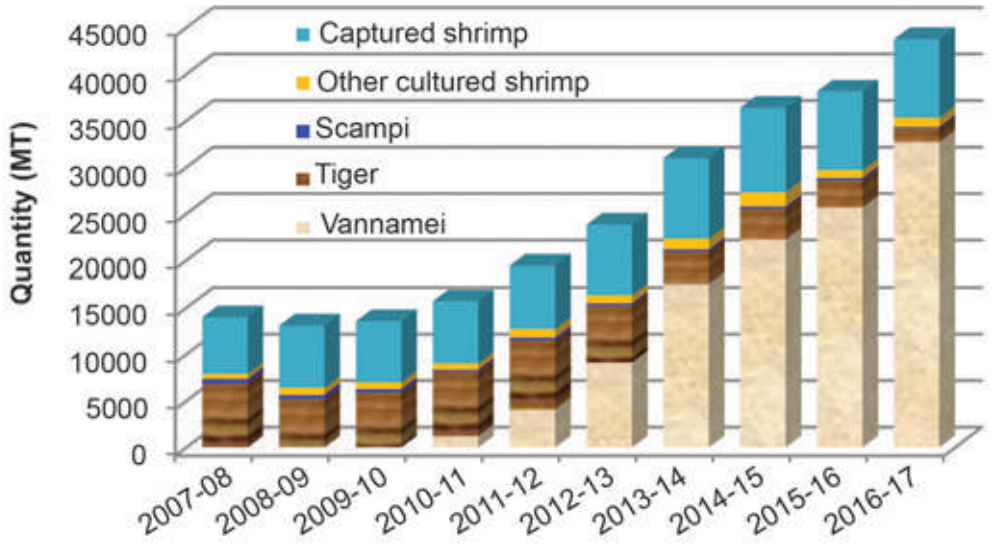

Fig. 10. Influence of L vannamei in foreign exchange earnings from export of shrimp during last 10 years

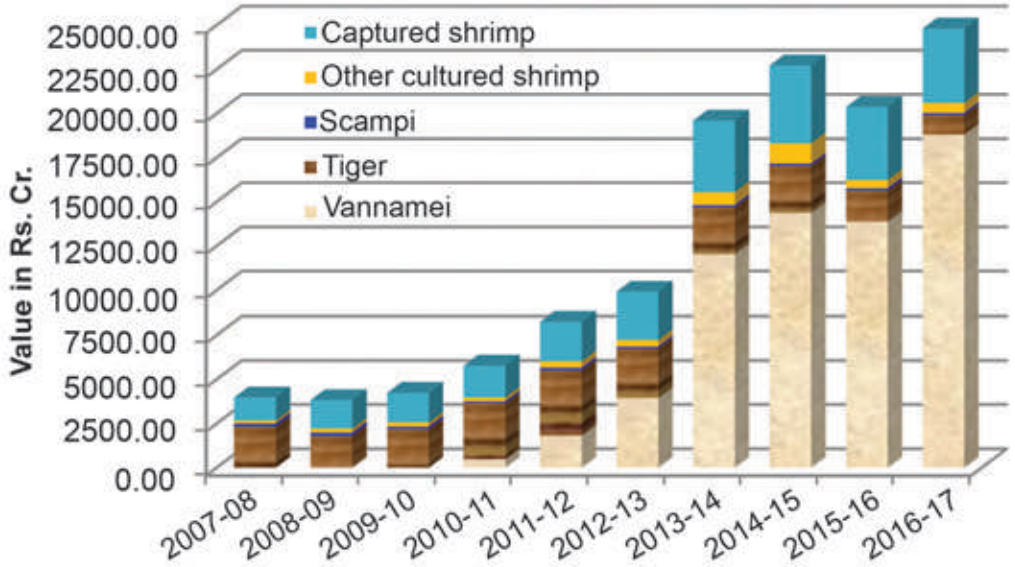

8.1.6. Production of Other exportable varieties of fish and shellfish

Besides shrimp and scampi, production of 16,951 MT of other diversified species such as Crab, Sea bass, Tilapia (GIFT) and Cobia and 43,580 MT of Pangassius have been reported during the year. Details of production of diversified export oriented species are given in the Table 15

तालिका - 15 : वर्ष 2016-17 के दौरान नई निर्यात योग्य प्रजातियों का राज्यवार कल्चर उत्पादन

राज्य	केकड़ा		सीबास		तिलापिया		कोबिया		पंगेशियस	
	क्षेत्र (हे)	उत्पादन (मी ट)	क्षेत्र (हे)	उत्पादन (मी ट)	क्षेत्र (हे)	उत्पादन (मी ट)	क्षेत्र (हे)	उत्पादन (मी ट)	क्षेत्र (हे)	उत्पादन (मी ट)
पचिम बंगाल	8285	614	12309	540	8650	2489	0.00	0.00	411	129
ओडिशा	561	323	146	127	114	50	0.00	0.00	*	57
आन्ध्र प्रदेश	6557	2849	476	1217	303	458	0.00	0.00	6676	40841
तमिलनाडु	416	105	360	162	588	833	0.00	0.00	109	103
केरल	62	21	**	5	549	473	**	2.00	346	582
कर्नाटक एवं गोवा	387	46	*	19	*	245	*	4.00	100	300
महाराष्ट्र	1211	452	2149	824	12095	4989	0.00	0.00	867	1298
गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00	*	106	0.00	0.00	*	270
कुल	17478	4408	15440	2894	22298	9642	0.00	6.00	8508	43580

*जलाशयों/नदी, ** खुली जल पिंजड़ा कृषि

8.2. संवर्धनात्मक कार्यकलाप

एमपीईडीए ने निर्यात के लिए जलकृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु वित्तीय सहायता एवं संवर्धनात्मक योजनाओं को कार्योन्वित किया । योजनाओं के कार्यान्वयन तथा संवर्धनात्मक कार्यकलापों में योजना, प्रभावी और समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए फील्ड केन्द्रों द्वारा अनुमोदन और सख्त निगरानी, आवश्यकताओं का अनुपालन, विभिन्न राज्य सरकारों एवं केन्द्र सरकार के अन्य संस्थानों, वित्तीय एवं बीमा एजेन्सियों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और जलकृषि क्षेत्र के पणधारी के साथ निरंतर संपर्क। अनुबंध 1 वर्ष 2016-17 के दौरान प्रत्येक केंद्र के लिए निर्धारित लक्ष्य की तुलना में क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा किए गए संवर्धनात्मक कार्यकलापों और स्कीमों के कार्यान्वयन की उपलब्धियों के विवरण देता है ।

ओलपाड, सूरत में क्षेत्रीय प्रभाग, वलसाड द्वारा अजा/अजजा हेतु आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

Table 15. State-wise culture production of new exportable species during 2016-17

State	Crab		Sea bass		Tilapia		Cobia		Pangassius	
	Area (ha)	Production (Mt)	Area (ha)	Production (Mt)	Area (ha)	Production (Mt)	Area (ha)	Production (Mt)	Area (ha)	Production (Mt)
West Bengal	8285	614	12309	540	8650	2489	0.00	0.00	411	129
Odisha	561	323	146	127	114	50	0.00	0.00	*	57
Andhra Pradesh	6557	2849	476	1217	303	458	0.00	0.00	6676	40841
Tamil Nadu	416	105	360	162	588	833	0.00	0.00	109	103
Kerala	62	21	**	5	549	473	**	2.00	346	582
Karnataka & Goa	387	46	*	19	*	245	*	4.00	100	300
Maharashtra	1211	452	2149	824	12095	4989	0.00	0.00	867	1298
Gujarat	0.00	0.00	0.00	0.00	*	106	0.00	0.00	*	270
Total	17478	4408	15440	2894	22298	9642	0.00	6.00	8508	43580

* Reservoirs/River, **open water cage culture

8.2 Promotional Activities

MPEDA implemented financial assistance and promotional schemes to augment aquaculture production for export. The implementation of the schemes and promotional activities involved planning, approval and close monitoring of the field centres for effective and time bound implementation, complying the requirements, continuous liaison with various State Governments, other Central Government establishments, Financial and Insurance agencies, national and international organizations and stakeholders of aquaculture sector. **Annexure I** gives the details of achievement of implementation of promotional activities and schemes by the Regional and Sub Regional Centres during the year 2016-17 against the targets fixed for each centre.

SC/ST Training programme conducted by RD Valsad at Olpad, Surat

रत्नागिरि जिले के नानिज ग्राम में सैटेलाइट केन्द्र, रत्नागिरि द्वारा आयोजित सामान्य प्रशिक्षण कार्यक्रम

General training program by SC Rathnagiri at Nanij Village in Rathnagiri Dist

गंजम जिले के सोनापुर में क्षेत्रीय प्रभाग, भुबनेश्वर द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्षेत्रीय प्रभाग, भुबनेश्वर द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

Training Programme by RD Bhubaneswar at Sonapur, Ganjam Dist.

Training Programme by RD Bhubaneswar

8.2.1. पीएचटी प्रणाली के तहत नामित जलकृषि फार्मों का जीआईएस मैंपिंग

एमपीईडीए ने निर्यातोन्मुख प्रजातियां उत्पादित करने वाले जलकृषि फार्मों का नामांकन किया जहाँ प्रत्येक फार्म को कंप्यूटर द्वारा तैयार की गई एक अनन्य फार्म पहचान संख्या दी गई । फार्मों का नामांकन दस्तावेज़ों के यथोचित सत्यापन एवं अत्यधिक सटीक हैंडहेल्ड जीपीएस (ग्लोबल पोसिशनिंग सिस्टम) के उपयोग द्वारा फार्म के भौगोलिक निर्देशांक की रिकार्डिंग सहित प्रत्यक्ष सत्यापन तथा मुख्यालय स्तर पर आगे सत्यापन के पश्चात् किया जाता है। वित्तीय वर्ष के दौरान कुल 348 फार्मों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया एवं ऑनलाइन डेटाबेस में फार्म निर्देशांक को अद्यतन किया गया जिनमें नामांकित (डेटाबेस में बनाया गया फार्म प्रोफाइल) 532 फार्म शामिल है । एमपीईडीए नामांकन किए गए एवं स्तर 1 सत्यापन के दौरान अनुमोदित 42637 फार्म में से करीब 37841 फार्मों के जीपीएस आंकड़े स्तर 2 सत्यापन के दौरान अनुमोदित किए गए एवं फार्म निर्देशकों को ऑनलाइन अद्यतन किया गया।

इस अवधि के दौरान पूरी तरह सत्यापित और अनुमोदित फार्म आईडी जैसे नामांकन कार्डों का मुद्रण भी किया गया। प्रारंभिक कदम के रूप में कार्ड के लिए ऑकड़ों की तैयारी मुख्यालय में की गई उसके बाद पार्टियों से निविदाएं आमंत्रित कर तदनुसार कार्य आदेश दिए गए । फार्म प्रोफाइल से संबंधित बुनियादी जानकारी युक्त स्तर 2 अनुमोदित और क्विक रिस्पांस कोड (क्यूआर कोड) के साथ अनुकूलित 33,000 नामांकन कार्ड (अस्वीकृत फार्म प्रोफाइल को छोडकर) मुद्रित और मुख्यालय में प्राप्त किया गया । डेटा की शुद्धता के लिए इन कार्डों का सत्यापन किया गया और संबंधित कार्ड मालिक को वितरित करने हेतु एमपीईडीए के क्षेत्रीय एवं उप क्षेत्रीय केन्द्रों को अलग अलग कन्साईनमेंट के रूप में भेज दिया गया ।

रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, एमपीईडीए द्वारा अनुरक्षित फार्मों के ऑनलाइन डेटाबेस में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन हुए। पारंपरिक प्रणाली, जिसमें ऑनलाइन पोर्टल में फार्मों की सभी जीपीएस निर्देशांक प्रविष्टियाँ और सत्यापन मुख्यालय द्वारा किए जाते थे, के विपरीत अब क्षेत्रीय कार्यालयों को उनके नाम पर बनाए गए प्रोफाइल के माध्यम से पोर्टल पर पहुँच दिया गया है, जहाँ वे अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले फार्मों का स्तर 1 सत्यापन और भौतिक सत्यापन अपने सिस्टम में जीपीएस निर्देशांक समावेश करके मुख्यालय के हस्तक्षेप के बिना स्वयं कर सकते हैं ।

नामांकित फार्मों से, पट्टे के स्वामित्व वाले फार्म और जहाँ पट्टे की अवधि की समप्ति से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को रिपोर्ट की गई और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा की गई जाँच रिपोर्ट के आधार पर, फार्म प्रोफाइल या तो अद्यतन किया गया या अस्वीकृत कर दिया गया । सत्यापित जीपीएस डेटा से तैयार किए गए डेटा बेस में अन्य फार्म विशेषताओं के साथ फार्मों के ज्यामितीय सीमाओं को दर्शाने वाला डिजिटल स्केल जो गूगल अर्थ एप्लिकेशन में देखने योग्य है, को संबंधित एलिसा स्क्रीनिंग प्रयोगशालाओं और गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं को प्री हार्वेस्ट प्रमाणपत्र (पीएचटी) जारी करते समय नमूना संग्रह का मॉनिटर करने हेतु भेज दिया गया । स्थान बेमेल के कारण हुई पीएचटी नमूनों की अस्वीकृति, जिसे एलिसा स्क्रीनिंग प्रयोगशालाओं द्वारा सूचित किया गया था, का सत्यापन किया गया और दैनिक आधार पर संबंधित प्रयोगशालाओं को रिपोर्ट किया गया । फार्म स्थानों का एक प्लाट जहाँ वर्ष 2016 में एनआरसीपी (राष्ट्रीय अवशेष नियंत्रण योजना) नमूनाकरण किया गया था, को एनआरसीपी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के विश्लेषण हेतु तैयार किया गया था ।

8.2.2. हैचरियों का नामांकन और तिमाही मॉनीटरिंग

तटवर्ती राज्यों में श्रिम्प हैचरियों का नामांकन प्रगति पर है । चालू वर्ष के दौरान एमपीईडीए द्वारा 89 हैचरियों (आन्ध्र प्रदेश -76; तमिलनाडु 4, केरल - 1; कर्नाटक 1, गुजरात 3; और ओडिशा - 4) का नामांकन किया गया। हैचरियाँ जिनमें नैदानिक प्रयोगशालाएँ तथा बहिस्राव अभिक्रिया इकाइयाँ संस्थापित हैं उन पर नामांकन के लिए विचार किया गया ।

गुणवत्ता नियंत्रण उपायों के भाग के रूप में, फील्ड केंद्र तिमाही मॉनिटरिंग कार्यक्रम के अधीन हैचरियों का निरीक्षण तथा रोगकारक रोगजनकों की उपस्थिति एवं औषधीय रूप से सक्रिय तत्वों तथा प्रतिबंधित प्रतिजैविकियों के अवशिष्ट की गुणवत्ता जाँच के लिए तिमाही उधार पर बीज नमूने एकत्रित कर रहे हैं । पंजीकृत हैचरियों के तिमाही मॉनिटरिंग कार्यक्रम के अधीन फील्ड कार्यालयों के अधिकारियों ने वर्ष के दौरान 371 बार हैचरियों का मुआयना किया।

8.2.3. एनआरसीपी नमूने

जलकृषि उत्पादों में पशुचिकित्सा दवाओं और पर्यावरण संदूषकों के अवशिष्टों की उपस्थिति के मॉनिटरिंग, फार्म से उपभोक्ता तक सुरक्षित उत्पाद की गैरंटी हेतु उत्पादन के विविध चरणों में जलकृषि उत्पादों के संपूर्ण मॉनिटरिंग को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय अवशिष्ट नियंत्रण योजना

8.2.1 GIS Mapping of Aquaculture farms enrolled under PHT System

MPEDA has been enrolling aquaculture farms which produce export oriented species wherein each farm is tagged with a unique system generated farm identification number. The farms are enrolled after due verification of documents and physical verification including the process of recording geographical coordinates of the farm using a highly accurate handheld GPS (Global Positioning System) device and a further verification at the head office level. A total of 348 farms were physically verified and farm coordinates were updated in the online database among the 532 farms which were enrolled (farm profile created in the database) during the financial year. Out of 42637 farms enrolled by MPEDA and approved during Level 1 verification, the GPS data of about 37841 farms were approved during Level 2 verification and the farm coordinates were updated online.

Printing of enrolment cards corresponding to the fully verified and approved farm ID's were also undertaken during this period. Data preparation for the cards was carried out at the head office as an initial step followed by invitation of quotations from parties and grant of work order accordingly. 33,000 enrolment cards containing basic information corresponding to the farm profiles (excluding the rejected farm profiles), Level 2 approved and customized with Quick Response Code (QR Code) were printed and received at the head office. These cards were verified for correctness of data and dispatched as separate consignments to respective MPEDA Regional and Sub-Regional centers for distribution to respective card owners.

During the financial year under report a few significant modifications in the online database of farms maintained by MPEDA were made. As opposed to the conventional system in which all entries of GPS coordinates of farms and verifications in the online portal were made from the head office only, now field offices were also given access to the portal through profiles created in their name, wherein they could do the entry and the physical verification of farms involved the level 1 verification coming under their jurisdiction by carrying out the incorporation of the GPS coordinates in the system by themselves, without intervention by head office.

From the farms enrolled, those farms with lease ownership and wherever the lease period had expired were reported to the respective field offices and based on the investigation report by the field offices, the farm profiles were either updated or rejected. The digital sketches showing the geometric boundaries of farms along with other farm characteristics in the database generated from the verified GPS data and viewable in Google earth application were sent to respective ELISA screening laboratories and Quality control laboratories to monitor sample collection while issuing Pre- Harvest Test Certificates (PHT). The rejection of PHT samples due to location mismatch which were referred from ELISA Screening Laboratories were verified and reported to the concerned Laboratories on daily basis. A plot of farm locations where NRCP (National Residue Control Plan) sampling was done in the year 2016 was generated to analyze the implementation of NRCP programme.

8.2.2 Enrollment and quarterly monitoring of hatcheries

Enrollment of shrimp hatcheries in maritime states was in progress. During the current year, 89 hatcheries (Andhra Pradesh – 76; Tamil Nadu – 4; Kerala – 1; Karnataka – 1; Gujarat – 3; and Odisha - 4) were enrolled by MPEDA. Hatcheries that have established in-house diagnostic laboratories and effluent treatment units were being considered for enrollment.

As part of the quality control measures, field centers have been inspecting the hatcheries under quarterly monitoring programme and collecting seed samples on quarterly basis for quality checks for the presence of disease causing pathogens and residue of banned antibiotics and pharmacologically active substances. The officials of the field offices made 371 visits to hatcheries for monitoring during the year under the programme for quarterly monitoring of registered hatcheries.

8.2.3 N R C P Samples

The National Residue Control Plan (NRCP) is formulated for monitoring the presence of residues of veterinary drugs and environmental contaminants in aquaculture products, to ensure an overall monitoring of

(एनआरसीपी) का गठन किया गया । निर्यात उद्देश्य के लिए उत्पादन करने वाले जलकृषि फार्मों, हैचरियों और चारा मिलों से क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय केंद्र विश्लेषण हेतु नमूने लेते हैं । निर्धारित सीमा से अधिक संदूषकों का पता लगाने की स्थिति में सुधारात्मक कार्रवाई की प्रणाली स्थापित करने हेतु श्रिम्प, स्कैंपी, मीठा जल, मत्स्य फार्मों तथा हैचरियों की मॉनिटरिंग की गई । तदुनसार वर्ष 2016-17 के दौरान क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय केन्द्रों ने विश्लेषण के लिए 3077 एनआरसीपी नमूने एकत्रित किए, इनमें 105 नमूने (3.41) गैरस्वीकृत पाए गए । गैर स्वीकृत यूनिटों के मामले में संदूषण के स्रोत का पता लगाने के लिए क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा फील्ड जाँच सहित अनुवर्ती कार्रवाइयाँ शुरू की गई हैं तथा विश्लेषण के लिए बारंबार नमूने एकत्रित किए गए हैं । संदेहास्पद यूनिटों को सूक्ष्म संवीक्षा के अधीन रखा जा रहा है ।

8.2.4. जलकृषि के विविधीकरण पर प्रदर्शन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रौद्योगिकी का अंतरण

तिलापिया (गिफ्ट), सीबास, कीचड़ केकड़ा, कोबिया जैसे फिन तथा शेल फिशों के कल्चर उत्पाद के लिए नई जलकृषि प्रौद्योगिकियों के विकास द्वारा जलकृषि में नए विविधीकरण पर यूरोपीय संघ एवं एमपीईडीए द्वारा जैव जलकृषि मूल्यांकन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है । आरजीसीए द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी को आरजीसीए से बीजों का संभरण करके क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा विभिन्न प्रदर्शनी कार्यक्रमों में अपनाया गया है । वर्ष के दौरान कीचड़ केकड़ा, सीबास, तिलापिया (गिफ्ट) जैसी विविधीकृत प्रजातियों पर 6 प्रदर्शनी कार्यक्रम आयोजित किए गए ।

8.2.5. अधिकारियों का क्षमता निर्माण

क्षमता निर्माण उापायों के भाग के रूप में, वर्ष 2016-17 के दौरान संगठन के तकनीकी अधिकारियों/कर्मचारियों ने निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रमों/ कार्यशालाओं में भाग लिया ।

- मई 2016 में सिरकाली, तमिलनाडु में आरजीसीए द्वारा आयोजित एशियन सीबास और मैंग्रोव केकड़ा कल्चर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम ।
- जून 2016 को वाशी, वलसाड़, गुजरात में मेसर्स अवंती फीड्स लिमिटड द्वारा आयोजित वन्नामी कल्चर में बेहतर प्रबंधन प्रथाओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम ।
- अगस्त 2016 को एपीईडीए, नई दिल्ली द्वारा एपीईडीए, नई दिल्ली में जैव कृषि की मूल्यांकन समिति के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम ।
- अगस्त 2016 को आरजीसीए द्वारा कनकिपाडु, विजयवाड़ा की आरजीसीए स्कैंपी परियोजना कार्यालय में आनुवंशिक रूप से संवर्धित फार्म्ड तिलापिया (गिफ्ट) के ब्रीडिंग, बीज उत्पादन और ग्रोआउट फार्मिंग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम ।
- नवंबर 2016 को यूएसएफडीए-एमपीईडीए द्वारा विशाखपट्टणम, आंध्र प्रदेश में आयोजित बेहतर जलकृषि प्रथाओं पर यूएसएफडीए कार्यशाला ।
- फरवरी 2017 को एसआईएनटीईएफ/एमपीईडीए द्वारा विज़ाग, आन्ध्र प्रदेश में आयोजित जलकृषि प्रणाली में स्वचालन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम ।
- फरवरी 2017 को सीआईटीडी, नई दिल्ली द्वारा विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में आयोजित बेहतर जलकृषि प्रथाओं पर गाइड के प्रयोग हेतु प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- फरवरी 2017 को सीआईटीडी/एमपीईडीए द्वारा कोच्ची में आयोजित बेहतर जलकृषि प्रथाओं पर प्रशिक्षकों के क्षमता निर्माण पर सीआईटीडी प्रशिक्षण ।

8.3. वित्तीय सहायता योजनाओं का कार्यान्वयन

एमपीईडीए द्वारा कृषकों/उद्यमकर्ताओं को नए फार्म के विकास, हैचरियों की स्थापना, नैदानिक प्रयोगशालाओं, बहिःस्राव अभिक्रिया यूनिटों तथा पंजीकृत कृषक जलकृषि सोसाइटियों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान की गई । विवरण **परिशिष्ट - II** में दिए गए हैं

the aquaculture products at different stages of production to guarantee safe products from farm to fork. The Regional and Sub Regional Centres covered aquaculture farms, hatcheries and feed mills, which are involved in production for export purpose, and collected samples for the analysis. Monitoring was carried out in shrimps, scampi, freshwater fish farms and hatchery to establish a system of corrective action in the case of detection of contaminants, higher than the prescribed limits. Accordingly, the RC/SRCs collected 3077 NRCP samples for analysis during the year 2016 -17, out of which 105 samples (3.41 %) were found to be non compliant, in case of non compliant units, follow up actions were initiated by the RC/SRCs including field investigations to trace out the source of contamination, followed by collection of repeat samples from the same farm for analysis. The suspected units are being kept under close scrutiny.

8.2.4 Transfer of Technology through Demonstration Programmes on Diversification of Aquaculture

Diversification in aquaculture by popularising new aquaculture technologies for culture production of exportable variety of fin and shell fishes, viz; Tilapia (GIFT), Sea bass, Mud carb, Cobia etc. was carried out. The technology developed by RGCA is adopted in various demonstration programmes conducted by the RC/SRCs, procuring / stocking the seeds from RGCA. 6 numbers of demonstration programmes were undertaken during the year on diversified species such as Mud Crab, Sea bass, Tilapia(GIFT) and all male scampi.

8.2.5 Capacity building of officials

As part of the capacity building measures, the technical officers/staff of the organization attended following training programmes/workshops during the year 2016-17

- Training program on culture of Asian Seabass & Mangrove Crab at Shirkali, Thamil Nadu on May 2016 organised by RGCA.
- Training program of Good Management practice in vannamei culture at Vashiyae, Valsad, Gujarat on June 2016 organised by M/s Avanthi Feeds Ltd.
- Training program for evaluation committee members of organic farming' at APEDA, New Delhi on August 2016 organized by APEDA New Delhi.
- Training program on breeding, seed production and grow out farming of Genetically Improved Farmed Tilapia (GIFT) at RGCA Scampi project office at Kankipadu, Vijayawada, on August 2016 organised by RGCA.
- USFDA Workshop on Good Aquaculture practices at Vishakhapatnam, Andhra Pradesh on November 2016, organised by USFDA- MPEDA.
- Training on Automation in Aquaculture system at Vizag, Andhra Pradesh on February 2017 organized by SINTEF/MPEDA
- Training of Trainers for application of Guide On Good Aquaculture Practices at Vijayawada , Andhra Pradesh on February 2017 organized by CITD New Delhi.
- CITD training for capacity building of trainers on the Good Aquaculture Practices at Kochi during on February 2017 organized by CITD/MPEDA.

8.3. Implementation of financial assistance schemes

MPEDA extended financial support to the farmers/entrepreneurs for new aqua farm development, establishment of hatcheries, disease diagnostic laboratories, effluent treatment units and to the registered farmers aqua societies. The details are given in **Annexure-II.**

8.3.1. नए फार्म विकास सहायता का कार्यान्वयन

वर्ष 2016-17 के दौरान 121.46 हे. नए फार्म के विकास केलिए ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु राज्यों के 122 लाभार्थियों को ₹ 57.15 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गयी ।

8.3.2. रोग नैदानिक प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए सहायता

रोग की रोकथाम के लिए प्रारंभिक अवस्था में रोग निदान हेतु हैचरियों में नैदानिक प्रयोगशालाओं की स्थापना प्रमुख आवश्यकता है तथा पीसीआर प्रयोगशालाओं की स्थापना एक अनिवार्य आवश्यकता बन गई है । भारत में एल.वन्नामी के प्रारंभ के साथ, कुछ हैचरियों ने बीज उत्पादन कार्यकलाप शुरू किए हैं और पीसीआर प्रयोगशालाओं की स्थापना की है। ऐसी हैचरियों में से 18 प्रयोगशालाओं को ₹ 75.94 लाख की वित्तीय सहायता दी गई ।

8.3.3. बहिस्राव अभिक्रिया प्रणाली की स्थापना के लिए सहायता

स्वस्थ्य पर्यावरण बनाए रखने के लिए बेहतर गुणवत्ता वाला पानी बाहर निकालने हेतु सभी पंजीकृत हैचरियों के लिए ईटीएस की स्थापना अनिवार्य है । वर्ष 2016-17 के दौरान, ₹ 50.55 लाख की वित्तीय सहायता के साथ हैचरियों द्वारा 34 यूनिटें स्थापित की गई ।

8.3.4. वाणिज्यिक हैचरियों/नर्सरियों की स्थापना के लिए सहायता

वर्ष 2016-17 के दौरान गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन के लिए 28 वाणिज्यिक श्रिम्प हैचरियों/नर्सरियों की स्थापना की गई । इन हैचरियों/नर्सरियों को कुल ₹159.00 लाख की इमदाद सहायता दी गई । शेल और फिन मत्स्यों के कल्चर में नर्सरियाँ अत्यधिक संगत है । वर्धन कार्य में मत्स्य/शेल फिश की वृद्धि और उत्तरजीविता में नर्सरी सुविधा से किशोरों/फिंगरलिंग्स का संभरण करके महत्वपूर्ण सुधार लाया जा सकता है ।

8.3.5. सोसाइटियों को सहायता

भागीदारी रीति के माध्यम से उत्पादन, उत्पादकता और प्रतिफल में सुधार, प्राथमिक उत्पादकों का सशक्तीकरण एवं क्षमता निर्माण के लिए उत्तम प्रबंधन प्रक्रियाओं (बीएमपी) के अनुसरण, बेहतर सेवा के प्रावधान को सुविधाजनक बनाने एवं पणधारियों के बीच विचार विनिमय आदि हेतु अक्वा सोसाइटियाँ स्थापित की गई हैं । 8 पंजीकृत सोसाइटियों को ₹ 5.50 लाख की वित्तीय सहायता दी गई ।

8.4. अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भागीदारी

8.4.1. एमपीईडीए के अधिकारियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में प्रतिभागिता

- दिसंबर 2016 को आन्ध्र विश्वविद्यालय द्वारा विशाखपट्टणम में आयोजित जलकृषि में आधुनिक प्रगति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ।
- अगस्त 2016 को चेन्नै में विश्व जलकृषि सोसाइटी (डब्ल्यूएएसएपीसी) के सहयोग से टीएनएफयू द्वारा आयोजित "अक्वाकल्चर चेन्नै 2016" पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ।

8.4.2. एमपीईडीए के अधिकारियों द्वारा भाग लिए गए राष्ट्रीय कार्यक्रम

- जुलाई 2016 को एनसीएएएच, कुसाट, कोच्ची द्वारा चिरस्थाई जलकृषि उत्पादन प्रणाली-पोषण सुरक्षा और भावी पीढ़ी के लिए सागर संरक्षण पर आयोजित कार्यशाला।
- अगस्त 2016 को हैदराबाद हवाई अड्डा, आन्ध्र प्रदेश में जीएमआर द्वारा आरजीआई हवाई अड्डे में विनाशकारी पारिस्थितिकी प्रणाली के विकास पर आयोजित कार्यशाला ।
- अगस्त 2016 को चेन्नै में तमिलनाडु मात्स्यिकी विश्वविद्यालय, पोन्नेरी द्वारा भारत में एल.वन्नामी श्रिम्प कृषि के प्रतिबिंब और पुर्नस्थापन पर आयोजित सम्मेलन ।

8.3.1 Implementation of New Farm development assistance

Financial assistance of ₹ 57.15 lakhs was released to the concerned beneficiaries in the states of Odisha, West Bengal, Kerala and Tamil Nadu, during the year 2016-17 for the benefit of 122 no. of beneficiaries to develop 121.46 Ha WSA.

8.3.2 Assistance for establishment of disease diagnostic labs

Establishment of diagnostic laboratory in hatcheries is a prime requirement for disease diagnosis at early stages for prevention of disease and establishment of PCR labs has been a mandatory requirement for registration of hatcheries. With the introduction of *L.vannamei* in India, a number of hatcheries have commenced the seed production activity and established PCR labs. From among such hatcheries 18 labs were extended financial assistance to the tune of ₹ 75.94 lakh.

8.3.3 Assistance for establishment of Effluent Treatment units

Establishment of ETS is mandatory for all registered hatcheries to maintain good quality of water discharged for a healthy environment. During the year 2016-17, 34 units were established by hatcheries with the financial assistance of ₹ 50.55 lakh.

8.3.4 Assistance for establishing Commercial Hatcheries/Nurseries

28 commercial shrimp Hatcheries / Nurseries were established during the year 2016-17 for the production of good quality seeds. These hatcheries/ Nurseries were assisted with a total subsidy amount of ₹159.00 lakh. Nurseries are highly relevant in the culture of shell and fin fishes. Growth and survival of the fish/ shellfish in the grow out operation is significantly improved by stocking the juveniles/fingerlings from the nursery facility.

8.3.5 Assistance to Societies

Aqua Societies are established to follow Better Management Practices (BMPs) in Aqua farms to improve production, productivity and returns through participatory approach, capacity building, empowerment of primary producers, facilitating improved service provision, interaction among stakeholders etc. Financial assistance was extended to 8 registered societies to the tune of ₹ 5.50 lakh.

8.4 Participation in the national and international programs by officials

8.4.1 International programmes attended by officials of MPEDA

- International conference on **recent advance in aquaculture** organized by Andhra University, Visakhapatnam on December 2016.
- International Conference on "Aquaculture Chennai 2016" on August 2016, organized by TNFU at Chennai in collaboration with World Aquaculture Society (WASAPC).

8.4.2 National Programmes attended by Officials of MPEDA

- Workshop on Sustainable Aquaculture Production System- towards nutritional security and conservation of ocean for posterity at Kochi, on July 2016 organised by NCAAH, CUSAT, Kochi.
- Workshop on 'Development of perishable Eco-system at RGI airport' at Hyderabad Airport, Andhra Pradesh on August 2016 organised by GMR.
- Seminar on 'Reflect and Restore Tempo of L.vannamei shrimp farming in India' at Chennai on August 2016 organised by Tamil Nadu Fisheries University, Ponnery.

- अगस्त 2016 से नई दिल्ली में एपीईडीए, नई दिल्ली द्वारा एनपीओपी तथा एनओपी पर मूल्यांकन समिति सदस्यों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम ।
- सितंबर 2016 को धारवाड़ में कृषि विज्ञान विश्वाविद्यालय, धारवाड़, कर्नाटक द्वारा आयोजित मत्स्य मेला ।
- सितंबर 2016 को सोसाइटी फोर प्रोफेशनल्स (एसएपी) द्वारा आन्ध्र प्रदेश में श्रिम्प हैचरियों में कार्य क्षमता और लार्वा गुणवत्ता में सुधार पर आयोजित सम्मेलन ।
- दिसंबर 2016 को भुवनेश्वर में जलकृषिविदों के संघ (एओए) के सहयोग के साथ सीआईएफए द्वारा जलकृषि विविधीकरण : दि वे फार्वेड फोर ब्लू रेवेल्यूशन पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन ।
- जनवरी 2017 को मात्स्यिकी विभाग, पश्चिम बंगाल तथा भारतीय चेम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित फिश फेस्ट में भाग लिया ।
- फरवरी 2017 को सेंट एल्बर्ट्स कॉलेज, एर्णाकुलम द्वारा केरल के जलीय क्षेत्रों में बेहतर जलकृषि प्रथाओं पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी।
- फरवरी 2017 को जीव विज्ञान विभाग, सेंट थॉमस कॉलेज, कोष़न्चेरी द्वारा जलकृषि और प्रजाती विविधीकरण में नई प्रवृत्ति पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन ।
- फरवरी 2017 को भुवनेश्वर में एमओएफपीआई के सहयोग से एएसएसओसीएचएएम द्वारा आयोजित राष्ट्रीय मात्स्यिकी और समुद्री खाद्य सम्मेलन ।
- मार्च 2017 को नवसारी, गुजरात में मेसर्स बीएमआर ग्रुप द्वारा बेहतर वन्नामी कल्चर पर आयोजित सम्मेलन ।
- मार्च 2017 को भुवनेश्वर, ओडिशा में सिफा, भुवनेश्वर द्वारा जीवाणुरोधी एवं रसायन का उत्तरदायित्वपूर्ण उपयोग पशु स्वास्थ्य और जलकृषि पर प्रभाव पर आयोजित कार्यशाला।

8.5 एमकृषि एक्वा मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके ऑनलाइन ट्रेसिबिलिटी प्रणाली पर पूर्वपायलट अध्ययन।

एमपीएडीए ने टीसीएस, मुंबई द्वारा विकसित एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन, एमकृषि एक्वा का इस्तेमाल करके ऑनलाइन ट्रेसेबिलिटी प्रणाली पर पूर्वपायलट अध्ययन का आयोजन किया। इस अध्ययन का आयोजन टीसीएस, एनएसीएसए और एमपीईडीए के अधिकारियों की एक टीम ने किया था । तीन जलकृषि किसान लोक कल्याण संस्थाओं के 14 फार्म इस अध्ययन के भाग थे । टीसीएस के श्री अलीम बेग ने दैनंदिन खेती की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए मोबाइल एप्लिकेशन के इस्तेमाल पर किसानों को प्रशिक्षण दिया और शीघ्र प्रतिक्रिया कोड (क्यू आर कोड) का प्रयोग करके ट्रेसेबिलिटी प्रणाली की स्थापना के लिए आवश्यकता के अनुरूप मोबाइल एप्लिकेशन के विकास का समन्वय किया । क्यू आर कोड में फीडबैक देने की सुविधा थी, जिसका उपयोग खुदरा विक्रेता या अंतिम उपभोक्ता उत्पाद की गुणवत्ता पर निर्माता को फीडबैंक दे सकता है । पूर्वपायलट अध्ययन के लिए नियोजित क्षेत्र प्रबंधकों ने बीएमपी को अपनाने के साथ-साथ दैनंदिन कृषि गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए एमकृषि एक्वा आवेदन के उपयोग के लिए किसानों की मदद की । उन्होंने किसानों को संग्रहण के समय प्रत्येक तालाब के लिए क्यू आर कोड बनाने में मदद की और फार्म से अंतिम उपभोक्ता तक ट्रेसिबिलिटी लिंक स्थापित करने के लिए एक साधन के रूप में इसका उपयोग किया। क्षेत्रीय कार्यालय विज़ाग और उप क्षेत्रीय कार्यालय भीमावरम के अधिकारियों ने उत्पादों के प्रसंस्करण और निर्यात में अध्ययन हेतु फार्मों से खरीदे गए उत्पाद के लिए ट्रेसबिलिटी प्रोटोकॉल की स्थापना के लिए निर्यातकों के साथ समन्वय किया । इन फार्मों से संग्रहित लगभग 31 मेट्रिक टन श्रिम्प को 5 विभिन्न निर्यातकों द्वारा प्रसंस्करण और क्यू आर कोड आधारित ट्रेसबिलिटी प्रणाली के साथ विभिन्न बाजारों में निर्यात के लिए लिया गया । मध्य पूर्व और अमेरिका के लिए माल प्रेषित किया गया है । ऑनलाइन ट्रेसबिलिटी पर पूर्व-पायलट अध्ययन की झलक नीचे दी गई तस्वीरों में दी गई है:

- Training programme for evaluation committee members on NPOP and NOP from on August 2016 at New Delhi organized by APEDA New Delhi.
- Matsyamela at Dharwad on September 2016 organised by University of Agriculture Science, Dharwad, Karnataka.
- Seminar on 'Improving the efficiencies and larval quality in shrimp hatcheries 'at Kakinada on September 2016 organised by the Society for Aquaculture Professionals (SAP) Andhra Pradesh.
- National Seminar on Aquaculture Diversification: The way forward for Blue Revolution (NaSAD) organized by CIFA in collaboration with Association of Aquaculturists (AOA), Bhubaneswar on December 2016.
- Participated in Fish Fest jointly organised by Department of fisheries ,West Bengal and Indian Chamber of commerce on January 2017 .
- National Seminar on Good Aquaculture practices in the Wetlands of Kerala at Ernakulum, on February 2017 organized by St. Albert's college, Ernakulum.
- National Seminar on New Trends in Aquaculture and Species Diversification at St. Thomas College, Kozhenchery on February 2017 organized by Department of Zoology, St. Thomas College, Kozhenchery.
- National fisheries and sea food summit in Bhubaneswar on February 2017 organized by ASSOCHAM in association with MoFPI
- Seminar on Improved Vannamei Culture at Navsari, Gujarat on March 2017 organised by M/s BMR Group.
- Workshop on "Responsible use of Antibiotics & Chemicals: Impact on Animal Health & aquaculture" at Bhubanewswar, Odisha on March 2017, organised by CIFA Bhubaneswar.

8.5. Pre-pilot study on online traceability system using mKRISHI Aqua mobile application

MPEDA conducted a pre-pilot study on online traceability system using an Android Mobile Application, 'mKRISHI Aqua' developed by the TCS, Mumbai. The study was conducted by a team of officials from TCS, NaCSA and MPEDA. 14 farms belonging to three aqua farmers welfare societies participated in this study. Mr. Aleem Baig from TCS imparted training to the farmers on the use of the mobile application for recording the day to day farming activities and coordinated the development of the mobile application to suit to the requirement for establishing traceability system using Quick Response Code (Q R Code). The Q R Code had the facility of giving feedback using which the retailers or the end consumers can give feedback to the producers on the product quality. The Field mangers assigned for the pre-pilot study helped the farmers on adoption of BMPs as well as in use of the mKRISHI Aqua application for recording the day to day farming activities. They also helped the farmers in generating the Q R code for each pond at the time of harvest and used the same as tool to establish traceability link from farm to the end consumer. The officials of RO Vizag and SRO Bhimavaram coordinated with the exporters for establishing the traceability protocol for the product purchased from the study farms in processing and export of the products. About 31 MT of shrimp harvested from these farms were taken by 5 different exporters for processing and exports to different markets with QR Code based tracebility system. Consignments have been dispatched to Middle East and US. Glimpses of the pre-pilot study on online traceability are given in the photographs below:

परिवहन हेतु, फार्म हार्वेस्ट के लिए क्रेटों पर चिपकाए जा रहे क्यूआर कोड

QR code for a farm harvest being pasted on crates for transportation

संयंत्र के रिसीविंग क्षेत्र में क्यूआर कोड के साथ सामग्री

प्रसंस्करण के विभिन्न चरण के साथ क्यूआर कोड अनुमार्गणीयता

Material with QR code arriving at the receiving area of plant

Various stages of processing with QR Code traceability

पैकेज एवं डिब्बों के साथ क्यूआर कोड अनुमार्गणीयता

Package and cartons with QR Code for traceability

8.6 हिमाचल प्रदेश में ट्राउट कृषि के लिए संयुक्त उद्यम परियोजना को बढ़ावा देने के प्रयास

एमपीएडीए ने मेसर्स अल्पाइन ट्राउट फार्म (एटीएफ), ऑस्ट्रेलिया के अधिकारियों की एक टीम मे शामिल श्री मेट बटारिलो निदेशक, श्री डेविड हॉल, बिजनेस पार्टनर, और स्लावको कुकुरुज़ोविक, सिविल इंजीनियर, सहित श्री रोजेन पॉल, प्रतिनिधि (ऑस्ट्रेलियाई व्यापार आयोग) के साथ हिमाचल प्रदेश में 15 से 19 जनवरी 2017 के दौरान यात्रा का समन्वय किया । एक बड़े पैमाने पर ट्राउट उद्योग स्थापित करने और ट्राउट फार्मिंग के लिए आदर्श स्थान निश्चित करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी विकसित करना इस दौरे का उद्देश्य था।

टीम ने दिनांक15/01/2017 को पाटलीकुल, कुल्लू जिले में सरकारी ट्राउट फार्म का दौरा किया । सन् 1989 के दौरान इंडोनार्वेजियन ट्राउट फार्मिंग प्रोजेक्ट के तहत पाटलीकुल फार्म की स्थापना हुई थी । नॉर्वेजियन इंजीनियर्स / सलाहकार के संपूर्ण पर्यवेक्षण के तहत एक आदर्श ट्राउट फार्म, हैचरी, पैथोलॉजी लैब और चारा मिल की स्थापना की गई । टीम ने बतहार में मत्स्यन विभाग द्वारा स्थापित एक आधुनिक ट्राउट हैचरी और कुल्लू जिले के पाटलीकुल, बतहार, नाग्गर और दोबी में निजी फार्मों का भी दौरा किया । टीम ने श्री ठाकुर सिंह भारमौरी, माननीय वन एवं मत्स्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश सरकार, श्री गुरु चरण सिंह, निदेशक /संचालक मत्स्य पालन विभाग और वन और मत्स्य पालन विभाग के कई पदाधिकारियों से भी मुलाकात की और ट्राउट कल्चर के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की । ऑस्ट्रेलियाई टीम द्वारा ट्राउट उद्योग से परिचित होने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री और अधिकारियों को आमंत्रित करते हुए सकारात्मक रूप से बैठक समाप्त हुई । उनकी वापसी पर, ऑस्ट्रेलियाई टीम ने मुंबई में ट्राउट के संभाव्य निर्यातकों के साथ चर्चा भी की।

8.7 जीवित श्रिम्प की हैंडलिंग और परिवहन की प्रौद्योगिकी पर एमपीईडीए-सिनटेफ कार्यशाला

एमपीएडीए ने 17/2/2017 को विशाखापट्टनम में सिनटेएफ, नॉर्वे के सहयोग से जलकृषि प्रणाली में स्वचलन पर एक कार्यशाला का आयोजन किया । इसका आयोजन पणधरियों के लिए उत्पाद के हैचरी से लेकर शिपिंग तक पूरी आपूर्ति श्रृंखला के लिए जलकृषि में स्वचलन के बारे में पणधारियों को जागरूक करने के लिए किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सर्वोत्तम मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रीमियम गुणवत्ता वाले जलकृषि उत्पाद को सुनिश्चित करने पर मुख्य जोर दिया गया था । यह कार्यशाला भारत नॉर्वे समुद्री अर्थव्यवस्था परियोजना की श्रृंखला में दूसरी थी, पहली कार्यशाला 'नो रेस्ट रॉ मटीरियल' चेन्नई में वर्ष 2015 में आयोजित की गई थी ।

सहभागिता इस तरह से रूपांकित की गयी है कि भारतीय हिस्से में आनेवाला खर्च विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग,भारत सरकार के द्वारा किया गया है और नार्वेजियन हिस्से का खर्च नॉर्वे सरकार द्वारा किया गया है। केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईएफटी) जलकृषि और अन्य संबंधित क्षेत्रों के स्वचलन में प्रौद्योगिकी के विकास में सहभागी है, जिसमें जीवित श्रिम्प/मत्स्य परिवहन शामिल है। एमपीईडीए इस उद्देश्य के लिए विकसित प्रौद्योगिकी की लोकप्रियता और प्रदर्शन के लिए भारत में जलकृषि उद्योग का व्यापारियों द्वारा दिए जानेवाले लिंकेजों का प्रदायक है ।

कार्यशाला के दौरान जीवित मत्स्य हैंडलिंग और परिवहन, अवसंरचना की आवश्यकता आदि के विभिन्न पहलुओं के बारे में करीब पांच पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन किया गया । इसके पश्चात् समूह चर्चा और उत्पाद की उच्चतम गुणवत्ता को बनाए रखने को लिए स्वचलन और जीवित मत्स्य की हैंडलिंग के विभिन्न पहलुओं पर सिफारिशें तैयार की गईं । कार्यशाला में हैचरी ऑपरेटर, किसान, निर्यातक, राज्य सरकार के अधिकारी, सीआईएफटी, सीएमएफआरआई, ईआईसी, एमपीईडीए आदि से केन्द्रीय सरकार के अधिकारी और सिनटेफ (एसआईएनटीईएफ), नॉर्वे के अधिकारियों ने भाग लिया।

8.8 हैचरी ऑपरेटरों का सम्मेलन

एमपीईडीए ने चेन्नई में दिनांक 08 फरवरी 2017 को श्रिम्प हैचरी ऑपरेटरों का सम्मेलन आयोजित किया । ऑल इंडिया श्रिम्प हैचरीज़ एसोसिएशन (एआईएसएचए) के सहयोग से बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य एमपीईडीए द्वारा बनाई गई प्रस्तावित नई योजना तथा निर्यात उन्मुख मत्स्य और शेलफिश के लिए हैचरियों हेतु नामांकन के प्रारंभ के साथ ही श्रिम्प हैचरी क्षेत्र में गुणवत्ता और ट्रेसबिलिटी मुद्दों को समाप्त करना था । बैठक का उद्घाटन अध्यक्ष, एमपीईडीए द्वारा किया गया । आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात आदि से हैचरी ऑपरेटर के अलावा सोसाइटी फॉर एक्वाकल्चर प्रोफेशनल के प्रतिनिधियों (एसएपी), सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रेकिश वॉटर एक्वाकल्चर (सीआईबीए), ओशियन इंस्टीट्यूट (ओआई) हवाई, राजीव गांधी जलकृषि केंद्र (आरजीसीए) के प्रतिनिधि और एमपीईडीए के अधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया जिसमें श्रिम्प हैचरी संचालन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।

8.6. Efforts to promote joint venture project for Trout farming in Himachal Pradesh

MPEDA coordinated the visit of a team of officials from M/s. Alpine Trout Farm (ATF), Australia comprising of Mr. Mate Batarilo Director, Mr. David Hall, Business Partner, and Slavko Kukuruzovic , Civil Engineer along with Mr. Roshen Paul, Representative (Australian Trade Commission) to Himachal Pradesh from 15-19th Jan'2017.The purpose of the visit was to develop partnerships with the government and private sector to set up a large scale trout industry and to identify ideal site for trout farming.

The team visited Govt. Trout farm at Patlikul, Kullu dist, on 15.01.2017. The Patlikul farm was established during 1989 under the Indo-Norwegian Trout Farming Project. A model trout farm, with Hatchery, Pathology lab and Feed mill was setup under the overall supervision of Norwegian Engineers/Consultants. The team also visited a modern trout hatchery set up by Department of Fisheries at Batahar and private farms, at Pathlikul, Batahar, Naggar and Dobhi of Kullu District. The team also met Shri Thakur Singh Bharmourie, Hon'ble Minister of Forest & Fisheries, Govt. of Himachal Pradesh, Shri Guru Charan Singh, Director / warden of Fisheries and many office bearers from Forest and fisheries departments and discussed on various aspects of trout culture. The meeting concluded on a positive note, with the Australian team inviting the Minister and officials of Himachal Pradesh Govt. to visit Australia for familiarising with the trout industry there. On their return, the Australian team also held discussion with prospective exporters of Trout at Mumbai.

8.7 MPEDA-SINTEF workshop on technology for handling and transportation of live shrimp

MPEDA organized a workshop on 'Automation in Aquaculture Systems' in association with SINTEF, Norway at Visakhapatnam on 17.2.2017. It was organized to make the stake holders aware about the automation in aquaculture to entire supply chain beginning from hatchery to shipping of the product. The main thrust was on ensuring premium quality aquaculture product for export for ensuring best price in the International market. The workshop was the second in the series by Indo-Norway Sea Economy Project, the first being 'No Rest Raw Material' conducted in 2015 at Chennai.

The collaboration is designed in such a way that the expenses for Indian part is done by Department of Science and Technology, Government of India and that for Norwegian part is done by Government of Norway. Central Institute of Technology (CIFT) is a partner in development of technology in automation of aquaculture and other related areas where live transportation of shrimps/fishes are involved. MPEDA is facilitator of trade giving linkages with aquaculture industry in India for demonstration and popularization of the technology developed for the purpose.

About five power point presentations on various aspects of live fish handling and transportation, infrastructure requirement etc were made during the workshop. This was followed by group discussions and formulations of recommendations on various aspects of automation and handling of live fish for maintaining supreme quality of produce. The work shop was attended by hatchery operators, farmers, exporters, state government officials, Central Government officers from CIFT, CMFRI, EIC, MPEDA etc. and Officers from SINTEF, Norway.

8.8. Hatchery operators meet

MPEDA organized a Shrimp Hatchery Operators Meet on 8th February 2017 at Chennai. The meeting was convened in association with the 'All India Shrimp Hatcheries Association' (AISHA). The major objectives of the meeting were to introduce the new scheme brought out by MPEDA on "Enrollment for Hatcheries for Export oriented Fish & Shellfish" as well as to address the quality and traceability issues in the shrimp hatchery sector. The meeting was inaugurated by Chairman, MPEDA. The hatchery operators from Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Gujarat etc, apart from representatives of the Society for Aquaculture Professionals (SAP), Central Institute of Brackish water Aquaculture (CIBA), Oceanic Institute (OI) Hawaii, Rajiv Gandhi Centre for Aquaculture (RGCA) and Officials from MPEDA participated in the meet which deliberated on various issues concerning shrimp hatchery operations.

8.9 जलकृषि फार्म के लिए "उच्चतम जलकृषि प्रथा (एक्वाकल्चर प्रैक्टिस), जैव सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा निवारक नियंत्रण" पर एमपीएडीए-यूएसएफडीए प्रशिक्षण कार्यशाला

यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (यूएसएफडीए) ने समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) के सहयोग से 17-18 नवंबर, 2016 के दौरान विशाखापट्टनम में जलकृषि फार्म के लिए "उत्तम जलकृषि प्रथा, जैवसुरक्षा और खाद्य सुरक्षा के लिए निवारक नियंत्रण" पर एक प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित किया। चुने हुए केन्द्रीय और राज्य सरकार के संगठनों, हैचरी के प्रतिनिधियों, जलकृषि कृषकों, संसाधकों आदि को निमंत्रित किया गया। इसमें राज्य मात्स्यिकी विभागों और केंद्रीय सरकार के संस्थानों जैसे राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी), निर्यात निरीक्षण एजेंसी (ईआईए), केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (सीएमएफआरआई), केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिक संस्थान (सीआईएफटी), नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरिज पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एण्ड ट्रेनिंग (एनआईपीएचएटीटी), सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज नॉटिकल एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग (सीआईएफएनईटी) आदि के अलावा, सोसाइटी फॉर एक्वाकल्चर प्रोफेशनल (एसएपी), कृषक, हैचरी और प्रसंस्करण संयंत्रों से प्रतिनिधि शामिल थे। एमपीईडीए, नाक्सा, नेटफिश और आरजीसीए से भी नामांकित प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। यह कार्यशाला एक प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के रूप में आयोजित की गयी थी। एफडीए से डॉ. स्टेनली सर्फलिंग, उपभोक्ता सुरक्षा अधिकारी, शेलफिश और जलकृषि पॉलिसी शाखा, समुद्री खाद्य सुरक्षा विभाग और डॉ. शिवा एन.वी.पी. बाथुला, खाद्य एवं चिकित्सा उत्पाद सुरक्षा समन्वयक ने संकाय के रूप में जैव सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा के संबंध में जलकृषि फार्मो के लिए प्रतिबंधक नियंत्रण से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर व्याख्यान दिया।

8.10 एल वन्नामी के लिए 7 उत्तम जलकृषि प्रथा पर मार्गदर्शक पुस्तिका लाने के लिए एमपीईडीए-सीआईटीडी कार्यक्रम

एमपीईडीए ने उत्तम जलकृषि प्रथाओं पर गाइड बनाने के लिए ट्रेड डेवलपमेंट (सीआईटीडी) प्रोग्राम के लिए यूरोपीय संघ भारत क्षमता निर्माण पहल द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ दल के साथ मिलकर काम किया। यह भारत को आर्थिक वृद्धि और चिरस्थाई विकास हासिल करने की क्षमता को मजबूत करने, उत्पादों की खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता को बढ़ाकर वैश्विक व्यापार प्रणाली में एकीकरण द्वारा गरीबी कम करने, व्यापार व्यवधानों और लागत को कम करने हेतु यूरोपीय संघ सहायता के समग्र कार्यक्रम का एक हिस्सा था ।

विशेषज्ञ दल द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट गाइड बुक की दिनांक 5 और 6 जुलाई और 6 व 7 सितंबर 2016 के दौरान दो दिनों के दो कार्य सत्रों में अच्छी तरह से समीक्षा की गई । इन समीक्षाओं का आयोजन विशेषज्ञों के एक दल द्वारा किया गया था जिसमें निर्यात निरीक्षण परिषद के (श्री.आर यथावामूर्ती और डॉ.प्रमोद पी के), एमपीईडीए के अधिकारी और हैचरी (मैसर्स.वीएसआर श्रिम्प हैचरी के प्रबंध निदेशक डॉ.वी. सेल्वराज), फार्म (श्री सजी चाको, उपाध्यक्ष, मैसर्स ऑनवे इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बिलिमोरा, गुजरात और श्री.के.मधुसूदन रेड्डी, काकीनाडा, आंध्र प्रदेश के हैचरी और फार्म के मालिक) और प्रसंस्करण (श्री.एलेक्स नैनान, निदेशक, मैसर्स बेबी मरीन इंटरनेशनल, तोप्पुंपडी, कोच्ची, केरल) का प्रतिनिधित्व करनेवाले उद्योग विशेषज्ञ शामिल थे ।

कामकाजी सत्रों के दौरान विशेषज्ञों से प्राप्त इन्पुट्स के आधार पर गाइड बुक को संशोधित किया गया । इसका अनुसरण करते हुए, एमपीईएडीए, नाक्सा और राज्य मात्स्यिकी विभाग के क्षेत्रीय स्तर के विस्ताण अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश और कोच्चि, केरल में दो प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। 14 से 16 फरवरी, 2017 को विजयवाड़ा में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया और 20 से 22 फरवरी, 2017 तक कोच्चि में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया । विजयवाड़ा में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 35 अधिकारियों ने हिस्सा लिया, जिसमें मात्स्यिकी विभाग के अधिकारी, आंध्र प्रदेश सरकार और ओडिशा के अलावा एमपीईडीए और नाक्सा (एनएसीएसए) के अधिकारी शामिल थें । कोच्चि में आयोजित किए गए कार्यक्रम में 30 अधिकारियों ने भाग लिया, जिसमें एमपीईडीए, नाक्सा के अधिकारी और मात्स्यिकी विभाग, केरला सरकार के 2 अधिकारी शामिल थे । इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान सीआईटीडी के विशेषज्ञों द्वारा गाइड बुक में शामिल उत्तम जलकृषि प्रथाएं अधिकारियों को संसूचित की गईं । प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतिम दिनों में, आरजीसीए के विशेषज्ञों द्वार "श्रिम्प रोग और उनका प्रबंधन" पर अधिकारियों को प्रशिक्षित की गई । प्रशिक्षण के पहलुओं के अलावा, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हुई चर्चा के दौरान उत्तम जलकृषि प्रथाओं पर गाइड बुक को अद्यतन करने के लिए महत्वपूर्ण इन्पुट्स भी प्राप्त हुई हैं।

सीआईटीडी विशेषज्ञों ने गाइड बुक को अंतिम रूप देने और भारत के श्रिम्प कृषि समुद्राय के फायदे के लिए अंतिम संस्करण जारी करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान प्राप्त अतिरिक्त इन्पुट्स भी शामिल किए।

8.9. MPEDA-USFDA Training workshop on "Good Aquaculture Practices, Biosecurity and Food Safety Preventative Controls for aquaculture farms"

The US Food and Drug Administration (USFDA) in association with the Marine Products Export Development Authority (MPEDA) conducted a training workshop on "Good Aquaculture Practices, Bio-security and Food Safety Preventative Controls for Aquaculture Farms" at Visakhapatnam during 17-18th November 2016. The participation was by invitation from selected Central and State Government organizations, representatives of hatchery, aquaculture farmers, processors etc. This included representations from State Fisheries Departments and Central Government institutions such as, National Fisheries Development Board (NFDB), Export Inspection Agency (EIA), Central Marine Fisheries Research Institute (CMFRI), Central Institute of Fisheries Technology (CIFT), National Institute of Fisheries Post Harvest Technology and Training(NIPHATT), Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training (CIFNET) etc. Besides, there were participation from the Society for Aquaculture Professionals (SAP), farmers, hatchery and processing plants. Nominated participants from MPEDA, NaCSA, NETFISH and RGCA also took part in the programme. This workshop was organized as a Trainer's Training programmme. The faculty from FDA, Dr. Stanley Serfling, Consumer Safety Officer, Shellfish& Aquaculture Policy Branch, Division of Seafood Safety and Dr. Shiva N.V.P.Bathula, Food & Medical Product Safety Coordinator delivered lectures on various aspects related to Preventative Controls for aquaculture farms, with respect to bio-security and food safety.

8.10. MPEDA-CITD program for bringing out Guide book on "Good Aquaculture Practices for L vannamei"

MPEDA worked closely with the Expert team appointed by the EU-India Capacity Building Initiative for Trade Development (CITD) programme for bringing out a Guide on Good Aquaculture Practices. This was part of the overall program of EU assistance to India in strengthening its capacity to achieve economic growth and sustainable development, poverty reduction through integration into the global trading system by increasing the quality and food safety of products, reducing costs and impediments to trade.

The draft guidebook prepared by the expert team was thoroughly reviewed in two working sessions of two days each during 5th & 6th July and 6th & 7th September 2016. These reviews were conducted by a team of experts comprising officials representing Export Inspection Council (Mr. R. Yathavamoorthi and Dr. Pramod P. K.), officials of MPEDA and industry experts representing Hatchery (Dr. V. Selvaraj, Managing Director of M/s. VSR Shrimp Hatchery), Farm (Mr. Saji Chacko, Vice President, M/s. Onaway Industries Ltd, Bilimora, Gujarat and Mr. K. Madhusudhan Reddy, Owner of farm and Hatchery at Kakinada, Andhra Pradesh) and Processing (Mr. Alex Ninan, Director, M/s Baby Marine International, Thoppumpady, Kochi, Kerala) sectors.

The guide book was revised based on the inputs from the experts during the working sessions. As a follow up of this, two trainers training programs were organized at Vijayawada, Andhra Pradesh and Kochi, Kerala to train the field level extension officials of MPEDA, NaCSA and the State Department of Fisheries. The training programme at Vijayawada was organized from 14th to 16th February 2017 and training program at Kochi was organized from 20th to 22nd February 2017. In the training program organized at Vijayawada a total of 35 officials participated, which included officials of Department of Fisheries, Govt. of Andhra Pradesh and Odisha besides officials of MPEDA and NaCSA. In the programme organized at Kochi 30 officials participated comprising officials of MPEDA, NaCSA and 2 officials from the Department of Fisheries, Govt. of Kerala. During these training programmes the Good Aquaculture Practices included in the Guide book were disseminated to the Officials by the CITD experts. On the last days of the training programmes, the officials were trained on the "Shrimp Diseases and their Management" by the experts from RGCA. Apart from the training aspects, the discussions during the training programs also yield valuable inputs for updating the Guide book on Good Aquaculture Practices.

The CITD experts incorporated the additional inputs received during the training programmes also to finalize the Guide book and release the final version for the benefit of shrimp farming fraternity of India.

अनुलग्नक I

संवर्धनात्मक कार्यकलाप 2016 - 17 के लक्ष्य और उपलब्धियाँ

क्रम सं	संवर्धित गतिविधि	वलसाड		पनवेल		कारवार		कोच्ची/कण्णूर		नागापट्टिनम		विज़ाग/भीमावरम		भुबनेश्वर/ बालासोर		कोलकाता/ कोंटाई		कुल	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
	जलकृषि उत्पादन (टन में)																		
च)	टाइगर श्रिम्प	1200	1346	5	11	900	641	5000	2297	1000	384	5050	4819	9000	3699	43000	44966	65155	58851
म)	स्कैम्पी (खेतों और जलाायों से उत्पादन)	1200	1661	2000	1834	50	0	1000	75	100	446	1250	902	3100	1360	4100	3221	12800	9499
ब)	एल. वन्नामी	38000	41409	7000	6831	1200	1461	0	110	46000	48670	300000	351137	17000	25594	42000	26085	451200	501297
ग)	सीबास	0	0	700	824	50	19	100	5	125	162	1000	1217	70	127	7500	540	9545	2894
श)	केकडा	0	0	500	452	200	46	300	21	50	105	2200	2849	250	323	1505	614	5005	4408
क)	तिलापिया	0	106	3000	4989	200	245	50	473	850	833	1000	458	80	50	3000	2489	8180	9642
य)	पंगासीयस	0	270	0	1298	0	300	0	582	0	103	43000	40841	0	57	0	129	43000	43580
र)	कोबिया	0	0	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
विस्तारित कार्यक्रम																			
च)	सामान्य प्रशिक्षण (सं)	10/1000	11/952	10/200	10/249	5	5/96	15/300	15/425	10	4/112	15/300	14/305	12/240	12/265	12/240	13/260	89	84/2655
म)	अनुसूचित जाति/ जनजाति प्रशिक्षण(सं./व्यक्ति)	3/60	4/80	3/60	3/60	1	1/20	4/80	4/84	6	2/40	8/160	8/176	6/120	6/117	5/100	5/100	36	33/677
ब)	कृषक बैठक / संगोष्ठी / कार्यशाला (स)	3	3/263	2	2/172	2	2/89	3	4/500	3	3/250	6/600	13/1646	4/200	4/387	3/100	4/430	22	35/3737
ग)	अंतर राज्य(सं./व्यक्ति) अध्ययन दौरा	1/10	2/18	1/10	1/8	1	1/9	1/10	1/8	1	1/8	3/30	3/26	2/20	1/8	1/10	0	11	10/85
श)	विविधीकरण पर जागरुकता अभियान (सं.) आईओएपी/ बीएमपीएस/ सीबास/ केकडा आदि	5	2/24	5	5/84	5	4/44	15	51/3182	10	12/308	35/320	13/353	11/250	12/451	10/250	5/252	96	105/4698
क)	एंटीबायोटिक / एमएम गंध के खिलाफ एंटीबायोटिक अभियान (सं.)	15	15/28	15	14/229	15	16/169	25	35/2073	50	50/1048	260/6800	238/4559	31/1025	30/1195	35/500	15/589	446	413/10151
य)	प्रदर्शन कार्यक्रम	2	2	3	0	0	0	4	1	4	0	7	0	4	2	4	1	28	6
र)	एनआरसीपी कैलेंडर वर्ष लक्ष्य)	121	119	58	64	19	20	82	67	293	291	2070	2141	252	220	355	155	3250	3077
त्त)	एमपीआरएनएल (सं.)	15	15	35	35	30	30	65	65	20	20	55	35	25	25	20	5	265	230

Annexure- I

PROMOTIONAL ACTIVITIES TARGET& ACHIEVEMENTS OF 2016 - 17

Sl. No.	Promotional activity	Valsad		Panvel		Karwar		Kochi/Kannur		Nagapattinam		VZA/Bhim		Bhubaneswar/ Balasore		Kolkata/ Contai		Total	
		Tar.	Ach.	Tar.	Ach.	Tar.	Ach.	Tar.	Ach.	Tar.	Ach.	Tar.	Ach.	Tar.	Ach.	Tar.	Ach.	Tar.	Ach
I	**Aquaculture Production (MT)**																		
a)	Tiger Shrimp	1200	1346	5	11	900	641	5000	2297	1000	384	5050	4819	9000	3699	43000	44966	65155	58851
b)	Scampi (Production from farms & Reservoirs)	1200	1661	2000	1834	50	0	1000	75	100	446	1250	902	3100	1360	4100	3221	12800	9499
c)	*L. vannamei*	38000	41409	7000	6831	1200	1461	0	110	46000	48670	300000	351137	17000	25594	42000	26085	451200	501297
d)	Seabass	0	0	700	824	50	19	100	5	125	162	1000	1217	70	127	7500	540	9545	2894
e)	Crab	0	0	500	452	200	46	300	21	50	105	2200	2849	250	323	1505	614	5005	4408
f)	Tilapia	0	106	3000	4989	200	245	50	473	850	833	1000	458	80	50	3000	2489	8180	9642
g)	Pangassius	0	270	0	1298	0	300	0	582	0	103	43000	40841	0	57	0	129	43000	43580
h)	Cobia	0	0	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Extension Programmes																			
a)	General Trainings (No/Pers)	10/1000	11/952	10/200	10/249	5	5/96	15/300	15/425	10	4/112	15/300	14/305	12/240	12/265	12/240	13/260	89	84/2655
b)	SC/ST Trainings (No / Pers)	3/60	4/80	3/60	3/60	1	1/20	4/80	4/84	6	2/40	8/160	8/176	6/120	6/117	5/100	5/100	36	33/677
c)	Farmers Meets/ Seminar/Workshop (No)	3	3/263	2	2/172	2	2/89	3	4/500	3	3/250	6/600	13/1646	4/200	4/387	3/100	4/430	22	35/3737
d)	Inter State Study Tour (No/Pers)	1/10	2/18	1/10	1/8	1	1/9	1/10	1/8	1	1/8	3/30	3/26	2/20	1/8	1/10	0	11	10/85
e)	Awareness Campaigns on diversification (Nos.) - IOAP/ BMPs/ Seabass/ Crab etc	5	2/24	5	5/84	5	4/44	15	51/3182	10	12/308	35/320	13/353	11/250	12/451	10/250	5/252	96	105/4698
f)	Antibiotic Campaigns against antibiotic/MM smell (No)	15	15/289	15	14/229	15	16/169	25	35/2073	50	50/ 1048	260/ 6800	238/ 4559	31/ 1025	30/ 1195	35/ 500	15/ 589	446	413/ 10151
g)	Demonstration programmes	2	2	3	0	0	0	4	1	4	0	7	0	4	2	4	1	28	6
h)	NRCP (no.) (calender year target)	121	119	58	64	19	20	82	67	293	291	2070	2141	252	220	355	155	3250	3077
i)	MPRNL (no.)	15	15	35	35	30	30	65	65	20	20	55	35	25	25	20	5	265	230

अनुलग्नक II

2016-17 की जलकृषि संवर्धन योजना का कार्यान्वयन की योजनावार वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियाँ

क्रम सं	योजना (पुरानी)	वलसाड		पनवेल		कारवार		कोच्ची/ कन्नूर		नागापट्टिनम		विजयवाडा/भीमावरम		भुबनेश्वर/ बालासोर		कोलकाता/कोंटाई		कुल	
		वास्तविक (सं)	वित्तीय (रुलाख)	वास्तविक (सं)	वित्तीय (रुलाख)	वास्तविक (सं)	वित्तीय (रुलाख)	वास्तविक (सं)	वित्तीय (रुलाख)	वास्तविक (सं)	वित्तीय (रुलाख)	वास्तविक (सं)	वित्तीय (रुलाख)	वास्तविक (सं)	वित्तीय (रुलाख)	वास्तविक (सं)	वित्तीय (रुलाख)	वास्तविक (सं)	वित्तीय (रुलाख)
1	नई हैचरीज़ / नर्सरी स्थापित करने के लिए	0	0	0	0	0	0	0	0	3	18.00	25	141.00	0	0	0	0	28	159.00
2	निदान प्रयोगाला की स्थापना	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8.28	16	67.66	0	0	0	0	18	75.94
3	सभी हैचरी में ईटीएस स्थापित करना	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.30	33	49.25	0	0	0	0	34	50.55
4	नया फार्म विकास	0	0	0	0	0	0	11 (11.77 हे.)	5.44	16 (21.94 हे.)	10.97	0	0	94 (86.56 हे.)	40.16	3 (1.19 हे.)	0.58	122 (121.46 हे.)	57.15
5	जलकृषक सोसायटी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	5.50	0	0	0	0	8	5.50
8	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण	4	1.94	3	0.15	1	0.43	4	1.13	2	1.0	8	2.70	6	2.40	5	3.18	33	12.93

Annexure II

Scheme-wise physical and financial achievement of implementation of aquaculture promotional schemes 2016-17

Sl. No	SCHEMES(Old)	Valsad		Panvel		Karwar		Kochi/ Kannur		Nagapattinam		Vijayawada / Bhimavaram		Bhubaneswar/ Balasore		Kolkata/Contai		Total	
		Phy. (No) Fin.	(Rs Lakh)	Phy. (No)	Fin. (Rs Lakh)	Phy. (No)	Fin. (Rs Lakh)	Phy. (No)	Fin. (Rs Lakh)	Phy. (No)	Fin. (Rs Lakh)	Phy. (No)	Fin. (Rs Lakh)	Phy. (No)	Fin. (Rs Lakh)	Phy. (No)	Fin. (Rs Lakh)	Phy. (No)	Fin. (Rs Lakh)
1	For setting up new hatcheries/Nurseries	0	0	0	0	0	0	0	0	3	18.00	25	141.00	0	0	0	0	28	159.00
2	Establsihmment of diagnositic lab	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8.28	16	67.66	0	0	0	0	18	75.94
3	Establishing ETS in all hatcheries	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.30	33	49.25	0	0	0	0	34	50.55
4	New farm development	0	0	0	0	0	0	11 no (11.77 ha)	5.44	16 no (21.94 Ha)	10.97	0	0	94 no (86.56 ha)	40.16	3 no (1.19 Ha)	0.58	122 no (121.46 ha)	57.15
5	Aquafarmer societies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	5.50	0	0	0	0	8	5.50
6	Training members of SC/ST community	4	1.94	3	**0.15**	1	0.43	4	1.13	2	1.0	8	2.70	6	2.40	5	3.18	33	12.93

8.11 निर्यात के लिए आलंकारिक मत्स्य प्रजनन का संवर्धन

8.11.1 आलंकारिक मत्स्य के विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

एमपीईडीए ने 2016-17 के दौरान 14 बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और बिहार सहित विभिन्न राज्यों में से 376 किसानों ने भाग लिया । इसके अलावा, 3 अग्रिम प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें 101 लाभार्थियों ने हिस्सा लिया ।

23 एवं 24 मार्च, 2017 के दौरान आशीर्भवन, कचेरीपाडी, एरनाकुलम में ' इम्पलीमेंटिंग बायो-सिक्यूरिटी इन आरनॉमेंटल फिा कल्चर' पर अत्याधुनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

एसपीएसआर जिला नेल्लोर, आंध्र प्रदेश के मुथुकुर में 10 से 13 अप्रैल, 2017 तक जलकृषि विभाग, कॉलेज ऑफ फिशरीज साइंस, श्री वेंकटेश्वरा वेटेनरी विश्वविद्यालय के साथ 'आरनॉमेंटल फिश ब्रीडिंग एण्ड फार्मिंग' पर बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

8.11 PROMOTION OF ORNAMENTAL FISH BREEDING FOR EXPORT

8.11.1 Training programmes for Ornamental fish development

MPEDA organized 14 basic training programmes during 2016-17, which were attended by 376 farmers in different states including Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, West Bengal, Andhra Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh, Himachal Pradesh and Bihar. In addition, 3 Advance training programmes were also conducted and was attended by 101 beneficiaries.

Advanced training programme on 'Implementing bio-security in ornamental fish culture" at Ashirbhavan, Kacheripady, Ernakulam, during 23rd and 24th March, 2017

Basic training programme on "Ornamental fish breeding and farming" in association with Department of Aquaculture, College of Fisheries Science, Sri Venkateswara Veterinary University from 10th to 13th April, 2017 at Muthukur in SPSR Nellore District, Andhra Pradesh

8.11.2 आलंकारिक मत्स्य विकास पर जागरूकता कार्यक्रम

इस वर्ष के दौरान, विभिन्न राज्यों के संभावित लाभार्थियों और पणधारियों के लिए आलंकारिक मत्स्य कृषि, प्रजनन और हमारी योजनाओं से संबंधित 100 जागरूकता और अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए । कुल, 3703 प्रतिभागियों ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया।

8.11.3 आलंकारिक मत्स्य के निर्यात परेषण का स्वास्थ्य प्रमाणन

एमपीईडीए ने आलंकारिक मत्स्य के निर्यात हेतु 47 स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी किए हैं। मुंबई में 43 जारी किए गए जबकि कर्नाटक और तमिलनाडु में दो-दो जारी किए गए ।

8.11.4 राष्ट्रीय मेलों / प्रदर्शनियों में भागीदारी

- ओएफडी अनुभाग ने केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि में आयोजित विभिन्न मत्स्य प्रदर्शनियों में भाग लिया ।
- एमपीईडीए ने जुओलॉजी और बायोटेक विभाग, सरकारी टी.आर.एस.कॉलेज, जिला रीवा (एम.पी.) में "आलंकारिक मत्स्य कृषिः आजीविका का एक स्रोत" पर 1 अक्तूबर 2016 से 2 अक्तूबर 2016 तक एक कार्यशाला भी आयोजित किया। जिसमें कुल 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया ।
- एमपीईडीए ने एनएफडीबी, हैदराबाद द्वरा वित्त पोषित और कृषि विज्ञान केंद्र, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, जिला देवास (एम.पी.) द्वारा आयोजित "आलंकारिक मत्स्य प्रजनन और कृषि आजीविका का एक स्रोत" पर 3 से 7 अक्तूबर 2016 तक 5 दिनों के बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम का समर्थन किया और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से 20 प्रतिभागियों ने लाभ प्राप्त किया ।

8.11.5 मात्स्यिकी के अधिकारियों का दौरा

श्री प्रभु लाल सैनी, माननीय कृषि, पशुपालन और मात्स्यिकी मंत्री, राजस्थान सरकार, ने श्री कुंजी लाल मीणा आईएएस, सचिव, पशुपालन और मात्स्यिकी के साथ क्रमशः दिनांक 12 और 13 फरवरी 2017 को एमपीएडीए द्वारा सहायता दी गयी आलंकारिक मत्स्य प्रजनन इकाइयों और एमपीएडीए मुख्यालय का दौरा किया।

श्री.मोहम्मद आरिफ अंसारी, कार्यक्रम प्रबंधक, ओएफडी, मध्यप्रदेश ने सचिव, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, पशुपालन विभाग, डेयरी और मात्स्यिकी, भारत सरकार, नई दिल्ली और मध्य प्रदेश राज्य के अन्य अधिकारियों की 31 जुलाई, 2016 को राज्य के मात्स्यिकी क्षेत्र में किए गए मौजूदा विकास संबंधी कार्यकलापों का निरीक्षण करने हेतु दाहोद फिश फार्म के दौरे का समन्वय किया।

राजस्थान के मंत्री का एमपीईडीए, मुख्यालय, कोच्ची दौरा

8.11.2 Awareness programmes on Ornamental fish development

During this year, 100 awareness & orientation programmes for potential beneficiaries and stakeholders of various states were organized on ornamental fish culture, breeding and about our schemes. Totally, 3703 participants attended these programmes.

8.11.3 Health certification of export consignment of ornamental fish

MPEDA has issued 47 health certificates for the export of Ornamental fish. 43 were issued in Mumbai while 2 each were issued in Karnataka and Tamil Nadu.

8.11.4 Participation in National Fairs/ Exhibitions

- OFD section has participated in various fish exhibitions held in Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh etc.
- MPEDA has also conducted a workshop on "Ornamental Fish Farming : A Source of Livelihood" from 1st October 2016 to 2nd October 2016 at Department of Zoology & Biotech, Govt. T.R.S. College, Dist.-Rewa (M.P.) in which a total of 100 participants attended.
- MPEDA has supported 5 Days basic training programme on "Ornamental Fish Breeding and Farming: A Source of Livelihood" funded by NFDB, Hyderabad and hosted by Krishi Vigyan Kendra, Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwavidyalaya, Dist.-Dewas (M.P.) from 3rd to 7th October, 2016 and 20 participants got benefited through the training programme.

8.11.5 Visit of Dignitaries of Fisheries

Shri Prabhu Lal Saini, Honourable Minister for Agriculture, Animal husbandry and Fisheries, Govt of Rajasthan along with Mr. Kunji Lal Meena IAS, Secretary, Animal Husbandry and Fisheries, visited MPEDA assisted Ornamental fish breeding units and MPEDA Head Office on 12th and 13th Feb. 2017 respectively.

Mr. Mohd. Arif Ansari, Programme Manager, OFD for Madhya Pradesh has co-ordinated the visit of the Secretary, Ministry of Agriculture and Famers Welfare, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, GoI, New Delhi and other officials of Madhya Pradesh state on 31st July, 2016, to Dahod Fish Farm to observe the present developmental activities performed in fisheries sector of the state.

Minister of Rajasthan Visits MPEDA, HO,Kochi

8.11.6 हरियाणा सरकार को परामर्श

एमपीईडीए के तकनीकी मार्गदर्शन के तहत दिनांक 18-20 मार्च, 2017 को सूरजकुंड, फरीदाबाद, हरियाणा में हुई कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन के दौरान हाईटेक आलंकारिक मत्स्य हैचरी, झज्जर, हरियाणा का प्रारंभ किया गया । परियोजना की अनुमानित लागत ₹ 13.62 करोड़ है; इसका लक्ष्य 6,000 बेरोजगार युवकों के लिए रोज़गार पैदा करने के साथ ₹ 67 लाख का वार्षिक आय उत्पन्न करना है। इस परियोजना का डीपीआर तमिलनाडु के ओएफडी कार्यक्रम प्रबंधक डॉ सतीश सहायक ने तैयार किया था।

एमपीईडीए के तकनीकी मार्गदर्न से झज्जर में हाई-टेक आरनॉमेंटल फिश हैचरी का शुभारम्भ

8.11.7 मुख्यालय लॉबी में कोई तालाब का निर्माण

मुख्यालय लॉबी में 27 मई 2016 को नव निर्मित कोई तालाब का संयुक्त रूप से उद्घाटन पूर्व अध्यक्ष, श्रीमती लीना नायर, आईएएस और वर्तमान अध्यक्ष, डॉ. ए. जयतिलक, आईएएस द्वारा श्री.बी. श्रीकुमार, सचिव की उपस्थिति में किया गया। इन्डोर समुद्री और मीठा जल अक्वेरिया के साथ तालाब का नियमित रूप से रखरखाव किया जाता है।

8.11.8 एडी/पीएम/टीसी द्वारा भाग की गई संगोष्ठी/कार्यशालाएं

- एनएफडीबी द्वारा हैदराबाद में दिनांक 27 -28 अप्रैल 2016 को आयोजित आलंकारिक मत्स्य पर राष्ट्रीय परामर्श में श्रीमती एल्सम्मा इत्ताक, सहायक निदेशक, ओएफडी ने भाग लिया ।
- एनएसटीईडीबी द्वारा दिनांक 20 फरवरी 2017 को प्रायोजित मात्स्यिकी क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी पर आधारित उद्यमिता विकास कार्यक्रम के किटको कार्यक्रम में डॉ. विजी सी. एस., तकनीकी सलाहकार, मुख्यालय ने कक्षा चलायी।
- दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा पंडित दीन दयाल उपाध्याय और नानाजी देशमुख की स्मृति और जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर दिनांक 23 से 25 फरवरी, 2017 को आयोजित "ग्रामोद्योग मेला" में श्री. मोहम्मद आरिफ अंसारी, कार्यक्रम प्रबंधक, ओएफडी, मध्य प्रदेश ने मात्स्यिकी विभाग, जिला सतना और मध्य प्रदेश मात्स्यिकी महासंघ, क्षेत्रीय कार्यालय, शहडोल (एमपी) के साथ भाग लिया ।

8.11.6. Consultancy to Government of Haryana

The Launch of Hi-Tech Ornamental Fish Hatchery at Jhajjar, Haryana, under the technical guidance of MPEDA was done during the ***'Agri Leadership Summit'*** **conducted from 18th -20th March, 2017, at Surajkund, Faridabad, Haryana.** The estimated cost of the project is ₹ 13.62 crores; it is aimed to generate an employment for 6000 unemployed youths along with a revenue generation of Rs. 67 lakhs. The DPR for the project was prepared by Dr. Satish Sahayak, Programme Manager, OFD for Tamil Nadu.

Launch of Hi-Tech Ornamental Fish Hatchery at Jhajjar, Haryana, with technical guidance of MPEDA

8.11.7. Construction of KOI POND at HO lobby

The newly constructed Koi pond at HO lobby was jointly inaugurated by the former Chairman, Ms. Leena Nair IAS and present Chairman, Dr. A. Jayathilak IAS, in the presence of Shri. B. Sreekumar, Secretary on 27th May, 2016. The pond is regularly maintained alongwith indoor marine and freshwater aquaria.

8.11.8 Seminar / Workshops attended by AD / PM / TC

- Mrs. Elsamma Ithack, Assistant Director, OFD has participated in the National Consultation on Ornamental Fish Organized by NFDB at Hyderabad on 27-28 April 2016.
- Dr. Viji. C. S Technical Consultant, HO, took class in the KITCO programme on Technology based entrepreneurship Development Programme for the fisheries sector sponsored by the NSTEDB on 20th February 2017.
- Mr. Mohd. Arif Ansari, Programme Manager, OFD, for Madhya Pradesh has participated with Department of Fisheries, Dist.-Satna and Madhya Pradesh Fisheries Federation, Regional Office, Shahdol (M.P.) in "Gramodhyog Mela" organized for the memory and the occasion of birth century year of Pandit Deen Dayal Upadhyay and Nanaji Deshmukh by Deen Dayal Research Institute from 23rd to 25th February 2017.

- भोपाल में मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दिनांक 04 दिसंबर, 2016 को आयोजित कल्याणकारी योजना का प्रशिक्षण कार्यक्रम "गरीब कल्याण एजेंडा" में भी श्री मोहम्मद आरिफ अंसारी, कार्यक्रम प्रबंधक, ओएफडी, मध्य प्रदेश ने भाग लिया।

8.11.9 तकनीकी परामर्शदाता की नियुक्ति

मणिपुर, बिहार, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में ओएफडी कार्यकलापों का विस्तारण करने के लिए के लिए चार नए तकनीकी सलाहकार नियुक्त किए गए ।

8.11.10 अन्य कार्यकलाप

- कार्यान्वयन हेतु नई इमदाद योजना क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय कार्यालयों और कार्यक्रम प्रबंधकों को प्रस्तावित बान्ड के साथ परिचालित की गयी ।
- मोहम्मद आरिफ अंसारी, कार्यक्रम प्रबंधक, ओएफडी, मध्य प्रदेश ने मुख्यालय से परामर्श करके बुनियादी स्तर पर एमपीईडीए स्कीम को बढ़ावा देने के लिए आलंकारिक मत्स्य कृषि पर एक छोटी पुस्तिका हिन्दी में तैयार की है।
- मीठाजल आलंकारिक मत्स्य, समुद्री आलंकारिक मत्स्य और एक्वेरियम पौधे की सूची को तैयार करके राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम 2002 में आमतौर पर व्यापारिक वस्तुओं के रूप में शामिल किए जाने के लिए प्रस्तुत किया गया ।
- महत्वपूर्ण प्रजातियां, निर्यात,प्रमुख प्रजनन इकाइयों के संपर्क विवरण, आलंकारिक मत्स्य निर्यातकों के संपर्क विवरण, कार्यक्रम प्रबंधक आदि की सूची तैयार की गई और एमपीईडीए वेबसाइट में जानकारी अद्यतन करने के लिए प्रस्तुत की गई ।

9.0. प्रसंस्करण अवसंरचना और मूल्यवर्धन

एमपीईडीए प्रसंस्करण अवसंरचना तथा मूल्यवर्धन शीर्ष के तहत लागू की गई योजनाओं के माध्यम से समुद्री खाद्य सेक्टर को सहायता कर रहा है। इन वित्तीय सहायता योजनाओं का उद्देश्य प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं में सुधार, पैदावार से निर्यात तक शीत श्रृंखला (कोल्ड चेन) के विकास और शीतित और सूखे मत्स्य के लिए हैंडलिंग और पैकिंग केंद्रों की स्थापना करना है। सुविधाजनक रूप में मूल्यवर्धित उत्पादों की बढ़ती वैश्विक मांग को ध्यान में रखते हुए,मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यात को बढावा देने के लिए विशेष जोर दिया गया है।

9.1 वर्ष 2016-17 के दौरान वित्तीय सहायता योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति

वर्ष के दौरान प्रसंस्करण अवसंरचना एवं मूल्यवर्धन के तहत रु. 2200.00 लाख के अनुमोदित आरई की तुलना में कुल व्यय रु. 1802.32 लाख हुआ और इसी अवधि के दौरान योजना स्कीम व्यय के संदर्भ में कुल उपलब्धि 81.92% थी । वर्ष 2016-17 के दौरान प्रदान की गई वित्तीय सहायता का योजनावार विवरण निम्नानुसार हैं :

9.1.1 मूल्य वर्धन के लिए निर्यातकों को सहायता

मूल्यवर्धित रूप में समुद्री खाद्य उत्पादों की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए भारतीय समुद्री खाद्य सेक्टर को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और अत्याधुनिक उपकरणों के साथ सुसज्जित करने की आवश्यकता है। यह अति आधुनिक उपकरण अत्यधिक पूंजी प्रधान है । मूल्यवर्धन को अपनाने के लिए भारतीय समुद्री खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं की सहायता करने हेतु एमपीईडीए प्रसंस्करण मशीनरी के अभिग्रहण हेतु वित्तीय सहायता योजना चला रहा रहा है ।

9.1.2 समुद्री उत्पादों के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना(टीयूएसएमपी)

वर्ष के दौरान टीयूएसएमपी योजना के तहत मूल्यवर्धन के लिए नयी यूनिट की स्थापना, मूल्य वर्धित उत्पादों की मौजूदा उत्पादन क्षमता के विस्तार तथा आवश्यक मशीनरी और उपकरणों के संस्थापन के माध्यम से मूल्यवर्धन द्वारा उत्पाद में विविधता लाने के लिए 14 प्रसंस्करण इकाइयों को रु864.98 लाख की सहायता दी गयी ।

- Mr. Mohd. Arif Ansari, Programme Manager, OFD, for Madhya Pradesh has also attended in Jan Kalyankari Yojnaon Ka Prachichan Karykram **"Garib Kalyan Agenda"** organized by MP State Government on 04th December, 2016 at Bhopal.

8.11.9. Appointment of Technical Consultants

Four new Technical Consultants were appointed to the states of Manipur, Bihar, Andhra Pradesh and Karnataka to expand OFD activities in these states.

8.11.10. Other activities

- New subsidy scheme along with the vetted bond was circulated to Regional and Sub- Regional Offices and Programme Managers for its implementation.
- Mr. Mohd. Arif Ansari, Programme Manager, OFD, for Madhya Pradesh in consultation with HO has prepared a mini booklet on Ornamental Fish Farming in Hindi for promotion of MPEDA scheme in base level.
- A list of freshwater ornamental fishes, marine ornamental fishes and aquarium plants was prepared and submitted for inclusion in the National Biodiversity Act 2002 as 'Normally Traded Commodities'.
- A list of important species, Exports, contact details of major breeding Units, ornamental fish exporters' contact details, programme managers etc. were prepared and submitted to update information on the MPEDA website.

9.0. PROCESSING INFRASTRURE AND VALUE ADDITION

The MPEDA has been assisting the seafood sector through the schemes implemented under the head 'Processing infrastructure and value addition'. These financial assistance schemes aimed at improving the infrastructural facilities for processing and value addition, cold chain development from harvest to exports and establishment of handling and packing centers for chilled and dried fish. Special emphasis has been given for the promotion of export of value added products in view of the increasing global demand for value added products in convenient form.

9.1 Progress of the implementation of financial assistance schemes during 2016-17

During the year the total expenditure incurred under Processing infrastructure and value addition was ₹ 1818.23 Lakhs, as against the approved RE of ₹ 1800.00 Lakhs and the overall achievement in terms of plan scheme expenditure during the corresponding period was 101%. The scheme wise details of the financial assistance provided during the year 2016-17 are as follows.

9.1.1. Assistance to exporters for value addition:

The Indian seafood sector needs to be equipped with the state of the art technology and most modern equipments in order to cop up with the increasing global demand for seafood products in Value added form. These most modern equipments are highly capital intensive. In order to assist the Indian seafood processors to adopt value addition, MPEDA has been operating financial assistance scheme for the acquisition of processing machinery.

9.1.2. Technology Up-gradation Scheme for Marine Products (TUSMP):

During the year ₹ 864.98 Lakhs was disbursed to 14 processing units under TUSMP for setting up new unit for value addition, expansion of the existing production capacity of value added products and for product diversification through value addition, by installation of required machinery and equipments.

9.2 बुनियादी ढांचे के सृजन हेतु निर्यातकों को सहायता

9.2.1 बुनियादी सुविधाओं के लिए वित्तीय सहायता : शीतित मत्स्य की हैंडलिंग और पैकिंग

देश के शीतित मत्स्य के निर्यात की हिस्सेदारी में वृद्धि करने के क्रम में, एमपीईडीए शीतित मत्स्य की हैंडलिंग और पैकिंग के लिए बुनियादी सुविधाओं के सृजन हेतु प्रसंस्करणकर्ताओं की सहायता के लिए वित्तीय सहायता योजनाएं चला रहा है। ये योजनाएं निर्यात बाजार के लिए गुणवत्तापूर्ण उत्पाद को भी सुनिश्चित कर रहे हैं । इस योजना के अंतर्गत, वर्ष 2016-17 के दौरान शीतित मत्स्य हैंडलिंग हेतु बुनियादी सुविधाओं के सृजन के लिए एक लाभार्थी को रु8.03 लाख की सहायता दी गयी ।

9.3 शीत श्रृंखला अनुरक्षण हेतु सहायता :

समुद्री खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और पोषक मूल्य का पैदावार से लेकर उपभोग तक बनाए रखने के लिए शीत श्रृंखला के विकास और अनुरक्षण हेतू विभिन्न स्तरों पर अवसंरचना सुविधाओं की आवश्यकता होती है। शीत श्रृंखला के सफल अनुरक्षण के लिए रोधीकृत मत्स्य डिब्बों और रेफ्रीजरीकृत ट्रकों के अर्जन, बर्फ बनाने वाली मशीनों की स्थापना और बड़े शीत भंडारों की स्थापना के लिए एमपीईडीए द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2016-17 के दौरान "शीत श्रृंखला के रखरखाव" शीर्ष के तहत यान चालकों, श्रिम्प कृषको, शीतित मत्स्य निर्यातकों, पूर्व प्रसंस्करण संयंत्रों, प्रसंस्करण संयंत्रों जैसी विभिन्न श्रेणियों से संबंधित लाभार्थियों को रु. 215.87 लाख की सहायता प्रदान की गयी।

9.3.1 मत्स्य और मात्स्यिकी उत्पादों के लिए बड़े शीत भंडारों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता

500-3000 मीट्रिक टन की क्षमता के भीतर आनेवाले आधुनिक बड़े शीत भंडारों की स्थापना के लिए 9 लाभार्थियों को रु.184.87 लाख की राशि वित्तीय सहायता के रूप में दी गई । इस वर्ष के दौरान एमपीईडीए सहायता से-20^0 सेल्सियस के नीवे के तैयार समुद्री खाद्य उत्पादों के भंडारण हेतु की 9295 मीट्रिक टन की अतिरिक्त शीत भंडारण क्षमता का सृजन किया गया ।

9.3.2 रोधीकृत मत्स्य डिब्बों हेतु इमदादी वितरण

प्रसंस्करण संयंत्र में बर्फीली अवस्था में कच्चे माल के उचित परिरक्षण के लिए इस योजना के तहत दो लाभार्थीयों को रु. 1.25 लाख की वित्तीय सहायता दी गई ।

9.3.3 मत्स्य परिरक्षण के लिए गुणवत्ता वाले बर्फ की आपूर्ति के लिए आधुनिक हिम संयंत्रों / मौजूदा हिम संयंत्रों कि स्थापना केलिए बित्तीय सहायता

नए हिम संयंत्रों की स्थापना के लिए इस वर्ष के दौरान दो लाभार्थियों को रु29.75 लाख की सहायता का वितरण किया गया।

9.4. अन्य

कर्नाटक के तडादी नामक ग्राम में समुद्री निर्यात यूनिट की स्थापना पर परियोजना

तडादी, मेंगलोर में प्रसंस्करण संयंत्र के उन्नयन हेतु कर्नाटक सरकार से रु. 10 करोड़ की लागत के साथ प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । कर्नाटक मात्स्यिकी विकास कॉर्पोरेशन (केएफडीसी) द्वारा प्रस्तुत डीपीआर की जांच की गई और एमपीईडीए की टिप्पणियों / सुझावों को शामिल करने के बाद एएसआईडीई योजना के तहत मंत्रालय अग्रेषित किस गए ।

लागत मानदंड पर तकनीकी समिति की बैठक

समुद्री / मात्स्यिकी और मांस / कुक्कुट पालन सेक्टर के लागत मानदंडों का मूल्यांकन करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत तकनीकी समिति (टीसी) की बैठक 6 दिसंबर 2016 को एमपीईडीए मुख्यालय में अध्यक्ष, एमपीईडीए की अध्यक्षता में हुई थी। विभिन्न उपकरण आपूर्तिकर्ताओं से एकत्र की गयी निविष्टियों और समिति की सिफारिश के आधार पर लागत मानदंड में संशोधन किया गया और इसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) द्वारा लागू किया गया !

9.2 Assistance to exporters for creating basic infrastructure:

9.2.1. Financial assistance for the basic facilities: Handling and packing of chilled fish.

In order to increase the share of exports of chilled fish from the country, MPEDA operates financial assistance schemes to assist the processors to create the basic facilities for the handling and packing of chilled fish. The schemes also ensure the quality of the product for export market. Under the scheme, an assistance of ₹ 8.03 Lakhs was distributed to one beneficiary for the creation of basic facilities for chilled fish handling during 2016-17.

9.3. Assistance for the maintenance of cold chain:

Development and maintenance of cold chain to upkeep the quality and nutritive value of seafood products requires infrastructural facilities at various levels, right from harvest to consumption. Financial assistance is extended by MPEDA for the acquisition of insulated fish boxes and refrigerated trucks, installation of ice making machines and the establishment of large cold storages, for the successful maintenance of cold chain. Under the head 'maintenance of cold chain' during 2016-17 an assistance of ₹ 215.87 Lakh was provided to beneficiaries belonging to the various categories like the vessel operators, shrimp farmers, chilled fish exporters, pre processing plants, processing plants etc.

9.3.1. Financial assistance for setting up of Large Cold Storages for fish and fishery products:

Financial assistance amounting to ₹ 184.87 Lakh was extended during the year to 9 beneficiaries for establishment of modern large cold storages falling within the capacity of 500-3000 MT. During the year under report, an additional cold storage capacity of 9,286 MT have created to store finished seafood products below – 20 °C with MPEDA assistance .

9.3.2. Subsidized distribution of insulated fish boxes.

Financial assistance of ₹ 1.25 Lakh was given to Two beneficiaries under the scheme for proper preservation of raw materials in iced condition in the processing plant.

9.3.3. Financial Assistance for the setting up of modern Ice plants /renovation of existing Ice plants for the supply of quality ice for fish preservation.

For the setting up of new ice plants, assistance to the tune of ₹ 29.75 Lakhs was disbursed to two beneficiaries during the year 2016-17.

9.4. OTHERS:

Project on setting up of Marine Export Unit at Tadadi village, Karnataka

The proposal with an outlay of ₹ 10 Crore has received from Govt. of Karnataka to upgrade the processing plant at Tadadi, Mangalore. The DPR submitted by Karnataka Fisheries Development Corporation (KFDC) was examined and forwarded after incorporating comments/suggestions of MPEDA to Ministry for considering under the ASIDE scheme.

Technical Committee Meeting on cost norms.

Meeting of the Technical Committee (TC) under Ministry of Food Processing Industries was held on 6th December 2016 at MPEDA Head Quarters under the Chairmanship of Chairman, MPEDA to evaluate the cost norms of marine /fisheries and meat/poultry sector. Based on the inputs collected from different equipment suppliers and recommendation of the committee the cost norm has revised and the same is implemented by Ministry of Food Processing Industries (MoFPI).

एक्वा और समुद्री निर्यात के संवर्धन हेतु निर्यात प्रमाणित प्रसंस्करण और शीत भण्डार अवसंरचना

आंध्र प्रदेश के जलकृषि और समुद्री निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एएसआईडीई स्कीम के केंद्रीय घटक के तहत अनुदान के विचारार्थ आंध्र प्रदेश राज्य भंडारण निगम (एपीएसडब्ल्यूसी) ने निर्यात प्रमाणित प्रसंस्करण और शीत भडार अवसंरचना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत की है। एमपीईडीए की टिप्पणियों / सुझावों को शामिल करने के बाद एएसआईडीई योजना के तहत विचारार्थ एपीएसडब्ल्यूसी द्वारा डीपीआर मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया ।

लक्षद्वीप के ट्यूना संसाधनों के बेहतर उपयोग और स्मोक्ड / सूखे ट्यूना उत्पादों के उत्पादन की संभाव्यता के बारे में चर्चा करने के लिए बैठक

माननीय सांसद, लक्षद्वीप द्वारा वांछित, द्वीप के ट्यूना संसाधनों के बेहतर उपयोग के बारे में चर्चा करने के लिए दिनांक 6 जुलाई 2017 को एमपीएडीए मुख्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। इसमें मत्स्यफेड, केरल, निफाट के अधिकारियों और निर्यातकों ने भाग लिया । तदनुसार, एक निर्यातक ने अपने अधिकारियों को जनवरी के तीसरे सप्ताह में द्वीपों में संभाव्यताओं का पता लगाने के लिए तैयार किया । निर्यात के लिए ट्यूना संसाधनों का लाभ उठाने हेतु एमपीईडीए ने द्वीपों का दौरा करने के लिए अधिक निर्यातकों को तैयार करने का प्रयास किया हैं।

10.0. गुणवत्ता नियंत्रण

10.1 छोटी प्रयोगशाला की स्थापना के लिए इमदाद

अंतर प्रसंस्करण गुणवत्ता नियंत्रण के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, एमपीईडीए प्रति यूनिट अधिकतम रु 1,50,000 की दर पर 25 इमदाद देकर प्रसंस्करण संयंत्रों को अपनी खुद की गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएँ स्थापित करने के लिए सहायता दे रहा है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, 3 प्रसंस्करण संयंत्रों को इमदाद सहायता के रूप में रु3.24 लाख मंजूर और जारी किए गए ।

10.2 कैप्टिव / स्वतंत्र पूर्व प्रसंस्करण केंद्र के लिए इमदाद

इस योजना का उद्देश्य पूर्व प्रसंस्करण कार्यकलापों को प्रसंस्करणकर्ताओं के नियंत्रण के अधीन लाना और एचएसीसीपी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय विनियमों के अनुसार सुविधाओं का उन्नयन करना है। नए निर्माण के लिए इमदाद सहायता वास्तविक मूल्य के 30, अर्थात रु 15 लाख तक एवं कैप्टिव पीपीसी, जो पूर्वप्रसंस्करण कक्ष के क्षेत्र के साथ जुडा है, के नवीकरण के लिए रु13.5 लाख है। नए स्वतंत्र पूर्व प्रसंस्करण केंद्रों के निर्माण के लिए अधिकतम सीमा 22 लाख रुपये तथा नवीनीकरण के लिए रु19 .8 लाख है जो आगे वैयक्तिक मदों के लिए नियत अधिकतम सीमा में सीमित किया गया है। इस वर्ष के दौरान कैप्टिव पूर्व प्रसंस्करण केंद्र के निर्माण के लिए एक लाभार्थी को इमदाद के रूप में रु6.40 लाख की मंजूरी दी गई।

10.3 आयातक देशों द्वारा अधिसूचित गुणवत्ता मुद्दे (चेतावनी / अस्वीकृति)

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान यूरोपीय संघ (ईयू) द्वारा 26 द्रुत चेतावनी अधिसूचनाएं यूएसएफडीए द्वारा 57 आयात अस्वीकृति और 4 जापानी मानदंडो के उल्लंघनों को अधिसूचित किया गया तथा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों / उप क्षेत्रीय कार्यालयों ने इसकी जांच की और संबंधित मामलों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। भविष्य में पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव दिया गया ।

10.4 अंबलपुषा और शक्ति कुलंगारा में सामान्य पूर्व प्रसंस्करण केंद्र

छोटे आकार के श्रिम्पों के और स्वास्थ्यकर तथा अप्राधिकृत पूर्वप्रसंस्करण गतिविधियों को रोकने के लिए, यह महसूस किया गया कि महिला कामगारों के लिए उचित स्वच्छतायुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक बुनियादी सुविधाओं का निर्माण करने की आवश्यकता है। उपर्युक्त उद्देश्यों के साथ, एमपीईडीए ने केरल राज्य में अंबलपुषा और शक्तिकुलंगारा में अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के सभी स्वास्थ्य और स्वच्छता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामान्य पूर्व प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना की। दोनों इकाइयां कार्यरत हैं । अंबलपुषा और शक्तिकुलंगारा सीपीसी के कामकाज की स्थिति की चर्चा / समीक्षा करने के लिए विभिन्न बैठकें (संचालन समिति, पणधारियों आदि) आयोजित की गईं।

10.5 एचएसीसीपी प्रशिक्षण और अनुपालन

एमपीईडीए एचएसीपीपी कार्यान्वयन में समुद्री खाद्य उद्योग को तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु उद्योग के तकनीकी कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है और इकाई द्वारा एचएसीसीपी कार्यान्वयन के आवश्यक सत्यापन के बाद अनुपालन प्रमाणपत्र भी जारी करता है। रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान चार

Export Certified Processing & Cold Storage Infrastructure for Promotion of Aqua and Marine Exports.

Andhra Pradesh State Warehousing Corporation (APSWC) has submitted a Detailed Project Report (DPR) of export certified processing & cold storage infrastructure for promotion of aqua culture and marine exports from Andhra Pradesh for consideration of grant under the central component of ASIDE scheme. The DPR after incorporating the comments/suggestions of MPEDA has submitted to Ministry by APSWC for considering under the ASIDE Scheme.

Meeting to discuss the better utilization of the tuna resources of the Lakshadweep and the possibility of production of Smoked/dried tuna products

A meeting was conducted on 6th January 2017 at MPEDA Head quarters, as desired by Hon'ble MP, Lakshwadeep to discuss the better utilization of the tuna resources of island. The officials from MATSYAFED Kerala, NIFPHATT and exporters were attended. Accordingly, one exporter has mobilized his officials to the islands during third week of January to explore the possibilities. MPEDA has taken efforts to mobilize more exporters to visit the islands in order to tap the tuna resources for exports.

10 QUALITY CONTROL

10.1. Subsidy for setting up of mini laboratory

For the effective implementation of in-process quality control, MPEDA assists the processing plants to set up their own quality control laboratories by subsidizing 25% of the cost subject to a maximum of ₹ 1,50,000 per unit. During reporting year, an amount of ₹ 3.24 lakh was sanctioned and released as subsidy assistance to 3 processing plants.

10.2. Subsidy for Captive/Independent Pre Processing Centre.

The scheme aims to bring the pre-processing activities under the control of processors and to upgrade the facilities as per HACCP and other International Regulations. The subsidy assistance is 30% of the actual expenditure with a ceiling of ₹ 15 lakh for new construction and 13.5 lakh for renovation of captive PPC, which is also linked with the area of the pre-processing hall. The maximum limit for independent pre-processing centers is ₹ 22 lakh for new construction and ₹ 19.8 lakh for renovation which is further restricted to maximum limit fixed for individual items. An amount of ₹ 6.40 lakh was sanctioned as subsidy to one beneficiary for construction of Captive Pre-processing Centre during the year.

10.3. Quality issues notified by importing countries (Alert/rejection)

26 Rapid Alert Notifications by EU, 57 import refusals by USFDA and 4 violations of Japanese standards were notified during the reporting year and the concerned ROs/SROs have investigated and furnished their report in the respective cases. Corrective actions were suggested to the processor to prevent recurrence in future.

10.4. Common Pre processing Centre at Ambalapuzha and Sakthikulangara.

To prevent unhygienic and unauthorized pre-processing activities of small sized shrimps, it was felt that there is a need of creating state-of- the art common infrastructure facilities to provide appropriate hygienic working environment for the women folk. With the above objective, MPEDA established common pre-processing centres meeting all requirements of international norms at Ambalapuzha and Sakthikulangara in the state of Kerala. Both the units are functional. Different Meetings (Operating Committee, Stakeholders etc.) were organized to discuss / review the status of functioning of CPC Ambalapuzha and Sakthikulangara.

10.5. HACCP Training and compliance

MPEDA has been providing technical assistance to the seafood industry in HACCP implementation by

एचएसीसीपी बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम मुंबई, भीमावरम, भुवनेश्वर और कोलकाता में आयोजित किए गए थे। कुल 134 तकनीकी कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया।

उपरोक्त उद्धृत प्रशिक्षण कार्यक्रम के अतिरिक्त, गुणवत्ता नियंत्रण अनुभाग ने दिनाक 16-18 जून, 2016 के दौरान नेटफिश और एमपीईडीए के अधिकारियों (24 प्रतिभागियों) के लिए मुख्यालय में समुद्री खाद्य एचएसीपीपी प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए । दिनांक 09-12 अगस्त 2016, 25-28 अक्तूबर 2016, 18-21 जनवरी 2017 और 28 फरवरी 03 मार्च, 2017 को क्रमशः मुंबई, भीमवारम, भुवनेश्वर और कोलकाता में आयोजित एचएसीपीपी प्रशिक्षण कार्यक्रम में उप निदेशक (गुनि) और सहायक निदेशक (प्रयोगशाला) ने संकाय सदस्यों के रूप में कार्य किया।

प्राधिकरण द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, संशोधित शुल्क स्वरुप को सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में परिचालित किया गया है। तदनुसार, गुणवत्ता नियंत्रण अनुभाग ने संशोधित शुल्क के साथ मुंबई, भीमावरम, भुवनेश्वर और कोलकाता में चार प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया । रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान दो एचएसीसीपी अनुपालन प्रमाणपत्र जारी किए गए ।

10.6 एमपीईडीए लोगो योजना का कार्यान्वयन

एमपीईडीए ने गुणवत्ता के चिन्ह के रुप में लोगो प्रदान करने की एक समुद्री उत्पाद योजना (गुणवत्ता अंकन) विकसित की है, जो कि भारत से उन पंजीकृत समुद्री खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा निर्यात किए जाने वाले समुद्री खाद्यों पर लगाए जाएंगे, जो निर्धारित मानदंडो को पूरा करते हैं , जो कि उनके उत्पाद के विपणन को आसान बनाएगा । प्राधिकरण ने मौजूदा लोगो योजना की कुछ प्रक्रियाओं को संशोधित करने की कार्रवाई की पुष्टि की, जिसका उद्देश्य योजना को अधिक आकर्षक बनाना है । वर्ष के दौरान लोगो योजना के तहत कोई नया आवेदन प्राप्त नहीं हुआ ।

10.7 यूरोपीय संघ (ईयू) द्वारा अनुमोदित प्रतिष्ठान

युरोपीय संघ (ईयू) को निर्यात के लिए अनुमोदित समुद्री खाद्य प्रसंस्करण प्रतिष्ठानों की सूची का आवधिक अद्यतन किया गया। 343 समुद्री खाद्य प्रसंस्करण प्रतिष्ठानों और 62 स्वतंत्र शीतभंडारों को यूरोपीय संघ द्वारा अनुमोदन दिया गया ।

10.8 मत्स्यन बंदरगाहों का उन्नयन

यूरोपीय संघ की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, एमपीईडीए ने विभिन्न तटवर्ती राज्यों में मत्स्यन बंदरगाहों के उन्नयन के लिए एक योजना शुरू की। योजना के अनुसार एमपीईडीए चुने हुए मत्स्यन बंदरगाहों को ट्यूब/फ्लेक बर्फ बनाने वाली मशीन और दो शीतभंडार प्रदान करेगा तथा एमपीईडीएऔर राज्य सरकारों के बीच निष्पादित समझौते के अनुसार संबंधित राज्य सरकारों द्वारा इन सुविधाओं का संचालन और अनुरक्षण किया जाना है। आंध्र प्रदेश के मत्स्यन बंदरगाह मछलीपट्टनम में स्थापित ट्यूब बर्फ बनाने वाली मशीन का कमीशन किया गया और 06.04.2016 को आंध्र प्रदेश (एपी), मात्स्यिकी विभाग को सौंप दी गयी।

10.9 अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों / समितियों में भागीदारी

- लॉस एंजल्स, यूएसए में दिनांक 6-11 नवंबर, 2016 के दौरान आयोजित कोडेक्स कमिटी ऑन फूड हाइजीन (खाद्य स्वास्थ्य संहिता समिति) (सीसीएफएच) के 48 वें सत्र में एमपीईडीए के अध्यक्ष के साथ उप निदेशक (गुनि) ने भाग लिया।

10.10 गु नि अधिकारी द्वारा महत्वपूर्ण बैठक / सेमिनार / कार्यशाला / प्रशिक्षण में भागीदारी

- एफएसएसएआई, नई दिल्ली में दिनांक 06.06.2016 को आयोजित मत्स्य एवं मात्स्यिकी उत्पादों पर वैज्ञानिक पैनल की 9 वीं बैठक में संयुक्त निदेशक (गु.नि) ने भाग लिया ।
- संयुक्त निदेशक (गु.नि) ने दिनांक 13.06.2016 को नेटफिश को सहायता की संभाव्यता का पता लगाने हेतु हैदराबाद में एनएफडीबी अधिकारियों से मुलाकात की ।
- लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल की कवरत्ती में दिनांक 20.06.2016 को आयोजित 109 वीं बैठक में संयुक्त निदेशक (गु.नि) ने भाग लिया।
- यूरोपीय संघ के निर्णय 2016/1774 के निहितार्थ पर प्रतिबंधित एंटीबायोटिक दवाओं के अनधिकृत उपयोग पर उपयुक्त समाधान पर चर्चा करने हेतु दिनांक 21.10.2016 को विभिन्न पणधारकों के साथ मुख्यालय में एक बैठक आयोजित की गयी ।

imparting training to the technical personnel of the industry and also issues compliance certificate after necessary verification of HACCP implementation by the unit.

In addition to above cited training programme, Quality Control Section also conducted a Seafood HACCP (Basic) Training Programme at Head Office for the officials of NETFISH and MPEDA (24 participants) during 16-18 June, 2016. Deputy Director (QC) and Assistant Director (Lab) served as faculty members in the HACCP Training Programme organized at, Mumbai, Bhimavaram, Bhubaneswar and Kolkota on 09-12, August, 2016, 25-28, October, 2016, 18-21, Janaury, 2017 and 28th Feb-03 Mar, 2017 respectively. A total of 134 technical personnel were trained.

As per decision taken by the Authority, the revised fee structure has been circulated to all the field offices. Accordingly, Quality Control Section has conducted four training programmes with revised fees. Two HACCP compliance certificates were issued during the year under report.

10.6. Implementation of MPEDA Logo scheme.

MPEDA has evolved a Marine Products(Quality Marking) scheme to grant a logo as a mark of quality which is to be affixed on seafood products exported from India by the registered seafood processors who meet the criteria prescribed, which will make marketing their products easier. The Authority ratified the action taken to modify certain procedures of the existing logo scheme, which is intended to make the scheme more attractive. No new applications were received under logo scheme during the year.

10.7. EU Approved establishments

Periodic updation of the list of seafood processing establishments approved for export to EU is carried out. There are 343 seafood processing establishments and 62 independent cold storages approved by the EU.

10.8. Upgradation of Fishing Harbours

In order to comply with the EU requirements, MPEDA had taken up a scheme for upgradation of Fishing Harbours in different maritime states. According to the scheme MPEDA would provide the Tube / Flake Ice Making Machine and two chill rooms to the identified Fishing Harbours and these facilities have to be operated and maintained by the respective State Governments as per the Agreement executed between MPEDA & State Governments concerned. Tube ice machine installed at Machilipatnam in fishing harbour of Andhra Pradesh was commissioned and handed over to the Department of Fisheries, AP on 06.04.2016.

10.9. Participation in International Training Programmes/committees.

- Deputy Director (QC) along with Chairman, MPEDA participated in the 48th Session of Codex Committee on Food Hygiene (CCFH) held at Los Angeles, USA during 06-11 November, 2016.

10.10. Participation in important meeting/seminar/workshop/Training by QC official.

- The 9th meeting of the Scientific Panel on Fish & Fisheries Products to be held at FSSAI, New Delhi on 06.06.2016 was attended by JD (QC).
- JD (QC) visited NFDB Officials at Hyderabad to explore the possibility of assistance to NETFISH on 13.06.2016.
- 109th Meeting of Board of Directors of Lakshadweep Development Corporation Ltd. at Kavaratti on 20.06.2016 was attended by JD (QC).
- A meeting on implications of EU decision 2016/1774 was held at Head Office with different stakeholders on 21.10.2016 to discuss suitable solution on unauthorized use of banned antibiotics.

- नई दिल्ली में दिनांक 18.10.2016 को शाडो समिति की पहली बैठक में उप निदेशक (गु.नि)ने भाग लिया।
- भारत यूरोपीय संघ के संयुक्त कार्य दल हेतु इन्पुट्स मंत्रालय को प्रदान किए गए । नई दिल्ली में एसपीएस / टीबीटी पर दिनांक 07.11.2016 को 10 वीं भारत ईयू जेडब्ल्यूजी के संबंध में डिजिटल वीडियो कॉन्स्फरन्स (डीवीसी) में तकनीकी अधिकारी (गु.नि) ने भाग लिया ।
- ब्रसल्स, बेल्जियम में दिनांक 10 और 11 नवंबर, 2016 के दौरान आयोजित एसपीएस / टीबीटी पर इंडोईयू संयुक्त कार्य दल की बैठक में तकनीकी अधिकारी (गु.नि) ने भाग लिया।
- नई दिल्ली में दिनांक 02.11.2016 को एफएसएस (खाद्य व्यापार लाइसेंसिंग और पंजीकरण) विनियमन 2011 के तहत मत्स्य, मांस और कुक्कुट पालन के लिए खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्यकर आवश्यकताओं की समीक्षा करने के लिए पणधारकों की बैठक में सहायक निदेशक (गु.नि) और सहायक निदेशक (विपणन)ने भाग लिया । मत्स्य, मांस और कुक्कुट पालन के लिए एफएसएसएआई द्वारा तैयार किए गए तकनीकी पैनल में एमपीईडीए प्रतिनिधि के रूप में भी सहायक निदेशक (गु नि) को नामित किया गया ।
- शक्तिकुलंगारा, कोल्लम में दिनांक 25.11.2016 को सीपीसी की संचालन समिति की बैठक, में उप निदेशक (गु.नि) ने संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय कोचीन, सीई नेटफिश के साथ भाग लिया।
- एमपीएडीए मुख्यालय में दिनांक 08.12.2016 को दाची अफ्रीका के दूतावास के सलाहकार,नई दिल्ली के साथ हुई बैठक में उप निदेशक (गु.नि) ने भाग लिया ।
- कोच्ची में माननीय जर्मन कॉन्सल जनरल के साथ दिनांक 12.12.2016 को संवादात्मक बैठक में उप निदेशक (गुनि) और कोडेक्स प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया।
- मुख्यालय में दिनांक 13.12.2016 को आयोजित यूएसएफडीए अधिकारियों के साथ बैठक में उप निदेशक (गुनि) ने भाग लिया ।
- केरल में बासी मत्स्यों की बिक्री के संबंध में खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा त्रिवेंद्रम में दिनांक 19.12.2016 को बैठक आयोजित की गई और दिनांक 26.12.2016 को इसकी समीक्षा बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, (सीईओ) नेटफिश ने भाग लिया ।
- निदेशक, एमओसीआई के साथ एमपीईडीए, मुख्यालय में दिनांक 21.12.2016 को हुई बैठक में उप निदेशक (गुनि) ने भाग लिया ।
- शीत श्रृंखला और मूल्यवर्धन अवसंरचना के लिए इस योजना के तहत एकीकृत शीत श्रृंखला सुविधा स्थापित करने के प्रस्तावों पर विचार करने हेतु दिनांक 10.01.2017 को एमओएफपीआई, नई दिल्ली में तकनीकी समिति की बैठक में सहायक निदेशक (गुनि) ने भाग लिया।
- आईआईएफटी, नई दिल्ली में दिनांक 2 फरवरी, 2017 को आयोजित निर्माण क्षेत्र में मानक, तकनीकी विनियम, अनुरुपता आकलन और प्रत्यायन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में तकनीकी अधिकारी (गुनि), क्षेत्रीय कार्यालय, कोच्ची ने भाग लिया।
- चेन्नई में दिनांक 610 फरवरी, 2017 को आयोजित कोडेक्स बैठक (सीसीएसएच)में उप निदेशक (गुनि) और कोडेक्स प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया ।
- नई दिल्ली में दिनांक 13.02.2017 को ईआईसी, एसईएआई और एमओसीआई के साथ हुई बैठक में उप निदेशक (गुनि) ने भाग लिया।
- मुंबई में सीएफआईए द्वारा दिनांक 20.02.2017 को आयोजित कार्यशाला में तकनीकी अधिकारी (गुनि) - क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई ने भाग लिया।
- बैपोर और पुथियप्पा में पणधारकों की दिनांक 22.02.2017 को हुई बैठक में सीई, नेटफिश के साथ उप निदेशक (गुनि) ने भाग लिया।
- वाणिज्य सचिव के साथ उप निदेशक (गुनि) ने दिनांक 16.03.2017 और दिनांक 17.03.2017 को कोच्ची और त्रिवेंद्रम का दौरा किया एवं 17.03.2017 को सचिव, केरल सरकार के साथ हुई बैठक में भाग लिया।
- उप निदेशक (गुनि) ने तोप्पुंपडी बंदरगाह के पणधारकों के साथ दिनांक 23.03.2017 को एक बैठक की ।
- मुख्य सचिव के कार्यालय, तिरुवनंतपुरम में दिनांक 28.03.2017 को आयोजित बैठक में उप निदेशक (गुनि) ने भाग लिया ।

- The first Shadow Committee Meeting at New Delhi on 18.10.2016 was attended by Deputy Director (QC).
- Inputs for Indo-EU Joint Working Group were provided to Ministry. Technical Officer (QC) attended the Digital Video Conference (DVC) in connection with 10th India – EU JWG on SPS/TBT at New Delhi on 07.11.2016.
- Technical Officer (QC) participated in the Indo –EU Joint Working Group Meeting on SPS/TBT held at Brussels, Belgium during 10th and 11th November, 2016.
- Assistant Director (QC) and Assistant Director (MS) attended the meeting of the stakeholders to review food safety and hygienic requirements for Fish, Meat and Poultry under FSS (Licensing and Registration of Food Business) Regulations 2011 at New Delhi on 02.11.2016. AD(QC) also nominated as MPEDA representative in technical panel to be formulated by FSSAI for Fish, Meat and Poultry.
- The Operating Committee Meeting of CPC, Sakthikulangara at Kollam on 25.11.2016 was attended by Deputy Director (QC) along with JD, RO-Kochi, CE Netfish.
- The meeting with Counsellor from the Embassy of South Africa, New Delhi at MPEDA Head office on 08.12.2016 was attended Deputy Director (QC).
- The interactive meeting with Hon'ble German Consul General on 12.12.2016 at Kochi was attended by Deputy Director (QC) and Codex Trainees.
- The meeting with US FDA officials at Head Office on 13.12.2016 was attended by Deputy Director (QC).
- The meeting convened by Food Safety Commissioner at Trivandrum regarding the sale of stale fish in Kerala on 19.12.2016 and the review meeting of the same on 26.12.2016 was attended CEO, NETFISH.
- The meeting with the Director, MoCI at MPEDA Headquarters on 21.12.2016 was attended by Deputy Director (QC).
- Assistant Director (QC) attended the meeting of the Technical Committee on 10-01-2017 to consider the proposals for setting up of Integrated cold chain facility under the scheme for Cold Chain and Value Addition Infrastructure at MoFPI, New Delhi.
- The training programme on Standards, Technical Regulations, Conformity Assessment & Accreditation in manufacturing held at IIFT, New Delhi on 2nd February, 2017was attended by TO (QC), RO-Kochi.
- DD (QC) and Codex Trainees participated in the Codex Meeting (CCSH) held at Chennai from 6-10, February, 2017
- Deputy Director (QC) attended a meeting with EIC, SEAI & MoCI at New Delhi on 13.02.2017.
- The workshop organized by CFIA at Mumbai on 20.02.2017 was attended by TO (QC)-RO, Mumbai.
- Deputy Director (QC) along with CE, NETFISH attended the stakeholders meeting at Beypore and Puthiyappa on 22.02.2017.
- DD (QC) accompanied CS during her visit to Kochi and Trivandrum on 16.03.2017 & 17.03.2017 respectively and attended a meeting with Secretary, Govt. of Kerala on 17.03.2017.
- DD(QC) attended a meeting with stakeholders of the harbor at Thoppumpady on 23.03.2017
- A meeting conducted on 28.03.2017 at the Office of the Chief Secretary, Thiruvananthapuram was attended by DD (QC).

10.11 एमपीईडीए और ईआईसी प्रयोगशाला विशेषज्ञों के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल का जापान दौरा

एफ एंड एफपी के विभिन्न मापदंडों के परीक्षण के लिए जापान द्वारा अपनाए गए नमूना चयन और विश्लेषण कार्यप्रणाली को समझने के लिए भारतीय प्रयोगशाला विशेषज्ञ के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल के दौरे के एक भाग के रूप में एमपीईईडीए के दो गुनि अधिकारियों ने दिनांक 6-11 जून 2016 के दौरान जापान का दौरा किया ।

10.12 एलिसा प्रयोगशाला नियंत्रण और निगरानी

निर्यात के लिए प्रतिजैविकी अवशेष मुक्त जलकृषि श्रिम्प उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए, एमपीईडीए ने पूरे देश में 12 एलिसा जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की है, ये प्रयोगशालाएं संग्रहणपूर्व संभरित जलकृषित श्रिम्प नमूनों की जॉच करती हैं और संग्रहण पूर्व प्रमाणपत्र (पीएचटीसी) जारी करता है । रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कुल 12152 प्रमाणपत्र जारी किए गए (तालिका 16)। एलिसा प्रयोगशालाओं की कार्यप्रणाली को जॉचने और विश्लेषण और नमूने की सटीकता के लिए निगरानी और जॉच दौरे भी किए गए ।

तालिका - 16 : विश्लेषण किए गए नमूनों के राज्य वार संक्षिप्त विवरण (जारी किए गए पीएचटी)

क्रम संख्या	राज्य	अप्रैल 2016 - मार्च 2017
1	आंध्र प्रदेश	8104
2	पश्चिम बंगाल	604
3	तमिलनाडु	831
4	ओडिशा	1846
5	गुजरात	483
6	महाराष्ट्र	185
7	केरल	9
8	दमन और दीव	90
	कुल	**12152**

11.0. गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला

एमपीईडीए की चार गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें से कोच्चि, भीमावरम और नेल्लोर की प्रयोगशालाएं जलकृषि उत्पादों के लिए राष्ट्रीय अवशेष नियंत्रण योजना (एनआरसीपी) कार्यान्वित कर रही हैं। भुवनेश्वर की गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना वाणिज्यिक नमूनों के परीक्षण के लिए की गई है।

11.1 राष्ट्रीय अवशेष नियंत्रण योजना (एनआरसीपी) 2016

यूरोपीय संघ के निदेश 96/23 / ईसी के अनुसार, जलकृषि उत्पादों के लिए राष्ट्रीय अवशेष नियंत्रण योजना (एनआरसीपी) एमपीईडीए द्वारा संचालित की जा रही है। एनआरसीपी यूरोपीय संघ के देशों को निर्यात के लिए एक सांविधिक आवश्यकता है। एनआरसीपी की संकल्पना, योजना और कार्यान्वयन एमपीईडीए गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, कोच्ची द्वारा किया जाता है और कोच्ची, भीमावरम और नेल्लोर के गुणता नियंत्रण प्रयोगशालाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

अवशेष नियंत्रण कार्यक्रम एनआरसीपी 2016 के तहत, कुल 4566 नमूने प्राप्त हुए और तीन एमपीईडीए गुनि प्रयोगशालाओं (कोच्चि, भीमावरम और नेल्लोर) द्वारा विश्लेषित किए गए। जलकृषित श्रिम्प / स्कैम्पी / मत्स्य/ हैचरी और क्षेत्र के नमूने क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा एकत्र करके गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं को भेजे जाते हैं ।

11.2 राष्ट्रीय स्तर पर कीटनाशक अवशेषों की निगरानी (एमपीआरएनएल)

यह कृषि विभाग (एमओए) द्वारा चलाई जा रही वित्त पोषित परियोजना है। वर्ष 2016-17 के दौरान, अंतर्देशीय मत्स्यों और क्रस्टेशियनों और भारत के सभी समुद्री तटवर्ती राज्यों से समुद्री क्रस्टेशियनों के कुल 561 नमूनों का गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, कोच्ची द्वारा विश्लेषण किया गया। ये नमूने एमपीईडीए के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा एकत्रित किए गए और गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, कोच्ची भेजे गए। विश्लेषण रिपोर्टों के अनुसार, सभी नमूने मानकों के अनुरूप थे और परिणाम एमपीआरएनएल परियोजना (एमओए) के नेटवर्क समन्वयक को सूचित किए गए। यह परियोजना आगामी वर्षों में भी जारी रहेगी।

10.11. Joint Delegation of MPEDA and EIC Lab Experts to Japan

Two QC officials from MPEDA has visited Japan during 6-11 June 2016 as a part of Joint Delegation visit of Indian Laboratory experts to understand sampling and analysis methodology adopted by Japan for testing of various parameters of F & FP.

10.12. ELISA LAB monitoring and Surveillance.

To ensure antibiotic residue free aquaculture shrimp production for export, MPEDA established 12 ELISA screening labs in the country, these lab tests the Aqua cultured shrimp samples collected prior to harvest and issue Pre Harvest certificates (PHTC). A total of 12152 Pre-Harvest Certificates were issued during the reporting year (**Table16**). Monitoring visits and surveillance also carried out to verify functioning of ELISA Labs and accuracy of sampling and analysis.

Table 16. STATE WISE SUMMARY OF SAMPLES ANALYSED (PHT ISSUED)

Sl No	STATE	April 2016- March 2017
1	Andhra Pradesh	8104
2	West Bengal	604
3	Tamil Nadu	831
4	Odisha	1846
5	Gujarat	483
6	Maharashtra	185
7	Kerala	9
8	Daman & Diu	90
	TOTAL	**12152**

11.0 QUALITY CONTROL LABORATORIES

MPEDA has four Quality Control laboratories, of which the laboratories at Kochi, Bhimavaram and Nellore are implementing the National Residue Control Plan (NRCP) for Aquaculture products. The Quality Control lab at Bhubaneswar is set up for testing commercial samples.

11.1. National Residue Control Plan (NRCP) 2016:

MPEDA operates the National Residue Control Plan (NRCP) for aquaculture products as per the EU Directive 96/23/EC. The NRCP is a statutory requirement for exporting to the EU countries. The conceptualizing, planning and implementation of NRCP is undertaken by the MPEDA Quality Control Laboratory at Kochi and implemented through the QC Laboratories at Kochi, Bhimavaram and Nellore.

Under the residue control programme NRCP 2016, a total number of 4566 samples were received and analyzed by the three MPEDA QC Laboratories (Kochi, Bhimavaram and Nellore). The aqua cultured shrimp / scampi /fish/ hatchery and feed samples are collected by field offices and forwarded to QC Laboratories.

11.2. Monitoring of Pesticide Residues at National Level (MPRNL):

This is an ongoing project funded by Dept. of Agriculture (MoA). During the year 2016-17, a total of 561 samples of inland fishes and crustaceans and marine crustaceans from all the maritime states of India were analyzed by QC Laboratory Kochi. The samples were collected by MPEDA's field offices and forwarded to QC Laboratory, Kochi. As per the analysis reports all samples were compliant and the results were communicated to the Network Coordinator of MPRNL Project (MoA). This project will continue in coming years.

11.3 एलिसा प्रयोगशाला निगरानी नमूनों का परीक्षण

सभी एलीसा प्रयोगशालाओं से नमूने लिये गए और एलिसा प्रयोगशालाओं द्वारा किए गए परीक्षणों के परिणामों की जांच को परखने के लिए, एमपीईडीए गुनि.प्रयोगशाला में परीक्षण किया गया । वर्ष 2016 के दौरान, इस श्रेणी के तहत कुल 112 नमूनों का परीक्षण किया गया ।

11.4 प्रयोगशालाओं को मान्यता

एमपीईडीए गु.नि. प्रयोगशालाएं, कोच्ची, भीमावरम और नेल्लोर की एनएबीएल मान्यता का लगातार नवीकरण करके क्रमशः 30102018, 24.10.2018 और 23.05.2017 (नेल्लोर प्रयोगशाला का पुनः प्रमाणन लेखापरीक्षा पूरा हो चुका है और नवीकृत प्रमाणपत्र के लिए प्रतीक्षा में हैं । गुणता नियंत्रण प्रयोगशाला भुवनेश्वर के लिए अईएसओ / अईईसी 17025 : 2005 के अनुसार मान्यता प्राप्त करने के लिए एनएबीएल को आवेदन प्रस्तुत किया गया।

11.5 एमपीईडीए गुनि प्रयोगशालाओं को ईआईसी अनुमोदन

एमपीईडीए गुनि प्रयोगशालाएं कोच्ची, भीमावरम और नेल्लोर के अनुमोदनों का नवीकरण किया गया और क्रमश(कोलन) दिनांक 19.5.2017 (कोच्ची प्रयोगशाला का पुन : प्रमाणन लेखापरीक्षा पूरा हो चुका है और नवीकृत प्रमाणपत्र के लिए प्रतीक्षा में हैं), दिनांक 27.02.2019 और दिनांक 06.10.2017 तक वैध हैं। गुणता नियंत्रण प्रयोगशाला भुवनेश्वर के लिए ईआईसी प्रयोगशाला अनुमोदन योजना के अनुसार अनुमोदन प्राप्त करने के लिए ईआईसी को आवेदन प्रस्तुत किया गया।

11.6 गुनि प्रयोगशालाओं का आईएसओ 9001:2008 प्रमाणन

वर्ष 2015 के दौरान 03 गुनि प्रयोगशालाओं का आईएसओ 9001:2008 के तहत प्रमाणन का नवीकरण किया गया । अब 3 गुनि प्रयोगशालाओं, कोच्ची, भीमावरम और नेल्लोर के लिए दिनांक 26.02.2018 तक प्रमाणन का नवीकरण किया गया है। अनुपालन देखने हेतु डीएनवी हर साल प्रयोगशालाओं का निरीक्षण करेगी।

11.7 गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं के कर्मियों को प्रशिक्षण

भारत में व्यापार विकास के लिए सीआईटीडी क्षमता निर्माण पहल के तहत दिनांक 6 से 10 फरवरी 2017 तक 5 दिनों की अवधि के लिए 'पशु चिकित्सा दवाओं के अवशेषों की जांच' पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। एनसेसफौगेर्स के एनआरएल रेफेरेन्स प्रयोगशालाओं और ईयूआरएल के विशेषज्ञ डॉ.एरिक वेरडन और डॉ.डोमिनिक पेस्सेल कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षक थे । कोच्ची, नेल्लोर और भीमवराम प्रयोगशाला के सभी अधिकारियों ने इसमें भाग लिया।

उपरोक्त प्रशिक्षण के अलावा अन्य 6 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रयोगशाला कोच्ची के तकनीकी कर्मचारी उपस्थित थे। भीमावरम प्रयोगशाला में, तकनीकी कर्मचारियों ने 5 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त किए । नेल्लोर प्रयोगशाला में, इस अवधि के दौरान तकनीकी कर्मचारियों ने 6 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त किए। विभिन्न संस्थानों द्वारा आयोजित इन प्रशिक्षणों में शामिल विषय थे खाद्य सुरक्षा और विश्लेषण में सहायक तकनीक, माइक्रोबायल जोखिम मूल्यांकन, एलसी एमएसएमएस, जीसी एमएस, आईसीपी एमएस पर परिचालन प्रशिक्षण, प्रवीणता परीक्षा आदि ।

11.8 अंतर प्रयोगशाला तुलना कार्यक्रम :

अंतर प्रयोगशाला तुलना कार्यक्रमों का आयोजन हमारी प्रयोगशालाओं की जांच और क्षमता की स्थापना हेतु किया जाता है जिससे हरेक मानदंडो के विश्लेषणों में विश्वसनीय परिणाम प्राप्त हो सकें । एक वर्ष की अवधि के दौरान मान्यता की संभावना के तहत सभी मानकों के लिए आयोजित आईएलटी कार्यक्रमों में 3 गुनि प्रयोगशालाओं ने भाग लिया है। अन्य बाह्य प्रयोगशालाएँ, जिन्हें विश्लेषण और एनएबीएल मान्यता की समतुल्य संभावना है, उन्हें कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया । 8 से 10 प्रयोगशालाओं ने कार्यक्रम में भाग लिया । गुनि प्रयोगशालाओं ने 9 अंतर प्रयोगशाला परीक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया और 13 अंतर प्रयोगशाला परीक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया। भागीदार प्रयोगशालाओं द्वारा प्रस्तुत परिणामों के आधार पर, जेड स्कोर्स की गणना की गई और सभी सहभागी प्रयोगशालाओं को सूचित किया गया। यह कार्य एनएबीएल आवश्यकता के अनुसार किया जाता है।

11.9 दक्षता परीक्षण कार्यक्रम

दक्षता परीक्षण कार्यक्रम एफएपीएएस जैसी प्रयोगशालाओं द्वारा आयोजित किए जानेवाले अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं, जो विश्लेषण में विश्वसनीय परिणाम देने के लिए सभी प्रयोगशालाओं की जॉच और क्षमता की स्थापना हेतु पीटी कार्यक्रमों के आयोजन के लिए मान्यता प्राप्त हैं । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 4 गुनि प्रयोगशालाओ ने कोलकाता और मुंबई में एफएपीएएस, यूके और ईआईए प्रयोगशालाओं द्वारा आयोजित किए गए कीटनाशकों, क्लोरमफिनीकोल, हेवी मेटल्स और नाइट्रोफ्यूरन मेटाबोलाईट्स के मापदंडों के लिए दक्षता परीक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया।

11.3. Testing of Elisa Lab monitoring samples:

Samples from all Elisa Labs were drawn and tested in MPEDA QC Labs, to cross check the results of tests carried out by Elisa Labs. During 2016, a total number of 112 samples were tested under this category.

11.4. Accreditation for Laboratories:

The NABL accreditation of MPEDA QC Labs, Kochi, Bhimavaram and Nellore has been renewed consecutively and are valid up to 30-10-2018, 24-10-2018 and 23-05-2017 (re-certification audit of lab Nellore is completed and awaited for renewed certificate) respectively. Application submitted to NABL to obtain accreditation as per ISO/IEC 17025:2005 for QC Lab Bhubaneswar.

11.5. EIC approvals of MPEDA QC Labs:

The approvals of MPEDA QC Laboratories Kochi, Bhimavaram and Nellore are renewed and are valid up to 19.5.2017 (re-certification audit of lab Kochi is completed and awaited for renewed certificate), 27.02.2019 and 06.10.2017 respectively. Application submitted to EIC to obtain approval as per EIC lab approval scheme for QC Lab Bhubaneswar.

11.6. ISO 9001:2008 Certification of QC Labs:

Certification under ISO 9001:2008 was renewed for 3 QC laboratories during 2015. Now the certification has been renewed for 3 QC Laboratories, Kochi, Bhimavaram and Nellore up to 26.02.2018. DNV would inspect the laboratories every year to see compliance.

11.7. Training of personnel of QC Labs:

Under CITD-Capacity Building Initiative for Trade Development in India, a training programme was organized on "Detection of residues of veterinary medicines" for the period of 5 days from 6th to 10th February 2017. The trainer for the programme was two experts from the EU-RL and NRL Reference Laboratory of the Anses-Fougeres, Dr. Eric VERDON & Dr. Dominique PESSEL. All the officials of Lab Kochi, Nellore and Bhimavaram attended.

Apart from the above training another 6 training programmes were attended by technical staff of Lab Kochi. In lab, Bhimavaram, the technical staff underwent 5 Training programmes. In Lab Nellore, the technical staff underwent 6 Training programmes during the period. The topics covered are instrumental techniques in food safety and analysis, microbial risk assessment, operational training on LC MSMS, GC MS, ICP MS, training in Proficiency Test etc organized by various institutes.

11.8. Inter Laboratory Comparison Programmes:

Inter Laboratory Comparison programmes are carried out to check and establish the competency of our laboratories to produce reliable results in analysis of each and every parameter. During the period of one year ILT programmes are organized and participated by 3 QC laboratories for all parameters under scope of accreditation. Outside laboratories who have same scope of analysis and NABL accreditation are invited for participating in the programme. 8 to 10 laboratories participate in the programme. QC Laboratories organized 9 Inter Laboratory Testing programmes and participated in 13 Inter Laboratory Testing programmes. Based on the results submitted by participating laboratories, Z- scores are calculated and informed to all participating laboratories. This exercise is carried out as per NABL requirement.

11.9. Proficiency Test Programmes:

Proficiency Test Programmes are international programmes organized by laboratories like FAPAS, UK accredited to conduct PT programmes for checking and establishing the competency of all laboratories to produce reliable results in analysis. During the year under review the 4 QC Laboratories participated in Proficiency Test programmes for parameters Pesticides, Chloramphenicol, Heavy Metals and Nitrofuran Metabolites conducted by FAPAS, UK and EIA labs at Kolkata and Mumbai.

11.10 आंतरिक लेखा परीक्षा

आंतरिक लेखा परीक्षा प्रयोगशालाओं द्वारा प्रबंधन आवश्यकताओं और तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा रहा हैं, इसकी जॉच करने के लिए आईएसओ / आईईसी 17025:2005 के अनुसार उपलब्ध एक प्रणाली हैं । 3 गु. नि. प्रयोगशालाओं के आंतरिक लेखा परीक्षा कैलेंडर के अनुसार, प्रत्येक प्रयोगशाला के लिए प्रति वर्ष दो आंतरिक लेखा परीक्षाओं के आयोजन की योजना बनाई गई है। लेखा परीक्षक अन्य दो प्रयोगशालाओं से लिए जाते हैं। सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को आईएसओ / आईईसी 17025:2005 के अंतर्गत प्रशिक्षित किया जाता है और ये आंतरिक लेखा परीक्षा के आयोजन करने के लिए सक्षम होते हैं। इसलिए तीन प्रयोगशालाओं में से प्रत्येक के लिए एक आंतरिक लेखा परीक्षा अर्ध वार्षिक तौर पर आयोजित की जाती है और गुनि प्रयोगशाला भुवनेश्वर में एक आंतरिक लेखा परीक्षा आयोजित की गई । वर्ष 2016 के दौरान गु. नि. प्रयोगशालाओं ने 7 आंतरिक लेखा परीक्षाओं का आयोजन किया ।

12.0. एमपीईडीए के अंतर्गत सोसाइटियां

12.1 राजीवगांधी जलकृषि केंद्र (आरजीसीए)

12.1.1 एल.वन्नामी, के लिए प्रजनक ब्रूड स्टॉक गुणन केंद्र, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश

इस परियोजना ने वित्तीय वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य के 47 पणधारकों को 35,692 एसपीएफ़ एल.वन्नामी प्रजनक की आपूर्ति की है। महीनेवार आपूर्ति विवरण नीचे तालिका 17 में दिया गया है।

तालिका 17

माह	लाभार्थियों की संख्या	प्रजनक की आपूर्ति (सं.)
अप्रैल	13	9000
मई	4	1800
जून	3	1500
जुलाई	0	0
अगस्त	7	5600
सितम्बर	0	0
अक्तूबर	2	1160
नवम्बर	0	0
दिसम्बर	7	8100
जनवरी	10	7732
फरवरी	1	800
मार्च	0	0
कुल	**47**	**35692**

12.1.2 एशियन सी बास हैचरी परियोजना, तोडुवाई, नागापट्टिनम जिला, तमिलनाडु

इस वित्तीय वर्ष के दौरान तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा और तेलंगाना से किसानों, उद्यिमयों और सरकारी स्थापना के लिए 236 परीक्षण में 3 मिलियन से अधिक बीजों की आपूर्ति की गई है । तालिका 18 में दिखाए गए है।

11.10. Internal Audits:

Internal Audits are tools available as per ISO / IEC 17025:2005 to check whether management requirements and technical requirements are met by the laboratory. As per the Internal Audit calendar of 3 QC Laboratories it is planned to conduct two internal audits per annum for each laboratory. The auditors are drawn from other two laboratories. All staff and officials are trained under ISO / IEC 17025: 2005 and are competent to conduct the internal audits. So one internal audit each for 3 labs are conducted half yearly and one internal audit conducted in QC Lab Bhubaneswar. The QC Laboratories conducted 7 Internal Audits among the labs during 2016.

12.0 SOCIETIES UNDER MPEDA

12.1 RAJIV GANDHI CENTRE FOR AQUACULTURE (RGCA)

12.1.1. Broodstock Multiplication Centre for *L.vannamei,* Visakhapatnam, Andhra Pradesh

The project has supplied 35,692 no's of SPF *L.vannamei* broodstock to 47 stake holders from Andhra Pradesh and Tamil Nadu states during the financial year. The month wise supply details are given in **Table 17** below.

Table. 17

Month	No. of Beneficiaries	Broodstock supplied (Nos.)
APRIL	13	9000
MAY	4	1800
JUNE	3	1500
JULY	0	0
AUGUST	7	5600
SEPTEMBER	0	0
OCTOBER	2	1160
NOVEMBER	0	0
DECEMBER	7	8100
JANUARY	10	7732
FEBRUARY	1	800
MARCH	0	0
Total	**47**	**35692**

12.1.2. Asian Sea bass Hatchery Project, Thoduvai, Nagapattinam Dist., Tamil Nadu

During this financial year more than 3 million seeds have been supplied in 236 consignments to the farmers, entrepreneurs and Govt. Institutions from Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka, Maharashtra, Haryana and Telangana as shown in **Table 18**.

तालिका 18

माह	लाभार्थियों की संख्या	सीबास बीजों की आपूर्ति (संख्या)
अप्रैल	12	763800
मई	11	48235
जून	43	739310
जुलाई	6	18600
अगस्त	24	189945
सितंबर	16	210625
अक्तूबर	18	269950
नवंबर	15	57431
दिसम्बर	24	249185
जनवरी	20	145461
फरवरी	28	197412
मार्च	19	130898
कुल	**236**	**3020852**

12.1.3 मैंग्रोव कीचड केकडा हैचरी परियोजना, तोडुवाई, नागापट्टिनम जिला, तमिलनाडु

वित्तीय वर्ष के दौरान इस परियोजना से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के किसानों, उद्यमियों और सरकारी संस्थानों के लिए 6.7 लाख से अधिक केकड़ा इन्स्टार्स की आपूर्ति की गई । (तालिका 19)

तालिका 19

माह	लाभार्थियों की संख्या	केकड़ा इन्स्टार्स की आपूर्ति (संख्या)
अप्रैल	4	53830
मई	8	122500
जून	4	12545
जुलाई	2	17650
अगस्त	0	0
सितम्बर	0	0
अक्तूबर	9	90548
नवंबर	6	93370
दिसम्बर	6	94400
जनवरी	9	55070
फरवरी	0	0
मार्च	8	134660
कुल	**56**	**674573**

Table 18

Month	No. Of Beneficiaries	Seabass seeds supplied (Nos.)
APRIL	12	763800
MAY	11	48235
JUNE	43	739310
JULY	6	18600
AUGUST	24	189945
SEPTEMBER	16	210625
OCTOBER	18	269950
NOVEMBER	15	57431
DECEMBER	24	249185
JANUARY	20	145461
FEBRUARY	28	197412
MARCH	19	130898
Total	**236**	**3020852**

12.1.3. Mangrove Mud crab Hatchery Project, Thoduvai, Nagapattinam Dist., Tamil Nadu

From this project more than 6.7 lakh Crab instars were supplied to the farmers, entrepreneurs and Govt. Institutes of Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Maharashtra, West Bengal and Odisha during the financial year (Table 19)

Table 19

Month	No. Of Beneficiaries	Crab instar supplied (Nos.)
APRIL	4	53830
MAY	8	122500
JUNE	4	12545
JULY	2	17650
AUGUST	0	0
SEPTEMBER	0	0
OCTOBER	9	90548
NOVEMBER	6	93370
DECEMBER	6	94400
JANUARY	9	55070
FEBRUARY	0	0
MARCH	8	134660
Total	**56**	**674573**

अध्यक्ष आरजीसीए, डॉ. ए. जयतिलक, मड क्रैब हैचरी के भ्रमण के दौरान क्रैब इंस्टार देखते हुए

12.1.4 जलकृषि प्रदर्शन फार्म कारैक्कल, संघ राज्य क्षेत्र, पांडिचेरी

समीक्षाधीन अवधि के दौरान 1.6 से 3 सेंटीमीटर के आकार के 1.5 लाख क्रैबलेट्स की आपूर्ति आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के किसानों, उद्यमियों और सरकारी संस्थानों के 49 पार्टियों को की गई । माहवार बीज आपूर्ति विवरण नीचे तालिका 20 में दिया गया है ।

तालिका 20

माह	लाभार्थियों की संख्या	क्रैबलेट की आपूर्ति (संख्या)
अप्रैल	5	15158
मई	2	8119
जून	5	18039
जुलाई	3	18777
अगस्त	1	60
सितंबर	0	0
अक्तूबर	0	0
नवंबर	7	21230
दिसंबर	3	10269
जनवरी	8	20823
फरवरी	12	30797
मार्च	3	6600
कुल	**49**	**149872**

President RGCA Dr A Jayathilak,IAS observing Crab instars during Mud crab hatchery visit

12.1.4. Aquaculture Demonstration Farm, Karaikal, U T of Puducherry

During the period under review around 1.5 lakh Crablets of size ranging between 1.6 to 3cm were supplied to 49 parties comprising of farmers, entrepreneurs and Govt. Institutions from Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, Maharashtra, Goa, West Bengal and Odisha. The month-wise seed supply details are given below in Table 20.

Table. 20

Month	No. Of Beneficiaries	Crablets supplied (Nos.)
APRIL	5	15158
MAY	2	8119
JUNE	5	18039
JULY	3	18777
AUGUST	1	60
SEPTEMBER	0	0
OCTOBER	0	0
NOVEMBER	7	21230
DECEMBER	3	10269
JANUARY	8	20823
FEBRUARY	12	30797
MARCH	3	6600
Total	**49**	**149872**

12.1.5 पायलट स्केल समुद्री फिनफिश हैचरी परियोजना, पोषियूर जिला, तिरुवनंतपुरम केरल

समीपाधीन अवधि के दौरान 12 हजार कोबीया बीज आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल राज्य के सरकारी संस्थानों को आपूर्ति की (तालिका 21) गई। इसके अलावा, केरल के किसानों के लिए 8 परेषण में 26,000 से अधिक पंपानो बीज की आपूर्ति की गई है (तालिका 22)

आरजीसीए समुद्री फिनफिश हैचरी परियोजना, पोजियूर से बीज आपूर्ति विवरण

कोबिया बीज

तालिका 21

माह	लाभार्थियों की संख्या	कोबिया फ्राई आपूर्ति (संख्या)
अप्रैल	0	0
मई	0	0
जून	1	3000
जुलाई	0	0
अगस्त	1	7000
सितम्बर	0	0
अक्तूबर	1	2000
नवंबर	1	10
दिसम्बर	0	0
जनवरी	0	0
फ़रवरी	0	0
मार्च	1	359
कुल	**5**	**12369**

पंपानो बीज

तालिका 22

माह	लाभार्थियों की संख्या	पंपानो
अप्रैल	1	4250
मई	2	5710
जून	0	0
जुलाई	0	0
अगस्त	0	0
सितंबर	4	12400
अक्तूबर	1	4128
नवंबर	0	0
दिसंबर	0	0
जनवरी	0	0
फरवरी	0	0
मार्च	0	0
कुल	**8**	**26488**

12.1.5. Pilot Scale Marine Finfish Hatchery Project, Pozhiyur, Thiruvananthapuram Dist of Kerala

During the period under review twelve thousand Cobia seed has been supplied to Govt. Institutions of Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Kerala states (Table 21). Apart from this, over 26,000 no's of Pompano seed has been supplied in 8 consignments to the farmers in Kerala (Table 22).

Seed supply details from RGCA Marine Finfish Hatchery Project, Pozhiyoor

Cobia Seed

Table 21

Month	No. Of Beneficiaries	Cobia fry supplied (Nos.)
APRIL	0	0
MAY	0	0
JUNE	1	3000
JULY	0	0
AUGUST	1	7000
SEPTEMBER	0	0
OCTOBER	1	2000
NOVEMBER	1	10
DECEMBER	0	0
JANUARY	0	0
FEBRUARY	0	0
MARCH	1	359
Total	**5**	**12369**

Pompano seed

Table. 22

Month	No. Of Beneficiaries	Pompano
APRIL	1	4250
MAY	2	5710
JUNE	0	0
JULY	0	0
AUGUST	0	0
SEPTEMBER	4	12400
OCTOBER	1	4128
NOVEMBER	0	0
DECEMBER	0	0
JANUARY	0	0
FEBRUARY	0	0
MARCH	0	0
Total	**8**	**26488**

12.1.6 तिलिपिया परियोजना, मानिकोंडा, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश

इस अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा और पंजाब के किसानों और सरकारी संस्थानों को 3 मिलियन से अधिक सभी नर जीआईएफटी फ्राई की आपूर्ति की गयी (तालिका 23) । इसके अलावा, 48 प्रजनक, कृषि विज्ञान विश्वाविद्यालय, बेंगलूरु को आपूर्ति की गई ।

तालिका 23

माह	लाभार्थियों की संख्या	जीआईएफटी (सं.)
अप्रैल	4	251000
मई	1	150000
जून	1	100
जुलाई	0	0
अगस्त	5	77775
सितंबर	10	292989
अक्तूबर	5	125352
नवंबर	11	324500
दिसंबर	5	525000
जनवरी	4	610136
फरवरी	7	208600
मार्च	7	455325
कुल	**60**	**3020777**

12.1.7 स्कैम्पी प्रजनक विकास परियोजना, कंकीपाडु, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश

लगभग 5.3 लाख बीज और 3000 से अधिक प्रजनक ब्रूड स्टॉक आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्य के किसानों, उद्यमियों और सरकारी संस्थानों के 36 अभिरुचि रखनेवाली पार्टियों के लिए आपूर्ति की गई (तालिका 24) ।

तालिका-24

माह	लाभार्थियों की संख्या	स्कैंपी बीज आपूर्ति (सं.)
अप्रैल	1	35000
मई	0	0
जून	4	57100
जुलाई	5	101500
अगस्त	3	96500
सितंबर	4	87100
अक्तूबर	3	15500
नवंबर	1	15
दिसंबर	1	2000
जनवरी	5	87600
फरवरी	3	46500
मार्च	6	10200
कुल	**36**	**539015**

12.1.6. Tilapia Project, Manikonda, Krishna Dist of Andhra Pradesh

During this period over 3 million all male GIFT fry has been supplied to farmers and Govt. Institutions of Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka, Maharashtra, Telangana, Odisha and Punjab (Table 23). Apart from this, 48 no's of broodstock has been supplied to University of Agricultural Sciences, Bengaluru.

Table 23

Month	No. Of Beneficiaries	GIFT (Nos.)
APRIL	4	251000
MAY	1	150000
JUNE	1	100
JULY	0	0
AUGUST	5	77775
SEPTEMBER	10	292989
OCTOBER	5	125352
NOVEMBER	11	324500
DECEMBER	5	525000
JANUARY	4	610136
FEBRUARY	7	208600
MARCH	7	455325
Total	**60**	**3020777**

12.1.7. Scampi Broodstock Development Project, Kankipadu, Krishna Dist of Andhra Pradesh

Around 5.3 lakh seeds and over 3,000 numbers of brood stock has been supplied to 36 interested parties comprising of farmers, entrepreneurs and Govt. institutions of Andhra Pradesh, Maharashtra and Tamil Nadu (Table24)

Table 24

Month	No. Of Beneficiaries	Scampi seed supplied (Nos.)
APRIL	1	35000
MAY	0	0
JUNE	4	57100
JULY	5	101500
AUGUST	3	96500
SEPTEMBER	4	87100
OCTOBER	3	15500
NOVEMBER	1	15
DECEMBER	1	2000
JANUARY	5	87600
FEBRUARY	3	46500
MARCH	6	10200
Total	**36**	**539015**

12.1.8 तरुवाइकुलम, टूटीकोरिन, तमिलनाडु से आर्टीमिया परियोजना

वित्तीय वर्ष में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र के किसानों और उद्यमियों को इस परियोजना से 430 कि.ग्रा. से अधिक फ्रोजन आर्टीमिया बायोमास और 203 कि.ग्रा.सूखे सिस्ट की आपूर्ति की गई (तालिका 25) ।

ताालिका 25

	लाभार्थियों की संख्या	आर्टीमिया	
		बायोमास (किग्रा)	सिस्ट (टिन)
अप्रैल	5	56	0
मई	6	45	0
जून	5	51	60
जुलाई	4	17.5	18
अगस्त	1	0	13
सितंबर	2	7.5	0
अक्तूबर	4	18.5	6
नवंबर	9	94.5	96
दिसंबर	5	54.5	1
जनवरी	2	36.5	146
फरवरी	5	48	109
मार्च	3	8	3
कुल	**51**	**437**	**452**

12.1.9 एल.वन्नामी, नीलंकरै, चेन्नई के लिए जलीय संगरोध सुविधा

इस वित्तीय वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों के पणधारकों के लिए आयातित कुल 1,87,591 एसपीएफ़ एल.वन्नामी प्रजनक का संगरोधन किया गया (तालिका -26) ।

तालिका 26

माह	संगरोधित प्रजनकों की संख्या
अप्रैल	0
मई	10044
जून	21610
जुलाई	21704
अगस्त	7681
सितंबर	6343
अक्तूबर	23057
नवंबर	22823
दिसंबर	17950
जनवरी	21731
फरवरी	16433
मार्च	18215
कुल	**187591**

12.1.8. Artemia Project, Tharuvaikulam, Tuticorin, Tamil Nadu

Over 430Kg of frozen Artemia biomass and 203 Kg of dried cyst had supplied from this project to farmers, and entrepreneurs of Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala and Maharashtra states during the financial year (Table 25).

Table 25

	No. Of Beneficiaries	Artemia	
		Biomass (kgs.)	Cyst (Tins)
APRIL	5	56	0
MAY	6	45	0
JUNE	5	51	60
JULY	4	17.5	18
AUGUST	1	0	13
SEPTEMBER	2	7.5	0
OCTOBER	4	18.5	6
NOVEMBER	9	94.5	96
DECEMBER	5	54.5	1
JANUARY	2	36.5	146
FEBRUARY	5	48	109
MARCH	3	8	3
Total	**51**	**437**	**452**

12.1.9. Aquatic Quarantine Facility for L.vannamei, Neelankarai, Chennai

During this financial year a total of 1,87,591 no's of imported SPF *L. vannamei* broodstocks were quarantined for the stakeholders of Andhra Pradesh and Tamil Nadu states (**Table 26**).

Table 26

Months	No of brood stocks Quarantined
APRIL	0
MAY	10044
JUNE	21610
JULY	21704
AUGUST	7681
SEPTEMBER	6343
OCTOBER	23057
NOVEMBER	22823
DECEMBER	17950
JANUARY	21731
FEBRUARY	16433
MARCH	18215
Total	**187591**

डॉ. ए. जयतिलक, अध्यक्ष, आरजीसीए, एएफक्यू भ्रमण के दौरान डयूटी स्टाफ के साथ वार्ता करते हुए

12.1.10 सिरकाली, तमिलनाडु प्रौद्योगिकी, अंतरण और प्रशिक्षण

इस वित्तीय वर्ष में विविध जलीय जीवों की खेती (कीचड केकड़ों की कृषि: 11; एशियन सी बास की जलकृषि: 8; जीआईएफटी की ग्रोआउट कृषि, प्रजनन, बीज और उत्पादन: 6; जलकृषि में एक आणविक मार्करों के आवेदन: 1 और समुद्री हैचरियों के लिए जीवित खाद्य कल्चर तकनीक: 1) पर 5 दिनों में लगभग 27 प्रत्यक्ष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थें । 432 की तादाद में किसान, उद्यमी, पणधारक, शोधकर्ता, शिक्षाविद और विभिन्न राज्यों के मात्स्यिकी विभाग के अधिकारी इन प्रशिक्षणों में शामिल थे ।

केन्द्रीय जलकृषि रोग विज्ञान प्रयोगशाला ने विभिन्न श्रिप रोगों के लिए पीसीआर, सुक्ष्मजैविकी और ऊतकविज्ञान के माध्यम से किसानों के तालाबों से एकत्रित लगभग 26,000 नमूनों का विश्लेषण किया।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम (तालिका 27)

Dr A Jayathilak,IAS, President RGCA interacting with duty staff during AQF visit

12.1.10. Technology, Transfer and Trainings, Sirkali, Tamil Nadu

Around 27 no's of 5 days hands on training programmes were conducted during this financial year on farming of diversified aquatic organisms (Farming of Mud crabs: 11 no's; Aquaculture of Asian Sea bass : 8no's; Breeding, Seed Production and Grow out farming of GIFT: 6 no's; Application of Molecular Markers in Aquaculture: 1 no; and Live Feed Culture Techniques for Marine Hatcheries; 1 no). 432 no's of trainees comprising farmers, entrepreneurs, Stake holders, researchers, Academicians and Officers from Department of Fisheries of various states had participated in these trainings.

Central Aquaculture Pathology Laboratory functioning in the Technology, Transfer and Training complex at Sirkali analyzed around 26,000 samples collected from the farmer's ponds through PCR, Microbiology and Histology for various shrimp diseases.

Training programmes conducted during the FY 2016-17 (Table27)

तालिका -27

माह	प्रशिक्षण कार्यक्रम	लाभार्थियों की संख्या
अप्रैल	2	35
मई	3	46
जून	2	22
जुलाई	3	48
अगस्त	5	94
सितंबर	0	0
अक्तूबर	2	27
नवंबर	3	62
दिसंबर	1	9
जनवरी	2	28
फरवरी	2	29
मार्च	2	32
कुल	**27**	**432**

प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान मड क्रैब हैचरी में प्रशिक्षु

12.1.11 आयोजित कार्यशालाएं

राजीव गांधी जलकृषि केन्द्र के प्रौद्योगिकी अंतरण और प्रशिक्षण (टीटीटी) प्रभाग ने 24 मार्च 2017 को आरजीसीए मुख्यालय में श्रिम्प रोग और उसके निवारक उपाय पर एक दिवसीय किसान जागरूकता कार्यक्रम ायोजित किया । तमिलनाडु के पुमपुहार, पट्टुकट्टुई, तिरुवरूर, कोल्लीदाम, वेदाराण्यम, नागापट्टिनम और वेलांकण्णी क्षेत्रों से लगभग 70 किसानों और एमपीईडीए के क्षेत्रीय केंद्र (एक्वा), नागापट्टिनम के अधिकारियों और नाक्सा के क्षेत्रीय कर्मचारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

Table 27

Months	Training progr.	No. of Beneficiaries
APRIL	2	35
MAY	3	46
JUNE	2	22
JULY	3	48
AUGUST	5	94
SEPTEMBER	0	0
OCTOBER	2	27
NOVEMBER	3	62
DECEMBER	1	9
JANUARY	2	28
FEBRUARY	2	29
MARCH	2	32
Total	**27**	**432**

Trainees in Mud crab hatchery during training programme

12.1.11. Workshops Conducted:

Technology Transfer and Training (TTT) division of Rajiv Gandhi Centre for Aquaculture had organised a one day farmer's awareness programme on "Shrimp Diseases and its Preventive Measures" at RGCA head quarters on 24th March 2017. Around 70 farmers from Poompuhar, Pattukottai, Thiruvarur, Kollidam, Vedaranyam, Nagapattinam and Velankanni regions of Tamil Nadu, Officers from Regional Division of MPEDA at Nagapattinam and Regional Staffs of NaCsa have attended this programme.

12.1.12 संगोष्ठियों में प्रतिभागिता

1) आईआईएसएस 2017

आरजीसीए ने 23-25 सितंबर, 2016 के दौरान आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) और भारतीय समुद्री खाद्य निर्यातक संघ (एसईएआई) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 20 वीं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खाद्य मेला-आईआईएसएस 2016 में भाग लिया । वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आरजीसीए स्टॉल ने एशियाई सीबास के फिंगरलिंग्स, जीआईएफटी कोबिया, पोम्पानो और परिपक्व एसपीएफ़ ब्लैक टाइगर श्रिम्प और एसपीएफ़ पी.वन्नामी, स्कैम्पी और मैंग्रोव कीचड केकडा के अपने चमकीले स्टॉक से आगंतुकों को आकर्षित किया।

2) बंगाल मत्स्य उत्सव 2017-05-25

आरजीसीए ने एमपीईडीए - क्षे.के., कोलकाता के साथ 06 जनवरी से 08 जनवरी तक कोलकाता में आयोजित बंगाल मत्स्य उत्सव में भाग लिया । आरजीसीए ने जीआईएफटी और कीचड केकडा के जीवित जीवों का प्रदर्शन किया और किसानों और अन्य इच्छुक आगंतुकों को आरजीसीए के कार्यकलापों वाली विभिन्न पुस्तिका तथा जीआईएफटी और कीचड़ केकड़ा खेती और अन्य आरजीसीए कार्यकलापों के बारे में वीडियो द्वारा अवगत कराया गया ।

12.2 मत्स्य गुणवत्ता प्रबंधन और चिरस्थायी मत्स्यन हेतु नेटवर्क (नेटफ़िश)

मत्स्य गुणवत्ता प्रबंधन एवं चिरस्थायी मत्स्यन हेतु नेटवर्क (नेटफिश), एमपीईडीए के अधीन एक पंजीकृत संस्था वर्ष 2007 के बाद से मछुआरों के समुदाय को विशेष रूप से, मत्स्य गुणवत्ता प्रबंधन, संरक्षण और चिरस्थायी मत्स्यन में सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रभावी स्तर के विस्तारण कार्य कर रहा है, नेटफिश द्वारा भारत के सभी समुद्र तटीय राज्यों के लैंडिंग केंद्रो एवं चुनिंदा बंदरगाहों के आस पास के क्षेत्रों में आवश्यकता आधारित कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए । अब तक नेटफिश द्वारा विभिन्न समूहों के अच्छी तादाद में मत्स्य हितधारकों के फायदे के लिए लगभग 24699 विस्तार कार्यक्रम आयोजित किए गए ।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में, नेटफिश ने 1877 विस्तार कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें 1680 नियमित जागरूकताा कक्षाएं और 197 विशेष कार्यक्रम जैसे नुक्कड नाटक (स्ट्रीट प्ले) (110 सं.), चिकित्सा कैंप (7 सं), सफाई कार्यक्रम (30 सं.),रैली (4 सं.), स्कूल कार्यक्रम (18 सं.), द्वार-द्वार कार्यक्रम (4 सं.), जन संपर्क (13 सं.) और अन्य विशेष कार्यक्रम (11 सं.)

'मत्स्यन में स्वदेशी पारम्परिक ज्ञान' पर संगोष्ठी का उदघाटन करते हुए डॉ निकिता गोपाल, मुख्य वैज्ञानिक, सीआईएफटी

12.1.12. Seminars Attended:

1) IISS 2017

RGCA participated in the 20th India International Seafood Show-IISS 2016, jointly organised by the Marine Products Export Development Authority (MPEDA) and the Sea food Exporters Association of India (SEAI) at Visakhapatnam, Andhra Pradesh during 23-25 September, 2016. RGCA stall in the Ministry of Commerce & Industry pavilion attracted the visitors with its vibrant stock of the fingerlings of Asian Seabass, GIFT, Cobia, Pompano and adults of SPF Black Tiger shrimp and SPF *P.vannamei*, Scampi and Mangrove Mud Crab.

2) Bengal Fish Fest 2017-05-25

RGCA along with MPEDA-RC, Kolkata had participated in Bengal Fish Fest held from 06th January to 08th January at Kolkata. RGCA had exhibited the live animals of GIFT and Mud Crab and the farmers and other interested visitors were explained about GIFT & mud crab farming and other RGCA activities through videos and various leaflets containing RGCA's activities.

12.2 Network for Fish Quality Management and Sustainable Fishing (NETFISH)

Network for Fish Quality Management and Sustainable Fishing (NETFISH), a registered society under the MPEDA, has been carrying out effective extension work at grass root level, since 2007, to empower fishermen community particularly on fish quality management, conservation and sustainable fishing. Multiple need based training programmes were undertaken by NETFISH at areas in and around selected harbours and landing centres in all maritime states of India. So far, around 24699 extension programmes were conducted by NETFISH, benefitting a good number of fishery stakeholders belonging to diverse groups.

In the financial year 2016-17, NETFISH conducted 1877 extension programmes, which were comprised of 1680 regular awareness classes and 197 special programmes such as Street play (110 nos.), Medical camp (7 nos.), Clean-up programme (30 nos.), rally (4 nos.), School programme (18 nos.), Door to door programme (4 nos.), Mass communication (13 nos.) and Other special programmes (11 nos.).

Dr. Nikita Gopal, Principal Scientist, CIFT inaugurating the seminar on " Indigenous Traditional Knowledge in Fisheries"

कोच्ची में एमएलएस कार्यशाला का उदघाटन करते हुए केरल के मत्स्यन मंत्री

मुनक्काकाडुवु हार्बर क्लीन अप- हार्बर की सफाई करते छात्र एवं कार्मिक

Fisheries Minister of Kerala inaugurating the MLS workshop held at Kochi

Munakkakadavu Harbour Cleanup-Students and workers cleaning the harbour

पश्चिम बंगाल में आयोजित नि:शुल्क चिकित्सा शिविर

स्वच्छता पखवाड़ा- वेरावल हार्बर का स्वच्छता कार्यक्रम

Free Medical camp conducted in West Bengal

Swacchta Pakhwada-Cleanup programme at Veraval Harbour

12.3 राष्ट्रीय चिरस्थाई जलकृषि केंद्र (नाक्सा)

किसानों का चिरस्थायी और पर्यावरणअनुकूल कृषि के तरीकों के उपयोग में सुधार और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इसके योगदान के लिए संबंधित अभिकरणों द्वारा प्रभावी विस्तारण कार्य आवश्यक और पूर्वाकांक्षित है । हालांकि कई केन्द्रीय एवं राज्य अभिकरण इसमें जुटे हैं एवं अपने विस्तारण नेटवर्क के माध्यम से तकनीकी सहायता प्रदान कर रहे हैं, तथापि कृषकों की षीर संख्या और दूरवर्ती स्थानों के कारण अधिकाधिक कृषकों तक पहुँच पाना असंभव है । इसका समाधान करने के लिए, एमपीईडीए ने राष्ट्रीय चिरस्थाई जलकृषि केंद्र (नाक्सा) नामक एक विस्तारण शाखा शुरु की थी ।

नाक्सा के मुख्य उद्देश्यः

- भागीदारी दृष्टिकोण के माध्यम से जलकृषि चिरस्थाइता में सुधार के लिए वैज्ञानिक प्रबंधन को बढ़ावा देना।
- छोटे पैमाने के जलकृषि कृषकों को सशक्त बनाना और क्षमता निर्माण ।
- छोटे पैमाने के जलकृषि के लिए बेहतर सेवा प्रावधान की सुविधा प्रदान करना।
- कृषकों को अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिए बेहतर कीमत प्राप्त करने के लिए बाज़ारों से जोडना।
- जलकृषि उत्पादकता और मुनाफे में सुधार के लिए बेहतर प्रबंधन तरीकों को बढ़ावा देकर पणधारियों के बीच पारस्पारिक विचारविमर्श की सुविधा प्रदान कराना।

12.3.1 वर्ष 2016-17 के दौरान नाक्सा की उपलब्धियां

नई गठित सोसाइटियाँ

तालिका 28

अनु.क्र.	जगह का नाम	नई गठित सोसाइटी
1	ओडिशा	3
2	आंध्रप्रदेश	9
3	तामिलनाडु	2
4	पश्चिम बंगाल	5
5	कर्नाटक	2
	कुल	**21**

12.3.2 सीओपी लेखापरीक्षा प्रयुक्त और संचालित

तालिका 29

अनु.क्र.	जगह का नाम	सीओपी लेखापरीक्षा आवेदित सोसायटियाँ	सीओपी लेखापरीक्षा संपन्न
1	आंध्रप्रदेश	46	33
2	तामिलनाडु	18	12
3	कर्नाटक	1	1
	कुल	**65**	**46**

12.3 NATIONAL CENTRE FOR SUSTAINABLE AQUACULTURE (NaCSA)

To improve access of farmers to sustainable and eco-friendly farming methods and its contribution to national economy, effective extension work is essential and prerequisite from the concerned agencies. Although several Central and State agencies are involved and extending technical assistance through their extension network, it has not been possible to reach a major chunk of these farmers due to their sheer numbers and remote locations. To address this, MPEDA had started an extension arm called National Centre for Sustainable Aquaculture (NaCSA).

Objectives of NaCSA:

- Promote scientific management to improve aquaculture sustainability through participatory approach.
- Empower and build capacity of small scale aquaculture farmers.
- Facilitate improved service provision to small scale aquaculture farmers.
- Connect farmers to markets to receive better prices for good quality products.
- Facilitate interaction among stakeholders by promoting better management practices to improve aquaculture productivity and profits.

12.3.1 ACHIEVEMENTS OF NaCSA DURING 2016-17

NEW SOCIETIES FORMED

Table 28

SL NO	NAME OF AREA	NEW SOCIETY FORMED
1	ODISHA	3
2	ANDHRAPRADESH	9
3	TAMIL NADU	2
4	WEST BENGAL	5
5	KARNATAKA	2
	TOTAL	**21**

12.3.2 COP AUDIT APPLIED AND CONDUCTED

Table 29

SL NO	NAME OF AREA	COP AUDIT APPLIED SOCIETIES	COP AUDIT COMPLETED
1	ANDHRAPRADESH	46	33
2	TAMIL NADU	18	12
3	KARNATAKA	1	1
	TOTAL	**65**	**46**

12.3.3 सीएए नवीकरण

तालिका 30

अनु.क्र.	जगह का नाम	सीएए नवीकरण के लिए प्रयुक्त
1	ओडिशा	58
2	आंध्रप्रदेश	768
3	कर्नाटक	32
4	तामिलनाडु	10
	कुल	**868**

12.3.4 आयोजित सोसायटी बैठकें

तालिका 31

अनु.क्र.	जगह का नाम	आयोजित की गई बैठकें	उपस्थित किसानों की संख्या
1	ओडिशा	147	2112
2	आंध्रप्रदेश	293	4882
3	तामिलनाडू	40	687
4	पश्चिम बंगाल	60	541
5	कर्नाटक	44	380
	कुल	**569**	**8559**

12.3.5 नमूना एकत्रीकरण

तालिका 32

अनु.क्र.	जगह का नाम	संचित नमूनों की संख्या	ईएचपी का परिणाम
1	ओडिशा	82	27
2	आंध्रप्रदेश	125	81
3	तामिलनाडू	40	22
4	कर्नाटक	12	5
	कुल	**259**	**135**

12.3.6 सुसाध्य किए गए केकडा बीज सरल विवरण

तालिका 33

अनु.क्र.	जगह का नाम	राज्य	कुल क्षेत्र (हैक्टर)	कुल तालाब	कुल केकडा बीज	कुल उत्पादन (टन में)
1	कृष्णा	आंध्रप्रदेश	17	32	45000	7.5
2	पूर्व गोदावरी जिला	आंध्रप्रदेश	22.33	30	24000	9.7
	कुल		**39.33**	**62**	**69000**	**17.2**

12.3.3 CAA RENEWALS

Table 30

SL NO	NAME OF AREA	CAA APPLIED FOR RENEWAL
1	ODISHA	58
2	ANDHRAPRADESH	768
3	KARNATAKA	32
4	TAMIL NADU	10
	TOTAL	**868**

12.3.4 SOCIETY MEETINGS CONDUCTED

Table 31

SL NO	NAME OF AREA	MEETINGS CONDUTED	NO OF FARMERS ATTENDED
1	ODISHA	147	2112
2	ANDHRAPRADESH	293	4882
3	TAMIL NADU	40	687
4	WEST BENGAL	60	541
5	KARNATAKA	44	380
	TOTAL	**569**	**8559**

12.3.5 SAMPLE COLLECTION

Table 32

SL NO	NAME OF AREA	NO OF SAMPLES COLLECTET	RESULT OF EHP +
1	ODISHA	82	27
2	ANDHRAPRADESH	125	81
3	TAMIL NADU	40	22
4	KARANATAKA	12	5
	TOTAL	**259**	**135**

12.3.6 CRAB SEED FACILITATED DETAILS

Table 33

SL NO	NAME OF AREA	STATE	TOTAL AREA (HA)	TOTAL PONDS	TOTAL CRAB SEED	TOTAL PRODUCTION (TONS)
1	KRISHNA	ANDHRA PRADESH	17	32	45000	7.5
2	EAST GODAVARI DISTRICT	ANDHRA PRADESH	22.33	30	24000	9.7
	TOTAL		**39.33**	**62**	**69000**	**17.2**

12.3.7 पीएचटी नामांकन

तालिका 34

अनु.क्र.	जगह	किसान
1	आंध्रप्रदेश	262
2	ओडिशा	71
3	तामिलनाडु	57
4	पश्चिम बंगाल	47
	कुल	**437**

13.0 विशेष पहल

सुश्री रीता तेवतिया आई ए एस, सचिव, वाणिज्य विभाग ने 16 मार्च 2017 को एमपीईडीए की तीन पहलों का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य भारत सरकार द्वारा डिजिटल भारत की अवधारणा को बढ़ावा देने और निर्यात उन्मुख जलकृषि के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना है।

सुश्री रीता तेवतिया, भाप्रसे, सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, एमपीईडीए मुख्यालय, कोच्ची का भ्रमण करते हुए

12.3.7 PHT ENROLLMENT

Table 34

SL NO	AREA	FARMERS
1	ANDHRAPRADESH	262
2	ODISHA	71
3	TAMIL NADU	57
4	WEST BENGAL	47
	TOTAL	**437**

13.0. SPECIAL INITIATIVES

Ms. Rita Teaotia IAS, Secretary,Department of Commerce has inaugurated three initiatives of MPEDA on 16th March 2017, which is intended to give a fillip to the Digital India concept by the Government of India and to provide technical assistance to the export oriented aquaculture.

Ms. Rita Teaotia, IAS, Secretary, Ministry of Commerce and Industry, Govt. of India visiting MPEDA HO, Kochi

सुश्री रीता तेवतिया, भाप्रसे, सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार को हैल्थ क्लब के कार्यकलापों के विषय में जानकारी देते हुए, डॉ.ए.जयतिलक, भाप्रसे, अध्यक्ष, एमपीईडीए

13.01 फिश एक्सचेंज पोर्टल

एमपीईएडीए द्वारा विकसित ऑनलाइन व्यापारिक विनिमय मंच, फिश एक्सचेंज, व्यापारियों की जरूरतों को पूरा करने तथा एमपीएडीए के साथ पंजीकृत भारतीय समुद्री खाद्य निर्यातकों और विव भर में खरीददारों के साथ चर्चा करने और भारत से समुद्री खाद्य उपलब्ध कराने के लिए 'एक स्टॉप शॅप' के रूप में कार्य करता है । www.fishexchange.mpeda.gov.in में पोर्टल तक पहुंचा जा सकता है।

13.02 ई-ऑफिस कार्यान्वयन

सुश्री रीता तेवतिया आई ई ए एस ने एमपीएडए का ई-ऑफिस भी लॉन्च किया जो कार्यालय को पारदर्शी, पेपर मुक्त और द्रुतगामी बनाने हेतु राष्ट्रीय ई गवर्नेन्स प्लान (एनईजीपी) के अनुरूप है ।

सुश्री रीता तेवतिया, भाप्रसे, सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, एमपीईडीए मुख्यालय, कोच्ची में ई-ऑफिस का उदघाटन करते हुए

Dr. A Jayathilak, IAS, Chairman, MPEDA explains the Health Club activities to Ms. Rita Teaotia, IAS, Secretary, MoC&I, Govt. of India during her visit to MPEDA HO

13.01 Fish exchange Portal

The online business exchange platform, the 'Fish Exchange', developed by the MPEDA acts as a 'one stop shop' for the entire gamut of trade needs, would facilitate the Indian seafood exporters registered with MPEDA and buyers across the globe to interact and source seafood from India. The portal can be accessed at www.fishexchange.mpeda.gov.in

13.02 e-Office implementation

Ms. Rita Teaotia IAS has also launched the e-office of MPEDA, which is in tune with the National e-Governance Plan (NeGP), to enable a fast, transparent and paperless office.

Ms. Rita Teaotia, IAS, Secretary, Ministry of Commerce and Industry, Govt. of India inaugurating the e-office at MPEDA Head office, Kochi

13.03 आत्म निर्भरता परियोजना

एमपीएडए ने कोच्चि के वल्लारपाडम के अपने हैचरी और प्रशिक्षण कॉम्प्लेक्स में पहली आत्म निर्भरता परियोजना (एसएसपी) शुरूकी है जो निर्यात उन्मुख जलकृषि के लिए गुणवत्ता वाले बीज प्रदान करने हेतु एमपीईडीए द्वारा किए गए प्रयासों को आगे बढ़ाएगी। परियोजना के अंतर्गत, आनुवंशिक रूप से उन्नत फार्म्ड तिलिपिया (गिफ्ट) बीज के लिए नर्सरी पालन सुविधाओं की स्थापना की गई है, जो चरणबद्ध तरीके से फिनफिश और शेल फिश की विभिन्न प्रजातियों में विस्तारित की जाएंगी।

सुश्री रीता तेवतिया, भाप्रसे, सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार को आत्मनिर्भरता परियोजना, वल्लारपाडम के भ्रमण के दौरान स्वागत करते हुए, डॉ.ए.जयतिलक, भाप्रसे, अध्यक्ष, एमपीईडीए

सुश्री रीता तेवतिया, भाप्रसे, सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार का आत्मनिर्भरता परियोजना, वल्लारपाडम में भ्रमण

13.03 Self Sufficiency Project

MPEDA has launched its first Self Sufficiency Project (SSP) at its Hatchery and Training Complex at Vallarpadam, Kochi which would be stepping up the efforts made by MPEDA to provide quality seeds for export oriented aquaculture. Under the project, nursery rearing facilities for Genetically Improved Farmed Tilapia (GIFT) seeds have been set up, which will be expanded to different species of finfish and shell fish in a phased manner.

Dr. A Jayathilak, IAS, Chairman, MPEDA receives Ms. Rita Teaotia, IAS, Secretary, Ministry of Commerce and Industry, Govt. of India during the visit at Self Sufficiency Project, Vallarpadom

Ms. Rita Teaotia , Commerce Secretary, Govt. of India visit to Self Sufficiency Project, Vallarpadom

सुश्री रीता तेवतिया, भाप्रसे, सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार का आत्मनिर्भरता परियोजना, वल्लारपाडम में भ्रमण

14.0 राजभाषा कार्यकलाप

वर्ष 2016-17 के दौरान, एमपीईडीए के मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतू प्रभावी कदम उठाए गए । प्रत्येक तिमाही में मुख्यालय और इसके सारे क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित की गईं । सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने कार्यालयीन कार्य हिंदी में सहजता से करने हेतु हिंदी कार्यशाला और हिंदी संगोष्ठियॉं आयोजित की गई । वर्ष के दौरान राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की जॉंच करने हेतु एमपीईडीए मुख्यालय के 15 अनुभागों और इसके 06 क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण किया गया। एमपीईडीए मुख्यालय और इसके सभी आरडी (क्षेत्रीय प्रभाग) अपने संबंधित क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों के साथ पंजीकृत किए गए और एमपीईडीए मुख्यालय और इसके सभी क्षेत्रीय कार्यालयों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट ऑनलाइन के माध्यम से समय पर प्रस्तुत की जा रही हैं । वर्ष 2016-17 के दौरान सभी अधिकारियों को उनके जन्मदिन पर हिंदी में जन्मदिन की शुभकामनाएं कार्ड जारी किए गए हैं ।

एमपीईडीए और उसके क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों और उनके बच्चों के बीच हिंदी को लोकप्रिय बनाने के लिए हिंदी माह और हिंदी दिवस, हिंदी पखवाडे का आयोजन किया गया । समारोह के दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं जैसे टिप्पण और आलेखन, निबंध लेखन, गीत, समाचार पढ़ना, कविता पाठ, प्रश्नोत्तरी, कंप्यूटर में टाइपिंग आदि का आयोजन किया गया। एमपीईएडीए अधिकारियों के बच्चों के लिए कहानी कथन, कविता पाठ, हिंदी गाने, हिंदी समाचार वाचन जैसी हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी थी और एर्णाकुलम जिले के स्कूल के बच्चों के लिए हिंदी गीत और हिंदी भाषण के अलगअलग कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और विजेताओं को समापन समारोह के दौरान पुरस्कार प्रदान किए गए ।

वर्ष के दौरान एमपीईडीए की अर्धवार्षिक हिंदी गृहपत्रिका 'सागरिका' (60 पृष्ठ) के दो विशेष अंको का प्रकाशन किया गया ।

एमपीईडीए ने राजभाषा के सर्वोत्तम कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2015-16 के दौरान राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा संस्थापित राष्ट्रीय स्तर का "**राजभाषा कीर्ति**" पुरस्कार प्राप्त किया । 14 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में **भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी** द्वारा दिया गया यह पुरस्कार **श्री बी श्रीकुमार**, सचिव ने प्राप्त किया । प्राधिकरण ने राजभाषा के सर्वोत्तम कार्यान्वयन

Ms. Rita Teaotia , Commerce Secretary, Govt. of India visit to Self Sufficiency Project, Vallarpadom

14.0. OFFICIAL LANGUAGE IMPLEMENTATION

During the Year 2016-17, effective measures were taken to implement the Official Language policy in MPEDA. The Official Language Implementation Committee meetings were convened in MPEDA-HO and all its Field Offices in every quarter. Hindi Workshops and Hindi Seminars were conducted to equip all the officials to attend their Official work in Hindi effortlessly. 15 sections at MPEDA Head Quarters and 06 of its Field Offices were inspected during the year to keep verification on Implementation of the Official Language Policy. MPEDA-HO and all its RDs are registered with their respective RIO's and Progress Reports of MPEDA HO and all its Field Offices have been submitted in every quarter on time through online.Birthday wishes cards in Hindi have been issued to all the Officials on their birthdays during the year 2016-17.

To popularize Hindi among the Officials of MPEDA and their Children and its Field Offices, Hindi Month, Hindi Fortnight and Hindi Day were celebrated. During the celebrations various Hindi competitions like Noting and Drafting, Précis writing, Singing Song, News Reading, Poetry Recitation, Quiz, Typing on Computers etc. were organized. Hindi Competitions like story telling, Poetry Recitation, Hindi songs, Hindi News Reading were held for the children of MPEDA Officials and Hindi songs & Hindi Elocution were separately conducted for the School Children of Ernakulam District and prizes were awarded to the winners during the Valedictory Function.

Two special issues of **"SAGARIKA" (60 pages)**" Half yearly In-house Hindi Magazine of MPEDA were published during the year.

MPEDA received National Level **"Rajbhasha Keerti Award"** instituted by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Govt. of India, New Delhi for the best implementation of Official Language during year 2015-16. The award was given by **Honorable President of India Shri Pranab Mukherjee** and received by the **Secretary - Shri. B. Sreekumar** on 14 September 2016 in Rashtrapati Bhavan, New Delhi.

हेतु वर्ष 2015-16 के लिए क्षेत्र में स्थित बोर्ड / स्वायत्त निकाय / ट्रस्ट / सोसायटी की श्रेणी में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार,नई दिल्ली द्वारा संस्थापित राष्ट्रीय स्तर की "**प्रथम राजभाषा शील्ड**" प्राप्त की है। यह पुरस्कार माननीय अध्यक्ष **डॉ.ए.जयतिलक आईएएस ने वाणिज्य सचिव सुश्री रीता तेवतिया, आईएएस** द्वारा उद्योग भवन, नई दिल्ली में प्राप्त किया ।

प्राधिकरण ने सर्वश्रेष्ठ राजभाषा कार्यान्वयन के लिए बोर्ड / स्वायत्त निकाय / ट्रस्ट / सोसाइटी की श्रेणी में वर्ष 2015-16 के लिए कोचीन नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, कोचीन द्वारा संस्थापित '**प्रथम राजभाषा रोलिंग शील्ड**' 18 जनवरी 2017 को कोच्ची में प्राप्त की ।

भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी से एमपीईडीए में राजभाषा के सर्वोत्तम कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय स्तर का 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' प्राप्त करते हुए सचिव श्री बी.श्रीकुमार

सुश्री रीता तेवतिया, भाप्रसे, सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार से एमपीईडीए में राजभाषा के सर्वोत्तम कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय स्तर की 'प्रथम राजभाषा शील्ड' प्राप्त करते हुए डॉ.ए.जयतिलक, अध्यक्ष, एमपीईडीए

The Authority has bagged National Level **"First Official Language Shield"** instituted by Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India, New Delhi for the best implementation of the Official Language in the category of Board/ Autonomous Body/ Trust/Society situated in the Region "C" for the year 2015-16. The award was received by **Hon'ble Chairman Dr. A. Jayathilak**, **I.A.S.** from **Commerce Secretary Ms. Rita Teaotia, I.A.S** in Udyog Bhavan, New Delhi.

The Authority received the **"First Official Language Rolling Shield"** instituted by Cochin Town Official Language Implementation Committee, Cochin for the year 2015-16 in the category of Board/ Autonomous Body/ Trust/ Society for the best Official Language Implementation on 18 January 2017 in Kochi.

Shri. B Sreekumar, Secretary receiving National level " RAJBHASHA KEERTI AWARD" from Hon'ble President of India Shri Pranab Mukherjee for best implementation of Official Language in MPEDA

Dr. A Jayathilak, I.A.S, Chairman receiving National Level " First Rajbhasha Shield" from Ms. Rita Teaotia, I.A.S, Secretary, Ministry of Commerce & Industry for best implementation of official language in MPEDA

15.0. अन्य कार्यकलाप

एमपीईडीए ने निम्नलिखित कार्यकलाप संपादित किए :

रन फॉर यूनिटी

देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के वास्तविक और संभावित खतरों का सामना करने के अपने दो की निहित ताकत और तन्यकता की पुष्टि करने के लिए एमपीईडीए ने दिनांक 31 अक्टूबर, 2016 को सरदार वल्लभभाई पटेल के जन्मदिन की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया । श्री बी श्रीकुमार, सचिव, एमपीईडीए ने शपथ दिलवाई । शपथ लेने के बाद एमपीएडीए, मुख्यालय से मनोरमा जंक्शन और वहाँ से वापस एक दौड़ का आयोजन किया गया । श्री बी श्रीकुमार, सचिव, एमपीएडीए ने दौड़ के लिए झंडी दिखाई । एकता के लिए दौड़ बैनर के तहत देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को मजबूत करने के प्रति अपने ऐक्यभाव प्रकट करने के लिए 70 से अधिक अधिकारियों ने इस दौड़ में भाग लिया।

एमपीईडीए सचिव श्री बी. श्रीकुमार, राष्ट्रीय एकता दिवस पर 'रन फॉर यूनिटी' के बैनर तले, धावन हेतु झण्डी दिखाते हुए

स्वच्छ भारत अभियान

एमपीईडीए ने अपने सभी कार्यालयों में स्वच्छ भारत अभियान में कर्मचारियों की भागीदारी के लिए सभी प्रयास किए हैं और मंत्रालय द्वारा निर्देशित कार्रवाई की शुरुआत की है।

15.0. OTHER ACTIVITIES

MPEDA conducted the following activities:

RUN FOR UNITY

MPEDA celebrated the birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel as "Rashtriya Ekta Diwas" (National Unity Day) on 31st October, 2016 to re-affirm the inherent strength and resilience of our nation to withstand the actual and potential threats to the unity, integrity and security of our country. Shri B Sreekumar, Secretary, MPEDA read out the pledge. After the pledge a run has been conducted from MPEDA, Head Office to Manorama junction and back. Shri B Sreekumar, Secretary, MPEDA flagged off the run. More than 70 officials were participated in the run to mark their solidarity to strengthen unity, integrity and security of the nation under the banner "RUN FOR UNITY".

Shri B Sreekumar, Secretary, MPEDA flagged off the run under the banner "RUN FOR UNITY on Rashtriya Ekta Diwas

Swachh Bharat Mission

MPEDA has taken all efforts for mobilizing employee's participation on Swachh Bharat Mission in all offices of MPEDA and have initiated action as directed by the Ministry.

एमपीईडीए एवं स्पाइसेस बोर्ड स्टाफ क्लब द्वारा संयुक्त रुप से गवर्नमेंट प्राइमरी हैल्थ सेंटर, नेटटूर के परिसर में स्वच्छ भारत अभियान सफाई अभियान

16.0. आभारोक्ति

समुद्री खाद्य निर्यात उद्योग द्वारा रिकार्ड निर्यात को प्राप्त करने हेतु उठाए गए यथार्थ प्रयासों के लिए धन्यवाद करते हैं । सभी केन्द्रीय मंत्रालयों, योजना आयोग एवं राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग के लिए समान रूप से कृतज्ञता प्रकट करते हैं । भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी), विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), आईसीएआर संस्थानों (सीआईएफटी/सीएमएफआरआई/सिबा), राष्ट्रीय फसल पूर्व मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (एफएसआई) और केन्द्रीय मात्स्यिकी नौपरिवहन एवं इंजिनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान (सिफनेट), महासागर विकास विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग आदि ने भी समुद्री उत्पादों के व्यापार के विकास एवं समुद्री उत्पादों के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने में एक सक्रिय भूमिका निभाई है । महत्वपूर्ण विदेशी बाज़ारों में हमारे दूतावासों ने समुद्री उत्पादों के निर्यात विपणन के संबंधित विभिन्न समस्याओं को सुलझाने में अपना सहयोग दिया और उन बाज़ारों में हमारे निर्यात को बढ़ावा देने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं । प्राधिकरण इन सभी संगठनों को अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है । प्राधिकरण, समुद्री खाद्य निर्यात उद्योग और व्यापार द्वारा दिए गए समर्थन और सहयोग के लिए अत्यधिक ऋणी है ।

एमपीईडीए के मुख्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की समर्पित सेवा, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं उप क्षेत्रीय कार्यालयों, जलकृषि संवर्धन केन्द्रों, गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं और व्यापार संवर्धन कार्यालयों, विदेश एवं दिल्ली ने समग्र कार्य निष्पादन के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा प्राधिकरण सराहना के साथ उनके योगदानों के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करता है ।

Swachh Bharat Mission Cleaning Campaign at the Premises of Government Primary Health Centre, Nettoor jointly by MPEDA & Spices Board Staff Club

16.0. ACKNOWLEDGEMENT

The sincere efforts taken by the seafood export industry for achieving the record exports is acknowledged. The active co-operation of all the Central Ministries, the Planning Commission and the State Governments is gratefully acknowledges the same. The Export Inspection Council of India (EIC), the Directorate General of Foreign Trade (DGFT), the ICAR Institutes (CIFT/ CMFRI/ CIBA), the National Institute of Fisheries Post Harvest Technology, the Fishery Survey of India (FSI) and the Central Institute of Fisheries Nautical & Engineering Training (CIFNET), Department of Ocean Development, Department of Bio-Technology, etc. have also played active role in developing the trade and achieving the export of marine products. Our embassies in the important overseas markets have extended their co-operation in solving various problems relating to export marketing of seafoods and also played an important role in boosting our exports to those markets. The Authority also wishes to place on record its gratitude to all these organisations. The Authority is also deeply indebted to the support and co-operation extended by the seafood export industry and trade.

The dedicated services of the officers and staff of MPEDA at its Head Quarters, Regional Offices and the Sub Regional Offices, Aquaculture Promotion Centres, Quality Control Laboratories and the Trade Promotion Offices Overseas and at Delhi have contributed significantly to the overall functioning and performance and the Authority wishes to acknowledge their contribution with appreciation.

परिशिष्ट 1

31.03.2017 के अनुसार प्राधिकरण के सदस्यों की सूची

डॉ.ए.जयतिलक, भा.प्र.से
अध्यक्ष, एमपीईडीए
एमपीईडीए भवन, पनंपिल्ली एवन्यू,
कोचीन -682036
ईमेल : jayathilak@nic.in

निदेशक
(रिक्त)
एमपीईडीए
एमपीईडीए भवन, पनंपिल्ली एवन्यू,
कोचीन - 682 036

डॉ कंभांपती हरिबाबू
माननीय सांसद सदस्य (लोक सभा)
फ्लैट सं: सी 2, ऐस्पेन हाइट्स
दासप्पल्ला हिल्स, विशाखपट्टणन
आंध्र प्रदेश - 530 003
ईमेल : kharibabump@gmail.com

श्री कलिकेश नारायण सिंह देव
माननीय सांसद सदस्य (लोक सभा)
एबी-5, पंढारा रोड, नई दिल्ली- 100 003
ईमेल : mpbdangiu@gmail.com
kalikesh.singhdeo@sansad.nic.in

सुश्री दोला सेन
माननीय सांसद सदस्य (लोक सभा)
एबी-5, पंढारा रोड,
नई दिल्ली -100 003
Ds2011.2011@rediffmail.com

श्री आदित्य कुमार जोशी, आई एफ एस
संयुक्त सचिव (मात्स्यिकी)
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
दुग्ध एवं मात्स्यिकी तथा पशुपालन विभाग
कमरा सं. 221, कृषि भवन
डॉ राजेन्द्र प्रसाद रोड,
नई दिल्ली - 110 001.
ईमेल : jsfy@nic.in; aditya0185@gmail.com
aditya44@hotmail.com

सुश्री रूपा दत्ता
निदेशक की आर्थिक सलाहकार (वित्त)
वाणिज्य विभाग,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
कमरा सं. 224, उद्योग भवन,
नई दिल्ली - 110 011.
ईमेल : rupa.dutta@nic.in

श्री पी.वी.हरि कृष्णा
निदेशक ईपी (एमपी)
वाणिज्य विभाग,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
कमरा सं.250, उद्योग भवन,
नई दिल्ली - 110 011
ईमेल : pvhari.krishna@gov.in

श्री पराग गुप्ता, भा.प्र.से
संयुक्त सचिव,
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
भारत सरकार
कमरा सं 207
पंचशील भवन
अगस्त क्रांति, नई दिल्ली - 110 049.
ई.मेंल : parag.gupta@gov.in

श्री सुधीर जी.भंडारे
उप महा निदेशक
नौवहन महानिदेशालय,
बीटा बिल्डिंग, नवॉ तल
I-थिंक टेक्नो कैम्पस,
कांजुर मार्ग (पूर्व)
मुंबई - 400 042.
ईमेल : sgb-dgs@nic.in

श्री राम शंकर नाईक, भा.प्र.से
आयुक्त
मात्स्यिकी विभाग
आंध्रप्रदेश सरकार, भंदार रोड, पोरांकी,
विजयवाडा-521 137
ईमेल : ramasankar97@gmail.com
comfishap@gmail.com

श्रीमती मोना खांधार, भा.प्र.से
सचिव (मात्स्यिकी)
गुजरात सरकार
सं.5, पहला तल, सरदार भवन,
नया सचिवालय,गांधीनगर,
गुजरात - 382 010
ईमेल : seccpd@gujarat.gov.in

Appendix I

LIST OF AUTHORITY MEMBERS AS ON 31.03.2017

Dr. A JAYATHILAK, IAS
Chairman, M P E D A
MPEDA House, Panampilly Avenue
Cochin - 682 036
Email : jayathilak@nic.in

Director
(Vacant)
M P E D A
MPEDA House, Panampilly Avenue
Cochin - 682 036

Dr. Kambhampati Hari Babu
Hon'ble Member of Parliament (Lok Sabha)
Flat No. C2, Aspen Heights
Dasapalla Hills, Vishakapatnam
Andhra Pradesh - 530 003
Email : kharibabump@gmail.com

Shri. Kalikesh Narayan Singh Deo
Hon'ble Member of Parliament (Lok Sabha)
AB-5, Pandara Road,
New Delhi - 100 003
Email : mpbdangiu@gmail.com
kalikesh.singhdeo@sansad.nic.in

Ms. Dola Sen
Hon'ble Member of Parliament (Rajya Sabha)
Flat No. C-701, Swarna Jayanti Sadan
Dr. B.D. Marg
New Delhi- 100 003
Email : ds2011.2011@rediffmail.com

Shri. Aditya Kumar Joshi, IFS
Joint Secretary (Fisheries)
Government of India, Ministry of Agriculture
Dept. of AH, Dairying & Fisheries
Room No. 221, Krishi Bhawan
Dr. Rajendra Prasad Road
New Delhi - 110 001
Email : jsfy@nic.in; aditya0185@gmail.com
aditya44@hotmail.com

Ms. Rupa Dutta
Economic Advisor for Director (Finance)
Department of Commerce
Ministry of Commerce & Industry
Room No. 224, Udyog Bhawan
New Delhi - 110 011
E-mail : rupa.dutta@nic.in

Shri. P.V Hari Krishna
Director EP (MP)
Department of Commerce
Ministry of Commerce & Industry
Room No.280 A , Udyog Bhawan
New Delhi - 110 011
Email : pvhari.krishna@gov.in

Shri. Parag Gupta, IAS
Joint Secretary
Ministry of Food Processing Industries
Government of India
Room No.207
Panchsheel Bhawan
August Kranti Marg
New Delhi - 110 049
Email : parag.gupta@gov.in

Shri. Sudhir G. Bhandare
Deputy Director General
Directorate General of Shipping
"BETA Building", 9th Floor
I-Think Techno Campus,
Kanjur Marg (East)
Mumbai - 400 042
Email : sgb-dgs@nic.in

Shri. Rama Sankar Naik, IAS
Commissioner
Fisheries Department
Government of Andhra Pradesh
Bandar Road, Poranki
Vijayawada - 521 137
Email : ramasankar97@gmail.com
comfishap@gmail.com

Smt. Mona Khandhar, IAS
Secretary (Fisheries)
Government of Gujarat
No. 5, 1st Floor, Sardar Bhavan
New Sachivalaya,
Gandhinagar
Gujarat - 382 010
Email : seccpd@gujarat.gov.in

श्री जेम्स वर्गीस, भा.प्र.से
प्रधान सचिव
मात्स्यिकी एवं बंदरगाह, केरल सरकार
सचिवालय, तिरुवनन्तपुरम- 695 001
ईमेल : secy@fisheries.kerala.gov.in

श्री राजीव चावला, भा.प्र.से
प्रधान सचिव (पशुपालन एवं मात्स्यिकी)
कर्नाटक सरकार सचिवालय
कमरा सं. 404, चौथा तल, विकास सौधा
डॉ बी.आर.अंबेडकर वीथी,
बेंगलूरू - 560 001
ई.मेल : prs-ahf@karnatka.gov.in

श्री बिष्णु पाद सेठी, भा.प्र.से
आयुक्त एवं सचिव
(मात्स्यिकी एवं एआरडी विभाग)
ओडीशा सारकार,पहला तल, रेड बिल्डिंग
ओडीशा सचिवालय, सचिवालय मार्ग,
भुवनेश्वर- 751 001
ईमेल : fydsec.or@nic.in

श्री चोल्लेटी प्रभाकर, भा.प्र.से
आयुक्त एवं मात्स्यिकी सचिव
मुख्य सचिवालय,
पुदुच्चेरी - 605 001
ईमेल : secfy.pon@nic.in

श्री वेल्जीभाई मसानी
अभिन कोल्ड पोइंट,
एसबीआई हार्बर ब्रैंच के सामने
मैंग्रोल पोर्ट,
जूनाग़ढ जिला
गुजरात 362 226
ईमेल : veljikmasani@yahoo.com

श्री सन्नपुरेड्डी सुरेश रेड्डी
जी. 1, बालाजी क्लासिक अपार्टमेंट
गोमती नगर, नेल्लोर
आंध्राप्रदेश - 524 003
ईमेल : sureshreddybjp@gmail.com
sannapureddysuresh@gmail.com

श्री मधुकर भीवाजीराव गायकवाड, भा.प्र.से
मात्स्यिकी आयुक्त
मात्स्यिकी आयुक्त का कार्यालय
तारापोरेवालाअक्वेरियम,
एन एस रोड, चार्नी रोड
मुंबई - 400 002.
ईमेल : commfishmaha@gmail.com
mbgaikwad1@gmail.com

डॉ (टीएमटी) बीला राजेश, भा.प्र.से
सरकार सचिव
प्रशासनिक कार्यालय बिल्डिंग
डीएमएस कैम्पस,तेयनांपेट
चेन्नई - 600 006
ईमेल : coffisheries@gmail.com

श्री सुमंता चौधरी, भा.प्र.से
अपर मुख्य सचिव (मात्स्यिकी)
पश्चिम बंगाल सरकार
मात्स्यिकी विभाग, 31.जी.एन.ब्लॉक
आई टी बिल्डिंग, आठवीं तल, बेनफिश टवर
साल्ट लेक सेक्टर V
कोलकाता - 700 091
ईमेल : prsecy.fisheries@gmail.com

श्री के.एस.आर.लोकनाथ
मे.गोल्डन मराइन हार्वेस्ट,
(यूनिट-II), तोडुवाय विल्लेज,
कूलैयार पोस्ट, तिरुमुल्लैवासल (मार्ग),
सिरकाली टीके, नागाई जिला.
तमिलनाडु 609 113.
ईमेल : ksrloganathangoldenmarine@gmail.com

चि. किशोर कुमार
निदेशक
मे.सान्डी बे सीफुड्स (क्ष) प्रा.लिमि.,
402, विनायगर एवेन्यू
डी.सं.:11-3-6/2जी, गंगापुर ले आउट
विशाखपट्टणम- 53003
आंध्रप्रदेश
ईमल : kishore@sandybay.in

श्री जयप्रकाश पी.
(अखिल भारतीय उपाध्यक्ष एवं राज्य महासचिव
मत्स्य मज़दूर संघ, (बीएमएस)
टीडी डेम्पिल के पश्चिम भाग
टीडी नगर, कटचेरी वार्ड, कोल्लम - 691013
ईमेल : jpbms28@gmail.com

Shri. James Varghese, IAS
Principal Secretary
Fisheries & Ports, Government of Kerala
Secretariat, Thiruvanthapuram 695 001
Email : secy@fisheries.kerala.gov.in

Shri. Madhukar Bhivajirao Gaikwad, IAS
Commissioner of Fisheries
Office of Commissioner of Fisheries
Taraporevala Aquarium
N.S. Road, Charni Road
Mumbai - 400 002
Email : commfishmaha@gmail.com
mbgaikwad1@gmail.com

Shri. Rajeev Chawala IAS
Principal Secretary (AH & Fy)
Karnataka Government Secretariat
Room No. 404, 4th Floor, Vikas Soudha
Dr. B.R.Ambedkar Veedhi
Bengaluru 560 001
Email : prs-ahf@karnatka.gov.in

Dr. (Tmt) Beela Rajesh IAS
Secretary to Government
Administrative Office Building
DMS Campus, Teynampet
Chennai 600 006
Email : coffisheries@gmail.com

Shri. Vishal Gagan, IAS
Commissioner cum Secretary
(Fisheries & ARD Dept)
Government of Odisha, Ist Floor
Red Building, Odisha Secretariat
Sachivalaya Marg, Bhubaneswar
Odisha - 751 001
Email : fydsec.or@nic.in
vishalgagan@gmail.com

Shri. Sumanta Chaudhuri, IAS
Additional Chief Secretary (Fisheries)
Government of West Bengal
Fisheries Department, 31.G.N Block
IT Building, 8th Floor, Benfish Tower
Salt Lake, Sector V
Kolkata 700 091
Email : prsecy.fisheries@gmail.com

Shri. Cholleti Prabhakar, IAS
Commissioner cum Secretary Fisheries
Chief Secretariat
Puducherry 605 001
Email : secfy.pon@nic.in

Shri. K S R Loganath
M/s. Golden Marine Harvest
(Unit-II), Thoduvai Village
Koolaiyar Post, Thirumullaivasal (via)
Sirkali - TK, Nagai- Dist
Tamil Nadu - 609 113
Email : ksrloganathangoldenmarine@gmail.com

Shri. Veljibhai Masani
"Abhinn Cold Point"
Near SBI Harbour Branch
Mangrol Port, District - Junagadh
Gujarat - 362 226
Email : veljikmasani@yahoo.com

Ch. Kishore Kumar
Director
M/s Sandy Bay Seafoods(I) Pvt Ltd.
402, Vinayagar Avenue
D.No:11-3-6/2G, Gangapur Lay Out
Vishakhapatnam
Andhra Pradesh - 530 003
Email : kishore@sandybay.in

Shri. Sannapureddy Suresh Reddy
G-1, Balaji Classic Apartment
Near Bejawada Gopal Reddy Statue
Gomathy Nagar, Nellore
Andhra Pradesh - 524 003
Email : sureshreddybjp@gmail.com
sannapureddysuresh@gmail.com

Shri. P. Jayaprakash
(Akhila India Vice President &
State General Secretary
Matsya Mazdoor Sangh, (BMS)
West of T.D Temple
TD Nagar, Cutchery Ward
Kollam - 691 013
Email : jpbms28@gmail.com

श्री बसंत कुमार साहू
(अखिल भारतीय अध्यक्ष,
अखिल भारतीय कृषि एवं ग्रामीण मज़दूर महासंघ)
प्लॉट सं:3-डी/476, सेक्टर 8 सीडीए कट्टक जिला.
कट्टक, ओडीशा - 753 014
ईमेल : basantabhaibms@gmail.com

श्री डब्ल्यू.एच.शंकर सुब्रमण्यन
5, रंगसाई स्ट्रीट., पेराम्पूर
चेन्नई - 600 011.
ईमेल : sankarasubhu61@gmail.com

डॉ एस. आशालता
प्रमुख वैज्ञानिक
केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान
विल्लिंगडन आइलैंड
मत्स्यपुरी पोस्ट, कोच्ची - 682 029
ईमेल : ashalethasuresh@gmail.com
ashaletha.cift.icar@gmail.com

श्री टी.बी.एस.एन.मूर्ती
डोर सं: 50-15-5/2
राजेन्द्र नगर
सीतम्मपेटा, विशाखपट्टणम
आंध्रप्रदेश 530 016.
ईमेल : bhaskar_murty@rediffmail.com

Shri. Basanta Kumar Sahoo
(All India President, Akhila Bharatiya
Krishi Ebam Gramin Mazdoor Mahasangh)
Plot No:3-D/476, Sector 8 CDA Dist.
Cuttack, Cuttack,
Odisha - 753 014
Email : basantabhaibms@gmail.com

Shri. W.H. Sankara Subramanian
5, Rengasayee St., Perambur
Chennai
Tamil Nadu- 600 011
Email : sankarasubhu61@gmail.com

Dr. S Ashaletha
Principal Scientist
Central Institute of Fisheries Technology
Willingdon Island
Matsyapuri Post
Cochin - 682 029
Email : ashalethasuresh@gmail.com
ashaletha.cift.icar@gmail.com

Shri. T.B.S.N. Murty
Door No: 50-15-5/2
Rajendra Nagar
Seethammapeta
Visakhapatnam
Andhra Pradesh - 530 016
Email : bhaskar_murty@rediffmail.com

परिशिष्ट 2

31.03.2017 की स्थिति के अनुसार प्राधिकरण के सदस्यों की सूची

मुख्यालय

क्रम सं	नाम	पदनाम
1	डॉ ए. जयतिलक, भा. प्र. से	अध्यक्ष
2	बी. श्रीकुमार	सचिव
3	आशा सी परमेश्वरन	संयुक्त निदेशक (गु. नि)
4	डॉ राम मोहन एम. के.	संयुक्त निदेशक (वि.)
5	अनिलकुमार पी.	संयुक्त निदेशक (वि./क्षे. का)
6	जी. राजेन्द्रन	उप निदेशक (का.)
7	जी. महेश	उप निदेशक (गु. नि)
8	डॉ जिबिन कुमार.टी.आर	उप निदेशक(ई. पी)
9	प्रेमदेव के. वी.	उप निदेशक (ई. पी)
10	एस. एस. शाजी	उप निदेशक (गु. नि)
11	हिमांशु श्रीवास्तव	उप निदेशक (रा. भा)
12	दीपा ई. वि.	मुख्य लेखा अधिकारी
13	सुरेश कुमार वी. वी.	सहायक निदेशक (का.)
14	रत्नाकर नायक	सहायक निदेशक (ई. पी)
15	सुमा ए.	सहायक निदेशक (गु. नि.)
16	वी. विनोद	सहायक निदेशक (गु. नि.)
17	डी. वेणुगोपाल	सहायक निदेशक (गु. नि.)
18	डॉ मनोज कुमार.टी.जी	सहायक निदेशक (ई. पी)
19	विनोद पी. एन.	सहायक निदेशक (अक्वा)
20	अंजू	सहायक निदेशक (ई. पी)
21	भूषण सुरेश चन्द्र पाटील	सहायक निदेशक (सां.)
22	एल्सम्मा इत्ताक्	सहायक निदेशक (अक्वा)
23	विश्वकुमार.एम	सहायक निदेशक (अक्वा)
24	जॉनसन डिक्रूस	सहायक निदेशक (अक्वा)
25	डॉ गोपाल आनन्द कन्टीकाटला	सहायक निदेशक (अक्वा)
26	अरिवुक्करशु के.	सहायक निदेशक (अक्वा)
27	हक्कीम वी. आई.	सहायक निदेशक (ई. पी)
28	डॉ. के. पॉ बियॉक लुन	सहायक निदेशक (ई. पी)
29	डॉ. शस्सी एस.	सहायक निदेशक (ई. पी)
30	नीनू पीटर	सहायक निदेशक (ए. ई)
31	तुलसी नायर	हिन्दी अधिकारी
32	पी. के. विनू	लेखा अधिकारी
33	सौमेन्दु सरकार	लेखा अधिकारी
34	उषा सिंह	प्रणाली विश्लेषक
35	अनीसा टी. ए.	तकनीकी अधिकारी (गु. नि)
36	रूपक सुब्रमण्यन	तकनीकी अधिकारी (गु. नि)

Appendix 2

LIST OF OFFICERS OF THE AUTHORITY AS ON 31.03.2017

HEAD OFFICE

Sl. No.	Name	Designation
1	Dr. A. Jayathilak IAS	Chairman
2	B. Sreekumar	Secretary
3	Asha C. Parameswaran	Joint Director (QC)
4	Dr. Ram Mohan M. K.	Joint Director (MKTG)
5	Anilkumar P.	Joint Director (DEV/RO's)
6	G. Rajendran	Deputy Director (PERS)
7	G. Mahesh	Deputy Director (QC)
8	Dr. Gibin Kumar T. R.	Deputy Director (EP)
9	Premdev K. V.	Deputy Director (EP)
10	S. S. Shaji	Deputy Director (QC)
11	Himanshu Srivasthava	Deputy Director (OL)
12	Deepa E. V.	Chief Accounts Officer
13	Suresh Kumar V. V.	Asst. Director (PERS)
14	Ratnakar Nayak	Asst. Director (EP)
15	Suma A.	Asst. Director (QC)
16	V. Vinod	Asst. Director (QC)
17	D. Venugopal	Asst. Director (QC)
18	Dr. Manojkumar T. G.	Asst. Director (EP)
19	Vinod P. N.	Asst. Director (AQ)
20	Anju	Asst. Director (EP)
21	Bhushan Suresh Chandra Patil	Asst. Director (STAT)
22	Elsamma Ithack	Asst. Director (AQUA)
23	Viswakumar M.	Asst. Director (AQUA)
24	Johnson D'cruz	Asst. Director (AQUA)
25	Dr.Gopal Anand Kandikatla	Asst. Director (AQUA)
26	Arivukkarasu K.	Asst. Director (AQUA)
27	Hakkim V. I.	Asst. Director (EP)
28	Dr. K. Pau Biak Lun	Asst. Director (EP)
29	Dr. Shassi S.	Asst. Director (EP)
30	Neenu Peter	Asst. Director (AE)
31	Tulsi Nair	Hindi Officer
32	P. K. Vinu	Accounts Officer
33	Soumendu Sarkar	Accounts Officer
34	Usha Singh	System Analyst
35	Aneesa T. A.	Technical Officer (QC)
36	Roopak Subramanian	Technical Officer (QC)

37	वानिया किशोर कुमार	तकनीकी अधिकारी (गु. नि)
38	डॉ राहुल देब बर्मा	तकनीकी अधिकारी (गु. नि)
39	आर. प्रभाकरन	सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी

क्षेत्रीय प्रभाग, कोच्ची

40	रबेका जोस	सहायक निदेशक (ई. पी.)
41	डॉ ई. सी. अभिलाश	तकनीकी अधिकारी (गु. नि)

क्षेत्रीय प्रभाग, कोलकाता

42	सुधीर कूमार पात्रा	उप निदेशक (ई. पी.)
43	उत्तिरापती पी.	सहायक निदेशक (गु. नि)
44	सुब्रता रॉय	उप निदेशक (क्षे. का)
45	दर्शन लाल ढौंडियाल	अनुभाग अधिकारी

क्षेत्रीय प्रभाग, मुंबई

46	राजकुमार. एस. नायिक	उप निदेशक (ई. पी.)
47	शीतल अभय हज़ारे	सहायक निदेशक (ई. पी.)
48	श्रीजित पी. टी.	सहायक निदेशक (ई. पी.)
49	सुब्राय पवार	तकनीकी अधिकारी (गु. नि.)
50	मृणालिनी पी. आरेक्कर	वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक

क्षेत्रीय प्रभाग, चेन्नई

51	विजयकुमार सी यारगल	उप निदेशक (ई. पी)
52	डॉ ओ. के. सिन्धु	तकनीकी अधिकारी (गु. नि.)
53	के. एस. उण्णिकृष्णन	वरिष्ठ लेखाकार

क्षेत्रीय प्रभाग, विशाख

54	डॉ अन्सार अली ए.	उप निदेशक (ई. पी)

क्षेत्रीय प्रभाग, वेरावल

55	ए. जयबाल	उप निदेशक (ई. पी)
56	राजेश अनन्त डगरे	सहायक निदेशक (गु. नि.)

उप क्षेत्रीय प्रभाग, मेंगलूर

57	एस. अशोक कुमार	उप निदेशक (ई. पी)

उप क्षेत्रीय प्रभाग, तूत्तीकोरिन

58	डॉ शैनकुमार सी. एस.	उप निदेशक (ई. पी)
59	लक्ष्मीकान्तन वी.	तकनीकी अधिकारी (गु. नि)

उप क्षेत्रीय प्रभाग, भुबनेश्वर

60	शाजी जॉर्ज	सहायक निदेशक (ई. पी)

उप क्षेत्रीय प्रभाग, भीमावरम

61	राकेश थॉमस कुरियन	सहायक निदेशक (ई. पी)

37	Vaniya Kishorkumar	Technical Officer (QC)
38	Dr. Rahul Debbarma	Technical Officer (QC)
39	R. Prabakaran	Asst. Library & Information Officer

Regional Division, Kochi

40	Rabecca Jose	Asst. Director (EP)
41	Dr. E. C. Abhilash	Technical Officer (QC)

Regional Division, Kolkata

42	Sudhir Kumar Patra	Deputy Director (EP)
43	Uthirapathy P.	Asst. Director (QC)
44	Subrata Roy	Deputy Director (EP)
45	Darshanlal Dhondiyal	Section Officer

Regional Division, Mumbai

46	Rajakumar S Naik	Deputy Director (EP)
47	Sheetal Abhay Hazare	Asst. Director (EP)
48	Sreejith P. T.	Asst. Director (EP)
49	Subray Pavar	Technical Officer (QC)
50	Mrinalini P. Arekar	Senior Hindi Translator

Regional Division, Chennai

51	Vijayakumar C. Yaragal	Deputy Director (EP)
52	Dr. O. K. Sindhu	Technical Officer (QC)
53	K. S. Unnikrishnan	Sr. Accountant

Regional Division, Vizag

54	Dr. Ansar Ali A.	Deputy Director (EP)

Regional Division, Veraval

55	A. Jeyabal	Deputy Director (EP)
56	Rajesh Anant Dagare	Asst. Director (QC)

Sub Regional Division, Mangalore

57	S. Asok Kumar	Deputy Director (EP)

Sub Regional Division, Tuticorin

58	Dr.Shine Kumar C. S.	Deputy Director (EP)
59	Lakshmikanthan V	Technical Officer (QC)

Sub Regional Division, Bhubaneswar

60	Shaji George	Asst. Director (EP)

Sub Regional Division, Bhimavaram

61	Rakesh Thomas Kurian	Asst. Director (EP)

उप क्षेत्रीय प्रभाग, पोरबंदर

62	शक्तिवेल ए.	सहायक निदेशक (ई. पी)
63	महेता मुकेश. जयंतीलाल	तकनीकी अधिकारी (गु. नि.)

क्षेत्रीय प्रभाग, भुवनेश्वर

64	यू. सी. महापात्रा	उप निदेशक (अक्वा)
65	तांबडा नरेश विष्णु	सहायक निदेशक (ए.ई.)

क्षेत्रीय प्रभाग, कोच्ची

66	एम. शाजी	उप निदेशक (अक्वा)
67	शंकर पिल्लै आर.	सहायक निदेशक (अक्वा)

क्षेत्रीय प्रभाग, पनवेल

68	सी. विल्सन	उप निदेशक (अक्वा)

क्षेत्रीय प्रभाग, नागपट्टिनम (तंजावूर)

69	डॉ एस. विजयकुमार	उप निदेशक (अक्वा)
70	धीरित इक्का	सहायक निदेशक (ए. ई)
71	रेजी मैथ्यू	सहायक निदेशक (अक्वा)

क्षेत्रीय प्रभाग, वलसाड

72	रतिनराज जी.	संयुक्त निदेशक (अक्वा) (तदर्थ)
73	मारुती डी. यलिगर	उप निदेशक (अक्वा)
74	रज़ाक अली	सहायक निदेशक (ए. ई.)
75	उपेन के. पाण्डया	सहायक निदेशक (अक्वा) (तदर्थ)

क्षेत्रीय प्रभाग, विजयवाडा

76	अर्चीमान लाहिड़ी	उप निदेशक (ई. पी.) (तदर्थ)
77	डॉ श्रीनिवासुलु पी.	सहायक निदेशक (अक्वा)
78	संगीता जी.	वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक

क्षेत्रीय प्रभाग, कोलकाता

79	एस. एक्स. प्रिन्स	उप निदेशक (अक्वा)

उप क्षेत्रीय प्रभाग, बालासोर

80	डॉ गोपकुमार. जी.	सहायक निदेशक (अक्वा)

उप क्षेत्रीय प्रभाग, भीमरवरम

81	शिवराजन. के.	उप निदेशक (अक्वा)
82	पी. ब्रम्हेश्वर राव	सहायक निदेशक (अक्वा)

उप क्षेत्रीय प्रभाग, कारवार

83	राम आधार गुप्ता	उप निदेशक (अक्वा)

उप क्षेत्रीय प्रभाग, मिडनापुर, कोन्टाई

84	एस. मणि	सहायक निदेशक (अक्वा)

Sub Regional Division, Porbandar

62	Sakthivel A.	Asst. Director (EP)
63	Maheta Mukesh Jayanthilal	Technical Officer (QC)

Regional Division, Bhubaneswar

64	Umesh Chandra Mohapatra	Deputy Director (AQUA) (Adhoc)
65	Tambada N. Vishnu	Asst. Director (AE)

Regional Division, Kochi

66	M. Shaji	Deputy Director (AQUA)
67	Sankara Pillay R.	Asst. Director (AQUA)

Regional Division, Panvel

68	C. Wilson	Deputy Director (AQUA)

Regional Division, Nagapattanam (Tanjavur)

69	Dr. S. Vijayakumar	Deputy Director (AQUA)
70	Dhirit Ekka	Asst. Director (AE)
71	Reji Mathew	Asst. Director (AQUA)

Regional Division, Valsad

72	Rathinaraj G.	Joint Director (AQUA) (Adhoc)
73	Maruthi D. Yaligar	Deputy Director (AQUA)
74	Razak Ali	Asst. Director (AE)
75	Upen K. Pandya	Asst. Director (AQUA) (Adhoc)

Regional Division, Vijayawada

76	Archiman Lahiri	Deputy Director (EP) (Adhoc)
77	Dr. Sreenivasulu P.	Asst. Director (AQUA) (Adhoc)
78	Sangeetha G.	Senior Hindi Translator

Regional Division, Kolkata

79	S. X. Prince	Deputy Director (AQUA)

Sub Regional Division, Balasore

80	Dr. Gopakumar G.	Asst. Director (AQUA)

Sub Regional Division, Bhimavaram

81	Sivarajan K.	Deputy Director (AQUA) (Adhoc)
82	P. Brahmeswara Rao	Asst. Director (AQUA)

Sub Regional Division, Karwar

83	Ram Adhar Gupta	Deputy Director (AQUA)

Sub Regional Division, Midnapur, Contai

84	S. Mani	Asst. Director (AQUA)

गु.नि.प्रयोगशाला, भीमावरम

85	वी. विवेकानन्दन	उप निदेशक (गु. नि)
86	श्रीमाली विनोद कुमार. एम.	सहायक निदेशक (गु. नि)
87	अरुणाश्री बी.	तकनीकी अधिकारी (गु. नि)

गु.नि.प्रयोगशाला, भीमावरम, नेल्लूर

88	पी. टी. कुमार स्वामी	तकनीकी अधिकारी (गु. नि)

व्यापार संवर्धन कार्यालय, नई दिल्ली

89	सुनील कुमार यू.	उप निदेशक (प्रशा)

संयुक्त निदेशक (प्रशि.) का कार्यालय

90	सी. जे. संपत् कुमार	संयुक्त निदेशक (प्रशि.) (तदर्थ)

गु.नि.प्रयोगशाला, भुवनेश्वर

91	पी. ज्ञानसुधा	तकनीकी अधिकारी (गु. नि)

लक्षद्वीप (कवारत्ती)

92	डॉ पी. जयगोपाल	सहायक निदेशक (अक्वा)

प्रतिनियुक्ति

93	डॉ आनन्द शंकर उपाध्याय	संयुक्त निदेशक (अक्वा)
94	डॉ श्रीनाथ पी. जी.	उप निदेशक (ई. पी.)
95	के. षण्मुख राव	उप निदेशक (अक्वा) (तदर्थ)
96	डॉ एस. कंदन	उप निदेशक (अक्वा)
97	एस. पांड्यराजन	सहायक निदेशक (अक्वा) (तदर्थ)
98	बी. नरसिंह राव	सहायक निदेशक (अक्वा) (तदर्थ)
99	के. गणेश	सहायक निदेशक (अक्वा)
100	वी. एन. बिजू	सहायक निदेशक (अक्वा)

वर्ष के दौरान नियुक्तियां

क्रम सं.	नाम	पद	कार्यारंभ की तिथि
1	चोक्कलिंगम ए.	कनिष्ठ लिपिक	01/04/2016
2	मीनाबेन हरीशभाई पटेल	फील्ड सहायक	18/05/2016
3	अलेक्स टी. हेज़ाकिएल	कनिष्ठ लिपिक	15/07/2016
4	श्रीभरत एस.	कनिष्ठ लिपिक	21/07/2016
5	अरिवुक्करशु के.	सहायक निदेशक (अक्वा)	05/12/2016
6	डॉ गोपाल आनन्द कन्टीकाटला	सहायक निदेशक (अक्वा)	09/12/2016
7	भूषण सुरेश चन्द्र पाटिल	सहायक निदेशक (सां.)	15/12/2016
8	डॉ के. पॉबियॉक लुन	सहायक निदेशक (ई.पी.)	08/12/2016
9	डॉ राहुल देब बर्मा	तकनीकी अधिकारी (गु. नि)	29/12/2016

Quality Control Lab, Bhimavaram

85	V. Vivekanandan	Deputy Director (QC)
86	Shrimali Vinodkumar M.	Asst. Director (QC)
87	Arunasri B.	Technical Officer (QC)

Quality Control Lab, Nellore

88	P. T. Kumara Swamy	Technical Officer (QC)

Trade Promotion Office, New Delhi

89	Sunil Kumar U.	Deputy Director (Admn)

JD (Trg) Office, Vijayawada

90	C. J. Sampathkumar	Joint Director (Trg) (Adhoc)

Quality Control Lab, Bhubaneswar

91	P. Gnana Sudha	Technical Officer (QC)

Lakshadeep (Kavarathi)

92	Dr. P. Jayagopal	Asst. Director (AQUA)

Deputation

93	Dr. Anand Sankar Upadhyay	Joint Director (AQUA)
94	Dr. Sreenath P. G.	Deputy Director (EP)
95	K. Shanmukha Rao	Deputy Director (AQUA) (Adhoc)
96	Dr. S Kandan	Deputy Director (AQUA)
97	S. Pandiarajan	Asst. Director (AQUA) (Adhoc)
98	B. Narasimha Rao	Asst. Director (AQUA) (Adhoc)
99	K. Ganesh	Asst. Director (AQUA)
100	V. N. Biju	Asst. Director (EP)

Appointment during the Year

Sl. No.	Name	Post	Date of Joining
1	Chockalingam A.	Junior Clerk	01/04/2016
2	Meenaben Harishbhai Patel	Field Assistant	18/05/2016
3	Alex T. Hezakiel	Junior Clerk	15/07/2016
4	Sribharath S.	Junior Clerk	21/07/2016
5	Arivukkarasu K.	Asst. Director (AQUA)	05/12/2016
6	Dr.Gopal Anand Kandikatla	Asst. Director (AQUA)	09/12/2016
7	Bhushan Suresh Chandra Patil	Asst. Director (STAT)	15/12/2016
8	Dr.K. Pau Biak Lun	Asst. Director (EP)	08/12/2016
9	Dr.Rahul Debbarma	Technical Officer (QC)	29/12/2016

वित्तीय विवरण

FINANCIAL STATEMENTS

2016 - 2017

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY

कोच्ची - 36

Kochi - 36

वार्षिक लेखे - 2016-17

विषय सूची

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	तुलन-पत्र	172
2.	आय व व्यय लेखा	174
3.	तुलन पत्र के भाग स्वरूप अनुसूचियां (अनुसूची 1 से 11 तक)	176
4.	आय व व्यय लेखे के भाग स्वरूप अनुसूचियां (अनुसूची 12 से 23 तक)	194
5	महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ (अनुसूची 24 व 25)	206
6.	लेखाओं के भाग स्वरूप और उनके साथ संलग्न टिप्पणी	214
7.	अनुसूचियों के अनुबंध - 1 से 20 तक	224
8.	प्राप्तियां एवं भुगतान	246

ANNUAL ACCOUNTS 2016-17

INDEX

Sl. No.	Description	Page No.
1.	Balance Sheet	173
2.	Income and Expenditure Accounts	175
3.	Schedules Forming Part of Balance Sheet (Schedules 1 to 11)	177
4.	Schedules Forming Part of Income and Expenditure Accounts (Schedules 12 to 23)	195
5.	Significant accounting policies (Schedule 24 & 25)	207
6.	Notes attached to and forming part of the accounts	215
7.	Annexure to Schedules - 1 to 20	225
8	Receipts & Payments	247

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर - लाभकारी संगठन)

संगठन का नामः समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36

31.03.2017 की स्थिति के अनुसार तुलन - पत्र

(राशि - ₹)

समग्र/पूँजी निधि और देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष (2016-17)	गत वर्ष (2015-16)
समग्र/पूँजी निधि	1	233952010	226484669
आरक्षित निधि एवं अधिशेष	2		
चिह्नित/स्थाई निधियाँ	3	250575082	249431573
प्रतिभूत ऋण एवं उधार	4		0
अप्रतिभूत ऋण एवं उधार	5		0
आस्थगित उधार देयताएं	6		0
चालू देयताएं और प्रावधान	7	1706338332	1623996735
कुल		**2190865424**	**2099912977**
परिसंपत्तियाँ			
स्थाई परिसंपत्तियां	8	138070972	161859353
निवेश- चिह्नित/स्थाई निधियों से	9	204887359	203054055
निवेश - अन्य	10	0	0
चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि	11	427854757	395675145
विविध व्यय (कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति व सेवांत लाभों के लिए प्रावधान - टिप्पणी 7 ख) (बट्टे खाते में न डाले गए या समायोजित मामलों में)		1420052336	1339324424
कुल		**2190865424**	**2099912977**
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ	**24**		
आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियां	**25**		

मुख्य लेखा अधिकारी **सचिव** **अध्यक्ष**

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity : THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI -36

BALANCE SHEET AS AT 31.03.2017

(Amount - ₹)

CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES	Schedule	Current Year (2016-2017)	Previous Year (2015-16)
Corpus/Capital Fund	1	233952010	226484669
Reserves and Surplus	2		
Earmarked/Endowment Funds	3	250575082	249431573
Secured Loans and Borrowings	4		0
Unsecured Loans and Borrowings	5		0
Deferred Credit Liabilities	6		0
Current Liabilities and Provisions	7	1706338332	1623996735
Total		**2190865424**	**2099912977**
Assets			
Fixed Assets	8	138070972	161859353
Investments - From Earmarked/Endowment Funds	9	204887359	203054055
Investments - Others	10	0	0
Current Assets, Loan, Advances Etc.	11	427854757	395675145
Miscellaneous Expenditure (Provison For Employees Retirement & Terminal Benefits -note 7b) (In The Extent Not Written Off Or Adjusted)		1420052336	1339324424
Total		**2190865424**	**2099912977**
Significant Accounting Policies	**24**		
Contingent Liabilities And Notes On Accounts	**25**		

CHIEF ACCOUNTS OFFICER **SECRETARY** **CHAIRMAN**

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर - लाभकारी संगठन)

संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36

31.03.2017 को समाप्त वर्ष का आय व व्यय लेखा

(राशि - ₹)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष (2016-17)	गत वर्ष (2015-16)
बिक्रियों/सेवाओं से आय	12	4762931	3643215
अनुदान/सब्सिडी	13	990713999	1288588283
शुल्क/अंशदान	14	18176195	8729899
निवेशों से आय (निधियों में अंतरित चिह्नित/स्थाई निधियों से किए गए निवेश पर आय)	15	0	0
रॉयल्टी/प्रकाशन आदि से आय	16	1111036	1164125
अर्जित ब्याज	17	7986693	9396449
अन्य आय	18	13970945	21078950
तैयार मालों के स्टॉक में हुई वृद्धि/(कमी) और प्रगति पर कार्य	19		0
कुल (क)		1036721799	1332600921
व्यय			
स्थापना व्यय	20	336137718	322616891
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	109730808	98635569
अनुदानों, सब्सिडी आदि पर व्यय	22	585668692	979434704
ब्याज	23		0
मूल्यह्रास (अनुसूची 8 के तदनुरूप वर्षांत का निवल जोड़)		32003241	29763669
कुल (ख)		1063540459	1430450833
व्यय से अधिक आय के रूप में शेष (क-ख)		**(26818660)**	**(97849912)**
पूर्वावधि समायोजन			
विशेष आरक्षित निधि में अंतरित (प्रत्येक को निर्दिष्ट करें)			
सामान्य आरक्षित निधि से/को अंतरण			
अधिशेष/(घाटे) के रूप में समग्र निधि/पूँजी निधि में लाया गया शेष		**(26818660)**	**(97849912)**
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ	24		
आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियाँ	25		

मुख्य लेखा अधिकारी | **सचिव** | **अध्यक्ष**

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity :THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI 36

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2017

(Amount - ₹)

INCOME	Schedule	Current Year (2016-17)	Previous Year (2015-16)
Income from Sales/Services	12	4762931	3643215
Grants/Subsidies	13	990713999	1288588283
Fees/Subscriptions	14	18176195	8729899
Income from Investments			
(Income on Investment from earmarked/endowment funds transferred to Funds)	15	0	0
Income from Royalty, Publication etc.	16	1111036	1164125
Interest Earned	17	7986693	9396449
Other Income	18	13970945	21078950
Increased/(decrease) in stock of Finished goods and work-in-progress	19		0
TOTAL (A)		**1036721799**	**1332600921**
EXPENDITURE			
Establishment Expenses	20	336137718	322616891
Other Administrative Expenses etc.	21	109730808	98635569
Expenditure on Grants, Subsidies etc.	22	585668692	979434704
Interest	23		0
Depreciation (Net Total at the year-end-corresponding to Schedule 8)		32003241	29763669
TOTAL (B)		**1063540459**	**1430450833**
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		**(26818660)**	**(97849912)**
Prior Period Adjustments			
Transfer to Special Reserve (Specify each)			
Transfer to/ from General Reserve			
BALANCE BEING SURPLUS/(DEFICIT)CARRIED TO CORPUS/CAPITAL FUND		**(26818660)**	**(97849912)**
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		

CHIEF ACCOUNTS OFFICER **SECRETARY** **CHAIRMAN**

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर - लाभकारी संगठन)

संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची -36

31.03.2017 की स्थिति के अनुसार तुलन - पत्र के भागस्वरूप अनुसूचियाँ

(राशि - ₹)

	चालू वर्ष (2016-17)		गत वर्ष (2015-16)	
अनुसूची 1 - समग्र/पूँजी निधि				
वर्षारंभ में शेष राशि	226484669	226484669	262922864	262922864
जोडिए: समग्र/पूँजी निधि में अंशदान (परिसंपत्ति की खरीद)	34286001	34286001	61411717	61411717
जोडें/घटाएं: व्यय से अधिक आय	(26818660)	(26818660)	-97849912	-97849912
वर्षांत में शेष	**233952010**	**233952010**	**226484669**	**226484669**

	चालू वर्ष (2016-17)	गत वर्ष (2015-16)
अनुसूची 2 -आरक्षित निधि व अधिशेष		
1. पूँजी आरक्षित निधि :		
गत लेखे के अनुसार		
वर्ष के दौरान परिवर्धन		
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियाँ		
2. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि		
गत लेखे के अनुसार		
वर्ष के दौरान परिवर्धन		
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियाँ		
3. विशेष आरक्षित निधि		
गत लेखे के अनुसार		
वर्ष के दौरान परिवर्धन		
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियाँ		
4. सामान्य आरक्षित निधि		
गत लेखे के अनुसार		
वर्ष के दौरान परिवर्धन		
घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौतियाँ		
कुल		

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity :THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI - 36

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2017

(Amount - ₹)

	Current year (2016-17)		Previous year (2015-16)	
SCHEDULE 1 - CORPUS/CAPITAL FUND:				
Balance as at the beginning of the year	226484669	226484669	262922864	262922864
Add: Contributions towards Corpus/Capital Fund (Purchase of Asset)	34286001	34286001	61411717	61411717
Add/Less: Excess of income over expenditure	(26818660)	(26818660)	-97849912	-97849912
BALANCE AS AT THE YEAR - END	**233952010**	**233952010**	**226484669**	**226484669**

	Current year (2016-17)	Previous year (2015-16)
SCHEDULE 2- RESERVES AND SURPLUS:		
1. Capital Reserve:		
As per last Account		
Addition during the year		
Less: Deductions during the year		
2. Revaluation Reserve:		
As per last Account		
Addition during the year		
Less: Deductions during the year		
3. Special Reserves:		
As per last Account		
Addition during the year		
Less: Deductions during the year		
4. General Reserves:		
As per last Account		
Addition during the year		
Less: Deductions during the year		
TOTAL		

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर - लाभकारी संगठन)

संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36

31.03.2017 की स्थिति के अनुसार तुलन - पत्र के भागस्वरूप अनुसूचियाँ

(राशि - ₹)

	चालू वर्ष (2016-17)	गत वर्ष(2015-16)
अनुसूची 3 -चिह्नित/स्थाई निधि (अनुबंध -1)		
क) निधियों का अथशेष	249431573	265823977
ख) निधियों में परिवर्धन		
i. दान/अनुदान	4722500	107600000
ii. निधियों से किए गए निवेशों से आय	9774303	12933122
iii. अन्य परिवर्धन (स्वरूप को निर्दिष्ट करें)	270689451	264134543
कुल (क + ख)	**534617827**	**650491642**
ग) निधियों के उद्देश्यों के लिए उपयोग/व्यय		
i. पूँजी व्यय		
- स्थाई परिसंपत्तियाँ	0	0
- अन्य	164967	
कुल (i)	**164967**	**0**
ii. राजस्व व्यय		
- वेतन, मज़दूरी और भत्ते आदि	1733581	1931357
- किराया		
- अन्य प्रशासनिक व्यय	0	0
- वापसी/ प्रावधान / स्थानांतरण	282144197	399128712
कुल (ii)	**283877778**	**401060069**
कुल (ग) (i)+ (ii)	**284042745**	**401060069**
वर्षांत में निवल शेष (क + ख - ग)	**250575082**	**249431573**

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity : THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI - 36

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2017

(Amount - ₹)

	Current year (2016-17)	Previous year (2015-16)
SCHEDULE 3 - EARMARKED/ENDOWMENT FUND (Annexure-1)		
a) Opening balance of the funds	249431573	265823977
b) Additions to the Funds:		
i. Donations/grants	4722500	107600000
ii Income from Investments made on account of funds	9774303	12933122
iii Other additions (specify nature)	270689451	264134543
TOTAL (a+b)	**534617827**	**650491642**
c) Utilisation/Expenditure towards objectives of funds		
i. Capital Expenditure		
- Fixed Assets	0	0
- Others	164967	
Total (i)	**164967**	**0**
ii. Revenue Expenditure		
- Salaries, Wages and allowances etc.	1733581	1931357
- Rent		
- Other Administrative expenses	0	0
- Refund/ Provisions/transfers	282144197	399128712
Total (ii)	**283877778**	**401060069**
Total (c) (i) + (ii)	**284042745**	**401060069**
NET BALANCE AS AT THE YEAR-END (a+b-c)	**250575082**	**249431573**

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर - लाभकारी संगठन)

संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36

31.03.2017 की स्थिति के अनुसार तुलन - पत्र के भागस्वरूप अनुसूचियां

(राशि - ₹)

	चालू वर्ष (2016-17)	गत वर्ष (2015-16)
अनुसूची 4 - प्रतिभूत ऋण और उधार		
1. केन्द्रीय सरकार		
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)		
3. वित्तीय संस्थाएं		
क) सावधि ऋण		
ख) उपार्जित ब्याज एवं देय		
4. बैंक		
क) सावधि ऋण		
- उपार्जित ब्याज एवं देय		
ख) अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)		
- उपार्जित ब्याज एवं देय		
5. अन्य संस्थाएं एवं अभिकरण		
6. ऋणपत्र एवं बंधपत्र		
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		

टिप्पणी: एक वर्ष के भीतर देय राशि

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity : THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI - 36

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2017

(Amount - ₹)

	Current Year (2016-17)	Previous year (2015-16)
SCHEDULE 4 - SECURED LOANS AND BORROWINGS:		
1. Central Government		
2. State Government (Specify)		
3. Financial Institutions		
a) Term Loans		
b) Interest accrued and due		
4. Banks:		
a) Term Loans		
- Interest accrued and due		
b) Other loans (specify)		
- Interest accrued and due		
5. Other Institutions and Agencies		
6. Debentures and Bonds		
7. Others (Specify)		
TOTAL		

Note: Amounts due within one year

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर - लाभकारी संगठन)

संगठन का नाम: समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36

31.03.2017 की स्थिति के अनुसार तुलन - पत्र के भागस्वरूप अनुसूचियाँ

(राशि - ₹)

	चालू वर्ष (2016-17)	गत वर्ष (2015-16)
अनुसूची 5 - अप्रतिभूत ऋण और उधार		
1. केन्द्रीय सरकार		
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)		
3. वित्तीय संस्थाएं		
4. बैंक:		
क) सावधि ऋण		
ख) अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)		
5. अन्य संस्थाएं एवं अभिकरण		
6. ऋणपत्र एवं बंधपत्र		
7. मियादी जमा		
8. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		

टिप्पणी: एक वर्ष के भीतर देय राशि

	चालू वर्ष (2016-17)	गत वर्ष (2015-16)
अनुसूची 6 - आस्थगित उधार देयताएं		
क) पूँजी उपस्कर व अन्य परिसंपत्तियों के मालबंधन द्वारा प्राप्त स्वीकृतियाँ		
ख) अन्य		
कुल		

टिप्पणी: एक वर्ष के भीतर देय राशि

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity: THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI - 36

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2017

(Amount - ₹)

	Current Year (2016-17)	Previous year (2015-16)
SCHEDULE 5 - UNSECURED LOANS AND BORROWINGS:		
1. Central Government		
2. State Government (Specify)		
3. Financial Institutions		
4. Banks:		
a) Term Loans		
b) Other loans (specify)		
5 Other Institutions and Agencies		
6. Debentures and Bonds		
7. Fixed Deposits		
8. Others (Specify)		
TOTAL		

Note: Amounts due within one year

	Current Year (2016-17)	Previous year (2015-16)
SCHEDULE 6 - DEFERRED CREDIT LIABILITIES:		
a) Acceptances secured by hypothecation of capital equipment and other assets		
b) Others		
TOTAL		

Note: Amounts due within one year

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर - लाभकारी संगठन)

संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची-36

31.03.2017 की स्थिति के अनुसार तुलन - पत्र के भागस्वरूप अनुसूचियाँ

(राशि - ₹)

	चालू वर्ष (2016-17)		गत वर्ष (2015-16)	
अनुसूची 7 - चालू देयताएँ व प्रावधान				
क. चालू देयताएं				
1. स्वीकृतियाँ				
2. विविध लेनदार :				
क) माल के लिए				
ख) अन्य				
3. प्राप्त अग्रिम (अनुबंध -2)	5452283	5452283	4794403	4794403
4. उपार्जित ब्याज परंतु निम्न पर देय नहीं :				
क) प्रतिभूत ऋण/उधार				
ख) अप्रतिभूत ऋण/उधार				
5. सांविधिक देयताएँ:				
क) अतिदेय				
ख) अन्य (अनुबंध-3)	3073556	3073556	3221700	3221700
6. अन्य चालू देयताएँ (अनुबंध-4)	40020143	40020143	48583933	48583933
7. अन्य (ई पी एस)	237740014	237740014	228072275	228072275
कुल (क)	**286285996**	**286285996**	**284672311**	**284672311**
ख. प्रावधान				
1. उपदान	110032155	110032155	117684925	117684925
2. अधिवर्षिता/पेंशन	1242787864	1242787864	1152640503	1152640503
3. संचित अवकाश नकदीकरण	67232317	67232317	68998996	68998996
4. व्यापार वारन्टियां/दावे				
कुल (ख)	**1420052336**	**1420052336**	**1339324424**	**1339324424**
कुल (क + ख)	**1706338332**	**1706338332**	**1623996735**	**1623996735**

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity: THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI - 36

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2017

(Amount - ₹)

	Current Year (2016-17)		Previous Year (2015-16)	
SCHEDULE 7 - CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS:				
A. CURRENT LIABILITIES				
1. Acceptances				
2. Sundry Creditors:				
a) For Goods				
b) Others				
3. Advances Received (Annexure-2)	5452283	5452283	4794403	4794403
4. Interest accrued but not due on:				
a) Secured Loans/borrowings				
b) Unsecured Loans/borrowings				
5. Statutory Liabilities:				
a) Overdue				
b) Others (Annexure-3)	3073556	3073556	3221700	3221700
6. Other current Liabilities (annexure-4)	40020143	40020143	48583933	48583933
7. Others (EPS)	237740014	237740014	228072275	228072275
TOTAL (A)	**286285996**	**286285996**	**284672311**	**284672311**
B. PROVISIONS				
1. Gratuity	110032155	110032155	117684925	117684925
2. Superannuation/Pension	1242787864	1242787864	1152640503	1152640503
3. Accumulated Leave Encashment	67232317	67232317	68998996	68998996
4. Trade Warranties/Claims				
TOTAL (B)	**1420052336**	**1420052336**	**1339324424**	**1339324424**
TOTAL (A + B)	**1706338332**	**1706338332**	**1623996735**	**1623996735**

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर - लाभकारी संगठन)

संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36

31.03.2017 की स्थिति के अनुसार तुलन - पत्र के भागस्वरूप अनुसूचियाँ

अनुसूची - 8 **(राशि - ₹)**

समूह	विवरण	कुल ब्लॉक					मूल्यह्रास			निवल ब्लॉक		
		वर्षारंभ में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	वर्षांत में मूल्य/ मूल्यांकन	दर	वर्षारंभ में	वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान कटौतियों पर	वर्षांत तक कुल	चालू वर्षांत में	गत वर्षांत में
1	पुस्तकें	3075232	131380	3811	3202801	10	1633503	152590	3466	1782627	1420174	1441729
2	इमारतें	38620827	0	0	38620827	5	18000616	1031011	0	19031627	19589200	20620211
3	कंप्यूटर/सहायक सामग्री	35664005	3441679	2398662	36707022	60	30168312	3920062	2313014	31775360	4931662	5495693
4	फर्नीचर व फिटिंग्स (चल)	24668443	665932	1786918	23547457	10	12921482	1230730	973121	13179091	10368366	11746961
5	हैचरी कॉम्प्लेक्स वल्लारपाडम	10302723	0	0	10302723	5	6800838	175094	0	6975932	3326791	3501885
6	हैचरी उपस्कर, वल्लारपाडम	30200	0	0	30200	25	28690	0	0	28690	1510	1510
7	प्रयोगशाला व फार्म उपस्कर	326650241	25473249	4023048	348100442	25	247116934	23072923	3495680	266694177	81406265	79533307
8	ज़मीन	5991988	0	0	5991988	0	0	0	0	0	5991988	5991988
9	कार्यालय वाहन	5207641	1624933	391263	6441311	25	3904833	400925	375275	3930483	2510828	1302808
10	अन्य परिसंपत्तियां	6768242	2930058	283706	9414594	25	4332685	1008386	270007	5071064	4343530	2435557
11	संयंत्र मशीनरी व सूखा मत्स्य भंडार	1085246	0	0	1085246	10	1030984	0	0	1030984	54262	54262
12	कार्यालय उपस्कर	7388581	18770	1430713	5976638	20	6622354	131354	1346115	5407593	569045	766227
13	जुड़नार (अचल)	25791924	0	235890	25556034	20	21310378	880166	191861	21998683	3557351	4481546
	कुल चालू वर्ष	491245293	34286001	10554011	514977283		353871609	32003241	8968539	376906311	138070972	137373684
	गत वर्ष	431925583	61411717	2092007	491245293		325988665	29763669	1880725	353871609	137373684	105936918

स्थाई संपत्ति का निवल ब्लॉक ₹ 138070972

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity: MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI - 36

SCHEDUES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2017

SCHEDULE 8 **(Amount - ₹)**

GROUP	DESCRIPTION	GROSS BLOCK					DEPRECIATION				NET BLOCK	
		Cost/Valuation as at beginning of the year	Additions during the year	Deductions during the year	Cost/ valuation as at the year-end	Rate	As at the beginning of the year	During the year	On Deduction during the year	Total upto the year end	As at the current year-end	As at the previous year-end
1	BOOKS	3075232	131380	3811	3202801	10	1633503	152590	3466	1782627	1420174	1441729
2	BUILDINGS	38620827	0	0	38620827	5	18000616	1031011	0	19031627	19589200	20620211
3	COMPUTERS/PERIPHERALS	35664005	3441679	2398662	36707022	60	30168312	3920062	2313014	31775360	4931662	5495693
4	FURNITURE AND FITTINGS (MOVABLE)	24668443	665932	1786918	23547457	10	12921482	1230730	973121	13179091	10368366	11746961
5	HATCHERY COMPLEX VALARPADOM	10302723	0	0	10302723	5	6800838	175094	0	6975932	3326791	3501885
6	HATCHERY EQUIPMENT VALLARPADOM	30200	0	0	30200	25	28690	0	0	28690	1510	1510
7	LAB AND FARM EQUIPMENTS	326650241	25473249	4023048	348100442	25	247116934	23072923	3495680	266694177	81406265	79533307
8	LAND	5991988	0	0	5991988	0	0	0	0	0	5991988	5991988
9	OFFICE VEHICLE	5207641	1624933	391263	6441311	25	3904833	400925	375275	3930483	2510828	1302808
10	OTHER ASSETS	6768242	2930058	283706	9414594	25	4332685	1008386	270007	5071064	4343530	2435557
11	PLANT MACHINERY & DRY FISH STORAGE	1085246	0	0	1085246	10	1030984	0	0	1030984	54262	54262
12	OFFICE EQUIPMENTS	7388581	18770	1430713	5976638	20	6622354	131354	1346115	5407593	569045	766227
13	FIXTURES (IMMOVABLE)	25791924	0	235890	25556034	20	21310378	880166	191861	21998683	3557351	4481546
	TOTAL Current Year	491245293	34286001	10554011	514977283		353871609	32003241	8968539	376906311	138070972	137373684
	Previous year	431925583	61411717	2092007	491245293		325988665	29763669	1880725	353871609	137373684	105936918

Net Block of Fixed Asset ₹ 138070972

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर - लाभकारी संगठन)

संगठन का नाम: समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36

31.03.2017 की स्थिति के अनुसार तुलन - पत्र के भागस्वरूप अनुसूचियाँ

(राशि - ₹)

	चालू वर्ष (2016-17)	गत वर्ष(2015-16)
अनुसूची 9 - चिह्नित/स्थाई निधियों से निवेश		
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		
3. शेयर (अनुबंध -5)	55490700	55490700
4. ऋण पत्र और बंधपत्र		
5. सहायक कंपनियाँ एवं संयुक्त उद्यम (मिडकॉन)	25000000	25000000
6. अन्य (निर्दिष्ट किया जाए) (अनुबंध-6)	124396659	122563355
कुल	**204887359**	**203054055**

	चालू वर्ष (2016-17)	गत वर्ष(2015-16)
अनुसूची 10 - निवेश - अन्य		
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		
3. शेयर		
4. ऋणपत्र और बंधपत्र		
5. सहायक कंपनियाँ एवं संयुक्त उद्यम		
6. अन्य (निर्दिष्ट किया जाए)		
कुल		

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity: THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI - 36

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2017

(Amount - ₹)

		Current Year (2016-17)	Previous Year (2015-16)
SCHEDULE 9 - INVESTMENTS FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS			
1.	In Government Securities		
2.	Other approved Securities		
3.	Shares (Annexure-5)	55490700	55490700
4.	Debentures and Bonds		
5.	Subsidiaries and Joint Ventures (MIDCON)	25000000	25000000
6.	Others (to be specified) (Annexure-6)	124396659	122563355
	TOTAL	**204887359**	**203054055**

		Current Year (2016-17)	Previous Year (2015-16)
SCHEDULE 10 - INVESTMENTS - OTHERS			
1.	In Government Securities		
2.	Other approved Securities		
3.	Shares		
4.	Debentures and Bonds		
5.	Subsidiaries and Joint Ventures		
6.	Others (to be specified)		
	TOTAL	**0**	**0**

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर - लाभकारी संगठन)

संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

31.03.2017 की स्थिति के अनुसार तुलन - पत्र के भागस्वरूप अनुसूचियाँ

(राशि - ₹)

	चालू वर्ष (2016-17)		गत वर्ष (2015-16)	
अनुसूची 11 - चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि				
क. चालू परिसंपत्तियाँ :				
1. मालसूची :				
क) भंडार एवं स्पेअर (टिप्पणी 6)	10483711	10483711	9187577	9187577
ख) खुले औज़ार				
ग) व्यापारगत माल				
तैयार माल				
कार्य प्रगति पर				
कच्चा माल				
2. विविध देनदार				
क) छः महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण				
ख) अन्य - संदिग्ध ऋण (ई पी एस)	237740014	237740014	228072275	228072275
3. हाथ में नकद शेष (चेक/ड्राफ्ट अग्रदाय सहित) (अनुबंध-7)	55033	55033	84545	84545
4. बैंक शेषः				
क) अनुसूचित बैंकों में:				
- चालू खाते में (अनुबंध 8)	106511400	106511400	87457807	87457807
- जमा खाते में (मार्जिन मनी सहित)	9671298	9671298		
- बचत खाते में				
ख) गैर अनुसूचित बैंकों में				
- चालू खाते में				
- जमा खाते में				
- बचत खाते में				
5. डाकघर-बचत खाता				
कुल (क)		**364461456**		**324802204**

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity:THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2017

(Amount - ₹)

			Current Year (2016-17)		Previous Year (2015-16)	
SCHEDULE 11 - CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.						
A.	**CURRENT ASSETS:**					
1.	Inventories:					
	a)	Stores and Spares (Note 6)	10483711	10483711	9187577	9187577
	b)	Loose Tools				
	c)	Stock-in-trade				
		Finished Goods				
		Work-in-progress				
		Raw Materials				
2.	Sundry Debtors:					
	a)	Debts Outstanding for a period exceeding six months				
	b)	Others - Doubtful debts (EPS)	237740014	237740014	228072275	228072275
3.	Cash balances in hand (including cheques/drafts and imprest) (Annexure-7)		55033	55033	84545	84545
4.	Bank Balances:					
	a)	With Scheduled Banks:				
		- On Current Accounts (Annexure-8)	106511400	106511400	87457807	87457807
		- On Deposit Accounts (includes margin money)	9671298	9671298		
		- On Savings Accounts				
	b)	With non-Scheduled Banks				
		- On Current Accounts				
		- On Deposit Accounts				
		- On Savings Accounts				
5.	Post Office-Savings Accounts					
	TOTAL (A)			**364461456**		**324802204**

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर - लाभकारी संगठन)

संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची-36

31.03.2017 की स्थिति के अनुसार तुलन - पत्र के भागस्वरूप अनुसूचिया

(राशि - ₹)

		चालू वर्ष (2016-17)		गत वर्ष (2015-16)	
अनुसूची 11 - चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि (जारी)					
ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्तियाँ					
1.	ऋण:				
	क) कर्मचारी (अनबंध-9)	5346558	5346558	3443657	3443657
	ख) इस संगठन के समान कार्यकलापों/उद्देश्यों में लगे अन्य संगठन				
	ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)				
2.	नकद या वस्तु के रूप में वसूली योग्य अथवा प्राप्तव्य मूल्य हेतु निर्दिष्ट अग्रिम व अन्य राशि				
	क) पूँजी खाते पर				
	ख) पूर्वभुगतान	964487	964487	3425564	3425564
	ग) अन्य (अनुबंध - 10)	6649218	6649218	20217625	20217625
3.	उपार्जित आय:				
	क) चिह्नित/स्थाई निधियों से निवेशों पर				
	ख) निवेशों पर - अन्य				
	ग) ऋणों व अग्रिमों पर				
	घ) अन्य				
	(₹..... .की वसूल न की गई बाकाया आय सम्मिलित है)				
4.	प्राप्य दावे/प्राप्य लेखे	50433038	50433038	43786095	43786095
	कुल (ख)		**63393301**		**70872941**
	योग (क + ख)		**427854757**		**395675145**

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity:THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI - 36

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2017

(Amount - ₹)

	Current Year (2016-17)		Previous Year (2015-16)	
SCHEDULE 11 - CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC. (Contd.)				
B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS				
1. Loans:				
a) Staff (Annexure-9)	5346558	5346558	3443657	3443657
b) Other Entities engaged in activities/objectives similar to that of the Entity				
c) Other (specify)				
2. Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for value to be received				
a) On Capital Account				
b) Prepayments	964487	964487	3425564	3425564
c) Others (Annexure-10)	6649218	6649218	20217625	20217625
3. Income Accrued:				
a) On Investments from Earmarked/Endowment Funds				
b) On Investments - Others				
c) On Loans and Advances				
d) Others (includes income due unrealised Rs……)				
4. Claims Receivable/ Accounts Receivable	50433038	50433038	43786095	43786095
TOTAL (B)		**63393301**		**70872941**
TOTAL (A + B)		**427854757**		**395675145**

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर - लाभकारी संगठन)

संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36

31.03.2017 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय के भागस्वरूप अनुसूचियाँ

(राशि - ₹)

	चालू वर्ष (2016-17)			गत वर्ष (2015-16)		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
अनुसूची 12 - बिक्रियों/सेवाओं से आय						
1) बिक्रियों से आय						
क) तैयार माल की बिक्री						
ख) कच्चे माल की बिक्री						
ग) रद्दी माल की बिक्री (पुरानी मदों की बिक्री)						
घ) अन्य (मत्स्य/प्रॉन की बिक्री)						
2) सेवाओं से आय						
क) मज़दूरी व प्रसंस्करण प्रभार						
ख) व्यावसायिक/परामर्श सेवाएं						
ग) अभिकरण कमीशन व दलाली						
घ) अनुरक्षण सेवाएं (उपस्कर/संपत्ति)						
ङ) अन्य (निर्दिष्ट करें) (पट्टा किराया-एलीसा प्रयोगशाला)		4762931	4762931		3643215	3643215
कुल			4762931			3643215

	चालू वर्ष (2016-17)			गत वर्ष (2015-16)		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
अनुसूची 13 -अनुदान/सब्सिडी						
(अप्रत्यादेय अनुदान व प्राप्त सब्सिडी)						
1) केन्द्रीय सरकार (परिसंपत्ति क्रय करें)	888050465	102663534	990713999	1239342624	49245659	1288588283
2) राज्य सरकार (रें)						
3) सरकारी अभिकरण						
4) संस्थाएं/कल्याणकारी निकाय						
5) अंतर्राष्ट्रीय संगठन						
कुल	888050465	102663534	990713999	1239342624	49245659	1288588283

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity:THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI -36

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD / YEAR ENDED 31.03.2017

(Amount - ₹)

	Current Year (2016-17)			Previous Year (2015-16)		
	PLAN	NON PLAN	TOTAL	PLAN	NON PLAN	TOTAL
SCHEDULE 12 - INCOME FROM SALES/SERVICES						
1) Income from Sales						
a) Sale of Finished Goods						
b) Sale of Raw Material						
c) Sale of Scraps (Sale of old items)						
d) Others (Sale of Fish/Prawn)						
2) Income from Services						
a) Labour and Processing Charges						
b) Professional/Consultancy Services						
c) Agency Commission and Brokerage						
d) Maintenance Services (Equipment/Property)						
e) Others (Specify) (Lease Rent- ELISA LABS)		4762931	4762931		3643215	3643215
TOTAL			**4762931**			**3643215**

	Current Year (2016-17)			Previous Year (2015-16)		
	PLAN	NON PLAN	TOTAL	PLAN	NON PLAN	TOTAL
SCHEDULE 13 - GRANTS/SUBSIDIES						
(Irrevocable Grants & Subsidies Received)						
1) Central Government (less Asset purchase)	888050465	102663534	990713999	1239342624	49245659	1288588283
2) State Government(s)						
3) Government Agencies						
4) Institutions/Welfare Bodies						
5) International Organisations						
TOTAL	**888050465**	**102663534**	**990713999**	**1239342624**	**49245659**	**1288588283**

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर - लाभकारी संगठन)

संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

31.03.2017 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय के भागस्वरूप अनुसूचियाँ

(राशि - ₹)

	चालू वर्ष (2016-17)			गत वर्ष (2015-16)		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
अनुसूची 14 - शुल्क/अंशदान						
1) प्रवेश शुल्क						
2) वार्षिक शुल्क/अंशदान (अनुबंध - 11)		123580	123580		177320	177320
3) संगोष्ठी/कार्यक्रम शुल्क (अनुबंध- 12)		18052615	18052615		8552579	8552579
4) परामर्श शुल्क						
5) अन्य (निर्दिष्ट करें)						
कुल		**18176195**	**18176195**		**8729899**	**8729899**

टिप्पणी : प्रत्येक मद के लिए लेखाकरण नीतियों का खुलासा किया जाना है ।

	चिह्नित निधि से निवेश		निवेश - अन्य
	चालू वर्ष (2016-17)	गत वर्ष (2015-16)	चालू वर्ष
अनुसूची 15 - निवेशों से आय			
(निधियों में अंतरित चिह्नित/स्थाई निधियों से निवेशों पर आय)			
1) ब्याज			
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर			
ख) अन्य बंधपत्र/ऋणपत्र			
2) लाभांशः			
क) शेयरों पर			
ख) मुचुअल फंड प्रतिभूतियों पर			
3) किराया			
4) अन्य - निवेशों से आय (अनुबंध-1)	9774303	12933122	
कुल	**9774303**	**12933122**	
चिह्नित/स्थाई निधियों में अंतरित	**9774303**	**12933122**	

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity:THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI - 36

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD / YEAR ENDED 31.03.2017

(Amount - ₹)

	Current Year (2016-17)			Previous Year (2015-16)		
	PLAN	NON PLAN	TOTAL	PLAN	NON PLAN	TOTAL
SCHEDULE 14 - FEES/SUBSCRIPTIONS						
1) Entrance Fees						
2) Annual Fees/Subscriptions(Annexure-11)		123580	123580		177320	177320
3) Seminar/Program Fees(Annexure-12)		18052615	18052615		8552579	8552579
4) Consultancy Fees						
5) Others (Specify)						
TOTAL		**18176195**	**18176195**		**8729899**	**8729899**

Note: Accounting Policies towards each item are to be disclosed

	Investment from Earmmarked Fund		Investment - Others
	Current Year16-17	Previous Year15-16	Current Year
SCHEDULE 15 - INCOME FROM INVESTMENTS			
(Income on Invest.from Earmarked/Endowment Funds transferred to Funds)			
1) Interest			
a) On Govt. Securities			
b) Other Bonds/Debentures			
2) Dividends:			
a) On Shares			
b) On Mutual Fund Securities			
3) Rents			
4) Others - Income from Investments (Annx -1)	9774303	12933122	
TOTAL	**9774303**	**12933122**	
TRANSFERRED TO EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS	**9774303**	**12933122**	

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर - लाभकारी संगठन)

संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36

31.03.2017 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय के भागस्वरूप अनुसूचियाँ

(राशि - ₹)

	चालू वर्ष (2016-17)			गत वर्ष (2015-16)		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
अनुसूची 16- रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय						
1) रॉयल्टी से आय						
2) प्रकाशनों से आय (अनुबंध- 13)		990323	990323		919600	919600
3) अन्य (निर्दिष्ट करें) (अनुबंध - 14)		120713	120713		244525	244525
कुल		**1111036**	**1111036**		**1164125**	**1164125**

	चालू वर्ष (2016-17)			गत वर्ष (2015-16)		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
अनुसूची 17- अर्जित ब्याज						
1) सावधि जमा पर		7426376	7426376		8515005	8515005
क) अनुसूचित बैंकों में						
ख) गैर अनुसूचित बैंकों में						
ग) संस्थाओं में						
घ) अन्य						
2) बचत खातों पर :						
क) अनुसूचित बैंकों में						
ख) गैर अनुसूचित बैंकों में						
ग) डाकघर बचत खाते						
घ) अन्य						
3) ऋणों पर						
क) अधिकारी/कर्मचारी (अनुबंध 15)		560317	560317		846261	846261
ख) अन्य						
4) देनदारों व अन्य प्राप्य राशियों पर ब्याज (बिजली)		0			35183	35183
कुल		**7986693**	**7986693**		**9396449**	**9396449**

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity:THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI - 36

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD / YEAR ENDED 31.03.2017

(Amount - ₹)

	Current Year (2016-17)			Previous Year (2015-16)		
	PLAN	NON PLAN	TOTAL	PLAN	NON PLAN	TOTAL
SCHEDULE 16 - INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC						
1) Income from Royalty						
2) Income from Publications(Annexure-13)		990323	990323		919600	919600
3) Others (Specify)(Annexure-14)		120713	120713		244525	244525
TOTAL		**1111036**	**1111036**		**1164125**	**1164125**

	Current Year (2016-17)			Previous Year (2015-16)		
	PLAN	NON PLAN	TOTAL	PLAN	NON PLAN	TOTAL
SCHEDULE 17- INTEREST EARNED						
1) On Term Deposits		7426376	7426376		8515005	8515005
a) With Scheduled Banks						
b) With Non-Scheduled Banks						
c) With Institutions						
d) Others						
2) On Savings Accounts:						
a) With Scheduled Banks						
b) With Non-Scheduled Banks						
c) Post Office Savings Accounts						
d) Others						
3) On Loans						
a) Employees/Staff(Annexure-15)		560317	560317		846261	846261
b) Others						
4) Interest on Debtors and Other Receivables (Electricity)			0		35183	35183
TOTAL		**7986693**	**7986693**		**9396449**	**9396449**

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर - लाभकारी संगठन)

संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची-36

31.03.2017 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय के भागस्वरूप अनुसूचियाँ

(राशि - ₹)

	चालू वर्ष (2016-17)			गत वर्ष (2015-16)		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
अनुसूची 18- अन्य आय						
1) परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ						
क) स्वामित्वाधीन परिसंपत्तियाँ						
ख) अनुदान से अर्जित या निःशुल्क प्राप्त परिसंपत्तियाँ		-847149	-847149		-11003	-11003
2) प्राप्त निर्यात प्रोत्साहन						
3) विविध सेवाओं के लिए शुल्क						
4) विविध आय (आर टी आई सहित)		14818094	14818094		21089953	21089953
कुल		**13970945**	**13970945**		**21078950**	**21078950**

अनुसूची 19 - तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/(कमी) और कार्य प्रगति पर

	चालू वर्ष (2016-17)			गत वर्ष (2015-16)		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
क) अंतिम स्टॉक						
- तैयार माल						
- कार्य प्रगति पर						
ख) घटाएं : प्रारंभिक स्टॉक						
- तैयार माल						
- कार्य प्रगति पर						
निवल वृद्धि/(कमी) (क - ख)						

	चालू वर्ष (2016-17)			गत वर्ष (2015-16)		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
अनुसूची 20 - संस्थापना व्यय						
क) वेतन व मज़दूरी	175657533	25832707	201490240	171557677	29213479	200771156
ख) भत्ते व बोनस	4107300	1070751	5178051	2597257	876400	3473657
ग) भविष्य निधि में अंशदान	0	0	0			
घ) अन्य निधि में अंशदान (डी सी पी एस अंशदान)	3742500	687108	4429608	3179569	598070	3777639
ङ) कर्मचारी कल्याण व्यय	108118	0	108118	61081	9550	70631
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति व सेवांत लाभों पर व्यय	43616424	81315277	124931701	37500140	77023668	114523808
छ) सेवानिवृत्ति लाभों के लिए प्रावधान			0			
ज) अन्य (निर्दिष्ट करें)						
कुल	**227231875**	**108905843**	**336137718**	**214895724**	**107721167**	**322616891**

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity:THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI - 36

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD / YEAR ENDED 31.03.2017

(Amount - ₹)

	Current Year (2016-17)			Previous Year (2015-16)		
	PLAN	NON PLAN	TOTAL	PLAN	NON PLAN	TOTAL
SCHEDULE 18-OTHER INCOME						
1) Profit on Sale/disposal of Assets						
a) Owned assets						
b) Assets acquired out of grants, or received free of cost	-847149	-847149		-11003	-11003	
2) Export Incentives realized						
3) Fees for Miscellaneous Services						
4) Miscellaneous Income (including RTI)	14818094	14818094		21089953	21089953	
TOTAL	**13970945**	**13970945**		**21078950**	**21078950**	

SCHEDULE 19-INCREASE/ (DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS & WORK- IN -PROGRESS

	Current Year (2016-17)			Previous Year (2015-16)		
	PLAN	NON PLAN	TOTAL	PLAN	NON PLAN	TOTAL
a) Closing stock						
- Finished Goods						
- Work-in-progress						
b) Less: Opening Stock						
- Finished Goods						
- Work-in-progress						
NET INCREASE/(DECREASE) (a-b)						

	Current Year (2016-17)			Previous Year (2015-16)		
	PLAN	NON PLAN	TOTAL	PLAN	NON PLAN	TOTAL
SCHEDULE 20 - ESTABLISHMENT EXPENSES						
a) Salaries and Wages	175657533	25832707	201490240	171557677	29213479	200771156
b) Allowances and Bonus	4107300	1070751	5178051	2597257	876400	3473657
c) Contribution to Provident Fund			0	0	0	0
d) Contribution to Other Fund (DCPS Contribution)	3742500	687108	4429608	3179569	598070	3777639
e) Staff Welfare Expenses	108118	0	108118	61081	9550	70631
f) Expenses on Employees' Retirement and Terminal Benefits	43616424	81315277	124931701	37500140	77023668	114523808
g) Provision for Retirement Benefits			0			
h) Others (specify)						
TOTAL	**227231875**	**108905843**	**336137718**	**214895724**	**107721167**	**322616891**

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर - लाभकारी संगठन)

संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36

31.03.2017 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय के भागस्वरूप अनुसूचियाँ

(राशि - ₹)

अनुसूची 21 -अन्य प्रशासनिक व्यय	चालू वर्ष (2016-17)			गत वर्ष (2015-16)		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
क) विद्युत एवं जल	7481429	936921	8418350	6981996	692602	7674598
ख) ए एम सी	4678335	682018	5360353	2459376	466891	2926267
ग) बीमा	418711	32184	450895	1592284	61119	1653403
घ) मरम्मत व अनुरक्षण	2289889	1573613	3863502	1777131	420418	2197549
ड़) उत्पाद शुल्क	0	0	0	0	0	0
च) किराया, दरें व कर	29281603	5639	29287242	22843697	2029	22845726
छ) वाहन चालन व अनुरक्षण	692807	320965	1013772	670585	365200	1035785
ज) डाक, दूरभाष व संचार प्रभार एवं मुद्रण व लेखन सामग्री	5277839	1363766	6641605	5841098	1279108	7120206
झ) यात्रा व वाहन व्यय	17164386	3071663	20236049	23406014	1216922	24622936
ञ) सत्कार व्यय (मनोरंजन)	56745	0	56745	46141	0	46141
ट) व्यावसायिक प्रभार (विधिक)	130800	415800	546600	133185	1091105	1224290
ठ) लेखा परीक्षक को पारिश्रमिक	145130	660150	805280	0	0	0
ड) विज्ञापन एवं प्रचार	0	409415	409415	0	0	0
ढ) अन्य व्यय (अनुबंध16)	23492437	8529097	32641000	20542186	6746482	27288668
कुल	**91110111**	**18001231**	**109730808**	**86293693**	**12341876**	**98635569**

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity:THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI - 36

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD / YEAR ENDED 31.03.2017

(Amount - ₹)

SCHEDULE 21-OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC.		CURRENT YEAR (2016-17)			Previous YEAR (2015-16)		
		PLAN	NON PLAN	TOTAL	PLAN	NON PLAN	TOTAL
a)	Electricity and Water	7481429	936921	8418350	6981996	692602	7674598
b)	AMC	4678335	682018	5360353	2459376	466891	2926267
c)	Insurance	418711	32184	450895	1592284	61119	1653403
d)	Repairs and maintenance	2289889	1573613	3863502	1777131	420418	2197549
e)	Excise Duty	0	0	0	0	0	0
f)	Rent, Rates and Taxes	29281603	5639	29287242	22843697	2029	22845726
g)	Vehicles Running and Maintenance	692807	320965	1013772	670585	365200	1035785
h)	Postage, Telephone and Communication Charges & Printing and Stationary	5277839	1363766	6641605	5841098	1279108	7120206
i)	Travelling and Conveyance Expenses	17164386	3071663	20236049	23406014	1216922	24622936
j)	Hospitality Expenses (Entertainment)	56745	0	56745	46141	0	46141
k)	Professional Charges (Legal)	130800	415800	546600	133185	1091105	1224290
l)	Auditor's Remuneration	145130	660150	805280	0	0	0
m)	Advertisement & Publicity	0	409415	409415	0	0	0
o)	Other Expenses (Annexure-16)	23492437	8529097	32641000	20542186	6746482	27288668
	TOTAL	**91110111**	**18001231**	**109730808**	**86293693**	**12341876**	**98635569**

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर - लाभकारी संगठन)

संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36

31.03.2017 को समाप्त अवधि के लिए वर्ष की आय एवं व्यय के भागस्वरूप अनुसूचियाँ

(राशि - ₹)

अनुसूची 22 -अनुदानों, सब्सिडियों आदि पर व्यय		चालू वर्ष (2016-17)			गत वर्ष (2015-16)		
		योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
क)	संस्थाओं/संगठनों को प्रदत्त अनुदान (अनुबंध - 17)	332100000	0	332100000	647555587	0	647555587
ख)	संस्थाओं/संगठनों को प्रदत्त सब्सिडी (अनुबंध - 18)	155073732	0	155073732	265719402	0	265719402
ग)	अन्य (अनुबंध - 19)	98494960	0	98494960	66159715	0	66159715
	कुल	**585668692**		**585668692**	**979434704**		**979434704**

टिप्पणी : संगठनों के नाम, अनुदान/सब्सिडी की राशि सहित उनके कार्यकलापों का खुलासा किया जाए ।

अनुसूची -23 ब्याज		चालू वर्ष (2016-17)			गत वर्ष (2015-16)		
		योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
क)	मियादी ऋणों पर						
ख)	अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित)						
ग)	अन्य (निर्दिष्ट करें)						
	कुल						

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity:THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI - 36

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD ENDED 31.03.2017

(Amount - ₹)

SCHEDULE 22 - EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC.	Current Year (2016-17) PLAN	NON PLAN	TOTAL	Previous Year (2015-16) PLAN	NON PLAN	TOTAL
a) Grants given to Institutions / Organisations (Annexure-17)	332100000	0	332100000	647555587	0	647555587
b) Subsidies given to Institutions / Organisations (Annexure-18)	155073732	0	155073732	265719402	0	265719402
c) Others(Annexure-19)	98494960	0	98494960	66159715	0	66159715
TOTAL	**585668692**		**585668692**	**979434704**		**979434704**

Note: Name of the Entities, their Activities along with the amount of Grants/Subsidies are to be disclosed

SCHEDULE 23 - INTEREST	Current Year (2016-17) PLAN	NON PLAN	TOTAL	Previous Year (2015-16) PLAN	NON PLAN	TOTAL
a) On Fixed Loans						
b) On other Loans (including Bank Charges)						
c) Others (specify)						
TOTAL						

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर - लाभकारी संगठन)

संगठन का नामः समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची-36

31.03.2017 को समाप्त अवधि के लिए आय व व्यय के भागस्वरूप अनुसूचियाँ

अनुसूची 24 - महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ (निदर्शी)

1 लेखाकरण अभिसमय

प्राधिकरण वर्ष 2007-08 से आय व व्यय और तुलन पत्र तैयार करने में लेखाकरण के प्रोद्भवन आधार को अपनाता है । जब तक कि अन्यथा उल्लिखित न हो, वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत अभिसमय के आधार पर व लेखाकरण की प्रोद्भवन रीति पर तैयार किए जाते हैं । योजना निधि के अल्पावधिक निक्षेपों पर अर्जित ब्याज को छोडकर प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी विभागीय आय (आई ई बी आर) गैरयोजना के अन्तर्गत ली जाती है ।

2. वस्तु सूची का मूल्यांकन

2.1 भंडार और कल पुर्जे (मशीनरी के कल पुर्जे सहित) का मूल्यांकन लागत किया जाता है । - लागू नहीं

2.2 कच्चे माल, अर्ध तैयार मालों और तैयार माल का मूल्यांकन उनके कम मूल्य पर और निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है । लागत भारित औसत लागत पर आधारित होती है । तैयार माल व अर्ध तैयार माल की लागत का निर्धारण, सामग्री, मज़दूरी व संबंधित ऊरी व्यय के आधार पर विचार करके किया जाता है । - लागू नहीं

3. निवेश

3.1 'दीर्घकालिक निवेश' के रूप में वर्गीकृत निवेश लागत पर किए जाते हैं । ऐसे निवेशों की वहनीय लागत में अस्थाई को छोड़कर ह्रास का प्रावधान किया जाता है । - लागू नहीं

3.2 चालू के रूप में वर्गीकृत निवेश निम्मतर लागत व उचित मूल्य पर किए जाते हैं । ऐसे निवेशों के मूल्य में होने वाली कभी के लिए प्रावधान प्रत्येक निवेश केलिए अलग रूप से किया जाता है न कि वैश्विक आधार पर ।

3.3 लागत में दलाली, अंतरण स्टॉप जैसे अर्जन व्यय शामिल हैं ।

4. उत्पाद शुल्क

निर्यात को छोडकर, संगठन द्वरा उत्पादित माल के बारे में उत्पाद शुल्क हेतु देयता को विनिर्माण पूर्ण होने पर लेखा किया जाता है और वर्षांत में उत्पाद शुल्क योग्य विनिर्मित माल के लिए प्रावधान किया जाता है ।

5. स्थाई परिसंपत्तियां

5.1 स्थाई परिसंपत्तियों का उल्लेख अर्जन की लागत पर किया जाता है जिसमें आवक मालभाड़ा, शुल्क तथा कर और अर्जन से संबंधित आकस्मिक व प्रत्यक्ष व्यय शामिल होते हैं । जिन परियोजनाओं में निर्माण शामिल होता है, उनमें संबंधित पूर्व प्रचालन व्यय (इसके पूर्ण होने से पहले विशिष्ट परियोजना के लिए, लिए गए ऋणों का ब्याज सहित है) पूँजीकृत परिसंपत्तियों के मूल्य का भाग बनते हैं ।

5.2 गैर आर्थिक अनुदानों के रूप में प्राप्त स्थाई परिसंपत्तियाँ, (संग्रह निधि में अनुदान को छोड़कर) पूँजी आरक्षित निधि में तदनुरूपी जमा द्वारा मूल्य आधार पर पूँजीकृत की जाती हैं ।

6. मूल्यह्रास

6.1. स्थाई परिसंपत्तियों के अर्जन के लिए विदेशी मुद्रा देयताओं के परिवर्तन के कारण उत्पन्न होनेवाले लागत समायोजनों पर मूल्यह्रास को छोड़कर, मूल्यह्रास का प्रावधान अविलिखित मूल्य (डब्ल्यू डी वी) पर किया जाता है, जो संबंधित परिसंपत्तियों की अवशिष्ट अवधि पर परिशोधित किया जाता है ।

6.2 वर्ष के दौरान, स्थाई परिसंपत्तियों में हुई अभिवृद्धियों/कटौतियों के संबंध में, मूल्यह्रास पर आनुपातिक आधार पर विचार किया जाता है ।

6.3 मूल्यह्रास का प्रावधान परिसंपत्तियों की मूल लागत के 95 प्रतिशत तक डब्ल्यू डी वी आधार पर किया जाता है और उसके बाद आगे और कोई मूल्यह्रास किए बिना खाता मूल्य पर रखा जाता है ।

7. विविध व्यय

इस शीर्ष के तहत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सेवांत हितलाभों केलिए प्रावधान बनाए गए हैं ।

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity:THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI - 36

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD ENDED 31.03.2017

SCHEDULE 24 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Illustrative)

1 ACCOUNTING CONVENTION

The Authority follows accrual basis of accounting in the preparation of Income and Expenditure and Balance Sheet from the year 2007-08. The financial statements are prepared on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated and on the accrual method of accounting. All departmental incomes (IEBR) received by the Authority except the interest earned on short term deposits of plan fund are taken under Non Plan.

2 INVENTORY VALUATION

2.1 Stores and Spares (including machinery spares) are valued at cost - N.A

2.2 Raw materials, semi-finished goods and finished goods are valued at lower of cost and net realizable value. The costs are based on weighted average cost. Cost of finished goods and semi-finished goods is determined by considering material, labour and related overhead - N.A

3 INVESTMENTS

3.1 Investments classified as "long term investments" are carried at cost. Provision for decline, other than temporary, is made in carrying cost of such investments - N.A

3.2 Investments classified as "Current" are carried at lower cost and fair value. Provision for shortfall on the value of such investments is made for each investment considered individually and not on a global basis.

3.3 Cost includes acquisiton expenses like brokerage, transfer stamps.

4 EXCISE DUTY

Liability for excise duty in respect of goods produced by the entity, other than for exports, is accounted upon completion of manufacture and provision is made for excisable manufactured goods as at the year-end

5 FIXED ASSETS

5.1 Fixed Assets are stated at cost of acquisition inclusive of inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses related to acquistion. In respect of projects involving construction, related pre-operational expenses (including interest on loans for specific project prior to its completion), form part of the value of the assets capitalized.

5.2 Fixed Assets received by way of non-monetary grants, (other than towards the Corpus Fund), are capitalized at values stated, by corresponding credit to Capital Reserve

6 DEPRECIATION

6.1 Depreciation is provided on Written Down Value (WDV) method except depreciation on cost adjustments arising on account of conversion of foreign currency liabilities for acquisition of fixed assets, which is amortized over the residual life of the respective assets.

6.2 In respect of additions to/deductions from fixed assets during the year, depreciation is considered on pro-rata basis.

6.3 Depreciation is provided on WDV basis upto 95% of the original cost of assets and thereafter retained at book value without any further depreciation.

7. MISCELLANEOUS EXPENDITURE

Under this head provision for employees retirement and terminal benefits have been made.

8. बिक्रियों के लिए लेखाकरण

बिक्रियों में उत्पादन शुल्क सम्मिलित है और बिक्री प्रतिलाभ, रिबेट व व्यापार छूट की वास्तविक राशि है । - लागू नहीं

9. सरकारी अनुदान/सब्सिडी

9.1 परियोजनाओं की स्थापना की पूँजीकृत लागत के लिए अंशदान के रूप में दिए गए सरकारी अनुदान आरक्षित निधि के रूप में समझे जाते हैं ।

9.2 अर्जित की गई विशिष्ट स्थाई परिसंपत्तियों से संबंधित अनुदान संबंधित परिसंपत्तियों की लागत से की गई कटौती के रूप में दर्शाए जाते हैं ।

9.3 सरकारी अनुदानों/सब्सिडी को वसूली आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है । - लागू नहीं

10. विदेशी मुद्रा में लेनदेन

10.1 विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्धित लेनदेनों को लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर लेखाबद्ध किया जाता है ।

10.2 चालू परिसंपत्तियों, विदेशी मुद्रा ऋणों व चालू देयताओं को वर्षांत में प्रचलित अभिभावी विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है और परिणामी लाभ/हानि को विदेशी मुद्रा में देयता स्थाई परिसंपत्तियों से संबंधित होने की स्थिति में स्थाई परिसंपत्तियों की लागत में समायोजित किया जाता है, और अन्य मामलों में उसे राजस्व माना जाता है ।

11. पट्टा

पट्टा किराए पट्टे की शर्तों के अनुसार व्यय किए जाते हैं ।

12. सेवानिवृत्ति लाभ

12.1 तथा12.2 प्रत्येक वर्ष उपदान, अवकाश नकदीकरण, पेंशन परिवर्तन, पेंशन आदि जैसे सेवानिवृत्ति लाभों के लिए गैर योजना के तहत बजट प्रावधान बनाया जाता है और इसमें से व्यय की पूर्ति की जाती है । वर्ष के दौरान, 31.3.2017 की स्थिति के अनुसार मौजूद देयता का मूल्यंकन वास्तविक आधार पर किया गया है और देयता का प्रावधान लेखे में किया गया है। सेवानिवृत्ति/सेवांत लाभ के लिए कोई अलग आरक्षित निधि नहीं है । उपदान देयता आदि चालू वर्ष के लिए प्रोद्भूत नहीं की होती है अतः इस आय एवं व्यय लेखे में प्रमाणित नहीं किया जाता है । प्रतिबद्धताएं विशिष्ट प्रयोजन के लिए सरकार निधियों के निर्गम के अधीन संबंध है। ।'

मुख्य लेखा अधिकारी	सचिव	अध्यक्ष

8. ACCOUNTING FOR SALES

Sales include excise duty and are net of sales returns, rebate and trade discount - N.A

9. GOVERNMENT GRANTS/SUBSIDIES

9.1 Government grants of the nature of contribution towards capital cost of setting up projects are treated as Capital Reserve.

9.2 Grants in respect of specific fixed assets acquired are shown as a deduction from the cost of the related assets.

9.3 Government grants/subsidy are accounted on realization basis - N.A

10. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

10.1 Transactions denominated in foreign currency are accounted at the exchange rate prevailing at the date of the transaction.

10.2 Current assets, foreign currency loans and current liabilities are converted at the exchange rate prevailing as at the year end and the resultant gain/ loss is adjusted to cost of fixed assets, if the foreign currency liability relates to fixed assets, and in other cases is considered to revenue.

11. LEASE

Lease rentals are expensed with reference to lease terms

12. RETIREMENT BENEFITS

12.1 & 12.2 Every year budget provision is made under non plan for the retirement benefits like gratuity, leave encashment, pension commutation, pension etc. and the expenditure is met from this. During the year, the liability existing as on 31.03.2017 have been valued on actuarial basis and the liability provided in the accounts. There is no separate reserve fund for retirement/terminal benefits. The liability on gratuity etc. are not accrued for the current year and hence not charged under Income and Expenditure Account. The commitments are subjected to release of funds by the Government towards the specific purposes.

CHIEF ACCOUNTS OFFICER **SECRETARY** **CHAIRMAN**

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर - लाभकारी संगठन)

संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36

31.03.2017 को समाप्त अवधि के लिए आय व व्यय के भागस्वरूप अनुसूचिया

अनुसूची 25 आकस्मिक देयताएं एवं लेखाओं पर टिप्पणियां (निदर्शी)

1. आकस्मिक देयताएं

1.1 संगठन के खिलाफ दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं दिया गया है ₹ ..... (गत वर्ष ₹ .....)

1.2 निम्नलिखित के संबध में :

- संगठन द्वारा उसकी ओर से प्रदत्त बैंक गारटी ₹ ..... (गत वर्ष ₹ .....)

- संगठन की ओर से बैंक द्वारा खोले गए साख पत्र ₹ ..... (गत वर्ष ₹ .....)

- बैंकों के पास छट प्राप्त बिल ₹ ..... (गत वर्ष ₹ .....)

1.3 निम्नलिखित के संबंध में विवादित माँगें

आयकर ₹ ..... (गत वर्ष ₹ .....)

बिक्री कर ₹ ..... (गत वर्ष ₹ .....)

नगरपालिका कर ₹ ..... (गत वर्ष ₹ .....)

1.4 आर्डर पूरे न किए जाने पर पक्षकारों की ओर से दावों के संबंध में परन्तु जिनका संगठन ने विरोध किया है लागू नहीं

2. पूँजी प्रतिबद्धताएं

पूँजी लेखे से निष्पादित किए जाने केलिए शेष संविदाओं का अनुप्रमाणित मूल्य और जिनका प्रावधान नहीं किया गया है (अग्रिमों को छोडकर) ₹ ..... (गत वर्ष ₹ .....)

3. पट्टा दायित्व

संयंत्र व मशीनरी हेतु की गई वित्त पट्टा व्यवस्थाओं के अन्तर्गत किराए के लिए की भावी दायित्व ₹ ..... (गत वर्ष ₹ .....)

4. चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम

प्रबंधन की राय में, चालू परिसंपत्तियों, (धनु कोष्ठक बंद) ऋणों एवं अग्रिमों का मूल्य व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में तुलन पत्र में दर्शाई गई कुल राशि के कम से कम बराबर राशि की वसूली पर होता है ।

5. कराधान

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत कोई करयोग्य आय नहीं है, आयकर हेतु कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है।

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity:THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI - 36

SHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD ENDED 31.03.2017

SCHEDULE 25 - CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS (Illustrative)

1 CONTINGENT LIABILITIES

1.1 Claims against the Entity not acknowledged as debts - ₹……-……. (Previous year ……..)

1.2 In respect of:

- Bank guarantees given by/on behalf of the Entity - ₹ …..-…….. (Previous year ₹……-……)

- Letters of Credit opened by Bank on behalf of the Entity ₹ ……-… (Previous year ₹ ……-…)

- Billls discounted with banks ₹ ……-…….. (Previous year ₹ ……-……)

1.3 Disputed demands in respect of

Income tax ₹ ……-……. (Previous year ₹ ……-……)

Sales-tax ₹ ……-……. (Previous year ₹ ……-……)

Municipal Taxes ……-……. (Previous year ₹ ……-……)

1.4 In respect of claims from parties on non execution of orders but contested by the entity - N.A

2 CAPITAL COMMITMENTS

Estimated value of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (net of advances) ₹ ……-……. (Previous year ₹ ……-……)

3 LEASE OBLIGATIONS

Future obligations for rentals under finance lease arrangements for plant and machinery amount to ₹ ……-……. (Previous year ₹ ……..- .....)

4 CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES

In the opinion of the Management, the current assets, loans and advances have a value on realization in the ordinary course of business, equal at least to the aggregated amount shown in the Balance Sheet.

5 TAXATION

In view of there being no taxable income under Income-Tax Act, 1961, no provision for Income tax has been considered necessary.

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर - लाभकारी संगठन)

संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36

31.03.2016 को समाप्त अवधि के लिए आय व व्यय के भागस्वरूप अनुसूचियाँ

अनुसूची 25- आकस्मिक देयताएं एवं लेखाओं पर टिप्पणियां (निदर्शी) - जारी.....

		चालू वर्ष	गत वर्ष
6.	**विदेशी मुद्रा में लेन-देन**		
6.1	सी आई एफ आधार पर परिकलित आयातों का मूल्य :		
	- तैयार माल की खरीदी		
	- कच्चे माल व संघटक (मार्गस्थ सहित)		
	- पूँजी माल		
	- भंडार, कल पुर्जे व खपत योग्य वस्तुएं		
6.2	विदेशी मुद्रा में व्यय		
	क) यात्रा (दैनिक भत्ता)	20231.2 अमे.डॉ	32321 अमे.डॉ
	ख) वित्तीय संस्थाओं/बैंकों को विदेशी मुद्रा में धन प्रेषण ब्याज भुगतान		
	ग) अन्य व्यय:	962466.04 अमे.डॉ	908551 अमे.डॉ
	- बिक्री पर कमीशन		
	- कानूनी व व्यावसायिक व्यय		
	- विविध व्यय		
6.3	अर्जन:		
	एफ ओ बी आधार पर निर्यातों का मूल्य - लागू नहीं		
6.4	लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक: - लागू नहीं		
	लेखा परीक्षकों के रूप में		
	- कराधान मामले		
	- प्रबंधन सेवाओं के लिए		
	- प्रमाणन के लिए		
	अन्य		

'जहाँ आवश्यक हुआ है , पूर्व वर्ष के तदनुरूपी संगत आँकडों को पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है ।

अनुसूची 1 से 25 संलग्न है, और वे दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र ओर उस तिथि को समाप्त आय-व्यय लेखे की अभिन्न अंग है । '

मुख्य लेखा अधिकारी **सचिव** **अध्यक्ष**

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity:THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI - 36

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD ENDED 31.03.2017

SCHEDULE 25 - CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS (Illustrative) - Contd.

		Current Year	Previous year
6	**FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS**		
6.1	Value of Imports Calculated on C.I.F.Basis:		
	- Purchase of finished Goods		
	- Raw Materials & Components (Inluding in transit)		
	- Capital Goods		
	- Stores, Spares and Consumables		
6.2	Expenditure in foreign currency		
	a) Travel (per diem allowance)	US $ 20231.2	US $ 32321
	b) Remittances and Interest payment to Financial Institutions/Banks in Foreign Currency		
	c) Other expenditure:	US $ 962466.04	US $ 908551
	- Commission on Sales		
	- Legal and Professional Expenses		
	- Miscellaneous Expenses		
6.3	Earnings:		
	Value of Exports on FOB basis - N.A		
6.4	Remuneration to auditors: - N.A		
	As Auditors		
	- Taxation matters		
	- For Management services		
	- For certification		
	Others		

Corresponding figures for the previous year have been regrouped/rearranged, wherever necessary

Schedule 1 to 25 are annexed to and forming an integral part of the Balance Sheet as at 31.03.2017 and the Income & Expenditure Account for the year ended on that date.

CHIEF ACCOUNTS OFFICER **SECRETARY** **CHAIRMAN**

अनुसूची - 25

वर्ष 2016-2017 को समाप्त वर्ष के लिए समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम पी ई डी ए) के लेखाओं के साथ संलग्न और उनके भागस्वरूप टिप्पणियाँ

1. पूँजी निधि

दिनांक 01.04.2016 को निधि शेष ₹ 22,64,84,669.00 था। निधि का संपूर्ण 'स्रोत केन्द्रीय सरकार से प्राप्त आबंटन था। वर्ष के लिए आय से अधिक व्यय ₹ 2,68,18,660.00 का है । वर्ष के दौरान योजना एवं गैर योजना के तहत स्थाई परिसंपत्तियों के अर्जन के लिए अनुदान के रूप में प्राप्त निधि को विशिष्ट उपयोग के लिए चिह्नित निधि नहीं माना गया है क्योंकि यह किसी विशिष्ट परिसंपत्तियों के लिए नियत नहीं है, अपितु यह एमपीईडीए की सामान्य निधि से परिसंपत्तियों के अर्जन के लिए पूँजीगत स्वरूप की निधि है। परिसंपत्तियों के अर्जन के लिए प्रयुक्त ऐसे अनुदानों (₹ 3,42,86,001.00) को पूँजी निधि में जोड़ा गया है।

2. वर्ष के दौरान संगठन ने कोई पूँजी आरक्षित निधि/पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि का सृजन नहीं किया है। सृजित/विनियोजित की गई कोई सामान्य आरक्षित निधि नहीं है ।

3. वर्ष के दौरान मौजूदा चिह्नित निधियाँ हैं, अर्थात्

(क) आकस्मिक अवसंरचना निधि

यह निधि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से सहायता अनुदान के रूप में वर्ष 1998-1999 में प्राप्त हुई थी और इसका निवेश संयुक्त उद्यम कंपनी (मिडकॉन) के शेयरों में किया गया था । दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार शेयर मूल्य ₹ 2,50,00,000.00 है ।

वर्ष 2016-17 की अवधि के दौरान एस पी आई एल ने मूलधन के रूप में ₹ 3,59,702.00 एवं ब्याज के रूप में ₹ 7,17,599.00 (31 मार्च 2017 तक का बकाया) का भुगतान किया । दिनांक 14.02.2017 के पत्र के तहत एसपीआईएल 30 जून 2017 तिमाही से शुरू करके ₹ 17,00,00 की तिमाही किश्तों में 31 मार्च 2022 तक अंतिम किश्तों की देकर अगले 5 साल के भीतर बकाया मूलधन से भुगतान के लिए सहमत हुए । जब कभी रकम देय रह जाता है तब बकाया मूलधन पर तिमाही आधार पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा ।

(ख) इक्विटी सहभागिता योजना

दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार निधि लेखे में शेष राशि ₹ 9,62,75,155/- है जिसमें मुख्य इक्विटी राशि तथा ब्याज शामिल है (₹ 5,54,90,700.00 का शेयर मूल्य एवं ₹ 4,07,84,455.00 का निवेश है)। वर्ष 2016-17 के दौरान निधि में से कोई उपयोग नहीं किया गया । शेयर मूल्य लागत पर ₹ 5,54,90,700.00 लिया गया है ।

माध्यस्थम पंचाट तथा कानूनी एवं प्राासनिक व्यय के अनुसार शेयर मूल्य में वृद्धि हेतु प्रावधान की गणना ₹ 33,40,15,169.00 की गई है । सी एण्ड जी लेखा परीक्षकों की टिप्पणी के अनुसार पिछले वर्ष के लिए ₹ 23,77,40,014.00 के माध्यस्थम एवं कानूनी व्यय के अनुसार निधि मूल्य तथा शेयर मूल्य में वृद्धि हेतु प्रावधान में अन्तर का प्रकटन संदिग्ध ऋणों (अनुसूची 7) के लिए तथा वर्ष 201617 के वार्षिक लेखे में भी संदिग्ध ऋण (अनुसूची-11)के रूप में किया गया था । मंत्रालय के निर्देशानुसार 15 कंपनियों के संबंध में बट्टे खाते का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिन्होंने इस संबंध में भारत सरकार को वचन एमपीईडीए ने प्रस्तुत किया है । मंत्रालय का निर्णय प्रतीक्षित है ।

(ग) एमपीईडीए कर्मचारियों की पेंशन निधि (एमईपीएफ)

पेंशन प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान पेंशन निधि खाता खोला गया । सरकार द्वारा निर्धारित दर, आंशिक रूप से आईईबीआर एवं प्रशासनिक व्यय कम करके बचत की गई राशि तथा अन्य स्रोतों से पेंशन के लिए वार्षिक अंशदान द्वारा निधि बनाई जा सकती है ।

SCHEDULE - 25

NOTES ATTACHED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS OF THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY (MPEDA) FOR THE YEAR 2016 - 2017

1. CAPITAL FUND

Balance of the fund as on 01.04.2016 was ₹ 22,64,84,669.00. Entire source of fund was the allocation received from Central Government. Excess of expenditure over income for the year is ₹ 2,68,18,660.00. Fund received during the year as grants for acquisition of fixed assets under Plan and Non-Plan, has not been considered as earmarked funds for specific usage since it is not fund meant for any specific asset but is fund of capital nature for acquisition of assets from general fund of MPEDA. Such Grants utilized for acquisition of assets (₹ 3,42,86,001.00) has been added to the Capital Fund at the time of booking the same as assets.

2. The Organization has not created any capital reserves/revaluation reserves during the year. There is no General reserve created/appropriated.

3. During the year earmarked funds existing are viz.,

(a) Critical Infrastructure fund

The fund was received in 1998-1999 from MOCI as grant- in- Aid and the same was invested in shares of the Joint Venture Company (MIDCON). The Share value as on 31.03.2017 is ₹ 2,50,00,000.00.

During the period 2016-17, SPIL had paid ₹ 3,59,702.00 as Principal amount and interest ₹ 7,17,599.00 (balance up to 31st March 2017). Vide letter dated 14/02/2017, SPIL agreed to pay the outstanding principal amount within the next 5 years ie 20 equated quarterly installments of ₹ 17,00,000.00 each commencing from quarter ending 30th June 2017 and final installment ending on 31st March 2022. The interest will be paid on quarterly basis on the outstanding principal amount as and when amount becomes due.

(b) Equity Participation Scheme

Balance in the fund account as on 31.03.2017 is ₹ 9,62,75,155/- which includes equity amount as well as interest. (Share value of ₹ 5,54,90,700.00 and investment of ₹ 4,07,84,455.00). No utilization has been made from fund during 2016-2017. The share value has been taken at cost for ₹ 5,54,90,700.00.

The provision for increase in share value as per the arbitration awards and legal and administration expenses is calculated as ₹ 33,40,15,169.00. As per the comment of C&AG Auditors for the last year the difference in fund value and the provision for increase in share value as per arbitration and legal expenses of ₹ 23,77,40,014.00 was disclosed as provision for doubtful debts (schedule 7) and also as doubtful debts (schedule 11) in annual accounts for the year 2016-17. As per the direction from Ministry, MPEDA has submitted the one time settlement proposal for write off the amount in respect of 15 companies who have submitted the undertaking in this regard to Government of India and gone ahead with the recovery proceeding in respect of 5 companies who are either not responding or have failed to give the undertaking. The decision from the Ministry is awaited.

(c) MPEDA Employees Pension Fund (MEPF)

The pension fund account has been opened during the financial year 2016-17 for meeting the pension commitment. The fund can be sourced by yearly contribution towards pension as such rate as prescribed by Govt., partially from IEBR and amount saved by curtailing the administrative expenditures and other sources.

(घ) सामान्य भविष्य निधि

यह निधि कर्मचारियों के संचित अंशदान तथा उस पर ब्याज की द्योतक है । दिनांक 01.04.2016 की स्थिति के अनुसार निधि शेष ₹ 11,86,58,946.00 था । अंशदान, ऋण वापसी के रूप में कुल योगदान ₹ 3,29,49,437.00 था । वर्ष के लिए प्राप्त और उपार्जित ब्याज ₹ 96,69,974.00 था। वर्ष के लिए कुल उपयोग ₹ 4,44,04,183.00 था । दिनांक 31.03.2017 को निधि लेखे में शेष राशि ₹ 11,68,74,174.00 है ।

(ङ) पाकिस्तानी कब्जे में पड़े मत्स्यन जलयानों के प्रतिस्थापन के लिए निधि (एमओए)

दिनांक 01.04.2015 की स्थिति के अनुसार इसके अन्तर्गत शेष राशि ₹ 8,35,656.00 है । यह राशि ब्याज के रूप में प्राप्त हुई । वर्ष के दौरान प्राप्त निधि और उपयोगित राशि शून्य रही । 31.03.2017 को संतुलित निधि मूल्य ₹ 8,35,656.00 है । (अनुबंध-1)

(च) अन्य निधियाँ

i. यूएनसीटीएडी निधि

दिनांक 01.04.2015 को यूएनसीटीएडी निधि के अंतर्गत शेष राशि ₹ 1,34,045.00 थी । वर्ष के दौरान प्राप्त निधि एवं वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि शून्य थी । दिनांक 31.03.2017 को शेष राशि ₹ 1,34,045.00 है।

ii. एमपीएनआरएल निधि

दिनांक 01.04.2016 की स्थिति के अनुसार एमपीआरएनएल निधि के अंतर्गत ₹ 4,96,773.00 थी । वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्त निधि ₹ 16,50,000.00 थी तथा वर्ष के दौरान ₹ 17,33,581.00 का उपयोग किया गया और 31.03.2017 के अनुसार शेष निधि ₹ 4,13,192.00 थी । ₹ 13,000.00 एमपीआरएनएल निधि से परिसंपत्ति खरीदने हेतु उपयोगित किए गए और समान को एमपीआरएनएल परिसंपत्ति में दिखाया गया है ।

iii. एनएफडीबी निधि (जलकृषि बीमा एवं एक्यूएफ का विस्तारण)

दिनांक 01.04.2016 के अनुसार निधि में शेष राशि ₹ 80,30,998.00 थी । वर्ष 2016-17 के दौरान समायोजित राशि ₹ 1,64,967 थी। दिनांक 31.03.2017 के अनुसार शेष राशि ₹ 80,30,998.00 है ।

4. स्थाई परिसंपत्तियाँ

(क) स्थाई परिसंपत्तियों को अर्जन की उनकी लागत के साथ-साथ अर्जन या निर्माण के लिए आकस्मिक या आनुषंगिक रूप में उपगत व्यय के साथ लेखा बहियों में रिकार्ड किया जाता है । मूल्यह्रास को अवलिखित मूल्य (डब्ल्यू डी वी) पद्धति के अंतर्गत लेखाओं में प्रभावित किया जाता है । मूल्यह्रास का प्रावधान परिसंपत्तियों के अर्जन की तिथि से आनुपातिक रूप से किया गया है । संगठनों द्वरा मूल्यह्रास की दर नियत की जाती है तथा स्थाई परिसंपत्तियों के संभावित उपयोग/जीवनकाल के आधार पर डब्ल्यू डी वी के तहत प्रभावित की जाती है।

(ख) वर्ष के दौरान निपटान की गई पुरानी परिसंपत्तियों से ₹ 7,38,323.00 प्राप्त हुए । निपटान की तारीख के अनुसार निपटान की गई परिसंपत्तियों का खाता मूल्य ₹ 15,85,472.00 था । पुरानी परिसंपत्तियों की बिक्री पर, ₹ 8,47,149.00 की हानि को अन्य आय में समायोजित किया गया था । (अनुसूची 18)

(ग) स्थाई परिसंपत्ति की अनुसूची में तमिलनाडु सरकार द्वारा पट्टे पर दी गई भूमि पर सूखा मत्स्य भंडारण तूत्तिकोरिन शामिल है । निर्माण पूरा होने पर भंडार प्रबंधन के लिए टीएनएफडीसी को सौंप दिया गया था ।

(घ) भंडार कक्ष के निर्माण के लिए सीपीडब्ल्यूडी से प्राप्त ₹ 11,10,762.00 की बकाया राशि का वर्ष 2015-16 के लिए प्राप्य लेखे के रूप में दर्शाया गया है।

(ङ) लैब भुवनेवर के कंपाउंड दीवार के निर्माण के लिए दिए गए ₹ 27,44,000.00 अग्रिम, तथा सॉफ्टवेयर के विकास के लिए एनआईसी एवं मेसेर्स ब्रॉड लाइन कंप्यूटर्स को दिए गए ₹ 31,82,310.00 के अग्रिम को चालू परिसंपत्ति के तहत अग्रिम के रूप में दर्शाया गया है । (अनुसूची)

(d) GPF Fund

The fund represents the accumulated contribution by employees and interest thereon. The fund balance as on 01.04.2016 was ₹ 11,86,58,946.00. The total contribution by way of subscription and loan repayment aggregated to ₹ 3,29,49,437.00. Interest received and accrued for the year was ₹ 96,69,974.00. Total utilization for the year was ₹ 4,44,04,183.00. The balance in the fund account on 31.03.2017 is ₹ 11,68,74,174.00.

(e) Fund for Replacement of Fishing Vessels held in Captivity in Pakistan (MOA)

Balance under this as on 01.04.2015 was ₹ 8,35,656.00. This is the amount received as interest. Fund received during the year and the amount utilized during the year was Nil .The balance fund value as on 31.03.2017 is ₹ 8,35,656.00.00. (Annexure-1)

(f) Other Funds

i. UNCTAD FUND

Balance under UNCTAD Fund as on 01.04.2015 was ₹ 1,34,045.00. Fund received during the year and the amount utilized during the year was Nil. The balance as on 31.03.2017 is ₹ 1,34,045.00.

ii. MPRNL FUND

The MPRNL fund as on 01.04.2016 was ₹ 4,96,773.00. Fund received during the year was ₹ 16,50,000.00 and ₹17,33,581.00 was utilized during the year 2016-17 and balance fund as on 31.03.2017 was ₹ 4,13,192.00. ₹ 13,000.00 was utilized for purchase of Assets from MPRNL fund for the year 2013-14 and the same is shown as MPRNL Asset**.**

iii. NFDB FUND (Aqua Insurance & Expansion of AQF)

Balance in the fund as on 01.04.2016 was ₹ 80,30,998.00. Amount adjusted during 2016-17 was ₹ 1,64,967. The balance as on 31.03.2017 is ₹ 78,66,031.00.

4. Fixed Assets

(a) Fixed Assets are recorded in the books of accounts at its cost of acquisition together with expenditure incurred incidental or ancillary to acquisition or construction. Depreciation has been charged in the Accounts under Written Down Value (WDV) method. Depreciation has been provided proportionately on assets from the date of its acquisition. Rate of depreciation is fixed by the organizations and charged under WDV basis based on the expected utilization/life time of the fixed assets.

(b) During the year old assets disposed off realized ₹ 7,38,323.00. Book value of disposed assets as on the date of disposal was ₹ 15,85,472.00. The loss on sale of old assets of ₹ 8,47,149.00 was adjusted in other income (Schedule 18).

(c) The fixed asset schedule includes the Dry Fish Storage Tuticorin on the leasehold land given by Tamil Nadu Government. On completion of construction the storage was handed over to the TNFDC for management.

(e) The balance amount to be received from CPWD ₹ 11,10,762.00 for construction of store room was shown as Accounts receivable for the year 2015-16.

(f) The advances given for construction of compound wall of Lab Bhubaneswar ₹ 27,44,000.00 and advance of ₹ 31,82,310.00 given for NIC and M/s Broad Line Computers for development of software, was shown as advances under current assets. (Schedule 11)

(च) ज़मीन में (अनुसूची 8) 50 सेंट वह ज़मीन शामिल है जोकि मात्स्यिकी विभाग, ओडिश सरकार से कसूल्यागंगा में गुणवत्ता प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए लीज़ होल्ड आधार पर प्राप्त की गई है । ₹ 34.79 लाख समान के लिए दो किश्तों में अदा किए गए हैं । ज़मीन में आंध्र प्रदेश सरकार से अम्बापुरम, नेल्लोर में हस्तांतरण के माध्यम से प्राप्त 45 सेंट ज़मीन भी शामिल है ।

5. दिनांक 31.03.2015 को चिह्नित/स्थाई निधि निवेश

निधियों तथा निवेश की पद्धति का ब्योरा संक्षेप में निम्नानुसार है :-

क्रम सं.	निधि	₹	निवेश	₹
(क)	(i) महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा निधि	25000000	संयुक्त उद्यम के शेयरों में निवेश	25000000
(ख)	ई पी एस निधि	96275155	(1) इक्विटी शेयरों में निवेश (शेयरों में मूल्यवृद्धि सहित)	55490700
			(3) चालू खाता	22500000
	कुल	**96275155**	**कुल**	**77990700**
(ग)	**जी पी एफ निधि**		**जी पी एफ निवेश**	
	31.03.2017 के अनुसार शेष निधि	97135157	1. एस बी आई	40625487
	31.03.2017 के अनुसार ब्याज देयता	8146431	2. कैनरा बैंक	57000267
	देयता से निवो पर अर्जित ब्याज	15938242	3. कारपोरेशन बैंक	13261936
	मार्च 2017 को देयता	2118890	4. एस बी आई में बचत बैंक खाता	10332140
			5. देयता मार्च 2017	2118890
	कुल	**12333870**	**कुल**	**12333870**
(घ)	भारतीय कृषि अनुसंधान निधि (एम पी एन आर एल)	413192	एस बी टी में चालू खाता	413192
(ङ)	मत्स्यन यानों के प्रतिस्थापन के लिए निधि	835656	एस बी टी में चालू खाता	835656
(च)	यू एन सी टी ए डी	134045	एस बी टी में चालू खाता	134045
(छ)	एन एफ डी बी निधि (ए क्यू)	7866031	एस बी टी में चालू खाता	7866031

यू एन सी टी ए डी, एन एफ डी बी और मत्स्यन यानों के प्रतिस्थापन हेतु निधि शेष और मत्स्यन यानों के प्रतिस्थापन हेतु निधि में निधि शेष का निवेश मियादी निक्षेपों में नहीं किया गया है क्योंकि ये चालू खाते हैं जिनमें से समय-समय पर राजस्व प्रकार का भुगतान करना होता है।

6. दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार स्टॉक व कल-पुर्जों के अंतर्गत राशि ₹ 1,04,33,711.00 हैं जिसमें निम्नलिखित शामिल है :-

(i) समूल्य प्रकाशन प्रपत्र, लेखन सामग्री एवं स्टैंप का स्टॉक	- ₹	42,79,829.00
(ii) रसायन का स्टॉक और सदंर्भ मानक	- ₹	62,03,882.00
कुल	**- ₹**	**1,04,83,711.00**

स्टॉक एवं कल-पुर्जों को लागत पर मूल्यांकित किया जाता है ।

7. (क) कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम के रूप में दार्शाई गई ₹ 53,46,558.00 की बकाया राशि कर्मचारियों को प्रदत्त विभिन्न अग्रिमों की सूचक है । मूलधन की वसूली पहले की जाती है । मूलधन को पूर्ण रूप से वापस किए जाने के बाद ही ब्याज की वसूली होती है । ब्याजआय को प्राप्ति आधार पर ही स्वीकार किया जाता है । वर्ष के लिए प्राप्य राशि हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि यह एक सामान्य प्रक्रिया है ।

(ख) हर वर्ष एम पी ई डी ए उक्त वर्ष विशेष के लिए कर्मचारियों को पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का खर्च उठाने के

g) The Land (schedule 8) includes 50 cents of land on lease hold basis acquired from Fisheries Department, Govt. of Odisha for setting up of QC Lab at Kasulyaganga. ₹ 34.79 lakh was paid for the same in two installment. The land also includes 45 cents of land in Ambapuram, Nellore from Govt. of Andhrapradesh on alienation.

5. Earmarked/Endowment Fund Investments-as on 31.03.2017

Break up of Funds and the pattern of Investment is briefly stated below:-

Sl.No.	Fund	₹	Investment	₹
(a)	(i) Critical infrastructure Fund	25000000	Invested in shares of joint venture	25000000
(b)	EPS Fund	96275155	(1) Invested in Equity Shares (including increase in value of shares)	55490700
			(3) Current A/c	22500000
	Total	**96275155**	**Total**	**77990700**
(c)	**GPF Fund**		**GPF Investments**	
	Net Liability as on 31/03/2017	97135157	1. SBI	40625487
	Interest Liability as on 31/03/2017	8146431	2. Canara Bank	57000267
	Excess interest earned on Investment than Liability	15938242	3. Corporation Bank	13261936
	Liability March 2017	2118890	4. SB account with SBI	10332140
			5. Liability March 2017	2118890
	Total	**123338720**	**Total**	**123338720**
(d)	Indian Agriculture Research Fund (MPRNL)	**413192**	Current Account at SBT	**413192**
(e)	Fund for Replacement of Fishing Vessel	**835656**	Current Account at SBT	**835656**
(f)	UNCTAD	**134045**	Current Account at SBT	**134045**
(g)	NFDB Fund (AQ)	**7866031**	Current Account at SBT	**7866031**

The balance of funds remaining in the UNCTAD, NFDB and Fund for Replacement of Fishing Vessel funds have not been invested in Fixed Deposits as these are running accounts from which payment of revenue nature have to be made periodically.

6. Stock and Spares as on 31.03.2017 is ₹ 1,04,83,711 includes:-

(i)Stock of priced publication, forms, Stationary & Stamp	-	₹ 42,79,829.00
(ii) Stock of Chemicals & reference standards	-	₹ 62,03,882.00
Total	**-**	**₹ 1,04,83,711.00**

Stock and spares are valued at cost.

7. (a) A sum of ₹ 53,46,558.00 shown outstanding towards loans and advances to staff refers to various advances provided to staff. The recovery of principal is made first. Interest repayment is made only after principal is fully repaid. Interest income is recognized only on receipt basis. No provision is made for receivables for the year as is the normal practice.

(b) Every year MPEDA makes Budget provision under Plan and Non-Plan for meeting Pension and other

लिए योजना एवं गैर योजना के तहत बजट प्रावधान करता है तथा व्यय की पूर्ति मंत्रालय द्वरा जारी की गई निधियों से की जाती है । वर्ष 2016-17 दौरान भी ऐसा ही किया गया था । इसके अलावा, वर्ष 2009-10 से कर्मचारियों को देय सेवानिवृत्ति लाभों का प्रावधान वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है । वर्ष 2016-17 के दौरान दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों को देय सेवानिवृत्ति लाभों के लिए नया वास्तविक मूल्यांकन किया गया है तथा लेखा बहियों में प्रावधान किया गया है । सेवानिवृत्ति/सेवांत लाभ के लिए कोई अलग आरक्षित निधि नहीं है तथा इसे आय और व्यय लेखे में प्रभावित नहीं किया गया है । प्रतिबद्धताएं सरकार द्वारा विशिष्ट प्रयोजन के लिए जारी की गई निधियों के अधीन हैं ।

विवरण	**राशि (₹)**
अधिवार्षिकी एवं अन्य सेवांत लाभ	1,24,27,87,864
उपदान	11,00,32,155
अवकाश नकदीकरण	6,72,32,317
कुल	**1,42,00,52,336**

8. वर्ष के दौरान भागीदारों (निर्यातकों) से प्राप्त स्टॉल किराए अग्रिम को योजना शीर्ष व्यापार मेले (अन्य व्यय) के अंतर्गत समायोजित किया गया है, और इस प्रकार अनुबंध-19 में अनुदान/सब्सिडी पर व्यय के तहत कुल व्यय के आंकडे निवल है ।

9. मियादी निक्षेपों पर अर्जित ब्याज को विभागीय प्राप्तियों में लिया गया है ।

10. सभी विभागीय प्राप्तियों (आई ई बी आर) को गैरयोजना के अधीन लिया गया ।

11. अनुदानों, सब्सिडी पर व्यय (अनुसूची-22) में स्थापना/प्रशासन और परिसंपत्तियों के अर्जन पर योजना व्यय सम्मिलित नहीं है ।

12. एच ए सी सी पी विभागीय प्राप्तियाँ जोखिम विलेषण निर्णायक नियंत्रण कार्यक्रम एवं अन्य गुणवत्ता नियंत्रण कार्यक्रम संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम के भागीदारों से एकत्रित शुल्क की द्योतक हैं । इसे सेमिनार/कार्यक्रम शुल्क प्राप्तियों में आय के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है (अनुबंध-12) ।

13. ₹ 44,29,608.00 का डीसीपीएस अंशदान इस श्रेणी में आनेवाले कर्मचारियों के लाभार्थ अंशदाई पेंशन योजना में नियोक्ता के अंशदान का द्योतक है । दिनांक 31.03.2017 तक की अवधि के लिए नियोक्ता के अंशदान के साथ कर्मचारियों के हिस्से के रूप में प्राप्त अंशदान को अनुमोदित निधि प्रबंधक (एक्सिस बैंक, पनंपिल्ली नगर) में अंतरित किया जा चुका है ।

14. एएमसी संविदा और बीमा से संबंधित भुगतान सामान्यतः एक वर्ष के लिए होता है, तथा अगले वित्तीय वर्ष से संबंधित व्यय के भाग को पूर्व भुगतान के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है ।

15. वर्ष 2016-17 के लिए बकाया एएमसी, विज्ञापन और प्रचार विद्युत तथा पानी, पुस्तकें एवं पत्रपत्रिकाओं इत्यादि जैसे व्ययों को आशोधित व्यय के रूप में गणना की गई ।

16. अनुदान / सब्सिडी

(क) वर्ष के दौरान नेटफिश को सहायता के रूप में ₹ 1.96.00 की राशि वितरित की गई । इसके अतिरिक्त, राजीव गाँधी जलकृषि केन्द्र को अनुसंधान व विकासात्मक कार्यकलापों के लिए सहायता के रूप में ₹ 30.25 करोड़ एवं ₹ 1.00 करोड़ नाक्सा से तकनीकी परामर्श का लाभ उठाने के लिए सहायता के रूप में दिया गया ।

(ख) वर्ष के लिए वित्तीय कुल सब्सिडी ₹ 15,50,73,732.00 है । वितरण को दर्शानेवाली सूची अनुबंध-18 के रूप में अलग रूप से संलग्न है जैसे व्यय सब्सिडी से जुडे कार्यकलाप के लिए/उससे संबंधित थी परंतु जिसे प्रत्यक्षतः सब्सिडी सहायता के रूप में नहीं माना जा सका था, उसे अनुबंध-19 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है ।

17. वर्ष 2007-08 से प्राधिकरण आय व व्यय तथा तुलन पत्र की तैयारी में लेखाकरण के उपार्जन आधार को अपनाता है ।

retirement benefits to the staff for that particular year and the expenditure is met from the funds released by the Ministry. The same was done during the year 2016-17 also. In addition to this, the retirement benefits payable to employees have been provided on actuarial valuation basis from 2009-10 onwards. During the year 2016-17 a fresh actuarial valuation for the retirement benefits payable to employees as on 31.03.2017 has been made and provisions made in the books of accounts. There is no separate reserve fund for retirement/terminal benefits and not charged under Income & Expenditure Account. The commitments are subjected to release of funds by the Government towards the specific purpose.

Particulars	**Amount (₹)**
Superannuation & Other Retirement Benefit	1,24,27,87,864
Gratuity	11,00,32,155
Leave Encashment	6,72,32,317
TOTAL	**1,42,00,52,336**

8. The income received as stall rent and stall rent advance from the co-participants (exporters) of International fairs during the year adjusted from plan head Trade Fairs (other expenses) and hence the total expenditure on grant/subsidies in Annexure 19 is the net figure.

9. The interest earned on fixed deposits is taken under departmental receipts.

10. All departmental receipts (IEBR) were taken under non-plan.

11. The expenditure on grants, subsidies (Schedule 22) does not include plan expenditure on establishment/ administration and acquisition of assets.

12. HACCP Department receipts represent fees collected from participants of training programme on Hazard Analysis Critical Control Programme and other quality control programme. The same is accounted as income in seminar/programme fee receipts in (Annexure-12).

13. DCPS contribution of ₹ 44,29,608.00 refers to contribution of the employer to contributory Pension Scheme for the benefit of employees falling under the category. Contribution received as employee's share together with employer's contribution for the period up to 31.03.2017 have already been transferred to the approved Fund Managers (Axis Bank, Panampilly Nagar).

14. The payment relates to AMC Contract and Insurance is usually for one year and the part of expenses related to the next financial year is accounted as Pre-payments.

15. The expenses such as AMC, Advertisement & publicity, Electricity & water, Books & periodicals etc. outstanding for the year 2016-17 was accounted as outstanding expenses.

16. **Grants/ Subsidies**

a) An amounts of ₹ 1.96.00 crore have been disbursed during the year as assistance to NETFISH. Further, ₹ 30.25 crore was given as Assistance to Rajiv Gandhi Centre for Aquaculture towards Research and Development activity and ₹ 1.00 crore was given as Assistance for availing Technical consultancy NaCSA.

(b) Total subsidy disbursed for the year is ₹ 15,50,73,732.00. A list showing disbursement is annexed separately vide Annexure-18. Expenditure which was attributable/ related to subsidy related activity but could not be directly considered as subsidy assistance have been classified under Annexure 19.

17. The Authority follows accrual basis of accounting in the preparation of Income & Expenditure and Balance Sheet from the year 2007-08.

18. भारत इन्फोफिश की शासी परिषद का एक सदस्य है । भारत का सदस्यता अंशदान प्रतिवर्ष 25,000.00 अमे. डॉ नियत किया गया है तथा भुगतान वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान किया जाता है । चूँकि यह एक मुश्त भुगतान है तथा सतत स्वरूप है। इसलिए इसे पूर्व प्रदत्त व्यय नहीं माना जाता है ।

19. अधिकांश निवेश अल्पावधि निक्षेपों में किए गए थे ।

20. हमें, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय, कोच्ची के कार्यालय से सेवाकर से संबंधित मांग नोटिस प्राप्त हुआ और समान पर कार्रवाई की गई । वर्ष 2016-17 के दौरान सेवा कर पंजीकरण शुरू किया गया एवं हम कर वसूली करके केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क को वापस जमा कर रहे हैं ।

21. चूँकि पिछले वर्ष गैर योजना निधि पर्याप्त नहीं थी, अतः अधिक व्यय को ईपीएस निधि से समायोजित किया गया था । समान के एक भाग को वर्ष 2016-17 के लिए प्राप्त ₹ 10.50 करोड़ गैर योजना अनुदान से वापस जमा किया गया ।

22. इन आँकडों को, जहाँ कहीं आवश्यक हुआ है, आपस में जोड़ा गया है ।

मुख्य लेखा अधिकारी	सचिव	अध्यक्ष

18. India is a member of the governing council of INFOFISH. India's membership contribution is fixed at US $ 25,000.00 every year and the payment is made during the last quarter of the year. As this is a one time payment and is a continuing nature, this is not considered as pre-paid expense.

19. Most of the investments were on short term deposits.

20. We have received demand notice of Service tax from office of Commissioner of Central Excise & Customs, Kochi and action is initiated for the same. Service tax Registration have been taken during the year 2016-17 and we are collecting the tax and remitting to the Central Excise & Customs Department.

21. As the non plan fund was insufficient during the previous years, the excess expenditure was adjusted from EPS fund. The part of the same was refunded on receiving the Non plan grant of ₹ 10.50 crores for the year 2016-17

22. The figures have been clubbed together wherever necessary.

CHIEF ACCOUNTS OFFICER	SECRETARY	CHAIRMAN

अनुबंध -1 - चिह्नित/स्थाई निधि

(राशि - ₹)

	महत्वपूर्ण बुनियादी ढ़ांचा निधि	ई पी एस निधि	एसाइड केन्द्रीय निधि	जी पी एफ निधि	मत्स्यन यान को हटाने केलिए निधि	भारतीय कृषि अनुसंधान निधि (एम पी आर एन एल)	अन्य (यू एन सी टी ए डी)	राष्ट्रीय मात्स्यिकी बोर्ड निधि (जलकृषि बीमा एवं ए क्यू एफ का विस्तार)	कुल
क) निधियों का अथशेष	25000000	96275155	118658946	835656	496773	134045	8030998	0	249431573
ख) निधियों में अभिवृद्धि									
(i) दान/अनुदान	0	0	0		1650000	0		3072500	4722500
(ii) निधियों से किए गए निवेशों से आय	0		9669974		0	0	0	104329	9774303
(iii) अन्य अभिवृद्धियाँ/संदिग्ध ऋण	0	237740014	32949437	0	0	0	0	0	270689451
कुल (क) + (ख)	25000000	334015169	161278357	835656	2146773	134045	8030998	3176829	534617827
ग) निम्न के लिए निधियों का उपयोग/व्यय									
निधियों के उद्देश्य									
(i) पूँजी व्यय									
- स्थाई परिसंपत्तियाँ	0	0		0	0	0	0	0	0
- अन्य	0	0	0		0	0	164967		164967
कुल (i)	0	0	0	0		0	164967	0	164967
(ii) राजस्व व्यय									0
- वेतन, मज़दूरी व भत्ते आदि	0	0	0	0	1733581	0	0	0	1733581
- किराया	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- अन्य प्रशासनिक व्यय	0	0	0	0	0		0		0
- वापसी/प्रावधान	0	237740014	44404183	0	0	0			282144197
कुल (ii)	0	237740014	44404183	0	1733581	0	0	0	283877778
कुल (ग) (i) + (ii)	0	237740014	44404183	0	1733581	0	164967	0	284042745
वर्षांत को निवल शेष (क)+(ख)- (ग)	25000000	96275155	116874174	835656	413192	134045	7866031	3176829	250575082

Annexure - I - Earmarked / Endowment funds

Amount (₹)

		Critical Infrastructure Fund	EPS Fund	GPF FUND	Fund for replacement of Fishing Vessel	Indian Agri. Research Fund (MPRNL)	Others (UNCTAD)	National Fisheries Board Fund (AQ Insurance & Expansion of AQF)	MPEF (Pension Fund)	TOTAL
a)	**Opening balance of the funds**	**25000000**	**96275155**	**118658946**	**835656**	**496773**	**134045**	**8030998**	**0**	**249431573**
b)	**Additions to the funds**									
(i)	Donations / grants	0	0	0		1650000	0		3072500	4722500
(ii)	Income from investment made out of funds	0		9669974		0	0	0	104329	9774303
(iii)	Other additions/doubtful debts	0	237740014	32949437	0	0	0	0	0	270689451
	TOTAL (a)+(b)	**25000000**	**334015169**	**161278357**	**835656**	**2146773**	**134045**	**8030998**	**3176829**	**534617827**
c)	**Utilisation / Expenditure towards objectives of funds**									
I.	Capital Expenditure									
-	Fixed Assets	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Others	0	0	0		0	0	164967		164967
	Total (i)	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**164967**	**0**	**164967**
II.	Revenue Expenditure									
-	Salaries, Wages and allowances etc	0	0	0	0	1733581	0	0	0	1733581
-	Rent	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Other Administrative Expenses	0	0	0	0		0			0
-	Refund/provisionstransfers	0	237740014	44404183	0	0	0			282144197
	Total (ii)	**0**	**237740014**	**44404183**	**0**	**1733581**	**0**	**0**	**0**	**283877778**
	TOTAL (c) (i + ii)	**0**	**237740014**	**44404183**	**0**	**1733581**	**0**	**164967**	**0**	**284042745**
	NET BALANCE AS AT THE YEAR - END (a)+(b)- (c)	**25000000**	**96275155**	**116874174**	**835656**	**413192**	**134045**	**7866031**	**3176829**	**250575082**

अनुबंध - 2

(राशि - ₹)

प्राप्त अग्रिम	31.03.2017	31.03.2016
ई एम डी मुख्यालय	1934330	1862230
ई एम डी क्षेत्रीयकेन्द्र, विजयवाडा	40000	0
प्रतिभूति निक्षेप मुख्यालय	3477953	2932173
कुल	5452283	4794403

अनुबंध - 3

(राशि - ₹)

सांविधिक देयताएं	31.03.2017	31.03.2016
प्रतिनियुक्ति पर सी जी आई एस/ एल आई सी	17638	18478
डी सी पी एस अंशदाई भविष्य निधि वसूली	2521681	2499969
जी आई एस सामूहिक बीमा योजना	21512	123284
प्रतिनियुक्ति पर सामान्य भविष्य निधि अंशदान	15000	69000
प्रतिनियुक्ति पर जी पी एफ ऋण वसूली	2700	4019
आयकर	493091	505950
व्यावसायिक कर (वेतन वसूली के अलावा)	1934	1000
अवकाश वेतन व पेंशन		
कुल	3073556	3221700

अनुबंध - 4

(राशि - ₹)

अन्य चालू देयताएँ	31.03.2017	31.03.2016
न्यायालय अटैचमेंट	2761	2761
सेन्ट्रल सर्विस कोआपरेटिव सोसाइटी	1851376	1995874
एच डी एफ सी	2917	2917
जीवन बीमा निगम	262452	255162
प्रतिनियुक्ति पर एम सी ए	0	900
एम पी ई डी ए उपभोक्ता सोसाइटी	1800	1800
एम पी ई डी ए कर्मचारी कल्याण निधि	174466	200249
देय वेतन (मुख्यालय)	8720435	8902153
देय वेतन संनि विजयवाड़ा	200	0
देय वेतन (तंजावूर)	45840	23130
स्टॉफ क्लब अंशदान	4160	4380
अर्बन कोआपरेटिव सोसाइटी	27411	37213
बकाया व्यय	9286361	5839088
एच आर डी	819	3594
अन्य वसूलियाँ	10500	4430
अन्य (देय लेखे)	18669460	31148182
इंडिया इंट्टेनेशनल सीफूड शो 2016	37201	0
अक्वाअक्वेरिया इंडिया 2017	56250	0
सेवा कर	651556	

Annexure - 2

Amount (₹)

Advances Received	31.03.2017	31.03.2016
EMD HO	1934330	1862230
EMD RC VIJAYAWADA	40000	0
Security Deposit HO	3477953	2932173
TOTAL	**5452283**	**4794403**

Annexure - 3

Amount (₹)

Statutory Liabilities	31.03.2017	31.03.2016
CGIS / LIC on Deputaion	17638	18478
DCPS. Contributory PF Recovery	2521681	2499969
GIS Group Insurance Scheme	21512	123284
GPF Subscription Deputation	15000	69000
GPF Loan Recovery on Deputation	2700	4019
Income Tax	493091	505950
Professsional tax (other than salary recovery)	1934	1000
Leave Salary & Pension		
TOTAL	**3073556**	**3221700**

Annexure-4

Amount (₹)

Other Current Liabilities	31.03.2017	31.03.2016
Court attachment	2761	2761
Central Service Co-operative Society	1851376	1995874
HDFC	2917	2917
LIC	262452	255162
MCA on deputation	0	900
MPEDA Consumer Society	1800	1800
MPEDA Employees welfare Fund	174466	200249
Salary payable (HO)	8720435	8902153
Salary payable JD VIJAYAWADA	200	0
Salary payable (Thanjavur)	45840	23130
Staff Club Subscription	4160	4380
Urban Cooperative Society	27411	37213
Outstanding expenses	9286361	5839088
HRD	819	3594
Other Recoveries	10500	4430
Others (Accounts Payable)	18669460	31148182
India International Seafood Show 2016	37201	
Aqua Aquaria India 2017	56250	0
Service Tax	651556	

कृषि कल्याण सेस	26048	
स्वच्छ भारत सेस	26030	
नाक्सा योजनाएं	162100	162100
कुल	**40020143**	**48583933**

अनुबंध - 5

(राशि - ₹)

ई पी एस - इक्विटी सहभागिता निधि निवेश	31.03.2017	31.03.2016
लागत पर इक्विटी शेयरों में ई पी एस निवेश		
अंडमान फिशरीज़, पोर्ट ब्लेअर	330000	330000
बे लाइनर्स, हैदराबाद	2700000	2700000
ब्लू गोल्ड मारिटेक, मद्रास	500000	500000
कोरोमन्डल फिशरीज़, हैदराबाद	2475000	2475000
डी सी एल मारिटेक, हैदराबाद	3500000	3500000
फिशिंग फाल्कन्स लिमिटेड, हैदराबाद	4900000	4900000
इन्डो अक्वाटिक्स, हैदराबाद	3600000	3600000
इंटीग्रेटड रूबियन एक्स्पोर्ट्स लिमिटेड	3000000	3000000
कल्याण सीफूड्स, हैदराबाद	3448000	3448000
किंग इन्टरनैशनल अक्वा मराइन, कोल्लम	5000000	5000000
कोलुत्तरा एक्स्पोर्ट्स, कोचीन	290000	290000
लक्षद्वीप शिल्पी अक्वा,कोचीन	3000000	3000000
ओशन बाउंटी, कोचीन	440000	440000
सुदेश सीफूड्स, मुंबई	3600000	3600000
सुमुरा मैरीटाइम ट्रेड्स, हैदराबाद	1207700	1207700
सूर्य चक्र सीफूड्स, हैदराबाद	2500000	2500000
सुवर्णा अक्वा फार्म्स, हैदराबाद	5000000	5000000
टेक्नोमिन अक्वा एक्स्पोर्ट्स, विजयवाड़ा	1600000	1600000
तिरुमाला फुजी टेक, हैदराबाद	5000000	5000000
विजया श्रिम्प फार्म, हैदराबाद	2500000	2500000
समुदिरा मराइन फार्मस्	500000	500000
ओशियानिक एन्टरप्राइसेस, भुवनेश्वर	400000	400000
कुल	**55490700**	**55490700**

अनुबंध - 6

(राशि - ₹)

अन्य	31.03.2017	31.03.2016
एफ डी सामान्य भविष्य निधि	110887690	116622431
पेंशन निधि	3162798	0
बचत बैंक खाता पेंशन निधि	14031	0
सामान्य भविष्य निधि बचत बैंक खाता	10332140	5940924
कुल	**124396659**	**122563355**

Krishi Kalyan cess receipt	26048	
Swach Bharat cess	26030	
NaCSA - Schemes	162100	162100
TOTAL	**40020143**	**48583933**

Annexure-5 **Amount (₹)**

EPS - Equity Participation Fund Investment	31.03.2017	31.03.2016
EPS Investment in Equity shares at cost		
Andaman Fisheries ,Port Blair	330000	330000
Bay Liners, Hyderabad	2700000	2700000
Blue Gold Maritech ,Madras	500000	500000
Coromandel Fisheries,Hyderabad	2475000	2475000
DCL Maritech, Hyderabad	3500000	3500000
Fishing Falcons Ltd ,Hyderabad	4900000	4900000
Indo Aquatics,Hyderabad	3600000	3600000
Integrated Rubian Exports Ltd	3000000	3000000
Kalyan sea foods,Hyderabad	3448000	3448000
King International Aqua Marine,Quilon	5000000	5000000
Koluthara Exports,Cochin	290000	290000
Lakshadeep Shilpi Aqua,Cochin	3000000	3000000
Ocean Bounty,Cochin	440000	440000
Sudhesh Sea Foods,Bombay	3600000	3600000
Summura Maritime Trades ,Hyderabad	1207700	1207700
Surya chakra Sea Foods,Hyderabad	2500000	2500000
Suvarna Aqua Farms ,Hyderabad	5000000	5000000
Technomin Aqua Exports,Vijayawada	1600000	1600000
Thirumala Fuji Tech ,Hyderabad	5000000	5000000
Vijaya Shrimp Farm,Hyderabad	2500000	2500000
Samudira Marine Farms	500000	500000
Oceanic Enterprises, Bhubaneshwar	400000	400000
TOTAL	**55490700**	**55490700**

Annexure-6 **Amount (₹)**

Others	31.03.2017	31.03.2016
FD GPF	110887690	116622431
Pension Fund	3162798	0
SB A/C PENSION FUND	14031	0
SB A/C GPF	10332140	5940924
TOTAL	**124396659**	**122563355**

अनुबंध - 7 क

(राशि - ₹)

नकद शेष		31.03.2017	31.03.2016
नकद लेखा	(मुख्यालय)	0	350
क्षेत्रीय केन्द्र	कोच्ची	0	58380
क्षेत्रीय कार्यालय	कोलकाता	510	0
क्षेत्रीय केन्द्र	कोच्ची	12964	0
क्षेत्रीय कार्यालय	चेन्नई	2300	5700
उप क्षेत्रीय कार्यालय	मेंगलूर	4500	1050
उप क्षेत्रीय कार्यालय	कोल्लम	576	1000
क्षेत्रीय कार्यालय	मुंबई	945	8395
उप क्षेत्रीय कार्यालय	पोरबंदर	300	0
उप क्षेत्रीय कार्यालय	भुवनेश्वर	491	0
उप क्षेत्रीय कार्यालय	तूत्तिकोरिन	16973	0
क्षेत्रीय केन्द्र	भुवनेश्वर	5231	0
कुल		44790	74875

अनुबंध - 7 ख

(राशि - ₹)

अग्रदाय नकद शेष		31.03.2017	31.03.2016
मुख्यालय		520	750
प्रयोगशाला	भीमावरम	460	602
प्रयोगशाला	नेल्लोर	668	668
क्षेत्रीय केन्द्र	पनवेल	500	140
क्षेत्रीय केन्द्र	कोचीन	205	512
क्षेत्रीय केन्द्र	तंजावूर	0	0
क्षेत्रीय केन्द्र	वलसाड	265	500
क्षेत्रीय केन्द्र	विजयवाड़ा	290	290
क्षेत्रीय केन्द्र	भुवनेश्वर	296	158
क्षेत्रीय कार्यालय	मुंबई	62	5
क्षेत्रीय कार्यालय	कोलकाता	9	38
क्षेत्रीय कार्यालय	कोचीन	2000	59
क्षेत्रीय कार्यालय	चेन्नई	182	637
क्षेत्रीय कार्यालय	वेरावल	345	495
क्षेत्रीय कार्यालय	विज़ाग	500	303
उप क्षेत्रीय केन्द्र	भीमावरम	450	110
क्षेत्रीय केन्द्र	कोलकाता	19	288
उप क्षेत्रीय केन्द्र	कण्णूर	147	314
उप क्षेत्रीय केन्द्र	कारवार	6	105
उप क्षेत्रीय कार्यालय	गुवाहाटी	330	330
उप क्षेत्रीय कार्यालय	गोवा	45	448
उप क्षेत्रीय कार्यालय	मेंगलूर	429	262

Annexure - 7A

Amount (₹)

Cash Balance		31.03.2017	31.03.2016
Cash Account	(Head office)	0	350
RC	Cochin	0	58380
RO	Kolkata	510	0
RO	Cochin	12964	0
RO	Chennai	2300	5700
SRO	Mangalore	4500	1050
SRO	Kollam	576	1000
RO	Mumbai	945	8395
SRO	Porbandar	300	0
SRO	Bhubaneswar	491	0
SRO	Tuticorin	16973	0
R C	Bhubaneswar	5231	0
TOTAL		**44790**	**74875**

Annexure - 7B

Amount (₹)

Imprest Cash Balance		31.03.2017	31.03.2016
Head Office		520	750
Lab	Bhimavaram	460	602
Lab	Nellore	668	668
RC	Panvel	500	140
RC	Kochi	205	512
RC	Thanjavur	0	0
RC	Valsad	265	500
RC	Vijayawada	290	290
RC	Bhubaneswar	296	158
RO	Mumbai	62	5
RO	Kolkata	9	38
RO	Cochin	2000	59
RO	Chennai	182	637
RO	Veraval	345	495
RO	Vizag	500	303
SRC	Bhimavaram	450	110
RC	Kolkata	19	288
SRC	Kannur	147	314
SRC	Karwar	6	105
SRO	Guwahati	330	330
SRO	Goa	45	448
SRO	Mangalore	429	262

उप क्षेत्रीय कार्यालय	भुवनेश्वर	362	198
उप क्षेत्रीय कार्यालय	कोल्लम	226	131
उप क्षेत्रीय कार्यालय	तूत्तिकोरिन	415	570
व्यापार संवर्धन कार्यालय नई दिल्ली		529	443
सैटलाइट केन्द्र नेल्लूर		0	17
सैटलाइट केन्द्र रत्नागिरी		148	302
उप क्षेत्रीय कार्यालय भीमावरम		500	500
उपक्षेत्रीय कार्यालय, पोरबंदर		70	40
उप क्षेत्रीय केन्द्र कोन्टाई		265	455
कुल		**10243**	**9670**
परिशिष्ट (7क + 7ख) का योग		**55033**	**84545**

अनुबंध - 8

(राशि - ₹)

बैंक में नकद		31.03.2017	31.03.2016
एक्सिस बैंक एरणाकुलम		2157547	711991
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एरणाकुलम		1344819	1294709
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली		10440	10440
एस बी टी	पनंपिल्ली नगर	83383576	71896244
प्रयोगशाला	भीमावरम	275834	355143
प्रयोगशाला	नेल्लोर	75613	68247
क्षेत्रीय केन्द्र	पनवेल	29970	96984
क्षेत्रीय केन्द्र	भुवनेश्रर	301717	131159
क्षेत्रीय केन्द्र	कोचीन	291527	315844
क्षेत्रीय केन्द्र	तंजावूर	28949	226568
क्षेत्रीय केन्द्र	वल्साड	46007	261970
क्षेत्रीय केन्द्र	विजयवाडा	528891	194911
क्षेत्रीय कार्यालय	मुंबई	510881	156267
क्षेत्रीय कार्यालय	कोलकाता	450005	157628
क्षेत्रीय कार्यालय	कोचीन	1139230	178952
क्षेत्रीय कार्यालय	चेन्नई	587668	243306
क्षेत्रीय कार्यालय	वेरावल	1495254	116786
क्षेत्रीय कार्यालय	विज़ाग	873226	144949
उप क्षेत्रीय केन्द्र	भीमावरम	117735	231531
क्षेत्रीय केन्द्र	कोलकाता	39249	664011
उप क्षेत्रीय केन्द्र	कण्णूर	402099	71087
उप क्षेत्रीय केन्द्र	कारवार	99902	107354
उप क्षेत्रीय कार्यालय	गुवाहाटी	29370	92990
उप क्षेत्रीय कार्यालय	गोवा	105972	42444
उप क्षेत्रीय कार्यालय	मेंगलूर	230796	157020
उप क्षेत्रीय कार्यालय	भुवनेश्वर	592443	240663

SRO	Bhubaneswar	362	198
SRO	Kollam	226	131
SRO	Tuticorin	415	570
TPO	New Delhi	529	443
Satelite Centre	Nellore	0	17
Satelite Centre	Ratnagiri	148	302
SRO	Bhimavaram	500	500
SRO	Porbandar	70	40
SRC	Contai	265	455
TOTAL		**10243**	**9670**
Total of Annexure(7 A+ 7B)		**55033**	**84545**

Annexure - 8

Amount (₹)

Cash At Bank		31.03.2017	31.03.2016
Axis Bank - Ernakulam		2157547	711991
Central Bank of India - Ernakulam		1344819	1294709
Central Bank of India - New Delhi		10440	10440
SBT	Panampilly Nagar	83383576	71896244
Lab	Bhimavaram	275834	355143
Lab	Nellore	75613	68247
RC	Panvel	29970	96984
RC	Bhubaneswar	301717	131159
RC	Cochin	291527	315844
RC	Thanjavur	28949	226568
RC	Valsad	46007	261970
RC	Vijayawada	528891	194911
RO	Mumbai	510881	156267
RO	Kolkata	450005	157628
RO	Cochin	1139230	178952
RO	Chennai	587668	243306
RO	Veraval	1495254	116786
RO	Vizag	873226	144949
SRC	Bhimavaram	117735	231531
RC	Kolkata	39249	664011
SRC	Kannur	402099	71087
SRC	Karwar	99902	107354
SRO	Guwahati	29370	92990
SRO	Goa	105972	42444
SRO	Mangalore	230796	157020
SRO	Bhubaneswar	592443	240663

उप क्षेत्रीय कार्यालय	कोल्लम	101360	116547
उप क्षेत्रीय कार्यालय	तूत्तिकोरिन	1058005	96195
टी पी ओ	नई दिल्ली	233357	222411
टी पी ओ	न्यूयार्क	6670161	5605724
टी पी ओ	टोक्यो	1270408	1844859
सेटलाइट सेन्टर	नेल्लूर	33880	25286
उप क्षेत्रीय केन्द्र	बालासोर	59774	103054
उप क्षेत्रीय केन्द्र	कोन्टाई	44485	27351
एक्सिस बैंक मुख्यालय एलीसा लैब		0	2
उपक्षेत्रीय कार्यालय, पोरबंदर		119780	7266
सैटलाइट सेन्टर	रत्नागिरी	625288	420977
उप क्षेत्रीय कार्यालय भीमावरम		964172	231999
संयुक्त निदेशक का कार्यालय, विजयवाड़ा		37392	209885
व्यापार संवर्धन कार्यालय जापान (डॉलर खाता)		144618	377053
कुल		**106511400**	**87457807**

अनुबंध - 9

(राशि - ₹)

ऋण, अग्रिम व अन्य परिसंपत्तियाँ		31.03.2017	31.03.2016
कर्मचारी			
कंप्यूटर	अग्रिम	294239	458253
गृह निर्माण	अग्रिम	504729	876209
मोटर वाहन	अग्रिम	21220	84020
स्कूटर	अग्रिम	131855	230915
साइकिल	अग्रिम	2175	2175
त्योहार	अग्रिम	9725	129150
छुट्टी यात्रा रियायत	अग्रिम	3750	59100
दौरा	अग्रिम	1045235	1089035
समायोज्य	अग्रिम	3333630	514800
कुल		**5346558**	**3443657**

अनुबंध -10

(राशि - ₹)

निक्षेप		31.03.2017	31.03.2016
सामान्य निक्षेप (साख पत्र के लिए)			12947539
विद्युत	निक्षेप, मुख्यालय	439572	431752
विद्युत	निक्षेप, क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई	34080	34080
विद्युत	निक्षेप, टी सी ए वल्लारपाडम	164250	164250
विद्युत	निक्षेप, उप क्षेत्रीय केन्द्र, कण्णूर	212281	212281
विद्युत	निक्षेप, प्रयोगशाला, नेल्लोर	44000	44000
विद्युत	निक्षेप, प्रयोगशाला, भीमावरम	44750	44750
विद्युत	निक्षेप, क्षेत्रीय केन्द्र, तंजावूर	36474	36474

SRO	Kollam	101360	116547
SRO	Tuticorin	1058005	96195
TPO	New Delhi	233357	222411
TPO	New York	6670161	5605724
TPO	Tokyo	1270408	1844859
Satelite Centre	Nellore	33880	25286
SRC	Balasore	59774	103054
SRC	Contai	44485	27351
Axis Bank	HO Elisa Lab	0	2
SRO	Porbandar	119780	7266
Satelite Centre	Ratnagiri	625288	420977
SRO	Bhimavaram	964172	231999
JD Office	Vijayawada	37392	209885
TPO	Japan (Dollar account)	144618	377053
TOTAL		**106511400**	**87457807**

Annexure - 9

Amount (₹)

Loans, Advances & Other Assets		31.03.2017	31.03.2016
Staff			
Computer	Advance	294239	458253
House Building	Advance	504729	876209
Motor Car	Advance	21220	84020
Scooter	Advance	131855	230915
Bicycle	Advance	2175	2175
Festival	Advance	9725	129150
LTC	Advance	3750	59100
Tour	Advance	1045235	1089035
Adjustable	Advance	3333630	514800
TOTAL		**5346558**	**3443657**

Annexure - 10

Amount (₹)

Deposits		31.03.2017	31.03.2016
Deposits General (for Letter of Credit)			12947539
Electricity	Deposit, HO	439572	431752
Electricity	Deposit, RO Mumbai	34080	34080
Electricity	Deposit, TCA Vallarpadom	164250	164250
Electricity	Deposit, SRC Kannur	212281	212281
Electricity	Deposit, Lab Nellore	44000	44000
Electricity	Deposit, Lab Bhimavaram	44750	44750
Electricity	Deposit, RC Thanjavur	36474	36474

विद्युत	निक्षेप, क्षेत्रीय केन्द्र, वल्साड	94517	94517
विद्युत	निक्षेप, उप क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्रर	510989	510989
विद्युत	निक्षेप, उप क्षेत्रीय कार्यालय, मेंगलोर	64659	64659
गैस	निक्षेप, टी सी ए वल्लारपाडम	8900	8900
गैस	निक्षेप, उप क्षत्रीय कार्यालय, मेंगलोर	3550	3550
गैस	निक्षेप, मुख्यालय	6523	6523
गैस	निक्षेप, क्षेत्रीय कार्यालय, कोचीन	3000	3000
गैस	निक्षेप, क्षेत्रीय कार्यालय, विज़ाग	2550	2550
गैस	निक्षेप, क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई	5000	5000
गैस	निक्षेप, उप क्षेत्रीय कार्यालय, कोल्लम	1500	1500
गैस	निक्षेप, उप क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर	20000	20000
गैस	निक्षेप, उप क्षेत्रीय कार्यालय, तूत्तिकोरिन	1600	1600
गैस	निक्षेप, क्षेत्रीय केन्द्र, नागपट्टिनम	10000	10000
गैस	निक्षेप, उप क्षेत्रीय केन्द्र, कण्णूर	5000	5000
पेट्रोल	निक्षेप, मुख्यालय	56160	56160
पेट्रोल	निक्षेप, क्षेत्रीय केन्द्र, कोच्ची	10000	10000
किराया	निक्षेप, मुख्यालय	47234	47234
किराया	निक्षेप, क्षेत्रीय केन्द्र/अक्वा, भुवनेश्वर	548640	548640
किराया	निक्षेप, उप क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेशश्वर	91362	91362
किराया	निक्षेप, क्षेत्रीय कार्यालय, विज़ाग	175000	175000
किराया	निक्षेप, क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता	410340	410340
किराया	निक्षेप, क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई	330000	330000
किराया	निक्षेप, क्षेत्रीय कार्यालय, वेरावल	30000	30000
किराया	निक्षेप, उप क्षेत्रीय केन्द्र, कारवार	100000	50000
किराया	निक्षेप, उप क्षेत्रीय कार्यालय, टयूटिकोरिन	20000	20000
किराया	निक्षेप, उप क्षेत्रीय कार्यालय, गोवा	36000	36000
किराया	निक्षेप, टी पी ओ, न्यूयार्क	457600	457600
किराया	निक्षेप, टी पी ओ, टोक्यो	1594165	1594165
किराया	निक्षेप, क्षेत्रीय केन्द्र, नागपट्टिनम	81200	81200
किराया	निक्षेप, टी पी ओ, नई दिल्ली	279703	926884
किराया	निक्षेप, क्षेत्रीय केन्द्र, पनवेल	151032	151032
किराया	निक्षेप, क्षेत्रीय केन्द्र, विजयवाड़ा	52500	52500
किराया	निक्षेप, क्षेत्रीय कार्यालय, कोचीन	191250	191250
किराया	निक्षेप, उप क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी	54000	54000
किराया	निक्षेप, प्रयोगशाला, नेल्लोर	136500	136500
किराया	निक्षेप, क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई	23352	23352
टेलिफोन	निक्षेप, क्षेत्रीय कार्यालय, वेरावल	8900	11900
टेलिफोन	निक्षेप, क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नै	0	3033
टेलिफोन	निक्षेप, क्षेत्रीय केन्द्र, वल्साड	10619	10619
टेलिफोन	निक्षेप, उप क्षेत्रीय केन्द्र, कारवार	220	220
टेलिफोन	निक्षेप, क्षेत्रीय कार्यालय, विज़ाग	0	7632

Electricity	Deposit, RC Valsad	94517	94517
Electricity	Deposit, SRO BBSR	510989	510989
Electricity	Deposit SRO Mangalore	64659	64659
GAS	Deposit, TCA Vallarpadom	8900	8900
GAS	Deposit, SRO Mangalore	3550	3550
GAS	Deposit, HO	6523	6523
GAS	Deposit, RO Cochin	3000	3000
GAS	Deposit, RO Vizag	2550	2550
GAS	Deposit, RO Mumbai	5000	5000
GAS	Deposit, SRO Quilon	1500	1500
GAS	Deposit, SRO BBSR	20000	20000
GAS	Deposit, SRO Tuticorin	1600	1600
GAS	Deposit, RC Nagapattanam	10000	10000
GAS	Deposit, SRC Kannur	5000	5000
Petrol	Deposit, HO	56160	56160
Petrol	Deposit, RC Cochin	10000	10000
Rent	Deposit, HO	47234	47234
Rent	Deposit, RC, BBSR	548640	548640
Rent	Deposit, SRO BBSR	91362	91362
Rent	Deposit, RO, Vizag	175000	175000
Rent	Deposit, RO, Kolkata	410340	410340
Rent	Deposit, RO Chennai	330000	330000
Rent	Deposit, RO Veraval	30000	30000
Rent	Deposit, SRC Karwar	100000	50000
Rent	Deposit, SRO Tuticorin	20000	20000
Rent	Deposit, SRO Goa	36000	36000
Rent	Deposit, TPO New York	457600	457600
Rent	Deposit, TPO Tokyo	1594165	1594165
Rent	Deposit, RC Nagapattanam	81200	81200
Rent	Deposit, TPO New Delhi	279703	926884
Rent	Deposit, RC Panvel	151032	151032
Rent	Deposit, RC Vijayawada	52500	52500
Rent	Deposit, RO Cochin	191250	191250
Rent	Deposit, SRO Guwahati	54000	54000
Rent	Deposit, Lab Nellore	136500	136500
Rent	Deposit, RO Mumbai	23352	23352
Telephone	Deposit, RO Veraval	8900	11900
Telephone	Deposit, RO Chennai	0	3033
Telephone	Deposit, RC Valsad	10619	10619
Telephone	Deposit, SRC Karwar	220	220
Telephone	Deposit, RO Vizag	0	7632

टेलिफोन	निक्षेप, मुख्यालय	2152	16494
टेलिफोन	निक्षेप, उप क्षेत्रीय केन्द्र, कण्णूर	4000	4000
टेलिफोन	निक्षेप, क्षेत्रीय कार्यालय, कोच्ची	7530	11030
टेलिग्राम	निक्षेप, मुख्यालय	26240	26240
टेलिग्राम	निक्षेप, क्षेत्रीय केन्द्र, विजयवाड़ा	324	324
कुल		**6649218**	**20217625**

अनुबंध 11

(राशि - ₹)

वार्षिक शुल्क/अंशदान	31.03.2017	31.03.2016
एम पी ई डी ए न्यूज़ लेटर के लिए अंशदान	108710	150690
प्राइम केलिए अंशदान	14870	26630
कुल	**123580**	**177320**

अनुबंध -12

(राशि - ₹)

सेमिनार/कार्यक्रम शुल्क	31.03.2017	31.03.2016
पंजीकरण/जी एस पी प्रमाणपत्र/पुनः वैधीकरण शुल्क	7052115	7750750
एच ए सी सी पी विभागीय प्राप्तियां	1373000	204000
स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (आलंकारिक मत्स्य निर्यात)	37300	47500
कैच प्रमाण शुल्क	5014400	0
डी एस 2031	1980000	0
शुल्क पर आई सी सी	44550	
शूल्कमुक्त प्रमाण पत्र फी आयात	35000	0
आर सी एम सी	320750	0
आई यू यू प्राप्तियां	240500	184829
वित्तीय सहायता शुल्क	1955000	365500
कुल	**18052615**	**8552579**

अनुबंध-13

(राशि - ₹)

प्रकाशनों से आय	31.03.2017	31.03.2016
अन्य प्रकाशनों की बिक्री	264300	393877
एम पी ई डी ए न्यूज़ लेटर में विज्ञापन	726023	525723
कुल	**990323**	**919600**

अनुबंध -14

(राशि - ₹)

रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	31.03.2017	31.03.2016
प्रपत्रों की बिक्री	115055	235000
निविदा शुल्क	300	
जी एस पी प्रपत्र	5358	9525
कुल	**120713**	**244525**

Telephone	Deposit, HO	2152	16494
Telephone	Deposit, SRC Kannur	4000	4000
Telephone	Deposit, RO Kochi	7530	11030
Telegram	Deposit, HO	26240	26240
Telegram	Deposit, RC Vijayawada	324	324
TOTAL		**6649218**	**20217625**

Annexure - 11

Amount (₹)

Annual fees / Subscription	31.03.2017	31.03.2016
Subscription for MPEDA Newsletter	108710	150690
Subscription for Prime	14870	26630
TOTAL	**123580**	**177320**

Annexure - 12

Amount (₹)

Seminar / Programme fee	31.03.2017	31.03.2016
Registration/GSP Certificate/Revalidation fee	7052115	7750750
HACCP Department Receipts	1373000	204000
Health certificate (Ornamental Fish Export)	37300	47500
Catch Certification fee	5014400	0
DS 2031	1980000	0
ICC AT Fee	44550	
Duty free Certificate fee- Import	35000	0
RCMC	320750	0
I U U Receipts	240500	184829
Financial assistance fee	1955000	365500
TOTAL	**18052615**	**8552579**

Annexure - 13

Amount (₹)

Income from Publications	31.03.2017	31.03.2016
Sale of other publication	264300	393877
Advertisement in MPEDA Newsletter	726023	525723
TOTAL	**990323**	**919600**

Annexure - 14

Amount (₹)

Income from Royalty, Publication etc	31.03.2017	31.03.2016
Sale of Forms	115055	235000
Tender fee	300	
GSP Forms	5358	9525
TOTAL	**120713**	**244525**

अनुबंध-15

(राशि - ₹)

कर्मचारियों को ऋणों पर अर्जित ब्याज	31.03.2017	31.03.2016
गृह निर्माण अग्रिम	502364	780945
कंप्यूटर अग्रिम पर ब्याज	22619	26223
स्कूटर	35334	39093
कुल	560317	846261

अनुबंध-16

(राशि - ₹)

अन्य व्यय - अन्य	चालू वर्ष (2016-17)			गत वर्ष (2015-16)		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
बैंक प्रभार	428686	3472	432158	364127	6524	370651
हिन्दी कार्यान्वयन	0	507594	507594	0	664085	664085
विविध प्रशासनिक व्यय	5483788	5433447	10917235	4650927	4232997	8883924
पुस्तकें व पत्रिकाएं	245270	257148	502418	564594	189447	754041
छुट्टी यात्रा रियायत	1253671	202595	1456266	1482641	436521	1919162
चिकित्सा दावा	3707713	1254567	4962280	3837071	735038	4572109
सदस्यता शुल्क	1710500	57375	1767875	1723250	8801	1732051
अन्य व्यय	0	658609	658609	0	391882	391882
व्यावसायिक प्रभार	0	134027	134027	0	72599	72599
प्रशिक्षण कार्यक्रम	10662809	20263	10683072	7919576	8588	7928164
मासंवि व्यय	619466	0	619466	0	0	0
कुल	23492437	8529097	32641000	20542186	6746482	27288668

अनुबंध -17

(राशि - ₹)

अन्य अनुदान	31.03.2017	31.03.2016
राजीव गाँधी जलकृषि केन्द्र के लिए सहायता	302500000	600000000
नाक्सा तकनीकी परामर्श का लाभ उठाने केलिए सहायता	10000000	27555587
नेटफिश के लिए सहायता	19600000	20000000
कुल	332100000	647555587

अनुबंध -18

(राशि - ₹)

संस्थाओं/संगठनों को दी गई सब्सिडी	31.03.2017	31.03.2016
वाणिज्यिक हैचरियों के संवर्धन केलिए सहायता	15900000	8287000
अविकसित क्षेत्रों में नए फार्म विकसित करने केलिए सब्सिडी	5715450	5600875
बहिस्राव अभिक्रिया संयंत्र स्थापित करने केलिए सब्सिडी	5054988	2021377
पी सी आर स्थापित करने केलिए विकास सहायता हेतु सब्सिडी	7593777	8064918
आधुनिक बर्फ संपत्र की स्थापना केलिए सब्सिडी	18486706	44956957
शीतभंडार की स्थापना केलिए सब्सिडी	2974840	
यूरोपीय मानकों के समुद्री खाद्य संयंत्रों के उन्नयन हेतु सहायता	0	3082806

Annexure - 15 Amount (₹)

Interest earned on loans to employees	31.03.2017	31.03.2016
HBA	502364	780945
Interest on Computer Advance	22619	26223
Scooter	35334	39093
TOTAL	**560317**	**846261**

Annexure - 16 Amount (₹)

Other expenses- others	Current year (2016-17)			Previous year (2015-16)		
	PLAN	NON -PLAN	TOTAL	PLAN	NON -PLAN	TOTAL
Bank Charges	428686	3472	432158	364127	6524	370651
Hindi Implementation	0	507594	507594	0	664085	664085
Misc. Admn. Expenses	5483788	5433447	10917235	4650927	4232997	8883924
Books & Periodicals	245270	257148	502418	564594	189447	754041
Leave Travel Concession	1253671	202595	1456266	1482641	436521	1919162
Medical Claim	3707713	1254567	4962280	3837071	735038	4572109
Membership Fee	1710500	57375	1767875	1723250	8801	1732051
Other Expenses	0	658609	658609	0	391882	391882
Professional charge	0	134027	134027	0	72599	72599
Training Programme	10662809	20263	10683072	7919576	8588	7928164
HRD expenses	619466	0	619466	0	0	0
TOTAL	**23492437**	**8529097**	**32641000**	**20542186**	**6746482**	**27288668**

Annexure - 17 Amount (₹)

Other Grants	31.03.2017	31.03.2016
Assistance to Rajiv Gandhi Centre for Aquaculture	302500000	600000000
Assistance for availing Technical consultancy NaCSA	10000000	27555587
Assistance to Netfish	19600000	20000000
TOTAL	**332100000**	**647555587**

Annexure - 18 Amount (₹)

Subsidy given to Institutions / Organisation	31.03.2017	31.03.2016
Subsidy for Promotion of commercial hatcheries	15900000	8287000
Subsidy for New farm development in under developed area	5715450	5600875
Subsidy for setting up of effluent treatment system	5054988	2021377
Subsidy for development assistance for PCR set up	7593777	8064918
Subsidy for setting up of cold storage	18486706	44956957
Assitance for setting up of modern ice plan	2974840	
Assistance for upgradation of seafood plants to EU standards	0	3082806

आलंकारिक मत्स्य यूनिट की स्थापना केलिए सब्सिडी	0	9501334
कैप्टिव पूर्व प्रसंस्करण केन्द्र के निर्माण/नवीकरण केलिए सब्सिडी	0	11206252
लघु प्रयोगशाला की स्थापना केलिए सब्सिडी	324060	1429693
रोधीकृत मत्स्य डिब्बों केलिए सब्सिडी	125000	3684575
प्रशीतित ट्रकों/कन्टेनरों के अर्जन केलिए सब्सिडी		682525
मत्स्यग्रहण के बेहतर परिरक्षण केलिए मछुआरों को सहायता	8815852	25817755
केरल के पाडशेखरम के लिए सहायता	0	3614028
सोसाइटियों केलिए सहायता	550000	548750
आलंकारिक अक्वेरियम मत्स्य के निर्यात के लिए विकास सहायता	0	880035
समुद्री भाडा सहायता	0	29153772
सूखी मत्स्य अवतारण केन्द्र के लिए सब्सिडी	0	1285511
प्रौद्योगिकी उन्नयन केलिए विशेष योजना	86498203	99826571
मत्स्यन बंदरगाह के उन्नयन के लिए सब्सिडी	1591922	799870
ठंडा टयूना पैकिंग/संभालने के लिए बुनियादी सुविधाओं के सृजन के लिए सहायता	802584	807023
स्वावलंबी पूर्वप्रसंस्करण केन्द्रों के निर्माण/नवीकरण हेतु सहायता	640350	4467775
कुल	**155073732**	**265719402**

अनुबंध-19

(राशि - ₹)

अनुदान/सब्सिडी पर व्यय	31.03.2017	31.03.2016
अन्य		
संगोष्ठी		
व्यावसायिक प्रभार	305165	4173156
प्रचार एवं बाज़ार संवर्धन (विज्ञापन व प्रचार)	4051298	5779575
संदर्भ मानक	4831345	33859
रसायन	1402056	673412
ग्लासवेयर	391634	122342
अन्य व्यय	97663759	63997865
एन आर सी पी	1249703	1714671
कुल	**109894960**	**76494880**
घटाएं :		
अंतर्राष्ट्रीय मेले के लिए आबंटित स्थल हेतु प्राप्त किराया	11400000	10335165
कुल	**98494960**	**66159715**

टिप्पणी:

1. अन्य व्यय में अनुदान, सब्सिडी व स्थापना व्यय को छोड़कर योजना के अन्तर्गत किए गए सभी व्यय शामिल हैं ।

Subsidy for setting up of ornamental fish unit	0	9501334
Subsidy for construction / renovation of Captive Pre-processing Centre	0	11206252
Subsidy for setting up of mini lab	324060	1429693
Subsidy for insulated fish boxes	125000	3684575
Subsidy for procurement of refrigerated Trucks/containers		682525
Assistance to Fishermen for better preservation of catch	8815852	25817755
Assistance for Padasekharams of Kerala	0	3614028
Assistance to societies	550000	548750
Development assistance for export of Ornamental Aquarium fishes	0	880035
Seafreight Assistance	0	29153772
Subsidy for Dried fish handling Centre	0	1285511
Special Scheme for Technology upgradation	86498203	99826571
Subsidy for upgradation of fishing harbour	1591922	799870
Assistance for creation of basic facilities for chilled tuna packing/handling	802584	807023
Subsidy for construction / renovation of Independent Pre-processing Centre	640350	4467775
TOTAL	**155073732**	**265719402**

Annexure - 19

Amount (₹)

Expenditure on grant / subsidies	31.03.2017	31.03.2016
Others		
Seminar		
Professional charges	305165	4173156
Publicity & Market Promotion(Advt.& Publicity)	4051298	5779575
Reference standards	4831345	33859
Chemicals	1402056	673412
Glasswares	391634	122342
Other Expenses	97663759	63997865
NRCP	1249703	1714671
Total	**109894960**	**76494880**
Less :		
Space rent received for space allotted for International fair	11400000	10335165
TOTAL	**98494960**	**66159715**

Note:

1. Other Expenses include all expenses incurred under Plan except Grants, Subsidies & Establishment expenses

अनुबंध-20

एसाइड योजना के तहत प्राप्त एवं प्रयुक्त अनुदान

(₹ लाख में)

2005-06 से ₹ : लाखों में

क्रम सं	परियोजना	एसाइड से अंशदान	सरकार से प्राप्त राशि (एसाइड)	एम पी ई डी ए से प्राप्त अंशदान	एस ई ए आई से प्राप्त अंशदान	एन एफ डी बी से अंशदान	कुल परियोजना लागत	प्रयुक्त राशि	वापस की गई राशि	निधियों से सृजित परिसंपत्ति	अभ्युक्तियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	सीलैब, अरूर का उन्नयन	225.00	225.00		75.00		300.00	282.56	17.44	स्थाई परिसंपत्ति - प्रयोगशाला उपकरण	
2	क) सी पी सी अम्बलप्पुष़ा	334.34	334.34	25.00	35.00		394.34	394.34		स्थाई परिसंपत्तियां -10 पीपीसी, बर्फ निर्माण संयंत्र, ई टी पी, शीत कक्ष, प्रयोगशाला, कार्यालय आदि के लिए	पूरा किया गया और एसईएआई को सौंपा गया ।
	ख) सी पी सी शक्तिकुलंगरा	280.00	280.00				280.00	280.00		स्थाई परिसंपत्तियां -10 पीपीसी के बिल्डिंग, बर्फ निर्माण संयंत्र, ई टी पी, शीत कक्ष, प्रयोगशाला, कार्यालय आदि के लिए	पूरा किया गया और एसईएआई को सौंपा गया ।
	ग) सी पी सी बालरामगढ़ी	330.00	165.00	35.00	55.00		420.00	90.00	165.00	कार्य प्रगति पर	
	ए क्यू एफ नीलांकरै चेन्नई, (आर जी सी ए)	1500.00	1500.00			1050.00	2550.00	2550		कार्य प्रगति पर	संपूर्ण
	कुल	**2669.34**	**2504.34**	**60.00**	**165.00**	**1050.00**	**3944.34**	**3596.90**	**182.44**		

*टिप्पणी : वर्ष 2015-16 केलिए एसाईड से प्राप्त धनराशि, मंत्रालय द्वारा प्राप्त निदेशानुसार वापस की गई ।

परिसंपत्ति का विवरण		**लाख रु. में**
स्थाई परिसंपत्ति		3506.90
पूँजी कार्य प्रगति पर		90.00
	कुल	**3596.90**

Annexure 20

GRANTS RECEIVED & UTILISED UNDER ASIDE

(₹ in lakh)

Sl.No.	Project	Contribution from ASIDE	2005-06 onwards Amount received from Govt. (ASIDE)	Contribution of MPEDA received	Contribution of SEAI received	Contribution of NFDB	₹ In lakhs Total Project Cost	Amount utilised	Amount returned	Asset created out of funds	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Upgradation of Sea Lab Aroor**	225.00	225.00		75.00		300.00	282.56	17.44	Fixed Assets - Laboratory equipments	
2	**a) CPC Ambalapuzha**	334.34	334.34	25.00	35.00		394.34	394.34		Fixed Assts- Building for 10PPC, ice making plant, ETP, Chill room, Laboratory, Office etc.	Completed and handed over to SEAI
	b) CPC Sakthikulangara	280.00	280.00				280.00	280.00		Fixed Assts- Building for 10 PPC, ice making plant, ETP, Chill room, Laboratory, Office etc.	Completed and handed over to SEAI
	c) CPC Balaramgarhi	330.00	165.00	35.00	55.00		420.00	90.00	*165.00	Work in progress	
3	AQF Neelankarai Chennai (RGCA)	1500.00	1500.00			1050.00	2550.00	2550		Infrastrucutre	Completed
	Total	2669.34	2504.34	60.00	165.00	1050.00	3944.34	3596.90	182.44		

*Note:- The amount received from ASIDE returned as directed by Ministry for the year 2015-2016

Details of Asset	₹ in lakhs
Fixed Assets	3506.90
Capital work in progress	90.00
Total	**3596.90**

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर - लाभकारी संगठन)

संगठन का नामः समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण , कोच्ची - 36

31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

(राशि - ₹)

प्राप्तियाँ		2016-17		2015-16	भुगतान		2016-17		2015-16
1 अथ शेष			**87542352**	**69502977**	**1. व्यय**			**441256310**	**497680759**
क नकद	84545		52876		क) स्थापना व्यय	334400472			
ख बैंक खाता	87457807		69450101		ख) प्रशासनिक व्यय	105559704			
					ग) स्टॉक समायोजन	1296134			
ग जमा	12947539	**16037539**	57199234						
i) एम ई पी एफ निधि	3090000								
2 प्राप्त अनुदान		**1025000000**	**1350000000**		**2. निधि में से किए गए भुगतान से किए गए भुगतान**		**597068692**		**913274989**
मंत्रालय से अनुदान (योजना और गैर योजना)					अनुदान/सब्सिडी पर व्यय	109894960			
अनुदान योजना स्कीम	920000000		1300000000		i) संस्था को दिया अनुदान	332100000		647555587	
अनुदान गैर योजना स्कीम	105000000		50000000		ii) सब्सिडी	155073732		265719402	
3 निवेशों पर आय		**1650000**	**107600000**		**3. किए गए निवेश और जमा**		**14532208**		**106931357**
चिह्नित/स्थायी निधियों में					क) एम ई पी एफ निधियों में :	3176829			
एम पी आर एन एल	1650000				ख) एम पी आर एन एल	1733581			
					ग) निजी निधि में से				
					(अन्य निवेश):-	9621798			
4 बैंक जमा पर प्राप्त ब्याज		**8801854**	**11586154**		**4. स्थायी परिसंपत्तियों पर व्यय और पूँजी कार्य प्रगति पर**		**21391474**		**10361914**
क) ब्याज - सामान्य निक्षेप	7277261	7277261			क) स्थाई परिसंपत्तियों की खरीद	8812752		7667811	
					ख) देय खाते	12578722		2694103	
ख) ऋण/अग्रिमें आदि :-		1524593							
i) गृह निर्माण अग्रिम से ब्याज	502364								
ii) एम सी ए/स्कूटर पर ब्याज	35334								
iii) एम ई पी एफ से ब्याज	86829								
iv)कंप्यूटर अग्रिम पर ब्याज	22619								

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity : THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI -36

RECEIPT & PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2017

Amount in ₹

Receipts		2016-17		2015-16	Payments		2016-17		2015-16
1. Opening Balance			**87542352**	**69502977**	**1. Expenses**			**441256310**	**497680759**
a. Cash	84545		52876		a) Establishment Expenses	334400472			
b. Bank Account	87457807		69450101		b) Administrative Expenses	105559704			
					c) stock adjustment	1296134			
c. Deposits	12947539	**16037539**		**57199234**					
MEPF Fund	3090000								
2. Grant Received		**1025000000**		**1350000000**	**2. Payments made against fund for**		**597068692**		**913274989**
Grant from Ministry(Plan & Non Plan)					Exp.on grants/subsidy:-	109894960			
Grant - Plan Scheme	920000000		1300000000		i) Grants given to Institutions	332100000		647555587	
Grant Non-Plan	105000000		50000000		ii) Subsidies	155073732		265719402	
3. Income on Investment from		**1650000**		**107600000**	**3. Investments & Deposits made:-**		**14532208**		**106931357**
Towards Earmarked/Endow.fund					a) Out of MEPF funds:-	3176829			
MPRNL	1650000				ii MPRNL	1733581			
					b) Out of Own Funds				
					(Investments-Others):-	9621798			
4. Interest received on Bank Deposits		**8801854**		**11586154**					
a) Interest -General Deposit	7277261	7277261			**4. Expense on Fixed Assets and Capital Work-In -Progress**		**21391474**		**10361914**
					a) Purchase of Fixed Assets:-	8812752		7667811	
b) ***Loans ,advances etc:-***		1524593			b) Accounts payable	12578722		2694103	
Interest -HBA	502364								
Interest on MCA/Scooter	35334								
Interest-MEPF	86829								
Interest on Computer Advance	22619								
Advances recovered	877447								

5	**अन्य आय**		**58650794**		**5.**	**वित्त प्रभार (ब्याज)**	
	i) शुल्क/अंशदान	18176195	43094377	**20848028**			
	ii)रॉयल्टी/प्रकाशनों से आय	1111036					
	iii) अक्वा अक्वेरिया/नाक्सा/ आईआईएसएस	10969684					
	आय पट्टा किराया	4937462					
	iv) अन्य (स्टॉल किराया)	7900000					
6	**कोई अन्य प्राप्तियां**		**15556417**	**21290232**	**6.**	**अन्य भुगतान**	**16867422**	**22235254**
	i) पुरानी परिसंपत्ति की बिक्री	738323				अग्रिम भुगतान	6001140	
	ii)विविध एवं अन्य आय	14818094				अक्वा अक्वेरिया/नाक्सा/ आईआईएसएस	10866282	
					7.	**अन्तशेष**	**106566433**	**87542352**
						हाथ में रोकड़ :	55033	84545
						बैंक शेष :	106511400	87457807
	कुल		**1197682539**	**1638026625**		**कुल**	**1197682539**	**1638026625**

मुख्य लेखा अधिकारी

सचिव

5.	**Other Income**		**58650794**		**5.**	**Finance charges(Interest)**	
	ii) Fees/Subsciption	18176195	43094377	**20848028**			
	iii) Income from Royalty/publication	1111036					
	Aqua Aquaria / NaCSA/IISS	10969684					
	Income-lease rent	4937462					
	iv) Others (Stall rent)	7900000					
6.	**Any other receipts**		15556417	**21290232**	**6.**	**Other Payments**	**16867422**	**22235254**
	sale of old assets	738323				Advances paid	6001140	
	Miscellaneous & other income	14818094				Aqua Aquaria / NaCSA/IISS	10866282	
					7.	**Closing Balance**	**106566433**	**87542352**
						Cash in hand:-	**55033**	84545
						Bank balance:-	**106511400**	87457807
	TOTAL		**1197682539**	**1638026625**	**TOTAL**		**1197682539**	**1638026625**

CHIEF ACCOUNTS OFFICER **SECRETARY** **CHAIRMAN**

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची के 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

1. हमने समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1972 की धारा 19 (2) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कार्य, शक्ति एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अन्तर्गत समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची के 31 मार्च 2017 तक के संलग्न तुलन-पत्र एवं उसी तारीख को समाप्त वर्ष के आय व व्यय लेखे तथा प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखे की लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों में प्राधिकरण की यूनिटों / शाखाओं की लेखाएं शामिल हैं। ये वित्तीय विवरण प्राधिकरण के प्रबन्धन की जिम्मेदारी हैं। हमारी लेखा-परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय प्रकट करना हमारी जिम्मेदारी है।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण, उत्तम लेखाकरण पद्वति के साथ अनुरूपता, लेखाकरण मानक एवं प्रकटीकरण मानदंड आदि से संबंधित लेखाकरण निरूपण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी ए जी) की टिप्पणियाँ शामिल हैं । विधि, नियम व विनियम (उपयुक्तता व नियमितता) के अनुपालन से संबंधित वित्तीय कार्य निष्पादन पर लेखा टिप्पणियाँ और दक्षता एवं निष्पादन पहलू आदि, यदि है, तो उन्हें निरीक्षण रिपोर्टों/सी ए जी की लेखा-परीक्षा रिपोर्टों द्वारा अलग रूप से दिखाया जाता है ।

3. हमने अपनी लेखा परीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा-परीक्षा मानकों के अनुसार की है । इन मानकों केलिए यह अपेक्षित है कि, इन वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त होने के बारे में समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम अपनी लेखा-परीक्षा को योजनाबद्ध होकर निष्पादित करें । लेखा-परीक्षा के अन्तर्गत वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों और प्रकटीकरणों के समर्थन में प्रमाण की, परीक्षण आधार पर, जाँच शामिल है। लेखा-परीक्षा के अन्तर्गत, प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धान्तों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों के साथ-साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है । हमारा विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय को एक यथोचित आधार प्रदान करती है।

4. हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   i. जहाँ तक हमारी जानकारी एवं विश्वास है, हमने अपनी लेखा परीक्षा के लिए अनिवार्य सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं ।

   ii. तुलन पत्र तथा आय व व्यय लेखे/प्राप्ति व भुगतान लेखे की रिपोर्ट भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित फार्मेट में तैयार की गई है ।

   iii. हमारी राय में, बहियों की जाँच करने से प्रकट होता है कि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1972 की धारा 19 के अन्तर्गत अपेक्षित रूप से प्राधिकरण द्वारा उपयुक्त लेखा बहियों और अन्य संगत रिकार्डों का रख-रखाव किया जा रहा है ।

   iv. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :

(क) तुलन - पत्र

1. परिसंपत्तियां

1.1 चालू परिसम्पत्तियॉ, ऋण और अग्रिम आदि (अनुसूची-11): ₹ 42.79 करोड़

(अ) इसे ₹ 1.11 करोड़ कम दर्शाया गया है, जो अप्रैल 2017 में आयोजित सीफूड एक्स्पो ग्लोबल, ब्रसल्स के लिए भागीदारी शुल्क के पूर्वदान व्यय को अग्रिम के स्थान पर चालू वर्ष के व्यय में बुक करने की वजह से हुआ है । परिणामस्वरूप समान राशि द्वारा 'आय से अधिक व्यय' की अभ्युक्ति हुई है ।

SEPARATE AUDIT REPORT OF THE COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA ON THE ACCOUNTS OF THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2017

1. We have audited the attached Balance Sheet of The Marine Products Export Development Authority (Authority) as at 31 March 2017 and the Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 19 (2) of the Marine Products Export Development Authority Act, 1972. These financial statements include the accounts of units/ branches of the Authority. These financial statements are the responsibility of the Authority's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/ CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

   i. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

   ii. The Balance Sheet and Income and Expenditure Account/ Receipts and Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Ministry of Finance, Government of India.

   iii. In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Authority as required under Section 19 of the Marine Products Export Development Authority Act, 1972 in so far as it appears from our examination of such books.

   iv. We further report that:

(A) Balance Sheet

1. Assets

1.1 Current Asset, Loans and Advances (Schedule 11) - ₹ 42.79 crore

   (a) This stands understated by ₹ 1.11 crore on account of booking of prepaid expenses on participation fee for the Seafood Expo Global Brussels, conducted in April 2017 as current year's expenditure instead of booking the same as Advances. This has resulted in overstatement of 'Excess of Expenditure over Income' by the same amount.

(आ) विभिन्न पार्टियों द्वारा 'स्रोत पर आयकर कटौती के गैर-लेखांकन और साथ ही उसी सीमा तक कम आय के लेखांकन के कारण उपर्युक्त में ₹ 0.42 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई है । इसके परिणामस्वरूप आय के साथ चालू परिसंपत्ति को भी ₹ 0.42 करोड़ कम दर्शाया गया है । फलस्वरूप, समान राशि द्वारा 'आय से अधिक व्यय' को भी अधिक दर्शाया गया है।

(ख) आय एवं व्यय लेखे

1. व्यय

1.1 स्थापना व्यय (अनुसूची-20): ₹ 33.61 करोड़

बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति लाभ के लिए देयता के कारण इसे ₹ 142 करोड़ कम दर्शाया गया है। प्राधिकरण ने इस देयता को 'चालू देयताएँ एवं प्रावधान' के तहत दर्शाया है जिसके कारण इसे आय एवं व्यय लेखे के स्थान पर तुलन-पत्र में 'विविध व्यय' के नामे दिखाया गया है। इसके परिणामस्वरूप 'स्थापना व्यय' तथा 'आय से अधिक व्यय' को ₹ 142 करोड़ कम दर्शाया गया है एवं 'विविध व्यय'को उसी सीमा तक अधिक दर्शाया गया है ।

(ग) सामान्य

(क) इक्विटी भागीदारी योजना के तहत वर्ष 1985 से 1998 की अवधि के दौरान कंपनियों में निवेश की गई ₹ 5.54 करोड़ रकम भी शमिल है, जिसकी वसूली संदेहास्पद है । निवश की गई राशि प्राप्त नहीं हुई है हालांकि लंबे समय से यह अतिदेय है एवं इन कंपनियों से रकम की वसूली के लिए उठाए गए कानूनी कदम एवं विचार विमर्श से भी कोई परिणाम हासिल नहीं हुआ। लागत पर इन निवेशों को दिखाने की बजाय प्राधिकरण द्वारा हानि समीक्षा की जानी चाहिए थी एवं उचित रूप से इन निवेशों को कम करने के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए था ।

(ख) वर्ष 2010- 10 से 2014-15 की अवधि के लिए ₹ 2.69 करोड़ सेवाकर के भुगतान हेतु सीमशुल्क प्राधिकारियों से दिनांक 28.02.2017 को एक आदेश प्राप्त हुआ एवं अप्रैल 2017 में प्राधिकरण द्वारा उस जुर्माने के खिलाफ अपील की गई । इस तथ्य को खुलासा नहीं किया गया है ।

(ग) लेखा-परीक्षा ने पाया कि, छुट्टी नकदीकरण के लिए बीमांकित देयता के समय, कर्मचारियों के अर्धवेतन छुट्टी को लेखे में नहीं लिया गया है। बीमांकिक मूल्यांकन के लिए अर्धवेतन छुटटी के गैर-लेखांकन के परिणामस्वरुप प्राधिकरण की बीमांकिक देयता को कम दर्शाया गया है ।

(घ) टिप्पणियों का प्रभाव

ऊपर दी गई टिप्पणियों का निवल प्रभाव यह है कि देयताओं को ₹ 8.23 करोड़ कम दर्शाया गया है। सम्पत्तियों को ₹ 140.47 करोड़ अधिक दर्शाया गया है एवं आय से अधिक व्यय को ₹148.70 करोड़ कम दिखाया गया है।

(ड़) सहायता अनुदान

पिछले वर्ष से अग्रनीत अनुदान ₹ (-)4.23 करोड़ है। इस वर्ष के दौरान आन्तरिक एवं अतिरिक्त बजटीय प्राप्तियाँ (आईईबीआर) सहित ₹ 107.18 करोड़ सहायता प्राप्त हुई एवं ₹ 104.98 करोड़ तक का उपयोग किया गया। इस प्रकार दिनांक 31.3.2017 के अनुसार सहायता से अधिक उपयोग ₹ 2.03 करोड़ रुपये था, जिसकी पूर्त्ति अन्य निधियों से की गई।

v. पूर्ववर्ती पैरा में किए गए अवलोकन के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन-पत्र तथा आय एवं व्यय लेखाः प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, लेखा बहियों के अनुरुप है।

(b) The above stands understated by ₹ 0.42 crore due to non-accounting of income tax deducted at source by various parties as well as accounting of less income to that extent. This has resulted in understatement of Income as well Current Assets by ₹ 0.42 crore. Consequently, the 'Excess of Expenditure over Income' is also overstated by the same amount.

(B) Income and Expenditure Account

1. Expenditure

1.1 Establishment Expenses (Schedule 20) - ₹ 33.61 crore:

This stands understated by ₹ 142 crore being the liability for retirement benefits of employees as per actuarial valuation. The Authority has shown this liability under 'Current Liabilities and Provisions' with corresponding debit to 'Miscellaneous Expenditure' in Balance Sheet instead of routing it through Income and Expenditure Account. This had resulted in understatement of 'Establishment Expenses', 'Excess of Expenditure over Income' by ₹ 142 crore and overstatement of 'Miscellaneous Expenditure' to that extent.

C) General

(a) Investments include ₹ 5.54 crore being the amount invested in Companies during the period from 1985 to 1998 under the Equity Participation Scheme, which is doubtful of recovery . The invested amount has not been received even though the same is long overdue and the legal steps taken as well as negotiations conducted to recover the amount from these Companies have not achieved any result. Instead of depicting these investments at cost, the authority should have carried out an impairment review and appropriately made a provision for diminution of these investments.

(b) An order dated 28.02.2017 received from the Custom Authorities for payment of ₹ 2.69 crore towards service tax for the period from 2010-11 to 2014-15 and penalty thereon has been appealed against by the Authority in April 2017. This fact has not been disclosed.

(c) Audit noticed that, while arriving at the actuarial liability for leave encashment, the Half Pay leave of the employees was not taken into account. The non-accounting of Half Pay leave for actuarial valuation has resulted in understatement of actuarial liability of the Authority.

(D) Impact of Comments

The net impact of the comments given above is that the Liabilities are understated by ₹ 8.23 crore. Assets are overstated by ₹ 140.47 crore and Excess of Expenditure over Income is understated by ₹ 148.70 crore

(E) Grants-in-aid

Grant carried forward from previous year is ₹ (-) 4.23 crore. During the year Grant amounting to ₹ 107.18 crore was received including Internal and Extra Budgetary Receipts (IEBR) and utilisation was to the extent of ₹ 104.98 crore. Thus, excess utilisation of grant as on 31-3-2017 was ₹ 2.03 crore met from other funds.

v. Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance sheet and Income & Expenditure Account; Receipts & Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

vi. हमारी राय में और हमारी सूचना तथा हमें प्रदत्त स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखाओं पर टिप्पणियों और लेखा नीतियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण ऊपर कथित महत्वपूर्ण मामलों के अधीन तथा इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामले भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरुप निम्नलिखित के बारे में सत्य एवं उचित स्थिति प्रदान करते हैं।

(क) जहाँ तक इसका संबंध तुलन-पत्र से है, 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के कार्यों की स्थिति, तथा

(ख) जहाँ तक उस तिथि को समाप्त वर्ष के अधिशेष के आय व व्यय लेखे के साथ इसका संबंध स्थापित करता है।

कृते और भारत के सी एंड एजी की ओर से
हस्ता/-
(ई.श्रीनिवासन)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा

स्थानः चेन्नई
तारीखः 20.09.2017

vi. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India:

(a) In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Marine Products Export Development Authority as at 31 March 2017; and

(b) In so far as it relates to Income & Expenditure Account, of the deficit for the year ended on that date.

For and on behalf of C&AG of India

Sd/-

(E. SRINIVASAN)

PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL AUDIT

Place : Chennai

Date : 20.09.2017

अनुबंध

1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

आन्तरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली में निम्नलिखित कमियाँ है :

- कोई अलग लेखा-परीक्षा स्कंध न होने के कारण आंतरिक लेखा परीक्षा, संगठन के आकार के अनुरूप नहीं है । आन्तरिक लेखा-परीक्षा, लेखा विभाग के अधिकारियों द्वारा उनके नियमित कार्य अतिरिक्त किया जाता है ।
- वर्ष 2016-17 के दौरान प्राधिकरण के कुल 35 यूनिट कार्यालयों में से केवल 09 कार्यालयों की ही लेखा-परीक्षा की गई । इन 09 कार्यालयों में की गई लेखा-परीक्षा वर्ष 2016-17 की पूरी अवधि के लिए नहीं हो सका ।
- मार्गदर्शन हेतु कोई अन्तरिक नियंत्रण मैनुअल नहीं है ।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 208 (vii) के अनुसार, प्रतिवर्ष पाँच करोड़ रुपये से अधिक बजटीय सहायता वाले स्वायत्त संगठनों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रशासन मंत्रालय या विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन करें जिसमें आनुषंगिक निष्पादन अपेक्षाओं के विवरण सहित निष्पादन में गुणात्मक सुधार तथा कार्य के कार्यक्रमों के विवरण स्पष्ट हों । गणनायोग्य इकाइयों के निष्पादन में दिए गए निष्पादन लक्ष्यों को इन संगठनों को दी गई बजटीय सहायता का आधार बनाना होगा। सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 208 (vii) के प्रावधानों के अधीन अपेक्षित रुप से प्राधिकरण ने प्रशासनिक मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन नहीं किया है।

3. स्थाई परिसम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

प्राधिकरण के अधीन 35 यूनिट कार्यालय है, तथापि लेखा-परीक्षा को उपलब्ध कराए गए रिकार्ड के अनुसार दिनांक 31.03.2017 तक 06 कार्यालयों की संपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।

4. सम्पत्ति सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

प्राधिकरण द्वारा सम्पत्ति सूची का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है।

5. सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता

प्राधिकरण, नवंबर 2016 से सेवा कर चुका रहा है । पूर्व अवधि के लिए सेवा कर के गैर भुगतान से संबंधित मामले की अपील राजस्व अधिकारियों के पास की गई है ।

हस्ता/-

उप निदेशक

ANNEXURE

(1) Adequacy of Internal Audit system

The system of Internal Audit has the following deficiencies:

- Internal Audit is not commensurate with the size of Organisation as there is no separate Internal Audit wing. Internal Audit is being conducted by the officials of the Accounts Department along with their regular work.
- Out of 35 unit offices of the Authority, only 9 offices were audited during 2016-17. Audit in these 9 offices did not cover the entire period of 2016-17.
- No Internal Control manual exists for guidance.

(2) Adequacy of Internal Control System

As per Rule 208 (vii) of General Financial Rules, Autonomous Organizations with a budgetary support of more than Rupees five crore per annum, are required to enter into a Memorandum of Understanding (MOU) with the Administrative Ministry or Department, spelling out clearly the output targets in terms of details of programme of work and qualitative improvement in output, along with commensurate input requirements. The output targets, given in measurable units of performance, should form the basis of budgetary support extended to these organisations. The authority has not executed MOU with the administrative ministry as required under the provisions of Rule 208(vii) of General Financial Rules.

(3) System of Physical Verification of Fixed Assets

There are 35 unit offices under the Authority, however Physical Verification of Assets as on 31-3-2017 have not been carried out in 6 offices as per the records furnished to audit.

(4) System of Physical Verification of Inventory

The Physical verification of Inventory is being conducted by the Authority.

(5) Regularity in payment of Statutory Dues

The Authority is paying service tax from November 2016 onwards. The matter regarding non-payment of service tax for prior periods is under appeal with revenue authorities.

Sd/-
DEPUTY DIRECTOR

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए), कोच्ची के 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक -महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

1. हमने समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1972 की धारा 19(2) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कार्य, शक्ति एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अन्तर्गत समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची के 31 मार्च 2017 तक के संलग्न तुलन पत्र एवं उसी तारीख को समाप्त वर्ष के आय व व्यय लेखे तथा प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखे की लेखा-परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों में प्राधिकरण की यूनिटों/शाखाओं की लेखाएं शामिल हैं। ये वित्तीय विवरण प्राधिकरण के प्रबन्धन की जिम्मेदारी हैं। हमारी लेखा-परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय प्रकट करना हमारी जिम्मेदारी है।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण, उत्तम लेखाकरण पद्धति के साथ अनुरूपता, लेखाकरण मानक एवं प्रकटीकरण मानदंड आदि से संबंधित लेखाकरण निरूपण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी ए जी) की टिप्पणियाँ शामिल हैं । विधि, नियम व विनियम (उपयुक्तता व नियमितता) के अनुपालन से संबंधित वित्तीय कार्य निष्पादन पर लेखा टिप्पणियाँ और दक्षता एवं निष्पादन पहलू आदि, यदि है, तो उन्हें निरीक्षण रिपोर्टों/सी ए जी की लेखा-परीक्षा रिपोर्टों द्वारा अलग रूप से दिखाया जाता है । कोई टिप्पणी नहीं

3. हमने अपनी लेखा-परीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा-परीक्षा मानकों के अनुसार की है । इन मानकों केलिए यह अपेक्षित है कि, इन वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त होने के बारे में समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम अपनी लेखा-परीक्षा को योजनाबद्ध होकर निष्पादित करें। लेखा-परीक्षा के अन्तर्गत वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों और प्रकटीकरणों के समर्थन में प्रमाण की, परीक्षण आधार पर, जाँच शामिल है। लेखा-परीक्षा के अन्तर्गत, प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धान्तों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों के साथ-साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है । हमारा विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय को एक यथोचित आधार प्रदान करती है।

REPLY SEPARATE AUDIT REPORT OF THE COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA ON THE ACCOUNTS OF THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2017

1. We have audited the attached Balance Sheet of The Marine Products Export Development Authority (Authority) as at 31 March 2017 and the Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 19 (2) of the Marine Products Export Development Authority Act, 1972. These financial statements include the accounts of units/ branches of the Authority. These financial statements are the responsibility of the Authority's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/ CAG's Audit Reports separately.

No comments

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(i) जहाँ तक हमारी जानकारी एवं विश्वास है, हमने अपनी लेखा परीक्षा के लिए अनिवार्य सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं ।

(ii) तुलन पत्र तथा आय व व्यय लेखे/प्राप्ति व भुगतान लेखे की रिपोर्ट भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित फार्मेट में तैयार की गई है ।

कोई टिप्पणी नहीं

(iii) हमारी राय में, बहियों की जाँच करने से प्रकट होता है कि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1972 की धारा 19 के अन्तर्गत अपेक्षित रूप से प्राधिकरण द्वारा उपयुक्त लेखा बहियों और अन्य संगत रिकार्डों का रख-रखाव किया जा रहा है ।

(iv) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) तुलन - पत्र

1. परिसंपत्तियाँ

1.1 चालू परिसम्पत्तियॉ, ऋण और अग्रिम आदि (अनुसूची-11): ₹ 42.79 करोड़

(अ) इसे ₹ 1.11 करोड़ कम दर्शाया गया है, जो अप्रैल 2017 में आयोजित सीफूड एक्स्पो ग्लोबल, ब्रसल्स के लिए भागीदारी शुल्क के पूर्वदान व्यय को अग्रिम के स्थान पर चालू वर्ष के व्यय में बुक करने की वजह से हुआ है । परिणामस्वरूप समान राशि द्वारा 'आय से अधिक व्यय' की अभ्युक्ति हुई है ।

चूँकि यह एक विश्व समुद्री खाद्य प्रदर्शनी है अतः हमारी भागीदारी सुनिचित करने के लिए अग्रिम बुकिंग एवं भुगतान की आवयकता है। अतः अग्रिम के रूप में 30-40% राशि का भुगतान किया जाता है और शेष भुगतान प्रर्दानी के वर्ष में प्रभावी होता है । यह एक लगातार चलनेवाली प्रक्रिया है, चालू वर्ष के लिए अग्रिम या व्यय के रूप में योजना निधि से उपयोग/जारी की गई अनुदान निधि को चालू वर्ष के व्यय के रूप में बुक किया जाता है।

(आ) विभिन्न पार्टियों द्वारा 'स्रोत पर आयकर कटौती के गैर-लेखांकन और साथ ही उसी सीमा तक कम आय के लेखांकन के कारण उपर्युक्त में ₹ 0.42 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई है । इसके परिणामस्वरूप आय के साथ चालू परिसंपत्ति को भी ₹ 0.42 करोड़ कम दर्शाया गया है । फलस्वरूप, समान राशि द्वारा 'आय से अधिक व्यय' को भी अधिक दर्शाया गया है।

एमपीईडीए, समुदी खाद्य संघ केसहयोग से अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री खाद्य प्रदर्शनी (आईआईएसएस) एवं अक्वा-अक्वेरिया इंडिया प्रदर्शनी का आयोजन करता है । प्रदर्शनी का आयोजन, स्टॉल किराया, प्रतिनिधि शुल्क, विज्ञापन आदि द्वारा आय जुटाकर एवं एकत्रित रकम से व्यय की पूर्ति की जाती है । एमपीईडीए निधि का उपयोग मेलों के आयोजन के लिए नहीं किया जाता है । मेलों के लिए अलग लेखे रखे जाते हैं एवं स्वतंत्र चार्टेड अकाउंटेट फर्मों द्वारा लेखों की लेखा परीक्षा एवं उनके द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

मामले पर विचार किया जाएगा एवं धन वापसी के दावे के लिए आवश्यक रिटर्न, यदि अपेक्षित हो तो, तुरंत फाइल किया जाएगा।

4. Based on our audit, we report that:

i. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

ii. The Balance Sheet and Income and Expenditure Account/ Receipts and Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Ministry of Finance, Government of India.

No comments

iii. In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Authority as required under Section 19 of the Marine Products Export Development Authority Act, 1972 in so far as it appears from our examination of such books.

iv. We further report that:

(A) Balance Sheet:

1. Assets

1.1 Current Asset, Loans and Advances (Schedule 11) - ₹ 42.79 crore

(a) This stands understated by ₹ 1.11 crore on Account of booking of prepaid expenses on participation fee for the Seafood Expo Global Brussels, conducted in April 2017 as current year's expenditure instead of booking the same as Advances. This has resulted in overstatement of 'Excess of Expenditure over Income' by the same amount.

Since this is an important World Seafood Expo advance booking and payment is needed to ensure our participation. Hence 30-40% of amount is paying as advance and balance payment is effecting in the year of Expo. This is a continuous practice, the grant fund utilised/released from the Plan fund for the current year as advance or expenditure is booking as expenditure of current year.

(b) The above stands understated by ₹ 0.42 crore due to non accounting of income tax deducted at source by various parties as well as accounting of less income to that extent. This has resulted in understatement of Income as well Current Assets by ₹ 0.42 crore. Consequently, the 'Excess of Expenditure over Income' is also overstated by the same amount.

MPEDA is conducting fairs such as India International Sea food shows (IISS) in collaboration with Sea food Association and Aqua Aquaria India shows .The shows are conducted by mobilising the income by way of stall rent, delegate fee, advertisement etc and expenditure is met from the collected amount. The funds of MPEDA is not utilised for conducting the fairs. Also separate accounts arc maintained for the fairs and accounts are audited & certified by Independent Chartered Accountant Firms.

The matter will be looked into and necessary return if required will be filed immediately for claiming the refund.

(ख) आय एवं व्यय लेखे

1. व्यय

1.1 स्थापना व्यय (अनुसूची-20): - ₹ 33.61 करोड़

बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति लाभ के लिए देयता के कारण इसे ₹ 142 करोड़ कम दर्शाया गया है। प्राधिकरण ने इस देयता को 'चालू देयताएँ एवं प्रावधान' के तहत दर्शाया है जिसके कारण इसे आय एवं व्यय लेखे के स्थान पर तुलन-पत्र में 'विविध व्यय' के नामे दिखाया गया है। इसके परिणामस्वरूप 'स्थापना व्यय' तथा 'आय से अधिक व्यय' को ₹ 142 करोड़ कम दर्शाया गया है एवं 'विविध व्यय'को उसी सीमा तक अधिक दर्शाया गया है।

प्रत्येक वर्ष एमपीईडीए, मेसेर्स एसबीआई लाइफ इंयोरेन्स द्वारा नया बीमांकिक मूल्यांकन कर रहा है तथा बीमांकिक देयता के लिए तुलन पत्र में प्रावधान है । यदि हम समान को आय एवं व्यय लेखे में बुक करते हैं तो आय से अधिक व्यय ₹ 144.68 करोड़ होगा एवं इसके कारण कार्पस निधि नकारात्मक होगी अर्थात् - ₹ + 118.60 करोड़ । चूँकि कार्पस निधि को ऐसा ही रखना चाहिए, अतः बीमांकिक मूल्यांकन देयता को चालू देयताओं एवं प्रावधानों सहित संबंधित डेबिट को विधि खर्च में दर्शाया जा रहा है ।

(ग) सामान्य

(क) इक्विटी भागीदारी योजना के तहत वर्ष 1985 से 1998 की अवधि के दौरान कंपनियों में निवेश की गई ₹ 5.54 करोड़ रकम भी शामिल है, जिसकी वसूली संदेहास्पद है । निवेश की गई राशि प्राप्त नहीं हुई है हालांकि लंबे समय से यह अतिदेय है एवं इन कंपनियों से रकम की वसूली के लिए उठाए गए कानूनी कदम एवं विचार विमर्श से भी कोई परिणाम हासिल नहीं हुआ। लागत पर इन निवेशों को दिखाने की बजाय प्राधिकरण द्वारा हानि समीक्षा की जानी चाहिए थी एवं उचित रूप से इन निवेशों को कम करने के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए था ।

मंत्रालय के निदेशानुसार, एमपीईडीए ने 15 कंपनियों से संबंधित रकम को खारिज करने का एकमुत निपटान प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिन्होंने इस संबंध में भारत सरकार को वचन दिया है एवं 05 कंपनियों से संबंधित वसूली कार्यवाही की है जिन्होंने न तो जवाब दिया और न ही वचन दिया ।

वाणिज्य विभाग ने दिनांक 28.09.2016 के अपने पत्र सं.11/18/2009 ईपी(एमपी) खण्ड 11 के तहत कुछ स्पष्टीकरण मांगे थे, जिसे संयुक्त निदेशक (विपणन) ने निदेशक ईपी (एमपी) को व्यक्तिगत रूप से स्पष्ट किया है । तत्पश्चात् मंत्रालय से लिखित रूप से स्पष्टीकरण की मांग की, जिसे एमपीईडीए द्वारा दिनांक 27.06.2017 के ई-मेल के तहत दिनांक 27.06.2017 की पत्र सं. एएल-ईपएसओओटीएस/1/2016/ए व आई के तहत अग्रेषित किया गया । मंत्रालय से आगे की कार्रवाई की प्रतीक्षा है ।

(ख) वर्ष 2010- 11 से 2014-15 की अवधि के लिए ₹ 2.69 करोड़ सेवाकर के भुगतान हेतु सीमाशुल्क प्राधिकारियों से दिनांक 28.02.2017 को एक आदेश प्राप्त हुआ एवं अप्रैल 2017 में प्राधिकरण द्वारा उस जुर्माने के खिलाफ अपील की गई । इस तथ्य को खुलासा नहीं किया गया है ।

हमने पिछले पाँच वर्षों के लिए सेवा कर प्राधिकारी द्वारा लगाई गई देयता का प्रतिवाद किया है क्योंकि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा मांगा गया कर एमपीईडीए द्वारा की गई विभिन्न सेवाओं/स्पष्टीकरण के लिए था जो अनिवार्य प्रकृति की है ।

सेवा कर पंजीकरण तथा सेवा कर भुगतान, कर दायित्व की स्वीकृति के समान नहीं है।

(ग) लेखा-परीक्षा ने पाया कि, छुट्टी नकदीकरण के लिए बीमांकित देयता के समय, कर्मचारियों के अर्धवेतन

अर्धवेतन छुट्टी पर तभी विचार किया जाता है जब खाते में पर्याप्त अर्जित छुट्टी (300 दिन) न हो ।

(B) Income and Expenditure Account

1 Expenditure

1.1 Establishment Expenses (Schedule 20)- ₹ 33.61 crore:

This stands understated by ₹ 142 crore being the liability for retirement benefits of employees as per actuarial valuation. The Authority has shown this liability under 'Current Liabilities and Provisions' with corresponding debit to 'Miscellaneous Expenditure' in Balance Sheet instead of routing it through Income and Expenditure Account. This had resulted in understatement of 'Establishment Expenses', 'Excess of Expenditure over Income' by ₹ 142 crore and overstatement of 'Miscellaneous Expenditure' to that extent.

Every year MPEDA is doing Actuarial valuation by M/s SBI Life Insurance company and provision is booked in Balance Sheet towards Actuarial Liability. If we book the same in Income & Expenditure Account, the excess of Expenditure over income will be ₹ 144.68 crores and there by corpus fund will be negative, ie, - ₹ +118.60 crores . As the corpus fund has to be keep as such, the actuarial valuation liability is being shown under Current liabilities and Provisions with corresponding debit to Miscellaneous Expenditure.

C) General

(a) Investments include ₹ 5.54 crore being the amount invested in Companies during the period from 1985 to 1998 under the Equity Participation Scheme, which is doubtful of recovery. The invested amount has not been received even though the same is long overdue and the legal steps taken as well as negotiations conducted to recover the amount from these Companies have not achieved any result. Instead of depicting' these investments at cost, the authority should have carried out an impairment review and appropriately made a provision for diminution of these investments.

As per the direction of Ministry , MPEDA has submitted the one time settlement proposal to write off the amount in respect of 15 companies who has submitted the undertaking in this regard to Government of India and gone ahead with recovery proceedings in respect of 5 companies who have either not been responding or have failed to give undertaking. Department of Commerce has sought certain clarifications vide their letter No. 11/18/2009-EP (MP) Vol II dated 28.09.2016, which was explained in person by Joint Director (Marketing) to Director EP (MP), MOC&I. Subsequently, Ministry' has asked for clarifications in writing, which was forwarded by MPEDA vide letter No. AI- EPS0OTS/1/2016/A&I dated 27.06.2017 vide e-mail on 27.06.2017. Further action from the Ministry is awaited.

(b) An order dated 28.02.2017 received from the Custom Authorities for payment of ₹ 2.69 crore towards service tax for the period from 2010-11 to 2014-15 and penalty thereon has been appealed against by the Authority in April 2017. This fact has not been disclosed.

We have contested the liability raised by Service tax Authority for the past five years as the tax demanded by Central Excise Dept is on various services /certification done by MPEDA which is mandatory in nature.

The service tax registration and payment of service tax respectively do not tantamount to acknowledgement of tax liability

(c) Audit noticed that, while arriving at the actuarial liability for leave encashment, the Half Pay leave of the employees was not taken into account. The non-accounting of Half Pay leave

Half pay leave is considered only when there is no sufficient EL in credit(300 days)

छुट्टी को लेखे में नहीं लिया गया है। बीमांकिक मूल्यांकन के लिए अर्धवेतन छुटटी के गैर-लेखांकन के परिणामस्वरुप प्राधिकरण की बीमांकिक देयता को कम दर्शाया गया है ।

(घ) टिप्पणियों का प्रभाव

ऊपर दी गई टिप्पणियों का निवल प्रभाव यह है कि देयताओं को ₹ 8.23 करोड़ कम दर्शाया गया है। सम्पत्तियों को ₹ 140.47 करोड़ अधिक दर्शाया गया है एवं आय से अधिक व्यय को ₹ 148.70 करोड़ कम दिखाया गया है।

(ड़) सहायता अनुदान

पिछले वर्ष से अग्रनीत अनुदान ₹ (-)4.23 करोड़ है। इस वर्ष के दौरान आन्तरिक एवं अतिरिक्त बजटीय प्राप्तियाँ (आईईबीआर) सहित ₹ 107.18 करोड़ सहायता प्राप्त हुई एवं ₹ 104.98 करोड़ तक का उपयोग किया गया। इस प्रकार दिनांक 31.3.2017 के अनुसार सहायता से अधिक उपयोग ₹ 2.03 करोड़ रुपये था, जिसकी पूर्त्ति अन्य निधियों से की गई।

(v) पूर्ववर्ती पैरा में किए गए अवलोकन के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन-पत्र तथा आय एवं व्यय लेखाः प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, लेखा बहियों के अनुरुप है।

(vi) हमारी राय में और हमारी सूचना तथा हमें प्रदत्त स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखाओं पर टिप्पणियों और लेखा नीतियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण ऊपर कथित महत्वपूर्ण मामलों के अधीन तथा इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामले भारत में सामान्यतछ स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरुप निम्नलिखित के बारे में सत्य एवं उचित स्थिति प्रदान करते हैं।

(क) जहाँ तक इसका संबंध तुलन-पत्र से है, 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के कार्यों की स्थिति, तथा

(ख) जहाँ तक उस तिथि को समाप्त वर्ष के अधिशेष के आय व व्यय लेखे के साथ इसका संबंध स्थापित करता है।

for actuarial valuation has resulted in understatement of actuarial liability of the Authority.

(D) Impact of Comments

The net impact of the comments given above is that the Liabilities are understated by ₹ 8.23 crore. Assets are overstated by ₹ 140.47 crore and Excess of Expenditure over Income is understated by ₹ 148.70 crore.

(E) Grants - in - aid

Grant carried forward from previous year is ₹ (-) 4.23 crore. During the year Grant amounting to R 107.18 crore was received including Internal and Extra Budgetary Receipts (IEBR) and utilisation was to the extent of ₹ 104.98 crore. Thus, excess utilisation of grant as on 31-3-2017 was ₹ 2.03 crore met from other funds.

v. Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance sheet and Income & Expenditure Account; Receipts & Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

vi. in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report give a true and fair view in conformity with' accounting principles generally accepted in India:

(a) In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Marine Products Export Development Authority as at 31 March 2017; and

(b) In so far as it relates to Income & Expenditure Account, of the deficit for the year ended on that date.

अनुबंध

1. आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

आन्तरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली में निम्नलिखित कमियाँ है :

- कोई अलग लेखा-परीक्षा स्कंध न होने के कारण आंतरिक लेखा-परीक्षा, संगठन के आकार के अनुरूप नहीं है । आन्तरिक लेखा-परीक्षा, लेखा विभाग के अधिकारियों द्वारा उनके नियमित कार्य अतिरिक्त किया जाता है ।
- वर्ष 2016-17 के दौरान प्राधिकरण के कुल 35 यूनिट कार्यालयों में से केवल 09 कार्यालयों की ही लेखा-परीक्षा की गई । इन 09 कार्यालयों में की गई लेखा-परीक्षा वर्ष 2016-17 की पूरी अवधि के लिए नहीं हो सका ।
- मार्गदर्शन हेतु कोई अन्तरिक नियंत्रण मैनुअल नहीं है ।

मामले को ध्यान में रखा जाएगा तथा भविष्य में अनुपालन किया जाएगा ।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 208 (vii) के अनुसार, प्रतिवर्ष पाँच करोड़ रुपये से अधिक बजटीय सहायता वाले स्वायत्त संगठनों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रशासन मंत्रालय या विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन करें जिसमें आनुषंगिक निष्पादन अपेक्षाओं के विवरण सहित निष्पादन में गुणात्मक सुधार तथा कार्य के कार्यक्रमों के विवरण स्पष्ट हों । गणनायोग्य इकाइयों के निष्पादन में दिए गए निष्पादन लक्ष्यों को इन संगठनों को दी गई बजटीय सहायता का आधार बनाना होगा। सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 208 (vii) के प्रावधानों के अधीन अपेक्षित रुप से प्राधिकरण ने प्रशासनिक मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन नहीं किया है।

एमपीईडीए का गठन, संसद के अधिनियम के तहत हुआ था। एमपीईडीए केन्द्र सरकार के नियमों का अनुपालन करता है। भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के माध्यम से निधियां प्राप्त होती हैं। जीएफआर के अनुसार उपयोगिता प्रमाणपत्र के प्रस्तुत करने पर तिमाही आधार पर निधि जारी की जाती है। तथापि, एमपीईडीए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित कर रहा है एवं आवधिक रिपोर्टें मंत्रालय को प्रस्तुत की जा रही हैं। प्रशासनिक मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन का निष्पादन प्रक्रिया में है ।

3. स्थाई परिसम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली :

प्राधिकरण के अधीन 35 यूनिट कार्यालय है, तथापि लेखा-परीक्षा को उपलब्ध कराए गए रिकार्ड के अनुसार दिनांक 31.03.2017 तक 06 कार्यालयों की संपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।

सभी कार्यालयों के परिसंपत्तियों की प्रत्यक्ष जाँच पहले ही की जा चुकी है एवं 6 कार्यालयां से जो सत्यापन विवरण प्राप्त होने थे वे अब प्राप्त हो चुके हैं ।

4. सम्पत्ति सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

प्राधिकरण द्वारा सम्पत्ति सूची का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है।

कोई टिप्पणी नहीं है ।

5. सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता

प्राधिकरण, नवंबर 2016 से सेवा कर चुका रहा है । पूर्व अवधि के लिए सेवा कर के गैर भुगतान से संबंधित मामले की अपील राजस्व अधिकारियों के पास की गई है ।

कोई टिप्पणी नहीं है ।

ANNEXURE

(1) Adequacy of Internal Audit system:	
The system of Internal Audit has the following deficiencies: • Internal Audit is not commensurate with the size of Organisation as there is no separate Internal Audit wing. Internal Audit is being conducted by the officials of the Accounts Department along with their regular work. • Out of 35 unit offices of the Authority, only 9 offices were audited during 2016-17. Audit in these 9 offices did not cover the entire period of 2016-17. • No Internal Control manual exists for guidance.	The matter will be looked in to and necessary compliance will be done in future.
(2) Adequacy of Internal Control System:	
As per Rule 208 (vii) of General Financial Rules, Autonomous Organizations with a budgetary support of more than Rupees five crore per annum, are required to enter into a Memorandum of Understanding (MOU) with the Administrative Ministry or Department, spelling out clearly the output targets in terms of details of programme of work and qualitative improvement in output, along with commensurate input requirements. The output targets, given in measurable units of performance, should form the basis of budgetary support extended to these organisations. The authority has not executed MOU with the administrative ministry as required under the provisions of Rule 208(vii) of General Financial Rules.	MPEDA was formed under the Act of parliament. MPEDA follows the Central govt rules. Funds are received from Govt of India through Ministry of Commerce. The funds are released on quarterly basis on submitting the utilisation Certificate as per GFR. However MPEDA is fixing specific targets and periodical reports are being furnished to the Ministry also. The execution of MOU with the administrative ministry is in process.
(3) System of Physical Verification of Fixed Assets:	
There are 35 unit offices under the Authority, however Physical Verification of Assets as on 31-3-2017 have not been carried out in 6 offices as per the records furnished to audit.	The physical verification of Assets of all offices are already carried out and the verification statement to be received from 6 offices have now been received.
(4) System of Physical Verification of Inventory:	
The Physical verification of Inventory is being conducted by the Authority.	No Comments
(5) Regularity in payment of Statutory Dues:	
The Authority is paying Service Tax from November 2016 onwards. The proceeding for non-payment of service tax for prior periods is under appeal with revenue authorities.	No Comments

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

एम पी ई डी ए हाउस, पनंपिल्ली एवन्यू, कोच्ची 682 036, केरला, भारत

दूरभाषः +91 484 2311979फैक्सः +91 484 2313361

ई-मेलः ho@mpeda.gov.in वेबसाइटः www.mpeda.gov.in

The Marine Products Export Development Authority

(Ministry of Commerce & Industry, Government of India)

MPEDA House, Panampilly Avenue, Kochi - 682 036, Kerala, India

Phone: +91 484 2311979 Fax: +91 484 2313361

E-mail: ho@mpeda.gov.in Website: www.mpeda.gov.in